लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड ३२, १९५९/१८८१ (शक)

[३ से १४ अगस्त १९५९/१२ से २३ श्रावण १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

आठवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३२ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला—खण्ड ३२—अंक १ से १०—३ अगस्त १९५९/१२ श्रावण, १८८१ (शक) से १४ अगस्त, १९५९/२३ श्रावण, १८८१ (शक)]

अंक १—सोमवार, ३ अगस्त, १९५९/१२ श्रावण, १८८१ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ३, ४५, ४, ५, ७ से १२, ४३ और १३ से १५	२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	२६—४२
तारांकित प्रश्न संख्या ६, १६ से ४२, ४४, ४६ और ४७ . .	
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ४७ और ४९ से ७५ . .	४२—७३
निधन सम्बन्धी उल्लेख—	
स्थगन प्रस्ताव—	
१. केरल	७४—७५
२. चीनी का संभरण . . .	७६—७७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७७—८३, ९०
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	८३
संसदीय समितियां—कार्य सारांश	८३
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	८४
भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	८४
भारत का राज्य बैंक (संशोधन)—विधेयक संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	८४
विधेयकों पर साक्ष्य	८४
तारांकित प्रश्न संख्या १९४५ के उत्तर की शुद्धि	८४—८५
भारत पाक नहरी पानी विवाद के बारे में वक्तव्य	८५—८७
समिति के लिये निर्वाचन—	
लाभ पद सम्बन्धी समिति	८७—८८
समवाय (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवदन क उपस्थापन के लिये समय बढ़ाया जाना	८८—८९
शस्त्र विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय बढ़ाया जाना	८९

पृष्ठ

विधेयक पुरस्थापित—

(१) राजस्थान तथा मध्य प्रदेश (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ८९

(२) वक्फ़ (संशोधन) विधेयक ९०

(३) सार्वजनिक वक्फ़ (अवधि का विस्तार) संशोधन विधेयक ९०

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक ९१—११८

विचार करने का प्रस्ताव ९१—११७

खण्ड १ से १३ ११७–१८

पारित करने का प्रस्ताव ११८

काम दिलाऊ दफतर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ११८—२६

कार्य मंत्रणा समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन १२६

दैनिक संक्षेपिका १२७—३६

अंक २—मंगलवार, ४ अगस्त, १९५९।१३ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ४८ से ६० , ६२, ६३ . . . १३७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१, ६४ से १०३ . . . १६१—८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६ से १५८ . . . . १८२—२१२

प्रश्नों के उत्तरों में शुद्धि २१९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २१९—२३

तारांकित प्रश्न संख्या १७७० के उत्तर की शुद्धि २२३–२४

रेलवे महाखण्डों के लिये मंत्रणादाता समितियों के बारे में वक्तव्य २२४

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन २२५

काम दिलाऊ दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) विधेयक २२६—४२

विचार करने का प्रस्ताव—

खण्ड २ से १० और १ २३५—४२

पारित करने का प्रस्ताव २४२

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक २४२—६५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—

दैनिक संक्षेपिका २६५—७६

पृष्ठ

अंक ३—बुधवार, ५ अगस्त, १९५९।१४ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न *संख्या १०४ से १०९ और १११ से १२० २७७–३०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२१ से १५४ ३०३–३२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६९, १७१ से २४८ और २५० से २५७ ३२१–६८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३६८–७३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७३–७७

विधेयक पर राय ३७७

कलिंग एयर लाइन्स के डकोटा की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ३७७–७८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—छियालीसवां प्रतिवेदन ३७८

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ के उत्तर की शुद्धि ३७९

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

खण्ड २ से ४१ और १ ३७८–४०९

पारित करने का प्रस्ताव ४०९

दहेज निषेध विधेयक ४०९–४२०

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—

बोलानी ओर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा ४२०–२५

दैनिक संक्षेपिका ४२६–३६

अंक ४—गुरुवार, ६ अगस्त, १९५९।१५ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न *संख्या १५५, १५६, १५८ से १६५, १९२ और १६६ से १७० ४३७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७, १७१, से १९१ और १९३ से २०० ४६१–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से ३३६ ४७३–५०७

स्थगन प्रस्ताव—

तिब्बत में भारतीय व्यापारी ५०७–०९

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में ५०९–१०

पृष्ठ

विषय सूचि (क्रमशः)

सभा पटल में रखे गये पत्र	५१०–११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता	५११–१२
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	५१२–१३
दहेज निषेध विधेयक	५१३–४७
भारत के जीवन बीमा निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	५४७–६५
दैनिक संक्षेपिका	५६६–७२

अंक ५—शुक्रवार, ७ अगस्त, १९५९।१६ श्रावण १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न *संख्या २०१ से २०५ और २०७ से २१९	५७३–९७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २०६ और २२० से २४०	५९७–६०७
अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ४२१	६०७–४७
अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	६४७
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पश्चिम खान देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की गिरफ्तारी	६४७–४८
(२) पांडिचेरी की स्थिति	६४८–४९
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में	६४९–५७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६५७–५९
सभा का कार्य	६५९
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक—पुरस्थापित	६५९
फार्मेसी (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	६६०–७१
सार्वजनिक वक्फ़ (अवधि का विस्तार) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६७१–७२
खंड १ से ४	६७२
पारित करने का प्रस्ताव	६७२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
छियालीसवां प्रतिवेदन	६७३

विषय सूची (क्रमशः) पृष्ठ

अंग्रेजी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में संकल्प—
वापस लिया गया ६७३—६५
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६६५
दैनिक संक्षेपिका ६६६—७०२

अंक ६—सोमवार, १० अगस्त, १९५९।१९ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न *संख्या २४१, २४२, २४४ से २५०, २५२ से २५४ और २५६ से २५८ ७०३—२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५५, २५९ से २८५ ७२९—४३
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२२ से ४४८ और ४५० से ५१४ ७४३—९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र ७९२—९६
शस्त्र विधेयक ७९६
(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन
(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य
दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में वक्तव्य ७९६—९७
पांडिचेरी की स्थिति के बारे में वक्तव्य ७९७—९८
समिति के लिए निर्वाचन ७९८
राष्ट्रीय सेना छात्र दल के लिए कन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड—
सभा का कार्य ७९८
सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७९८—८३९
कार्य मंत्रणा समिति—
चालीसवां प्रतिवेदन ८३९
दैनिक संक्षेपिका ८४०—४९

अंक ७—मंगलवार, ११ अगस्त, १९५९।२० श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न *संख्या २८६—२९७, ३००, ३०१ और ३०४ ८५१—७६

विषय सूचि—(क्रमशः) पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९८, २९९, ३०२, ३०३ और ३०५ से ३३१ ८७६–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१५–५९६, ५९८ और ५९९ ८९०—९२२

स्थगन प्रस्ताव—

हावड़ा और हुगली जिलों में बाढ़ से भारी नुकसान ९२२–२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९२३–२४

सदस्य की रिहाई ९२४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के बारे में याचिका ९२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

तिब्बत में भारतीय राष्ट्रजन ९२५–२६

सभा का कार्य ९२६

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन ९२७

वक्फ (संशोधन) विधेयक ९२७—३४

विचार करने का प्रस्ताव ९२७—३३

खण्ड २ से ४ और १ ९३३–३४

पारित करने का प्रस्ताव ९३४

राजस्थान तथा मध्य प्रदेश (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ९३४—४९

विचार करने का प्रस्ताव ९३४—४९

खंड २ से १७ और १ तथा पहली और दूसरी अनुसूची ९४९

पारित करने का प्रस्ताव ९४९

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक ९५०—५५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९५०—५४

खंड २ से १० और १ ९५४

पारित करने का प्रस्ताव ९५५

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक ९५५—६६

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव, ९६७—७४

दैनिक संक्षेपिका

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, १२ अगस्त, १९५९।२१ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ३३४ से ३४५, ३४७, ३४९ और ३५१ ९७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ १०००—०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४६, ३४८, ३५० और ३५२ से ३८० १००२—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०० से ७०७ १०१६—६२

स्थगन प्रस्ताव—

१. पश्चिम बंगाल में चावल का मूल्य १०६२–६३

२. लंका पुलिस द्वारा बेटन चार्ज १०६३—६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १०६६

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक–पुरस्थापित १०६७

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधे यक १०६७—७५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव १०६७—७०

खण्ड २ से ६५ और १ १०७०—७४

पारित करने का प्रस्ताव १०७५

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक १०७६—९५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव १०७६—९३

खण्ड २ से ३६ और १ १०९३–९४

पारित करने का प्रस्ताव १०९४–९५

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव १०९५—११०१

दैनिक संक्षेपिका ११०२—०९

अंक ९—शुक्रवार, १३ अगस्त, १९५९।२२ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न* संख्या ३८१, से ३८७, ३८९ से ३९३, ३९५ और ३९६ ११११—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८८, ३९४ और ३९७ से ४३३ ११३४—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०८ से ८०४ ११५१—९०

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ११९०

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव ११९०—९३

(१) लद्दाख, सिक्कम और भूटान की मुक्ति के बारे में चीन का कथित वक्तव्य ।

(२) आयात किये गये गहूं का दूषित हो जाना

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११९३–९४

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें ११९४

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक के बारे में याचिका ११९५—१२०९

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक

विचार के लिये प्रस्ताव

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १२०९—२४

दैनिक संक्षेपिका १२२५—३२

अंक १०—शुक्रवार, १४ अगस्त, १९५९/२३ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ४३४ से ४३९, ४४२ से ४४६, ४४८ से ४५० और ४५२ से ४५४ १२३३—५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४०, ४४१, ४४७, ४५१ और ४५५ से ४६० १२५८—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०५ से ८८२ और ८८४ से ८८९ १२७७—१३०९

स्थगन प्रस्ताव १३१०

लंका की पुलिस द्वारा कुछ भारतीय राष्ट्रजनों पर बटेन चार्ज के बारे में लंका के प्रधान मंत्री का कथित वक्तव्य ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३१०

सभा का कार्य १३११–१२

कालका-दिल्ली-हावड़ा मेल की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य १३१३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १३१४—१६

काश्मीर की बाढ़ के समय भारतीय सेना की सहायता १३१३

चीनी के मूल्य में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव १३१६—४८

विधेयक पुरस्थापित १३४८—५१

(१) श्री प्रकाश वीर शास्त्री का पिछड़ी जातियों (धार्मिक संरक्षण) विधेयक, १९५९ ।

विषय सूचि (क्रमशः)

पृष्ठ

(२) श्री अजित सिंह सरहदी का विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९५९ (धारा २४ का संशोधन)

(३) श्री अजित सिंह सरहदी का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ८१, ८२, ८६ और ११६–क का संशोधन तथा धारा ८८ और ८९ का लोप)

(४) श्री अजित सिंह सरहदी का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधयक, , १९५९ (धारा ४८८ का संशोधन)

(५) श्री झूलन सिंह का अनुचित विलम्ब और भ्रष्टाचार की पूर्वधारणा विधेयक, १९५९ ।

(६) श्री त० ब० विठ्ठल राव का कैथोलिक चर्च परिसर तथा पादरी संघ (राजनैतिक गतिविधि पर प्रतिबन्ध) विधेयक, १९५९ ।

(७) श्री त० ब० विठ्ठलराव का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (नई धारा ७ : क का रखा जाना) ।

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक १३५१

राय जानने के लिये नियत समय को बढ़ाने का प्रस्ताव

समान पारिश्रमिक विधेयक १३५२—५५

परिचालित करने का प्रस्ताव

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक १३५५—५७

(धारा १०७, १०९ और ११० का लोप तथा धारा १६१ का संशोधन)

विचार करने का प्रस्ताव १३५७—७८

दैनिक संक्षेपिका १३७८—८६

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, ५ अगस्त, १९५९

१४ श्रावण, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक उन्नति सम्बन्धी समिति

\+

†*१०४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री सैं० अ० मेहदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक उन्नति सम्बन्धी समिति द्वारा मई, १९५९ में वाशिंगटन में की गई बैठकों में भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था; और

(ख) बैठकें किस प्रकार की थीं और क्या निर्णय किये गये ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक उन्नति सम्बन्धी समिति ने जो कि एक अमरीकी संस्था है और जिसकी स्थापना १९५८ में हुई थी, ४ और ५ मई, १९५९ को अपना एक सम्मेलन भारत के आर्थिक विकास पर चर्चा करने के लिये बुलाया था । सम्मेलन में सरकारी रूप में भारत सरकार ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था किन्तु अमरीका स्थित भारतीय राजदूत और वाशिंगटन स्थित आर्थिक-कार्य महा-आयुक्त तथा कुछ अन्य सरकारी अधिकारियों ने प्रत्यक्ष समिति के नियंत्रण पर भाग लिया था ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुछ प्रमुख अमरीकनों और भारतीयों ने उसमें भाषण दिये थे और कुछ तालिकाबद्ध विषयों पर वाद-विवाद हुआ था जिसमें अमरीकी और भारतीय विशेषज्ञों ने भाग लिया था। सम्मेलन में क्या निष्कर्ष निकले इसके बारे में भारत सरकार को कुछ भी ज्ञात नहीं है क्योंकि सरकारी तौर पर उसमें उसे शामिल नहीं किया गया था और न ही उसे कोई सम्मेलन के बारे में कोई प्रतिवेदन ही मिला। सम्मेलन में दिये गये भाषणों की प्रतियां जो सरकार को प्राप्त हुई हैं, लोक-सभा पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस सम्मेलन में अमरीका से भारत में पूंजी लगाने के बारे में क्या कठिनाइयां बताई गई हैं और क्या भारत सरकार ने उन पर कुछ विचार किया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यदि माननीय सदस्य सभा में दिये गये भाषणों को पढ़ें, जिसकी प्रतियां पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, तो उन्हें सम्पूर्ण समस्या का पता लग जायेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं पता लगाऊंगा किन्तु मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस बारे में कुछ विचार किया है अथवा नहीं और उत्पन्न समस्याओं पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सरकार के लिये कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिये गये हैं, इस कारण सरकार को उन पर सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या इस सभा से इस देश की आर्थिक उन्नति के विकास करने में कोई बढ़ावा मिला है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : हम यह नहीं कह सकते, इसलिये कि यह सम्मेलन हमने नहीं बुलाया था।

†**श्री गोरे** : क्या इस सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचारों से किसी प्रकार सरकार को सहमत होना पड़ेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : सरकार उससे सहमत होने को बिल्कुल बाध्य नहीं है।

†**श्री श्रीनारायण दास**: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे राजदूत और आर्थिक-कार्य आयुक्त ने इस सम्मेलन में भाग लिया है, क्या हमारे पदाधिकारियों द्वारा ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने से पूर्व, जिनके उद्देश्यों के बारे में जानकारी नहीं होती, उन्हें भारत सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : इसके लिये अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनिवार्य समाज सेवा

+

†*१०५. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री दो० चं० शर्मा :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री दामानी :
श्री पद्मदेव :
श्री विभूति मिश्र :

क्या शिक्षा मंत्री २० फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय की उपाधि देने से पूर्व शिविर जीवन में अनिवार्य समाज सेवा और अनुशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण की योजना लागू करने की अन्तर्ग्रस्त दशाओं के विभिन्न पहलुओं की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है; और

(घ) इसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) योजना के विभिन्न पहलुओं और अन्तर्ग्रस्त दशाओं की अभी जांच की जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या हम इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें जान सकते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि छात्रों को अनिवार्य रूप से राष्ट्र पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यों में भाग लेना चाहिये । सम्पूर्ण योजना की जांच की जा रही है और इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय करने से पहले इस मामले को आगामी शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रखा जायेगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सम्मति ले ली गई है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : इस योजना पर अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की ३४वीं वार्षिक बैठक एवं विश्वद्यिालयों के ८वें पंचवर्षीय सम्मेलन में चर्चा की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति तथा आयोग के कुछ सदस्यों में भी इस पर अनौपचारिक ढंग से चर्चा हुई थी। जैसा कि मैं कह चुका हूं इस विषय पर पूरी तरह चर्चा की जायेगी। अन्तिम रूप से योजना तैयार करने से पहले हम इसे आगामी शिक्षा मंत्री सम्मेलन में रखेंगे।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : पहले वाले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि राज्यों की क्या राय है, वह भी ली जायेगी। क्या इस दिशा में कोई प्रयत्न किया गया है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस मास की ८ और ९ तारीख को मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें इस पर चर्चा की जायेगी।

श्री पद्म देव : जो स्कीम बनाई जा रही है उसके सम्बन्ध में क्या कालेज के प्रिंसिपल्स और दूसरे अध्यापकों से भी सलाह मशविरा किया जायेगा कि इस बारे में उनकी क्या राय है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जितने लोग भी सम्बन्धित हैं उन सबसे सलाह मशविरा किया जायेगा।

†श्री बर्मन : यद्यपि योजना पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है फिर भी क्या जहां तक समाज सेवा अनुशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, क्या कोई निर्धारित परीक्षा रखने का विचार है और क्या छात्रों को उपाधि मिलने से पहले उन्हें कोई अर्हतादायक परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैंने किसी परीक्षा रखने का निश्चय नहीं किया है, मैं समझता हूं कि पहले से ही काफी परीक्षायें ली जा रही हैं। इसको रखने का विचार केवल यह है कि छात्रों को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये।

†श्री तंगामणि : योजना पिछले अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर बनाई जायेगी अथवा उसमें कोई रूप भेद करने का विचार है क्योंकि उक्त सम्मेलन में छः मास की अवधि रखने का सुझाव दिया है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इन सुझावों पर सरकार विचार करेगी।

†श्री राधा रमण : क्या देश की कुछ अन्य संस्थाओं एवं अभिकरणों के पास से सरकार के पास इस योजना के पक्ष में विचार प्राप्त हुए हैं। यदि ऐसा है तो वे संस्थाएं कौन-कौन हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : विभिन्न लोगों, संस्थाओं तथा समाचार पत्रों द्वारा इस योजना के पक्ष और विपक्ष दोनों में विचार व्यक्त किये गये हैं। जिन संस्थाओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं उनकी सूची मेरे पास यहां नहीं है

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या इस योजना का असर विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीय छात्र सेनादल के विकास पर किसी प्रकार पड़ेगा ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : राष्ट्रीय छात्र सेना दल तो एक बिल्कुल दूसरी चीज़ है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : चूंकि अब बैठक इसी मास की ८ या ९ तारीख को होने जा रही है, क्या मन्त्री महोदय ने राज्य सरकारों के पास चर्चा के विषयों की विस्तृत सूचना सम्बन्धी परिपत्र अभी नहीं भेजे हैं ? यदिऐसा है, तो वे क्या क्या विषय होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रमुख प्रश्न ये हैं :—(१) योजना का उद्देश्य क्या होना चाहिये : क्या उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक आयोजना से सम्बन्धित होना चाहिये अथवा उसका सम्बन्ध केवल शिक्षा पद्धति में सुधार से ही होना चाहिये ; (२) योजना ऐच्छिक हो अथवा अनिवार्य; (३) सेवा किस अवस्था पर ली जानी चाहिये ; (४) सेवा काल आदि कितना रखा जाना चाहिये । ये सभी प्रश्न विचारणीय हैं । यदि माननीय सदस्य इच्छुक हों तो मैं इस टिप्पण को सहर्ष सभा-पटल पर रख दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां ।

दिल्ली के गुरुद्वारों का झगड़ा

\+

†*१०६. **श्री वाजपेयी :**
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अमर सिंह डामर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दिल्ली में गुरुद्वारों पर नियन्त्रण के अधिकार को लेकर मई, १९५९ में मत विभिन्नता हो गई थी जिसके कारण एक समुदाय के विरोधी दलों में काफी मार-पीट हुई और परिणामतः राजधानी में शान्ति भंग हो गई; और

(ख) यदि ऐसा है तो स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) सीसगंज गुरुद्वारे के बाहर सिक्खों के दो विरोधी दलों में २३ मई, १९५९ को मार-पीट हो गई थी । तत्काल ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और उसने स्थिति को काबू में किया ।

(ख) सरकार ने शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखने के लिये आवश्यक कार्यवाही की । इस सम्बन्ध में पुलिस ने दो फौजदारी मुकदमे चलाये हैं जो न्यायाधीन हैं ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या यह सच है कि दोनों दलों ने दिल्ली से बाहर के काफी लोग बुलाये थे । यदि ऐसा है, तो उनके आने को रोकने के लिये तत्काल क्यों कार्यवाही नहीं की गई ?

†**श्री दातार** : बाहर से कुछ लोग आये थे किन्तु सरकार ने इसके लिये सभी आवश्यक कार्यवाही की कि शान्ति और व्यवस्था पूर्णरूपेण बनी रहे ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि अकाली नेता मास्टर तारासिंह ने इस मामले में दिल्ली प्रशासन पर पार्टीबन्दी का आरोप लगाया है और यदि ऐसा है तो क्या इस आरोप का कोई आधार है ?

†**श्री दातार** : जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पंजाब से कुछ लोग दिल्ली आये थे और इस दिशा में सरकार ने सभी एहितयात सम्बन्धी कार्यवाही की ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**श्री वाजपेयी** : यह प्रश्न मेरा नहीं है। क्या मन्त्री महोदय का ध्यान अकाली नेता मास्टर तारासिंह के दोषारोपण की ओर आकर्षित किया गया है कि इस झगड़े में दिल्ली प्रशासन ने पार्टीबन्दी की नीति बरती। यदि ऐसा है तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**श्री दातार** : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है यह सच है कि मास्टर तारासिंह यहां आये थे और उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया था। किन्तु जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है सरकार जो कुछ होगा उसको ध्यान में रखेगी।

†**श्री वाजपेयी** : यदि पार्टीबन्दी के बारे में उत्तर न दिया गया तो यह धारणा बन सकती है कि सरकार का दृष्टिकोण वास्तव में पार्टीबन्दी का था। सरकार स्पष्ट उत्तर क्यों नहीं देती ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां प्रत्येक बात का उत्तर नहीं दिया जा सकता। प्रश्न काल में केवल किसी तथ्य विशेष के बारे में पूछा जा सकता है, राय अथवा कल्पित चीजें नहीं पूछी जानी चाहिये। माननीय सदस्य फिर जो भी चाहें मंत्री महोदय के कथन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : उन्होंने कहा है कि अकाली नेता दिल्ली आये और सार्वजनिक सभा में एक भाषण दिया किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि मास्टर तारासिंह ने दिल्ली प्रशासन पर दोषारोपण किया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह दूसरी चीज है। समाचार पत्र प्रत्येक माननीय सदस्य पढ़ सकता है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह खुले आम कहा है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह है नहीं कि जो झगड़ा सिक्खों के दो वर्गों में था उसको मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजा गया था और एक पंचाट दिया गया जिसमें एक दल की निन्दा की गई है ? ऐसी परिस्थिति में क्या सरकार का विचार उस फौजदारी अभियोग को वापस लेने का है जिससे यहां सिक्खों में अच्छे सम्बन्ध बने रहें।

†**श्री दातार** : यह ठीक है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि दो दलों के झगड़े में मध्यस्थ निर्णय किया गया था और हाल ही में एक पंचाट दिया गया है। मेरी इच्छा यह है कि पंचाट को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिये और बिना किसी बिलम्ब के अच्छे सम्बन्ध स्थापित किये जाने चाहियें।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सरकार का भी विचार यह है कि आपस में अच्छे सम्बन्ध रहने चाहिये और एक पंचाट दिया गया है जिसमें एक पक्ष की निन्दा की गई है, क्या सरकार का विचार लम्बित अभियोगों को वापस ले लेने का है ?

†**श्री दातार** : जहां तक धारा १४५ के अधीन वाले एक अभियोग का सम्बन्ध है वह गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा चलाया गया है। दो और फौजदारी के अभियोग हैं सरकार जिन पर अवसर आने पर विचार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

काश्मीर में जिप्सम के निक्षेप

+

†*१०७. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वी सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षणकारी दल द्वारा काश्मीर में जिप्सम की तहें पाई गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) प्रारम्भिक जो कुछ कार्य किया गया है उसके परिणामस्वरूप भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने जम्मू तथा काश्मीर का बारामूला ज़िले में जिप्सम निक्षेप का पता लगाया है।

(ख) और (ग). ये निक्षेप बारामूला ज़िले के इजटा और इस्लामाबाद नामक गांवों में स्थित हैं। बताया जाता है कि वह फिलिट्स और चूने के ज्यों के त्यों इकट्ठे हो जाने से बना है। २३ नमूनों का जो विश्लेषण किया गया है उससे पता लगता है कि जिप्सम अच्छे किस्म का है जिसमें औसतन ९१.७५ प्रतिशत जिप्सम होने का हिसाब लगाया गया है।

प्रत्येक १०० फुट की गहराई में निक्षेपों के बारे में अनुमान है कि वह २.५५१ करोड़ टन होगा। उतनी ही गहराई में बताया जाता है कि १.५३१ करोड़ टन जिप्सम मिलेगा। चालू वर्ष में और आगे जांच जारी रखने का विचार है।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो सर्वे किया गया है इस पर काम कब से शुरू हो जायगा, प्रास्पेक्टिंग का काम कब से शुरू हो जायेगा ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : दूसरा प्रास्पेक्टिंग का काम सन् १९५९–६० में किया जायगा। अभी थोड़ा बहुत जिप्सम निकाल कर नजदीक के बाजार में लाया जाता है पर अभी काफी बेचा नहीं जाता है। जब पूरी इनवेस्टिगेशन हो जायगी उसके बाद ही कुछ काम किया जायगा।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** वाणिज्यिक स्तर पर विदोहन की संभावना की दृष्टि से क्या सरकार गैर सरकारी लोगों को लाइसेंस देने का विचार रखती है अथवा सरकारी क्षेत्र में स्वयं ही वह इस कार्य को करेगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** संभाव्यताओं की प्रारम्भिक जांच-पड़ताल चल रही है। हम जांच पड़ताल को जारी रखेंगे और ज्यों ही हमें उसके बारे में कुछ और पता लगेगा हम उसे अन्य सहयोगी मंत्रालयों को बतलायेंगे जिससे वे यह विचार सकें कि उद्योग सरकारी क्षेत्र में होना चाहिये अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में।

---

†भूल अंग्रेजी में

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या इन खानों का विदोहन करना बचतपूर्ण होगा ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : जी हां, इनका विदोहन बचतपूर्ण होगा ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : यह कार्य अभी तक भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता रहा है । कितना निक्षेप है इसका पता लगाने का काम क्या भारतीय खान विभाग को सौंपा जा सकेगा ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : प्रारम्भिक कार्य पूरा हो जाने के बाद इस पर विचार किया जायेगा ।

†श्री गोरे : अभी अभी हमें बताया गया है कि जिप्सन बाज़ार ले जाया जाता है । इस समय यह विदोहन कार्य कौन कर रहा है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा: वहां के स्थानीय लोगों के अतिरिक्त और विदोहन कर ही कौन सकता है । वे जिप्सन को निकाल कर उसे साफ करने आदि के लिये बाजार भेज देते हैं ।

†श्री जोकीम आल्वा : क्या काश्मीर की सम्पत्ति का भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा कोई प्रणालीबद्ध और विस्तृत अध्ययन किया गया है ? क्या काश्मीर राज्य सरकार ही भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के कार्य को आगे बढ़ा रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह एक बड़ा मसला है ।

गांजा निषध[s]

†*१०८. श्री संगण्णा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे देश में गांजा निषेध लागू कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत संघ के पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को छोड़ कर शेष सभी राज्यों में गांजे को औषधि के रूप में इस्तेमाल करने के अलावा निषेध कर दिया गया है । प्रत्येक राज्य की शर्तें अलग अलग हैं और एक ही तारीख से सारे राज्यों में गांजे पर प्रतिबन्ध लागू कर देना आवश्यक नहीं समझा गया है । शेष राज्यों में भी यथाशीघ्र निषेध लागू कर दिया जायेगा ।

†श्री संगण्णा : इस पर निषेध लग जाने से कितने राजस्व की कमी होगी ?

†श्री ब० रा० भगत : मैं अलग पूर्व सूचना चाहूंगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन जगहों पर जहां कि गांजा लाना प्राहिबिटेड है वहां पर गांजा चोरी छिपे लाया जा रहा है और वहां पर बेचा जा रहा है, उसको रोकने के वास्ते क्या इंतज़ाम किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[s]Prohibition of "GANJA"

श्री ब० रा० भगत : गांजे को चोरी छिपे लाने को रोकने के लिये सभी सम्भव उपाय काम में लाये जा रहे हैं ।

†**श्री वें० प० नायर :** माननीय मंत्री ने कहा है कि औषधि के अलावा गांजे का इस्तेमाल निषिद्ध हो गया है मैं यह जानना चाहूंगा कि कितना गांजा औषधि के लिये उपयोग किया जाता है अथवा वह पौधा कितना होता है जिसे कनाविस, सतिव अथवा इण्डिका कहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते ।

श्रीमती सहोदरा बाई : मध्यप्रदेश के कई जिलों में गांजा अवैध रूप में लाया जा कर चोरी छिपे बेचा जाता है । ब्लैक मार्केट होता है और इसलिये गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ती है और भ्रष्टाचार बढ़ता है, मैं जानना चाहती हूं कि इसको रोकने के लिये क्या उपाय काम में लाये जा रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यह मामला राज्य सरकारों के अधीन है और वे सभी सम्भव उपाय इसको रोकने के लिये काम में लातीं हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या माननीय मंत्री को यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में जिनमें गांजे का इस्तेमाल निषिद्ध कर दिया गया था, काफी मात्रा में खुले आम बिकता है, विशेषकर कानपुर जैसे औद्योगिक नगर में और भी खुले आम बिकता है । उसे रोकने के लिये क्या कार्रवाई की गई थी ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह प्रश्न राज्य सरकार के सम्बन्ध में है । तस्कर व्यापार आदि को रोकने का दायित्व उस पर है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में औषधि के अलावा गांजा इस्तेमाल करने को क्यों निषिद्ध नहीं किया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** राज्य सरकारों के सामने प्रशासन सम्बन्धी, भोगोलिक अथवा राजस्व सम्बन्धी आदि अनेक कारण हैं जिनके द्वारा वे ऐसा कर सकती हैं । कुछ राज्य नेपाल की सीमा पर स्थित हैं और जब तक कि नेपाल से कोई करार नहीं किया जाता तब तक तस्कर व्यापार की काफी संभावना रहती है । इसके साथ ही राजस्व को भी ध्यान में रखना पड़ता है । इसी कारण राज्य सरकारों ने निवेदन किया है कि इस निषेधकारी आदेश की तारीख बढ़ा दी जाय ।

†**श्री संगण्णा :** क्या भारत सरकार ने कोई ऐसा अन्तिम समय निर्धारित किया है जब कि सारे देश में मद्य निषेध लागू कर दिया जायेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मूलरूप से निर्धारित तारीख ३१ मार्च, १९५९ थी किन्तु कुछ राज्य सरकारों के निवेदन पर इस मामले पर अखिल भारतीय मादक वस्तु सम्बन्धी सम्मेलन में इस पर विचार किया गया था और उसमें यह निश्चय किया गया था कि ३१ मार्च, १९६१ अथवा यथाशीघ्र ही सम्पूर्ण देश में पूर्णरूपेण मद्यनिषेध लागू किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी तेल वितरण कम्पनी

†*१०९. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
पंडित मुनिश्वर दत्त उपाध्याय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हेम राज :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री पहाड़िया :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तेल वितरक कम्पनी ने तेल और पेट्रोल उत्पादों के वितरण का कितना काम अपने हाथों में लिया है और उसकी कितनी गुंजाइश है ;

(ख) देश के विभिन्न भागों में उसने कितनी शाखायें खोली हैं; और

(ग) कम्पनी में कितने लोग काम में लगाये गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). दि इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड ३०-६-१९५९ को बम्बई में खोली गई है जिसकी अधिकृत अंश पूंजी १२ करोड़ रुपये है। कम्पनी के ज्ञापन और अन्तर्नियमों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं। कम्पनी द्वारा पेट्रोल उत्पादों का वितरण आरम्भ करने अथवा इस काम के लिये शाखायें खोलने में कुछ समय लगेगा वितरण प्रबन्ध करने से पहले कर्मचारी रखे जाने हैं और व्यापार का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाना है। एक प्रशासकीय पदाधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है और धीरे-धीरे करके अन्य लोग भी रख लिये जायेंगे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या जो कम्पनियां इस समय संभरण कार्य कर रहीं हैं उनके समायोजन में काम करने का निश्चय किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : विद्यमान कम्पनियों और इण्डियन आयल कम्पनी के बीच समायोजन और सहकारिता का प्रश्न हमारे सामने विशेष रूप से विचाराधीन है ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार ने तेल का भाव निश्चित कर देने पर विचार किया है, जो ये कम्पनियां तैयार करेंगी और क्या उसके भाव और कम्पनियों से अलग रहेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस प्रश्न को पूछने का समय अभी नहीं आया है। इस कम्पनी के द्वारा पेट्रोल के जो उत्पादन बेचे जायेंगे उनके भाव निर्धारित करने के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या वितरण मूल्य निकाल लिया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी नहीं ।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन :** क्या सरकार ने इस बारे में निर्णय कर लिया है कि यह कम्पनी केवल उसी तेल का वितरण कर सकेगी जो सरकारी क्षेत्र में तैयार किया जायेगा अथवा अन्य शोधक कारखाने जो इस समय चल रहे हैं वे तैयार करेंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** ये सारे प्रश्न विचाराधीन हैं किन्तु जैसा कि मुझे पता लगा है कम्पनी का विचार यह है कि वह आयात किये गये तेल का भी वितरण करे ।

†**श्री नागी रेड्डी :** क्या शोधक कारखानों में तैयार हो कर उसके वितरण के समय तक सरकार प्रतीक्षा करेगी अथवा उससे पहले ही व्यापार करने का विचार है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस समय मैं माननीय सदस्य द्वारा सुझाई गई किसी भी योजना के लिये बचन नहीं दे सकता ।

†**श्री राम कृष्ण गप्त :** क्या विद्यमान तेल कम्पनियों के तेल का वितरण भी हाथ में ले लेने का विचार है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी नहीं। इस प्रस्ताव के द्वारा हम तेल कम्पनियों के वितरण को अपने हाथ में लेने पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री राधा रमण :** माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि कम्पनी की पूंजी १२ करोड़ रुपये होगी। क्या इसमें गैर-सरकारी व्यक्ति की पूंजी भी शामिल की जायगी ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी नहीं ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या सम्पूर्ण तेल वितरण व्यापार को अपने हाथों में लेने के लिये सरकार ने कोई अन्तिम तिथि निर्धारित कर रखी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी नहीं ।

†**श्री अ० चं० गुह :** कम्पनी बनाई जा चुकी है किन्तु सरकार का विचार क्या है ? क्या यह कम्पनी केवल भारत में निकाले गये तेल का वितरण करेगी अथवा उस तेल का भी जो विद्यमान शोधक कारखानों द्वारा साफ किया जा रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं माननीय सदस्य से कम्पनी के अन्तर्नियमों एवं ज्ञापन को पढ़ने के लिये कहूंगा । प्रस्ताव में ये सारे कार्यक्रम शामिल कर लिये गये हैं । अब केवल समय की बात रह जाती है कि हम अपने कार्यक्रम को अन्तिम रूप कब तक दे पाते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस अवस्था में पेट्रोल उत्पादों के वितरण पर सरकार ने किन कारणों से निर्णय किया है ? क्या सरकार को किन्हीं गैर-सरकारी अभिकरणों से तीव्र प्रतिद्वंदिता की आशंका है अथवा नहीं क्योंकि इस समय काफी एकाधिपत्य है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह सच है कि इस समय कुछ ऐसी कम्पनियों के हाथ में वितरण का एकाधिपत्य है जो इस व्यापार में हमारी सहायता कर रही हैं किन्तु स्पष्टतः हमारा विचार उपभोक्ताओं के लिये अधिक अच्छी स्थिति उत्पन्न करने की दृष्टि से इस कार्यक्रम को अपनाना है ।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : सम्पूर्ण वितरण को हाथों में लेने के लिये कोई अन्तिम समय नहीं रखा गया है जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी कहा है। क्या सरकार ने इसका निश्चय कर लिया है कि धीरे-धीरे देश का सम्पूर्ण वितरण वह अपने हाथ में ले लेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया जा सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुये जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा था कि ग़ैर-सरकारी वितरण अभिकरणों का अभी एकाधिपत्य है, सरकार द्वारा चलाई कम्पनी को वितरण के लिये तेल कहां से मिलेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जिस तेल का वितरण किया जाना है वह सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले दो तेल शोधक कारखानों से उपलब्ध होगा । इसके अलावा वितरण के लिये हमें कुछ तेल का आयात करना होगा अथवा यह हो सकता है कि विद्यमान कम्पनियों और अपनी कम्पनियों के बीच उत्पादों के विनिमय के लिये हमें कुछ प्रबन्ध करना पड़े ।

इंजीनियरिंग और टैक्नोलोजी का डिग्री कोर्स

+

†*१११. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय टैक्नीकल शिक्षा परिषद् ने इंजीनियरिंग और टैक्नोलोजी के डिग्री कोर्सों का पुनर्गठन करने के लिये सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इंजीनियरिंग और टैक्नोलोजी की विभिन्न शाखाओं के प्रस्तावित पुनर्गठित कोर्स का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ; और

(ग) पुनर्गठित कोर्स कब से चालू होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) इंजीनियरिंग और मैटलर्जी की टैक्नीकल शिक्षा के अखिल भारतीय बोर्ड ने एक मिला जुला कोर्स तैयार किया है जिसके प्रथम तीन वर्षों में सिवल इंजीनियरिंग, मकैनिकल, इलैक्ट्रीकल, कैमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग और मैटलर्जी का अध्ययन कराया जायेगा । कैमिकल इंजीनियरिंग बोर्ड और टैक्सटाइल टैक्नोलोजी बोर्ड अपने अपने क्षेत्र का ब्यौरा तैयार कर रहे हैं ।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार चार विश्वविद्यालयों ने पांच वर्ष का एकीकृत कोर्स आरम्भ कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : चार विश्वविद्यालयों ने एकीकृत डिग्री कोर्स आरम्भ किया है । क्या अन्य विश्वविद्यालय इस सुझाव से सहमत नहीं हैं ? यदि नहीं, तो वे एकीकृत कोर्स आरम्भ करने में विलम्ब क्यों कर रहे हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : बहुत से विश्वविद्यालय जैसे कि अलीगढ़, आन्ध्र, बिहार, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, नागपुर, मद्रास और मैसूर इस से सहमत हो गये हैं और ब्यौरा तैयार कर रहे हैं । केवल आगरा, इलाहाबाद और बम्बई विश्वविद्यालय इस से सहमत नहीं हुये हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या अखिल भारतीय टैक्नीकल शिक्षा परिषद् ने डिप्लोमा कोर्स के पुनर्गठन की भी सिफारिश की है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस बारे में निरन्तर विचार किया जा रहा है परन्तु यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**डा० म० श्री० अणे** : क्या पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय स्वयं निर्धारित करेंगे या कोई अन्य निकाय करेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : कोर्स का समय और उन्हें आरम्भ करने के बारे में विश्वविद्यालय ही निर्णय करेंगे परन्तु उनकी सुविधा के लिये अखिल भारतीय परिषद् ने एक आदर्श कोर्स बना दिया है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या हाल ही में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से गिंडी में स्थापित की गई भारतीय टैक्नोलोजी संस्था ने यह पंचवर्षीय एकीकृत कोर्स स्वीकार कर लिया है और क्या मद्रास विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कालेज इसे ग्रहण कर रहे हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : भारतीय टैक्नालोजी संस्था, मद्रास पंचवर्षीय एकीकृत कोर्स आरम्भ कर रही है । मद्रास विश्वविद्यालय ने १९५९–६० से इसे आरम्भ कर दिया है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : पुनर्गठित कोर्स से कौन से विशेष लाभ होंगे जिनकी ओर माननीय मंत्री ने संकेत किया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : संक्षेप में केवल इतना ही बताता हूं कि इस समय इन कोर्सों में एकरूपता नहीं है और सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि एकीकृत कोर्स से प्रशिक्षण अच्छा होगा । इस समय तीन या चार साल का कोर्स है और इस के साथ कुछ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी होता है । पंचवर्षीय एकीकृत कोर्स में छः मास का व्यवहारिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा और इस से काफी लाभ होगा । दूसरा कारण माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करना है ।

†**श्री तंगामणि** : इस बात को देखते हुये कि पूर्व-व्यवसाय पाठ्यक्रम उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ है क्या उन विश्वविद्यालयों में जहां पंचवर्षीय एकीकृत कोर्स आरम्भ नहीं किया गया है इसे हटा दिया जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस प्रश्न का निर्णय विश्वविद्यालय स्वयं करेंगे परन्तु हम ने उन्हें यह सुझाव दे दिया है जब सारे भारत में उच्च माध्यमिक शिक्षा कोर्स आरम्भ होने पर इसकी जरूरत नहीं रहेगी । पंचवर्षीय एकीकृत कोर्स पर्याप्त होगा परन्तु तब तक यह जरूरी होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिकों का 'पूल'

+

†*११२. { **श्री राम कृष्ण गप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ग्र० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री दामानी :
श्री ग्रासर : }

क्या गृह-कार्य मंत्री २१ अप्रेल, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में शिक्षा प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों का केन्द्रीय 'पूल' बनाने में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) 'पूल' के शामिल करने के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये और उन में से कितने अस्वीकृत किये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) 'पूल' के लिये चुनाव की घोषणा की जा चुकी है और चुने गये व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भेजे जा चुके हैं ।

(ख) विशेष भर्ती बोर्ड ने लगभग २,४०० व्यक्तियों में से १२३ को चुना ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या 'पूल' में शामिल किये गये वैज्ञानिकों को उनके उचित स्थानों पर लगा दिया गया है ?

†**श्री दातार** : अभी तो वे अस्थायी तौर पर संवर्ग में रहेंगे और यथासमय उन्हें काम दे दिया जायेगा और शीघ्र ही उन्हें स्थायी पदों पर नियुक्त कर दिया जायेगा ।

†**श्री दामानी** : क्या उन वैज्ञानिकों की सूची तैयार करने की भी कोई योजना है जिन्होंने विदेशों में शिक्षा प्राप्त नहीं की है ?

†**श्री दातार** : इन में हमने उन लोगों को भी अवसर दिया है जिन्होंने भारत में ही उच्च अर्हतायें प्राप्त की हैं ।

†**श्री दामानी** : क्या यह सम्भव है कि विदेशों में शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिकों को बेरोजगारी के समय में निर्वाह भत्ता दिया जाये ?

†**श्री दातार** : बेरोजगारी का तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । उन्हें संवर्ग में नियुक्त किया जाना है और नियुक्ति होते ही उन्हें वेतन मिलने लगेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह समाचार सही है कि विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर आये तीन हजार से अधिक वैज्ञानिक बेरोजगार हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कम से कम कितनों को रोजगार मिल जायेगा ?

†**श्री दातार** : यह पता लगाने के लिये कि उनकी अर्हतायें क्या हैं और किन्हें रोजगार नहीं मिला है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने एक 'नैशनल रजिस्टर' तैयार किया

†मूल अंग्रेजी में

है जिस में उन सब व्यक्तियों के बारे में जानकारी दर्ज है और उन्हे नियुक्त करने का प्रयत्न किया जायेगा। इनकी कुल संख्या २,४०० है जिन में से १२३ चुन लिये गये हैं।

†**श्री आसर** : क्या सरकार ने उन वैज्ञानिकों से आवेदन पत्र मांगे थे जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं और यदि हां, तो कितने आवेदन पत्र मिले हैं ?

†**श्री दातार** : 'पूल' के बारे में केवल यही योजना है। हमने न केवल पंजीबद्ध बल्कि उन नामों के बारे में भी विचार किया जो पंजीबद्ध नहीं हैं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

†**श्री दातार** : इस समय मुझे यह मालूम नहीं है। मैं यह जानकारी देने की कोशिश करूंगा।

†**श्री जोकीम आल्वा** : केन्द्रीय 'पूल' के लिये १२३ व्यक्तियों का चुनाव करने के बावजूद एक सेवानिवृत्त रेलवे पदाधिकारी को अणुशक्ति आयोग में नियुक्त किया गया है इसका क्या कारण है ?

†**श्री दातार** : कई बार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुभव से लाभ उठाने के लिये उन्हें पुनः नियुक्त करना जरूरी होता है।

रूस को भारतीय शिष्टमण्डल

+

†*११३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री गोरे :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री सरजू पांडे :
श्री नाथ पाई :
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री आचार :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके नेतृत्व में जो शिष्ट-मंडल हाल ही में रूस और अन्य पूर्वी योरूपीय देशों में गया था उन्हें क्या-क्या सफलतायें प्राप्त हुईं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जून, १६५८ में इस्पात, खान और ईंधन मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह को रूस आने का निमंत्रण जा गया था । उस वर्ष वह निमंत्रण स्वीकार करना सम्भव नहीं था । मई, १६५६ के आरम्भ में यह निर्णय किया गया कि इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह निमंत्रण स्वीकार कर लें और निम्न-लिखित व्यक्तियों के साथ रूस जायें :

(१) उद्योग मंत्री

(२) खान और ईंधन विभाग के सचिव

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ; और

(४) लोहा तथा इस्पात विभाग के उप-सचिव ।

शिष्टमंडल १४ मई, १६५६ को मास्को रवाना हुआ । मुख्य शिष्टमंडल जिसमें इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ; खान और ईंधन विभाग के सचिव ; लोहा तथा इस्पात विभाग के उप-सचिव थे ३० मई, १६५६ को भारत वापस आ गये । उद्योग मंत्री और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ३० मई को रूस से चैकोस्लावाकिया और जापान के लिये रवाना हो गये ।

शिष्टमंडल ने रूस यात्रा से लाभ उठाते हुये रूस के सहयोग से आरम्भ की जा चुकी परि-योजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन किया गया, कठिनाइयां दूर की गईं और सामान्य रूप से विचार किया गया कि टैक्नीकल, वैज्ञानिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में रूस का सहयोग कैसे प्राप्त किया जा सकता है ।

दो बड़े महत्वपूर्ण मामलों पर जो बहुत समय से पड़े हुये थे विस्तृत विचार किया गया और उसमें काफी प्रगति हुई । २६ मई, १६५६ को भारत की ओर से उद्योग मंत्री ने और रूस की ओर से वहां के विदेशी आर्थिक सम्पर्क राज्य समिति के सभापति ने भारत में भेषज, औषधियां और डाक्टरी सामान बनाने के उपक्रम स्थापित करने में सहयोग देने के बारे में ए क करार पर हस्ताक्षर किये । बरौनी में तेलशोधक कारखाने सम्बन्धी करार के बारे में जो बातचीत हुई उसके परिणाम-स्वरूप एक रूसी दल टैक्नीकल वार्ता और करार के लिये बातचीत करने भारत पहुंच गया है ।

और सहयोग प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाने के लिये शिष्टमंडल ने रूसी नेताओं के साथ आगामी वर्षों में विकास सम्बन्धी समस्याओं पर सामान्य रूप से चर्चा की । शिष्टमंडल के सदस्य कई औद्योगिक केन्द्रों को देखने गये और उन्होंने रूस के इन उद्योगों की पूरी जानकारी प्राप्त की और दौरे की समाप्ति पर उनकी यह धारणा बन गई कि भारत तृतीय योजना में कुछ उद्योगों के लिये रूसी सहायता पर निर्भर कर सकता है ।

शिष्टमंडल के दौरे के समाप्त हो जाने के बाद रूस ने तृतीय पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये १५० करोड़ रूबल (लगभग १८० करोड़ रुपये) का और ऋण देने की पेशकश की है जिसे स्वीकार कर लिया गया है । ब्यौरे के बारे में अभी बातचीत होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या शिष्टमंडल ने कोई विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और क्या उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे ख्याल से जो विवरण मैंने सभा-पटल पर रखा है उसमें सभी मोटी-मोटी बातें आ जाती हैं। रूस में जो बातचीत हुई उसके कई औपचारिक और अनौपचारिक प्रतिवेदन हैं परन्तु विस्तृत प्रतिवेदन पटल पर रखने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : विवरण में कहा गया है कि 'शिष्टमंडल ने रूसी नेताओं के साथ सामान्य रूप से विकास सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा की । ' वे समस्यायें क्या हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : देश के विकास कार्यक्रम पर प्रायः चर्चा होती रहती है और उसके बारे में सभी जानते हैं ।

†**श्री गोरे** : विवरण में यह निश्चित रूप से नहीं बताया गया है कि कौन से विशेष उद्योगों में भारत अपनी तृतीय योजना में रूस पर निर्भर कर सकता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह जानबूझ कर स्पष्ट नहीं किया गया है क्योंकि किसी विशेष परियोजना को सामने न रख कर सामान्य रूप से चर्चा की गई थी कि किन क्षेत्रों में रूसी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। उसका फल प्राप्त हुआ है और ऋण के लिये एक सामान्य सीमा निर्धारित कर दी गई है और अभी लगभग १८० करोड़ रुपये ऋण दिया गया है। अब यह निर्णय हमें करना होगा कि ऋण का प्रयोग कैसे किया जाये ।

†**श्री गोरे** : मैंने यह पूछा था कि 'विशेष उद्योग' कौन से हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कई एक मूल उद्योग ।

†**श्री त्यागी** : क्या माननीय मंत्री ने यह पता लगाया कि क्या वे रुपये को विनिमय का आधार मानने या वस्तु विनिमय के लिये तैयार हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस बारे में बातचीत होगी । अभी तक हमने उनसे जो खरीद की है उसके बदले में रूसी संस्थायें हमारे देश में ही माल खरीदती रही हैं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या यह कहना सही होगा कि १८० करोड़ रुपये का जो ऋण मिलने की घोषणा हुई है वह इसी शिष्टमंडल के प्रयत्नों का नतीजा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी नहीं, यह किसी विशेष शिष्टमंडल के प्रयत्नों का नहीं बल्कि सरकार की नीति का नतीजा हो सकता है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : विवरण में कहा गया है कि बरौनी में तेल शोधक कारखाने सम्बन्धी करार के लिये बातचीत करने के लिये रूसी दल भारत पहुंच गया है । क्या वह करार हो गया है और क्या बरौनी में कारखाना लगाने की लागत इसमें शामिल है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : बातचीत चल रही है और अभी करार के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह १८० करोड़ रुपये का ऋण सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना तथा विस्तार पर ही खर्च किया जायेगा और यह ऋण किन शर्तों पर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : १८० करोड़ रुपये का यह ऋण किन परियोजनाओं पर खर्च किया जायेगा इसका निर्णय हमारी सरकार करेगी । सम्भवत: यह सरकारी क्षेत्र पर ही खर्च किया जायेगा परन्तु मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता । शर्तों के बारे में अभी बातचीत होगी और निर्णय करने में कुछ समय लगेगा ।

†**श्री नागी रेड्डी**: क्या शिष्टमंडल ने किन्हीं पूर्वी योरुपीय देशों का भी दौरा किया और क्या वहां व्यापारिक तथा औद्योगिक विकास के बारे में कोई बातचीत हुई ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : शिष्टमंडल के दो सदस्य अर्थात् उद्योग मंत्री और उद्योग मंत्रालय के सचिव चैकोस्लोवाकिया गये थे और चालू परियोजनाओं के बारे में तथा अन्य बातचीत हुई थी ।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण में कहा गया है कि भारत में रूसी सहयोग से आरम्भ की गयी परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन किया गया था । क्या इस पुनरावलोकन के दौरान में उन बेकायदगियों का भी उल्लेख किया गया था जिसके बारे में प्रधान मंत्री ख्रुश्चेव ने प्रधान मंत्री नेहरू को एक पत्र भी लिखा था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य किन बेकायदगियों का उल्लेख कर रहे हैं। ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी। मैं माननीय सदस्य का अभिप्राय भी नहीं समझ पाया। कुछ संगठनात्मक कठिनाइयां उत्पन्न हुई थीं और प्रगति में भी कुछ कठिनाइयां थीं परन्तु वे दूर कर ली गई थीं और किसी प्रकार मतभेद उत्पन्न नहीं हुआ था ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : सूद की दर क्या है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अभी शर्तें तय नहीं हुई हैं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : विवरण से पता चलता है कि टैक्नीकल ब्योरा तैयार करने के लिये एक रूसी दल आया है । क्या सरकार ने वह आर्थिक सहायता स्वीकृत कर ली है जो रूस सरकार तेल शोधक कारखाने लगाने के लिये देने वाली है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : तेल शोधक कारखाने परियोजना पर हम इसी धारणा पर बातचीत कर रहे हैं कि उस पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होगी वह ऋण में से ही की जायेगी । आशा है कि शेष खर्च के लिये भी ऋण प्राप्त हो जायेगा ।

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसन्धान संस्था, नागपुर

+

†*११४. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १२ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसन्धान संस्था की इमारत के नक्शे और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ;

(ग) क्या आवश्यक उपकरण तथा सामग्री जुटा ली गई है ; और

(घ) कितने वैज्ञानिक तथा अन्य कर्मचारी नियुक्त कर लिये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) ये तैयार किये जा रहे हैं और शीघ्र ही बन जायेंगे ।

(ख) चालू वर्ष की समाप्ति से पूर्व निर्माण आरम्भ करने की आशा है ।

(ग) अनुसन्धान कार्य आरम्भ करने के लिये पर्याप्त उपकरण जुटा लिया गया है । और उपकरण मंगवाया गया है ।

(घ) प्रयोगशाला तथा क्षेत्रीय केन्द्रों के लिये अत्यन्त आवश्यक कर्मचारी नियुक्त कर लिये गये हैं । और कर्मचारी नियुक्त किये जा रहे हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : योजना और प्राक्कलन तैयार करने—इसमें विलम्ब—के क्या कारण हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : योजना और प्राक्कलन परियोजना को पूरा करने के हेतु तैयार किये जा रहे हैं ।

†**श्री तंगामणि** : दिल्ली, लखनऊ, पूना और हैदराबाद में जो क्षेत्रीय गवेषणा केन्द्र खोले जाने वाले थे क्या वे खोल दिये गये हैं जिनसे कि केन्द्रीय प्रयोगशाला को सहायता मिल सके ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : बम्बई और दिल्ली में अनुसन्धान कार्य शुरू हो गया है और शीघ्र ही रोहतक, बोरिवली, पूना, हैदराबाद और लखनऊ में आरम्भ हो जायेगा ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : इस लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसन्धान संस्था में कितने छात्रों के लिये स्थान होगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह तो राष्ट्रीय प्रयोगशाला है इसमें छात्रों का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस पर अनुमानतः कितना खर्च होगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : अनुमान है कि द्वितीय योजना काल में लगभग ३० लाख रुपया खर्च होगा । हमने योजना आयोग और वित्त मंत्रालय को बता दिया है कि खर्च इससे अधिक होगा ।

†**श्री त्यागी** : नागपुर में कई इमारतें खाली पड़ी हुई हैं क्या मंत्रालय ने इस सम्भावना पर विचार किया था कि यह केन्द्र किसी पुरानी इमारत में ही खोल दिया जाये ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जी हां । अभी उसे अस्थायी तौर पर एक पुरानी इमारत में ही रखा गया है । राष्ट्रीय प्रयोगशाला के लिये हमने नई इमारत बनाना ही ठीक समझा क्योंकि पुरानी इमारत पर काफी खर्च कर के उसमें परिवर्तन करने पड़ेंगे और फिर भी वह सन्तोषजनक नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गौहाटी और बरौनी में तेल शोधक कारखानों के लिये पाइपलाइन

†

†*११५. श्री आसर :
श्री शिवनंजप्पा :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री विभूति मिश्र :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री साधन गुप्त :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम तेल क्षेत्रों से गौहाटी और बरौनी में सरकारी तेल शोधक कारखानों तक अपरिष्कृत तेल ले जाने के लिये पाइपलाइन के निर्माण के सम्बन्ध में बर्मा आयलकम्पनी और ब्रिटेन सरकार के साथ करार के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : बर्मा आयल कम्पनी ने २ करोड़ पौंड और ब्रिटिश सरकार ने जो ३० लाख पौंड की पेशकश की थी वह स्वीकार कर ली गई है । यह सारी राशि आयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पाइपलाइन परियोजना के विदेशी मुद्रा के खर्च को पूरा करने के लिये प्रयुक्त की जायेगी ।

†श्री आसर : इस पाइपलाइन की लागत कितनी कूती गई है और हमारी सरकार कितना रुपया खर्च करेगी ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : ये आंकड़े समय-समय पर सभा में बताये जा चुके हैं । हमें ऋण के जो कुल २३० लाख पौंड मिलेंगे उन सबका उपयोग पाइपलाइन और सम्बन्धित उपकरणों के लिये किया जायेगा । हां, शायद रुपयों के रूप में जिस धन की आवश्यकता पड़ेगी वह भारत सरकार द्वारा व्यय किया जायेगा ।

†श्री हेम बरुआ : क्या तेल शोधक कारखानों तक जाने वाली पाइपलाइन में खर्च होने वाली विदेशी मुद्राओं का व्ययभार सरकार और बर्मा ऑयल कम्पनी मिल कर वहन करेंगी और यदि हां, तो उसके लिये कितना आवंटन किया गया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : विदेशी मुद्राओं वाला अंश बर्मा ऑयल कम्पनी और एच० एम० जी० ने दे दिया है । रुपयों के रूप में होने वाला खर्च भारत सरकार देगी ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि गौहाटी और बरौनी में जो रिफाइनरी बन रही हैं उनमें फारेन एक्सचेंज कितना खर्च होगा और भारत का कितना पैसा खर्च होगा ।

श्री के० दे० मालवीय : इन दोनों रिफाइनरीज में और पाइपलाइन में जो रकम लगेगी उसका अन्दाज से ही कुछ तखमीना दिया जा सकता है क्योंकि जब खर्च हो जायेगा तभी ठीक तरह से मालूम हो सकेगा, लेकिन सब मिला कर मुमकिन है कि ७०, ८० करोड़ रु० तक पहुंच जाय ।

†श्रीमती मफीदा अहमद : क्या करार करने से पहले इस बात का अनुमान लगाया गया था देश में ही बना कितना सामान मिल सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां । जहां तक संभव होगा देश के भीतर बने सामान का ही उपयोग किया जायेगा और हमने विहित कर दिया है कि देश में बनी पाइपलाइनें और यह सब सामान ही ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा उपयोग में लाई जायेंगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : यह पाइपलाइन बहुप्रयोजनीय होगी या केवल अपरिष्कृत तेल के लिये है ।

†**श्री के० दे० मालवीय**: यह पाइपलाइन केवल अपरिष्कृत तेल ले जाने के लिये बनायी जाने वाली है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हाल ही में हमें बताया गया था कि इन पाइपलाइनों के निर्माण के लिये राउरकेला में एक पाइपलाइन बनाने के कारखाने की स्थापना की जा रही है । ऐसी स्थिति में बर्मा ऑयल कम्पनी और ब्रिटिश सरकार जो धन देगी उसका उपयोग इस परियोजना के लिये वित्त व्यवस्था के रूप में किया जायेगा या यह धन ब्रिटेन से ही आने वाले सामान के काम आयेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: राउरकेला में पाइपलाइन बनाने की परियोजना दूसरी चीज है । इस धन का उपयोग उसके लिये नहीं किया जायेगा । वह काम स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है । हमने जो व्यवस्था की है वह इसमें से एक यह है कि जब भी हमारे राउरकेला वाले कारखाने से पाइप उपलब्ध होंगे उनका उपयोग परिवहन प्रणाली में किया जायेगा ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : ब्रिटिश सरकार के ऋण की शर्तें क्या हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस प्रलेख को शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उस स्थान का निश्चय कर लिया है कि बरौनी में यह रिफाइनरी जहां पर लगेगी ।

श्री के० दे० मालवीय : बरौनी में यह रिफाइनरी कहां पर होगी इसे विचारने के लिये इस वक्त कुछ विशेषज्ञ आये हुये हैं और उन्होंने तजवीज भी दी है उस पर अनुसन्धान हो रहा है । मैं चाहता हूं कि इस पर बहुत जल्द फैसला हो जाय ।

कोठगुदम और टन्डूर में कोयला

+

†*११६. { **श्री नागी रेड्डी** :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री कुन्हन : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठगुदम और टन्डूर क्षेत्रों में गहरा छिद्रण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस कार्य पर चालू वर्ष में कितनी राशि व्यय की जाने वाली है ; और

(ग) क्या कार्य इस वर्ष आरम्भ हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) सिंगारेनी कोलियरीज़ कम्पनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि २,००० फुट की गहराई तक जा सकने वाला एक छिद्रण यंत्र कोठगुदियम में चालू की गई है। जहां तक टन्डूर का सम्बन्ध, आगामी एक या दो महीनों के भीतर इसी प्रकार के एक छिद्रण यंत्र के लिये आर्डर दिया जाने की सम्भावना है।

(ख) २,००० फुट तक छिद्रण करने में समर्थ छिद्रण यंत्र की मय सरो-सामान कीमत लगभग २ लाख रुपये कूती गई है। चालू वर्ष में गहराई तक छिद्रण करने के कार्य पर व्यय होने वाली सम्भावित राशि लगभग ६०,००० रुपये कूती गयी है।

(ग) कोठगुदियम में गहराई तक छिद्रण करने का काम तो चल ही रहा है और टन्डूर में अगले वर्ष आरम्भ होगा।

†**श्री नागीरेड्डी** : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि दक्षिण भारत की यह एकमात्र कोयला खान है, सरकार तृतीय पंच वर्षीय योजना से पूर्व ही इसे अब से ज्यादा तेज़ी से काम करके खोज पूरी कर लेगी ताकि उस क्षेत्र में कोयले के उत्पादन की और भी बड़ी योजना बना सके ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : सरकार की मंशा दक्षिण में कोयले की खोज, छिद्रण अथवा कोयला निकलने के सम्बन्ध में यथासंभव सुविधायें प्रदान करने की है। इस पर पुनः बल देने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या भूतत्वीय सर्वेक्षण या भारतीय खानि ब्यूरो सिंगारेनी कोलियरीज़ लिमिटेड के अलावा इस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कुछ गहरे छिद्रण का कार्य करेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी हां, यदि जरूरत पड़ी तो।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : इस गहरे छिद्रण के फलस्वरूप कोयले का कितना अतिरिक्त उत्पादन होने की सम्भावना है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : गहरा छिद्रण इस बात की पुष्टि के लिये किया जाता है कि कोयले का कितना निक्षेप है। छिद्रण से प्रत्यक्षतः कोयले का उत्पादन नहीं होता है। छिद्रण के फलस्वरूप उपलब्ध कीमती आंकड़ों के आधार पर खनन कार्य हाथ में लिया जाता है।

†**श्री नागी रेड्डी** : पिछले प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि अगर आवश्यक हुआ तो यह कार्य आरम्भ किया जायेगा। सरकार को कब यह आवश्यक प्रतीत होगा इस बात के लिये कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं कि सरकार स्वयं विभागीय तौर पर इस बात का पता चलाये कि उस क्षेत्र में कितना कोयला उपलब्ध है और आगामी योजना अवधि में हम किस सीमा तक उसका उपयोग कर सकेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सिंगारेनी कोलियरीज़ कम्पनी उस क्षेत्र में कार्य करती ही रही है और मेरा ख्याल है कि उनका काम बड़ा अच्छा रहा है। उन्होंने अपने आप छिद्रण आरम्भ किया है। यदि कोयला कम्पनी यह महसूस करती है भूतत्वीय सर्वेक्षण अथवा भारतीय खानि ब्यूरो से सहयोग आवश्यक है तो यह खुशी से प्रदान किया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या इस क्षेत्र के लिये कोयले के उत्पादन का कोई अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मौजूदा योजना की अवधि के लक्ष्य तो माननीय सदस्य को भली भांति मालूम हैं ।

†**श्री स० व० विट्ठल राव :** इसके नहीं, तृतीय योजना की अवधि के ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वही तो अभी विचाराधीन है ।

बम्बई में इस्पात की मांग

†**११७. श्री गोरे :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई निगम ने भारत सरकार से उसे और भी इस्पात उपलब्ध करने का अनुरोध किया है ताकि वह और भी व्यापक गृह-निर्माण कार्यक्रम हाथ में ले सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) जी हां ।

(ख) बम्बई राज्य के कोटे में यथासंभव वृद्धि कर दी गई ताकि वह पहले से अधिक मात्रा में मांगों को पूरा कर सके ।

†**श्री गोरे :** कुल कितना इस्पात मंजूर किया गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** अगर आप चाहें तो मैं बम्बई राज्य के कोटे में वृद्धि के आंकड़े दे सकता हूं जो इस प्रकार हैं :—

दूसरी अवधि १९५८–५९—१२,६६० टन ।
तीसरी अवधि १९५८–५९—१६,५२० टन
चौथी अवधि १९५८-५९—२३,५४० टन
पहली अवधि १९५९–६०—२९,८९० टन
दूसरी अवधि १९५९–६०—३०,२५० टन

आंकड़ों से स्पष्ट है कि यह वृद्धि काफी अच्छी रही है ।

†**श्री हेडा :** आबादी और क्षेत्रफल के अलावा, जहां तक आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर आदि राज्यों को उनकी मांग से कम कोटा दिया जा रहा है । यह बात होते हुये भी वह कौन से कारण थे जिनकी वजह से सरकार ने अन्य राज्यों का ध्यान न रख कर बम्बई राज्य का कोटा बढ़ा दिया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन साथ ही कुछ इस्पात ऐसा होता है जिसका वितरण आबादी के आधार पर नहीं किया जाता ।

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** और साथ ही आन्ध्र प्रदेश और मैसूर के कोटे भी बढ़ा दिये गये हैं । पता नहीं माननीय सदस्य की यह धारणा कैसे हुई कि मैसूर और आन्ध्र प्रदेश का ध्यान न रख बम्बई का कोटा बढ़ा दिया गया है । यह धारणा तो ग़लत है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

†*११८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का संगठन करने के अमरीकी प्रस्ताव पर भारत की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का उद्देश्य कम-विकसित सदस्य राष्ट्रों के विकास के लिये वित्तीय उपबन्ध में पुनर्निर्माण और विकास की अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के प्रयासों में योग दे कर इन देशों के आर्थिक विकास में सहायता पहुंचाना है। स्वाभाविक रूप से भारत इस व्यापक उद्देश्य से सहमत है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना के प्रस्ताव की अभी छान-बीन जारी है और २८ सितम्बर, १९५९ से २ अक्तूबर, १९५९ तक वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें इस पर विचार किये जाने की सम्भावना है।

श्री रघुनाथ सिंह : अभी सवाल नम्बर १०४ में इंटरनेशनल एकोनामिक ग्रोथ कमेटी का जिक्र आया और मौजूदा सवाल में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसियेशन का, तो इन दोनों के कामों में क्या फर्क है दोनों का नाम तो एक मालूम पड़ता है ?

श्री ब० रा० भगत : पहला कान्फ्रेंस के मुताल्लिक था लेकिन दूसरे में संस्था बनाने जा रहे हैं इसलिए जाहिर है कि दोनों में बहुत फर्क है कान्फ्रेंस और संस्था अलग अलग चीजें हैं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन बन्ध पत्रों का खरीदा जाना

+
*११९. { **श्री खुशवक्त राय :**
श्री सरजू पाण्डे :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन बन्ध पत्रों की खरीद के बारे में जांच, जिसका आश्वासन उन्होंने सभा को १७ मार्च, १९५९ को दिया था, पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जांच अभी चल रही है।

(ख) इस जांच के परिणामों का विवरण यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि इस जांच के करने या कराने में इतनी देरी क्यों लग रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : देरी तो कोई खास नहीं हो गई है लेकिन इस तरह की जांच में कुछ समय लग ही जाता है।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि इस जांच पड़ताल में इतनी देरी क्यों लग रही है जब कि सारे कागजात हिन्दू विश्वविद्यालय के कार्यालय में मौजूद हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैंने आपसे निवेदन किया कि आपकी राय है कि इसमें देरी लगी लेकिन मेरे खयाल में इस तरह की जांच पड़ताल में समय लग ही जाता है। जांच पूरी हो जाने के बाद जो कुछ उसका परिणाम होगा वह सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सरजू पाण्डे : क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इसकी जांच कौन लोग कर रहे हैं ?

डा० का० ल० श्रीमाली : डिपार्टमेंटल एनक्वायरी हो रही है ।

श्री प्र० ना० सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि इस जांच के सिलसिले में इस बात की भी जांच होगी कि जो जमींदारी एबौलीशन के बौंड्स रक्खे गये हैं वह बौंड्स किन लोगों के हैं और क्या वह युनिवरसिटी से सम्बन्धित हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, सभी सम्बन्धित प्रश्नों पर जांच की जायेगी ।

श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय ने जो बौंड्स खरीदे हैं उनमें से बहुत से बौंड्स विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष के हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : सभी सम्बन्धित प्रश्नों पर जांच की जायेगी ।

श्री सिंहासन सिंह : चूंकि यह विश्वविद्यालय का प्रश्न है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि आपने पिछले सत्र में जो बिल लाने का वायदा किया था वह बिल आप कब तक लाने वाले हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : वह तो विश्वविद्यालय का प्रश्न है और वर्तमान प्रश्न तो बौंड्स के सम्बन्ध में है । आप तो दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : पिछले सत्र में आपने यह आश्वासन दिया था कि इस मसले की किसी उपयुक्त सूत्र से जांच करा ली जायगी । क्या काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों की विशेष रूप से जमींदारी उन्मूलन बांडों में रुपया लगाने–खास तौर से जब किये बांड विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष श्री ज्योतिभूषण गुप्त के थे, कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो इस जाच का क्या परिणाम निकला है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस जांच में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है खास तौर से उस समय जब कि उन कारणों से, जिन में यह कारण भी शामिल है, निकाले गये छात्रों को विश्व-विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विलम्ब क्यों हो रहा है इस प्रश्न का भी मैं उत्तर दे चुका हूं ।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या सरकार को पता है कि इन बौंडों में कुछ ऐसे बौंड्स भी हैं जिनका कि कलकत्ते में कोटेशन दिया गया था और १०० रुपये की बौंड की कीमत का कोटेशन ४२ रुपये ८ आने दिया गया था और युनिवरसिटी ने उनको ४५ रुपये में खरीदा और इस तरह के दो लाख के बौंड खरीदे गये और १ लाख ८० हजार के बौंड ऐसे खरीदे गये जिनका कि कोटेशंस् था ३९–८ रुपये और जिनको कि ४२ रुपये में खरीदा गया । इस तरह के बहुत से बौंड्स हैं जो कि वहां के खजान्ची के हैं तो क्या मैं आशा करूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करायी जाने की व्यवस्था की जायगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं ने आप से निवेदन कर दिया कि इस मामले में डिपार्टमेंटल एनक्वायरी हो रही है और जांच होने के बाद अगर इस में किसी के मैलाफाइड्स हों या युनिवरसिटी को नुकसान हुआ हो तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको किसी प्रकार का रक्षण सरकार नहीं देगी और जांच होने पर जो भी उस जांच का परिणाम होगा वह सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या वह इस बात का कोई संकेत देंगे कि यह जाच कब तक पूरी हो जायगी ?

बोलानी की लौह अयस्क की खानें

†*१२०. **श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बोलानी की लौह अयस्क की खानें अब तक विकसित हो गयी हैं ;

(ख) बोलानी ओर्स (प्राइवेट) लिमिटेड में भारत सरकार ने अब तक कुल कितनी पूंजी लगायी है ; और

(ग) क्या बोलानी ओर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी से हुए समझौते की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) बोलानी की लौह अयस्क की खानों को विकसित करने का कार्य चल रहा है ।

(ख) ३५,३५,००० रुपये ।

(ग) माननीय सदस्य का प्रयोजन संभवतः भारत सरकार और उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कम्पनी के बीच मेसर्स बोलानी ओर्स की स्थापना के बारे में हुए संकल्प से है । मेसर्स बोलानी ओर्स का प्रतिष्ठान ज्ञापन पत्र [1] और साथ ही कम्पनी के पार्षद् अन्तर्नियम[2] संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

†**श्री पाणिग्रही** : जब इस कम्पनी के ५०·५ प्रतिशत अंश सरकार के हाथ में हैं तब सरकार ने मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी को इस कम्पनी का सचिव और कोषाध्यक्ष क्यों नियुक्त किया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सरकार के पास ५०·५ प्रतिशत अंश हैं और शेष ४९·५ प्रतिशत अंश उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी के पास हैं । पूंजी में यह हिस्सा दो प्रयोजनों से रखा गया एक तो यह कि उस क्षेत्र के भीतर आने वाले हलकों के पट्टे उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी के पास थे और यह विचार था कि यदि हम साझा कर लें तो बेहतर होगा । क्योंकि पट्टाधारियों के अधिकार प्राप्त करने में कठिनाई होने का अनुमान था । दूसरे, यह विचार था कि जैसे अन्य क्षेत्रों में हो चुका है इस क्षेत्र में भी गैर-सरकारी सहयोग आजमा कर देख लिया जाय । यह भी विचार हुआ कि जब पूंजी में साझा किया गया है तो प्रबन्ध में भी साझे की आजमाइश कर ली जाय और १९५६ में इसकी व्यवस्था कर ली गयी ।

†**श्री वें० प० नायर** : तीसरी कम्पनी की स्थापना क्यों की गयी ? मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी तो इन दोनों कम्पनियों में से नहीं थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कह चुके हैं कि प्रबन्ध में भी साझा करना उचित समझा गया था । प्रबन्ध बर्ड एण्ड कम्पनी का था ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : आम तौर पर ऐसा नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा नहीं होता यह दूसरी बात है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इसीलिये हम जानना चाहते थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Memorandum of Association.

2 articles of Association.

†**श्री पाणिग्रही** : मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी को सचिव और कोषाध्यक्ष का कार्य करने के लिये कितना पारिश्रमिक दिया जा रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये—य आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या मंत्री जी को पता है कि इस लौह अयस्क वाले क्षेत्र को विकसित करने के लिये उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी के साथ करार करने से पहले सरकार ने उड़ीसा में अपना ही एक खनन् निगम बनाया था, और यदि हां, तो लौह अयस्क की इस खान को विकसित करने के लिये इस उड़ीसा खनन् निगम को सरकार के साथ नहीं लाया गया ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जहां तक लौह अयस्क की खानों को विकसित करने का संबंध है, यह सच है कि हम इन तीनों तरीकों से कार्य करते हैं। हमारे यहां बिल्कुल गैर सरकारी स्वामित्व वाली खानें हैं, हमारे पास सरकारी स्वामित्व वाली खानें हैं; और हमारे पास ऐसी भी खानें हैं जिन में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार की पूंजी और प्रबन्ध शामिल हैं। और ये तीसरी प्रकार की खानों में आती हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी उच्चाधिकारियों के खिलाफ जांच

†*१२१. {**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार और ईमानदारी के विरुद्ध अखबारों और अन्य प्रकार से जो आरोप लगाये जाते हैं क्या सरकार ने उनकी जांच किसी उच्चाधिकारी से कराने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या इस जांच अधिकारी को सत्यापन और साक्ष्य मंगाने का अधिकार होगा ;

(ग) यह जांच किन नियमों के अधीन चलाई जायगी; और

(घ) इस के लिये क्या प्रक्रिया रहेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

यह निश्चय किया गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ़ उसके सरकारी कर्त्तव्यों के पालन के संबंध में अखबारों या किसी व्यक्ति द्वारा कोई आरोप लगाया जाय तो सरकार को एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसकी प्राथमिक गोपनीय जांच का आदेश देना चाहिये ।

यदि इस जांच के फलस्वरूप यह पता चले कि ये आरोप अज्ञान, अपर्याप्त जानकारी या कुत्सित भावना पर आधारित थे तो यह विचारणीय होगा कि उस सरकारी कर्मचारी के आचरण की

---

†मूल अंग्रेजी में

शुद्धता सिद्ध करने के लिये अदालती कार्यवाही करना आवश्यक है या नहीं और यह कार्यवाही सरकार की ओर से की जाय या उस सरकारी कर्मचारी की ओर से ।

यदि, दूसरी ओर, जांच के परिणाम से यह संकेत मिले कि सरकारी कर्मचारी के आचरण के औचित्य तथा शुद्धता पर संदेह के कारण मौजूद हैं या जांच अनिर्णीत रह जाय तो सरकार जांच के लिये इस मामले को विशेष पुलिस संस्थापना के सुपुर्द कर सकती है या केन्द्रीय असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमों के अधीन पूरी विभागीय जांच कराने का आदेश दे सकती है या उस सरकारी कर्मचारी से कह सकती है कि वह अदालती कार्यवाही द्वारा अपने आचरण की शुद्धता को सिद्ध करे ।

जिन मामलों में सरकार फौजदारी की कार्यवाही स्वयं आरम्भ करने का निश्चय करे, उन में दण्ड प्रक्रिया संहिता की दफ़ा १९८ के उपबन्धों का उपयोग किया जाना चाहिये । जिन मामलों में सरकार दीवानी कार्यवाही आरम्भ करने का फैसला करे उन में उसकी सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये ।

हज यात्रियों के लिये विदेशी मुद्रा

*१२२. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष हज यात्रियों को अपने साथ कितनी विदेशी मुद्रा ले जाने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यह धन राशि पिछले वर्षों की तुलना में उतनी ही है या कम-ज्यादा है ; और

(ग) क्या सरकार इस बात का पता लगा रही है कि सुविधापूर्वक और आराम के साथ यात्रा करने के लिये कम से कम कितनी धन राशि आवश्यक होती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) १९५९ में हज यात्री अपने साथ ज्यादा से ज्यादा ये रकमें ले जा सकते हैं :—

हवाई जहाज से जाने वाले बालिग . . .	१,७०० रुपये ।
समुद्र के रास्ते जाने वाले बालिग (पहला दर्जा) .	१,८०० रुपये ।
समुद्र के रास्ते जाने वाले बालिग ('डेक' दर्जा) .	१,२०० रुपये ।

सोलह साल से कम और तीन साल से ज्यादा उम्र के बच्चे इन की आधी रकमें ले जा सकते हैं पर तीन साल से कम उम्र के बच्चे कोई विदेशी मुद्रा नहीं ले जा सकते ।

(ख) जी नहीं। १९५९ की अधिकतम रकमें कुछ कम हैं ।

(ग) सरकार का ख्याल है कि इन अधिकतम रकमों से आराम के साथ यात्रा की जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसनसोल की कोयला खानें

†*१२३. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के आसनसोल सब-डिवीज़न के कुछ कोयले वाले क्षेत्रों के नीचे बैठ जाने का कोई खतरा है और वहां के निवासियों से अपने मकान खाली कर देने के लिये कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार या कोयला खानों के मालिक ने उन गांव वालों को कोई मुआवज़ा दिया है जो अपने घर छोड़ गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार उनको दावे पर मुआवज़ा देने वाली है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां, पश्चिम बंगाल के आसनसोल सब-डिवीजन में बाराकर नगर और ग्रैंट ट्रंक रोड के कुछ हिस्सों में। वहां के निवासियों का ध्यान इस खतरे की ओर आकृष्ट किया गया था और उन से उन क्षेत्रों को खाली कर देने के लिये कहा गया था।

(ख) सरकार ने यह फैसला किया है कि, विशेष बात मान कर, और इस मामले में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार व कोयला बोर्ड के दायित्व पर जरा भी प्रभाव डाले बिना, उसको मज़बूत बनाने के लिये कोयला बोर्ड को हाइड्रॉलिक चट्टे लगाने जैसी कार्यवाही, यदि, इस प्रकार की कार्यवाही प्रविधिक दृष्टि से संभव हो, तो करनी चाहिये। कोयला बोर्ड चट्टे लगाने की व्यवहारिकता का अनुमान लगाने के लिये जांच करा रहा है।

(ग) और (घ). इस से पीड़ित होने वाले निवासियों का पुनर्वास, मुआवज़े का भुगतान और अन्य संबंधित प्रश्न ऐसे हैं जिनका निबटारा पश्चिम बंगाल सरकार को करना होगा।

रिज़र्व बैंक के गवर्नर का अध्ययन सम्बन्धी दौरा

†*१२४. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिज़र्व बैंक के गवर्नर को मई, १९५९ में मैक्सिको और ब्राजील की बैंकिंग पद्धतियों का अध्ययन करने के लिये अध्ययन-दौरे पर भेजा गया था; और

(ख) क्या उन्होंने इन दो लैटिन अमरीकी देशों की बैंकिंग पद्धतियों के अध्ययन के परिणामों के बारे में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा):** (क) जी नहीं। लेकिन गवर्नर ने वाशिंगटन में भारत के आर्थिक विकास संबंधी एक सम्मेलन में हाल ही में भाग लिया था। और उन्होंने अवसर से लाभ उठा कर क्रमशः सैन्ट्रल बैंक ऑफ़ मैक्सिको और ब्राजील सरकार के आमंत्रण पर मैक्सिको और ब्राजील की यात्रा की।

(ख) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी म

तेल उद्योग की समस्यायें

†*१२५. **श्री दामानी :** क्या **इस्पात, खान अगर ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उद्योग की मुख्य समस्याओं की जांच के लिये एक छोटी और उच्च शक्तिसम्पन्न समिति की स्थापना करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा और उसके मुख्य मुख्य निर्देश-पद क्या होंगे ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :**

(क) बर्मा-शैल, स्टैण्डर्ड वैकुअम और कालटैक्स कम्पनियों ने संयुक्त रूप से सुझाव किया है कि :

(१) गौहाटी और बरौनी के सरकारी तेल-शोधक कारखानों के तैयार होने के बाद सम्पूर्ण भारत में परिष्कृत पैट्रोलियम उत्पादों के यातायात के लिये उत्पन्न होने वाली व्यवस्था के स्वरूप की परख और यातायात व्यवस्था के संबंध में आवश्यक सुझाव देने, और

(२) भारत के तेल शोधक कारखानों (जिन में बरौनी और गौहाटी शामिल हैं) के परिष्कृत उत्पादों और देश की खपत संबंधी आवश्यकताओं के असंतुलन को दूर करने के लिये

सरकार और उद्योग की एक मिलीजुली समिति बनायी जाय ।

(ख) बरौनी के तेल शोधक के उत्पादन का नमूना उस वार्ता के पूरे होने के बाद स्पष्ट होगा जो रूस सरकार के साथ इस समय चल रही है । उस समय यह फैसला करना संभव हो सकेगा कि इस प्रकार की समिति बनाना जरूरी होगा या नहीं, और यदि जरूरी होगा तो उस में किस किस को रखा जाय और उसके निर्देश-पद क्या हों ।

दक्षिणी-क्षेत्र के लिये मिलाजुला पुलिस रक्षित बल

†*१२६. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी-क्षेत्र के लिये एक मिलेजुले पुलिस रक्षित बल के संवर्ग की स्थापना की योजना को अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोई राज्य इस सिद्धांत से असहमत रहा ;

(घ) यदि हां, तो किस प्रश्न पर; और

(ङ) केन्द्रीय पुलिस कार्यालय किस स्थान पर रखा जायगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) अभी नहीं । योजना का ब्यौरा अब भी तैयार हो रहा है ।

(ख) और (ङ). भाग (क) के उत्तर के कारण यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) २४ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८९ के उत्तर में लोक-सभा में बताया जा चुका है कि केरल राज्य सरकार ने कुछ समय तक इस योजना में शामिल न होने की इच्छा प्रगट की थी ।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि इस प्रकार के मामलों में शामिल होना न होना राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर होता है ।

निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट

*१२७ { श्री भक्त दर्शन :
श्री पहाड़िया :

क्या **विधि** मंत्री १७ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरे सामान्य निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर इस बीच और क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : भारत में हुए दूसरे आम चुनावों के संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई कुछ खासखास सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है। वे निम्नलिखित हैं :—

(१) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ५५ क का निकाल दिया जाना जिस में कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद से मतदान आरम्भ होने के दस दिन पूर्व तक चुनाव से हट जाने की इजाज़त दी गई थी ;

(२) किसी चुनाव को रद्द घोषित करने का आदेश देने वाले न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग को उसकी तरन्त सूचना देना ;

(३) अपने को अन्य व्यक्ति के रूप में प्रकट करने को रोकना। १९५१ के अधिनिय की धारा ६१ में संशोधन कर दिया गया है और निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के नियमों में नये नियम जोड़ दिये गए हैं जिन में यह व्यवस्था की गई है कि नगरपालीय क्षेत्रों के उल्लिखित निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले चुनावों में मतदाता पीठासीन पदाधिकारी/प्रिजाइडिंग आफिसर के सामने पहचान पत्र पेश करेंगे। मतदाताओं के अनिवार्य रूप से टीका लगाये जाने का जो सूझाव निर्वाचन आयोग ने दिया था उस के बारे में अभी और गम्भीरता के साथ विचार करना होगा ; और

(४) एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार किये गए चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा जमा की गई रकमों की जब्ती के विषय में १९५१ के अधिनियम की धारा १५८ के उपबन्धों को स्पष्ट कर दिया गया है ।

२. आयोग की अन्य सिफारिशों पर सरकार निर्वाचन आयोग के परामर्श से विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीर्थमलै क्षेत्र में उपलब्ध लौह-अयस्क का परिमाण

†*१२८. **श्री वुराय स्वामी गौंडर :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के सैलम जिले के होसूर तालुक के तीर्थमलै क्षेत्र में उपलब्ध लौह-अयस्क का परिमाण कितना है ; और

(ख) क्या तीर्थमलै क्षेत्र में उपलब्ध खनिज पदार्थों को निकालने का कोई तात्कालिक प्रस्ताव है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) सैलम जिले के तीर्थमलै क्षेत्र में लौह-अयस्क का परिमाण ४७५ लाख टन कूता गया है। यह अयस्क मुख्यतः मैगनेटाइट—क्वार्टजाइट की चट्टान के रूप में उपलब्ध है और इस में ३५–४० प्रतिशत लोहा निकलना है।

(ख) बड़े पैमाने पर कच्चा लोहा तैयार करने के लिये इस क्षेत्र से लौह-अयस्क निकालने की बात अग्रिम पैमाने पर किये जाने वाले प्रयोगों की सफलता पर निर्भर रहेगा। इस अयस्क में से तीन गैर-सरकारी कम्पनियों १५–१५ हज़ार टन कच्चा लोहा तैयार करना चाहती हैं। अन्यथा इस क्षेत्र का अयस्क निर्यात करने योग्य नहीं है।

काजू के छिलके के पानी से राल

†*१२९. **श्री तंगामणि :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना की नेशनल केमिकल लैबोरेटरी ने पानी को साफ़ करने के लिये काजू के छिलके के पानी से कैशन एक्सचेंज राल तैयार करने की विधि निकाल ली है ;

(ख) यदि हां, तो इस विधि के व्यापारिक पैमाने पर उपयोग की क्या संभावनायें हैं ;

(ग) पानी को साफ़ करने के काम आने वाले पदार्थों के आयात पर अब कितनी राशि व्यय होती है ; और

(घ) इस विधि के व्यापारिक पैमाने पर उपयोग में शीघ्रता कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) से (घ). जी हां, व्यावसायिक उपयोग के लिये यह विधि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन को सौंप दी गयी है और वह इस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। १९५८ में पानी को साफ़ करने के काम आने वाले ४.४५ लाख रुपयों के मूल्य के पदार्थों का आयात किया गया था।

हिमाचल प्रदेश के लिये सचिवालय भवन

*१३०. **श्री पद्मदेव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१८३ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के सचिवालय के लिये शिमला में पंजाब सरकार के सचिवालय भवन को काम में लाने के सुझाव के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : पंजाब सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि इस इमारत में कितनी जगह मिल सकेगी। इसलिये यह मामला अभी विचाराधीन है।

जीवन बीमा निगम

†*१३१. **श्री आचार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने पूर्वी अफ्रीका, मलाया और सिंगापुर में बीमा कराने वाले को आकृष्ट करने के लिये (भारत में प्रचलित दरों की अपेक्षा) दरों में कमी और एजेंटों के कमिशन में वृद्धि करने की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों के लिये इतनी अनुकूल शर्तें रखने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) निगम ने हाल ही में पूर्वी अफ्रीका में प्रीमियम की दरों में कमी की है। मलाया और सिंगापुर में प्रीमियम की दरों में कोई कमी नहीं की गयी है।

पूर्वी अफ्रीका, मलाया और सिंगापुर के एजेंटों के कमीशन की दरें हाल ही में बढ़ा दी गयी हैं।

(ख) जहां तक प्रीमियम की दरों में कमी करने का प्रश्न है, पूर्वी अफ्रीका में औसतन प्रत्येक पालिसी काफी बड़ी राशी के बीमे की (भारत के ३,५०० रुपयों की तुलना में १३,५०० रुपये की) होती है इसलिये वहां खर्च कम पड़ता है। इस से निगम इस लाभ को कम प्रीमियम लेकर बीमाधारियों को दे देता है। वास्तव में, निगम ने जो घटी हुई दरें वहां घोषित की हैं वह उस देश में काम करने वाली प्रमुख कम्पनियों की दरों के बराबर ही बैठती हैं।

जहां तक कमीशन की दरों का संबंध है, किसी भी राज्य क्षेत्र में कमीशन का क्रम संगठन के स्वरूप, एजेन्ट की सेवाओं के स्वरूप और बाजार की स्थिति आदि अनेक बातों पर निर्भर करता है। भारत में जब तक पालिसी चालू रहती है तब तक एजेंट को, और कुछ अवस्थाओं में उसके मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी तक को पालिसी के नवीकरण का कमीशन देने की प्रथा है। लेकिन पूर्वी अफ्रीका, मलाया और सिंगापुर में नवीकरण का कमीशन पालिसी के चलते रहने के शुरू कुछ वर्षों तक ही सीमित रहता है। इसी प्रकार वहां भारत की तरह ब्रांच आफिसरों और एजेंटों के बीच कोई फील्ड आफिसर नहीं है और इस कारण से भी इन देशों में सभी कम्पनियां अपने एजेन्टों को जो कमीशन देती हैं उसकी दर भारत से अधिक रहती है। इन देशों में निगम अपने एजेंटों को जिस दर पर कमीशन देता है वह उसकी प्रतियोगी कम्पनियों द्वारा दी जाने वाली दर से अधिक नहीं होता।

कलकत्ता में स्टेडियम

†*१३२. **श्री ही० ना० मकर्जी :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २९ अप्रैल १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६७४ के उत्तर के सम्बंध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता मैदान को एक स्टेडियम बनाने के लिए अन्तिम रूप से चुन लिया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो निश्चय क्या है ?

†**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उच्च न्यायालयों में छुट्टियां तथा काम के घण्टे

†*१३३. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने समस्त उच्च न्यायालयों को एक परिपत्र भेजा है जिस में छुट्टियां कम करने और काम के घंटे बढ़ाने के लिये कहा गया है;

(ख) यदि हां तो, क्या सरकार को उच्च न्यायालयों की प्रतिक्रिया विदित हो गई है ; और

(ग) उन में से किसने सरकार के सुझाव मान लिये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनबन्ध संख्या ३१]**

दिल्ली के कालेजों में प्रवेश

*१३४. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री हेम राज :
श्री वाजपेयी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री पहाड़िया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष हाई स्कूल या हायर सैकेन्डरी परीक्षा पास करने के बाद कितने छात्रों और छात्राओं ने दिल्ली के विभिन्न कालेजों में प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र दिया ;

(ख) उन में से कितनों को प्रवेश मिला; और

(ग) दिल्ली के कालेजों में प्रवेश पाने की कठिनाइयां दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). सुचना एकत्र की जा रही हैं और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय खान तथा व्यावहारिक भूविज्ञान स्कूल, धनबाद

†*१३५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान स्कूल, धनबाद में पैट्रोल प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए उचित अध्यापक हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यथोचित शिक्षा प्राप्त अध्यापकों का अभाव सरकार को बताया गया है; और

(ग) यदि हां तो, इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). पैट्रोल प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम के प्रथम दो वर्षों की पाठचारिका वैसी ही है जैसी कि खनन और व्यावहारिक भूविज्ञान के पाठ्यक्रमों की है । इस काल में अध्ययन के विषयों के लिए केन्द्र में सन्तोषजनक व्यवस्था है। पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष की पाठचारिका के लिए, जो केवल इसी जुलाई से आरम्भ हुई है, पैट्रोल प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों की आवश्यकता है। अपेक्षित विशेषज्ञ प्राप्त करने के लिए निम्न कार्यवाही की गई है:—

(क) तेल संशोधन क्रिया के एक भारतीय विशेषज्ञ को लैकचरर के पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव दिया गया है तथा संघ लोक सेवा आयोग से यथाशीघ्र एक प्रोफैसर भर्त्ती करने को कहा गया है।

(ख) विदेशी सहायता कार्यक्रमों के अधीन दो विदेशी विशेषज्ञों के लिए प्रार्थनायें की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, आजकल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा अन्य संगठनों में काम कर रहे विशेषज्ञों की सेवायें विशिष्टकाल के लिए संस्था के लिए प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के नियम ४क और ४ख का संशोधन

†*१३६. **श्री ईश्वर अय्यर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचरण) नियमों के नियम ४क और ४ख के पिछले दिनों हुए संशोधनों की दृष्टि से भारत सरकार ने अपने और अपने कर्मचारियों के बीच विवादों को निपटाने के लिए कोई मशीनरी बनाई है; और

(ख) यदि हां तो, वह क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख): केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचरण) नियम, १९५५ के नियम ४क और ४ख में कोई संशोधन नहीं हुआ है। अतः विवादों के निपटारे के लिए बनाई गई मशीनरी के बारे में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली नगर निगम का नया मुख्यालय

†*१३७. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम का नया मुख्यालय रामलीला मैदान के पास बनेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी भूमि और पूंजी की आवश्यकता होगी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि विद्यमान क्वार्टर गिरा दिये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो इसकी तफसील क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय के निर्माण के लिए सर्कुलर रोड और मिन्टोरोड के चौराहे पर १२.५ एकड़ भूमि चुन ली गई है। इमारत की लागत का प्राक्कलन अभी तैयार नहीं हुआ है ।

(ग) तथा (घ). यदि प्रस्तावित भूमि अन्तिम रूप से नगरपालिका निगम को नियत हो जाती है तो रहने के ११६ सरकारी क्वार्टर, ६ नई दिल्ली नगरपालिका की दुकानें और १० सार्वजनिक शौचालय गिरा दिये जायेंगे।

निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

†*१३८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री श्री नारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री पहाड़िया :
श्री सिदय्या :

क्या **शिक्षा** मंत्री २० फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने संबंधी प्रारूप विधान पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से टिप्पण और सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आवश्यक विधान के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या समस्त राज्य सरकारों और संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासनों से प्राक्कलन प्राप्त हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो योजना की वैत्तिक संभावनायें और तफसील क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जम्मू तथा काश्मीर, मैसूर और पश्चिमी बंगाल के टिप्पण व सुझाव अभी नहीं आये हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) नमूना विधान का प्रारूप निश्चित हो गया है और पथप्रदर्शन के लिए राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर, लकादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्विपसमूह से अभी तक प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) तफसील और नैतिक संभावनायें तैयार की जा रही हैं।

योगाभ्यास का अध्ययन

†*१३९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक लाभ के लिए योगाभ्यासों का कोई युक्तियुक्त अध्ययन किया गया है ;

(ख) क्या कोई पाठ्यक्रम तैयार किये गये हैं और निश्चित किये गये हैं; और

(ग) योग विज्ञान का पूरा लाभ उठाने के लिए क्या योजनायें बनाई गई हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड

†*१४०. **श्री बाजपेयी :**
श्री आसर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री साधन गुप्त :
श्री सरजू पाण्डे :

क्या **शिक्षा** मंत्री ७ अप्रैल १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १६९९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले जिस केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड का प्रस्ताव है उसका गठन और कार्य क्या हैं; और

(ख) इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२)**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) बोर्ड का गठन शिक्षा मंत्रालय के १ अगस्त, १९५९ संकल्प संख्या एफ ४४–२८/५८–एच० २ (एस० यू०) से हुआ है।

हिमाचल प्रदेश में प्रशासकीय व्यवस्था का पुनर्गठन

†*१४१. श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री आचर :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३० मार्च १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य–क्षेत्र में प्रशासकीय व्यवस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव निश्चित हो गया है; और

(ख) यदि हां तो क्या यह कार्यान्वित हो गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** (क) प्रस्ताव पर अभी अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली पुलिस का पुनर्गठन

†*१४२. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री राम कृष्ण गप्त :
श्री वारियर :
श्री सरजू पाण्डे :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ अप्रैल १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९५८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के पुलिस विभाग के पुनर्गठन में अब तक और क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : सरकार ने पुलिस पुनर्गठन समिति की सिफारिशों पर विचार किया है तथा आवश्यक समझे गये कर्मचारी की भर्त्ती की स्वीकृति के आदेश दे दिये हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जर्मनी में भारतीय कला प्रदर्शनी

†*१४३. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री वोडयार :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री २१ अप्रैल १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३५४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी में ऐसन में कला प्रदर्शनी में भारत की प्रदर्शनीय वस्तुओं की सूची सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ख) प्रदर्शनी कितने समय तक रही;

(ग) क्या यह सच है कि ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस, इटली, चैकोस्लाविकिया और हालैंड की सरकारों ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि वह ऐसन प्रदर्शनी के समाप्त होने पर प्रदर्शनीय वस्तुओं को उनके देश भेजे; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) ऋण दी गई वस्तुओं की सूची की दो प्रतियां और जर्मन व्यवस्थापकों द्वारा प्रकाशित प्रदर्शनी के सूचीपत्र की एक प्रति संसद् पुस्तकालय भेज दी गई हैं।

(ख) ऐसन प्रदर्शनी १४ मई १९५९ को आरम्भ हुई थी और ३० सितम्बर १९५९ को समाप्त होगी ।

(ग) और (घ). इन देशों तथा योरोप के अन्य देशों की प्रार्थनायें या तो उनकी सरकारों या हमारे राजदूतों या सांस्कृतिक संगठनों से प्राप्त हुई हैं एवं विचाराधीन हैं।

औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल'

†*१४४. श्री दामानी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' संवर्ग के चुने गये २१० उम्मीदवारों को नौकरियां मिल गई हैं;

(ख) यदि हां, तो वे किन किन श्रेणियों में रखे गये हैं; और

(ग) क्या मंत्रालयों की मांग उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या से अधिक रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). संघ लोक सेवा आयोग ने २१२ उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। उनमें से १४५ उम्मीदवारों को निम्न-श्रेणियों में नियुक्ति प्रस्ताव भेजे गये हैं:—

श्रेणी	२	३
श्रेणी	३	६
श्रेणी	४	१६
श्रेणी	५	२९
श्रेणी	६	३५
श्रेणी	७	५४
कनिष्ठ श्रेणी		२
	योग	१४५

(ग) नहीं।

शिक्षण संस्थाओं से अनुदान

†***१४५. श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने इस बारे में उसे परामर्श देने के लिए सुप्रसिद्ध शिक्षा विदों की समिति बनाने का निश्चय किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में आरम्भिक कार्य करने वाली किन शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिया जाये;

(ख) क्या समिति के सदस्यों के बारे में निश्चय हो गया है; और

(ग) इस समिति का कार्य शिक्षा के क्षेत्र में आरम्भिक कार्य व प्रयोग में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा सहायता तथा प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य से किस रूप में भिन्न होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान्।

(ग) समिति का मुख्य कार्य परामर्श देना होगा और उसका संबंध राष्ट्रीय महत्व की अन–विश्वविद्यालय संस्थाओं से होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संबंध परामर्श देने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय–शिक्षा की उन्नति व उसे सूत्रवद्ध करने, विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा तथा गवेषणा के स्तर निर्धारित करने व उन्हें बनाये रखने से है।

बुनियादी शिक्षा साहित्य समिति

†***१४६. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनियादी शिक्षा साहित्य समिति का क्षेत्र व कार्य क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या बुनियादी शिक्षा के लिए पुस्तकें आदि बनाने पर राज्य सरकारों के मत लिये गये थे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) (१) यह एक परामर्शदाता समिति है ।

(२) यह भारत सरकार को निम्न बातों पर परामर्श देगी:—

(१) बुनियादी शिक्षा पर उचित साहित्य तथा सामग्री का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाये ;

(२) बुनियादी शिक्षा पर

(क) विभिन्न स्तरों पर बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों;

(ख) बुनियादी शिक्षा प्रभारी निरीक्षकों तथा अन्य प्रशासकीय पदाधिकारियों;

(ग) बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रयोग के; और

(घ) बुनियादी शिक्षा के भाव का उचित प्रचार करने के लिए किस-किस प्रकार की सामग्री का उत्पादन होना चाहिए;

(३) ऐसी सामग्री कैसे तैयार की जाये, कैसी छापी जाये, कैसे प्रकाशित की जाये और इसे कैसे वितरित किया जाये ।

(३) यह भारत सरकार को बुनियादी शिक्षा के उपयुक्त साहिय के सर्जन संबंधी किसी भी अन्य बात पर परामर्श देगी ।

(ख) हां, जब कभी आवश्यक हो ।

चीन में हवाई अड्डा

†१४७. **श्री पद्म देव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के महासू जिले में चीनी अथवा संगला में एक हवाई अड्डा बनाने की योजना को कार्यान्वित करने के लिये कब कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : फिल्हाल हिमाचल प्रदेश के महासू जिले में चीनी या संगला में, हवाई अड्डा बनाने का कोई सुझाव, सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

"इलैक्ट्रो लॉगिंग"[1]

†१४८. **श्री हेम राज** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होशियारपुर जिला में बथूला में और कांगड़ा जिला में ज्वालामुखी तेल छिद्रण स्थानों पर कोई "इलैक्ट्रो लागिंग" प्रयोग किये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Electro-logging

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान्। दोनों कुओं में "इलैक्ट्रो-लॉग" लगा दिये गये हैं।

(ख) ज्वालामुखी के कुआं न० १ में "इलैक्ट्रो-लॉगों" पर बहुत सी झरझरी पड़तों के, जिनमें तेलाव गैस होने की संभावना है, चिन्ह आये। कुआ परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। होशियारपुर में "इलैक्ट्रो-लॉगों" से केवल सामान्य रूप में उत्साहवर्धक पड़तों का पता लगा है। कुएं की परीक्षा हो रही है।

दिल्ली के अध्यापक

†**१४९. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का दिल्ली राज्य के स्कूलों और कालेजों के अध्यापकों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं के ही छात्रों की ट्यूशन करने की प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध किस तारीख से लगाया जायेगा?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

जीवन बीमा निगम

†*१५०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जीवन-बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए निश्शुल्क बीमा योजना समाप्त करने और नकद बोनस योजना लागू करने का निश्चय किर लिया है;

(ख) यदि हां तो, इसके क्या कारण हैं; **और**

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) से (ग). जीवन बीमा निगम की सिफारिशों पर सरकार ने ५०० रु० से कम प्रति मास मूल वेतन पाने वाले निगम के देखभाल करने वाले कर्मचारियों, क्लर्कों और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को लाभांश बोनस के अतिरिक्त नकद बोनस के भुगतान पर से प्रतिबन्ध हटा लिया। जीवन बीमा निगम ने कर्मचारियों से करार किया है कि वह निश्शुल्क बीमा योजना के बदले वार्षिक बोनस के रूप में १½ मास का मूल वेतन उपरोक्त कर्मचारियों को पांच वर्ष तक अर्थात् १९५७ से १९६१ तक दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अवधि बीमा योजना[१] की सुविधा देने का निश्चय किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Term Assurance Scheme.

जीवन बीमा निगम की कार्यवाही के निम्न कारण थे :

(१) अब तक अधिकतर बीमा समवायों की एकसी पद्धति का जारी रहना;

(२) नकद बोनस के बदले निश्शुल्क बीमा योजना का कर्मचारियों द्वारा विरोध;

(३) नकद बोनस के भुगतान पर उनका आग्रह; और

(४) निगम के सुचारू रूप में कार्य करते रहने के लिए कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाये रखने की आवश्यकता।

शिक्षा के स्तर में गिरावट

†*१५१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के सुझावानुसार उसकी योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की शिक्षा तथा सामान्य ज्ञान के स्तरों पर शिक्षा मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया गया है एवं परिणाम निकाले गये है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). इस मामले पर शिक्षा मंत्रालय के साथ विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में केन्द्रीय बुनियादी स्कूल

†*१५२. { **श्री रा० चं० माझी** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री ७ अप्रैल १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १६९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में एक केन्द्रीय बुनियादी स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर निश्चय हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए जगह चुन ली गई है;

(ग) क्या इसकी योजना और प्राक्कलन तैयार हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्कूल खोलने का प्राक्कलित व्यय कितना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी विश्वकोष

†*१५३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री २५ फरवरी १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काशी नागरी प्रचारिणी सभा के हिन्दी विश्वकोष के संकलन व प्रकाशन में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में और कितनी सहायता दी है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है:

विवरण

(क) २५ फरवरी १९५९ को तारांकित प्रश्न संख्या ६५१ का उत्तर देने के पश्चात् नागरी प्रचारिणी सभा ने कार्य में और आगे प्रगति की है। फरवरी १९५९ और जून १९५९ के बीच इसे शेष १०१४ लेखों में से ९४५ लेख प्राप्त हुए हैं और प्रथम खंड में इनके सम्मिलित होने की संभावना है। अब तक प्राप्त लेखों का अनुवाद (आवश्यकतानुसार) और सम्पादन हो रहा है। लगभग ३५९ लेखों का अन्तिम सम्पादन हो गया है और छपने के लिए प्रेस भेज दिये गये हैं। आशा है कि प्रथम खंड शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

(ख) शून्य।

विश्वविद्यालयों में हॉबी वर्कशॉप[1]

†*१५४. **श्री वाजपेयी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालयों और कालिजों में 'हाबी वर्कशाप' खोलने का प्रस्ताव है, और

(ख) इसकी कार्यान्विति के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) विश्वविद्यालयों और कालिजों में 'हॉबी वर्कशाप' खोलने का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रस्ताव है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निश्चय किया है कि पहिले निम्न ११ विश्वविद्यालयों में योजना का प्रयोग किया जाये :

(१) अलीगढ़
(२) बड़ौदा
(३) कलकत्ता
(४) पूना
(५) दिल्ली

---

†मूल अंग्रेजी में

1. Hobby Workshops in Universities.

(६) मद्रास

(७) नागपुर

(८) सागर

(९) श्री वेंकटेश्वर

(१०) विश्वभारती

(११) रुड़की ।

अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्न विश्वविद्यालयों की योजनायें स्वीकार की हैं तथा प्रत्येक को निम्न अनुदान दिया है:

१. अलीगढ़	८,०००
२. मद्रास	८,०००
३. नागपुर	१६,०००
४. पूना	८,०००
५. सागर	४२,०००
६. श्री वेंकटेश्वर	२०,०००

२. आयोग ने यह भी निश्चय किया है कि आरम्भ में योजना की परीक्षा चुने १०० कालिजों में की जाये । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों से उन कालिजों के नाम मांगे है जो योजना लागू करना चाहते हैं। कालिजों का अन्तिम चुनाव आयोग विश्व-विद्यालयों की सिफारिशों के आधार पर करेगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना

†**१५९. श्री राम कृष्ण गप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) अभी तक प्रत्येक राज्य में कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ग) १९५९-६० में कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) हिन्दी पढ़ाने की योजना पूर्ववत चालू रखी गयी। इस बीच ५३ केन्द्रों में ८१० कक्षाएं खोली गईं।

(ख) एक विवरण संलग्न किया जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३३]**

(ग) इस समय ९९०३ कर्मचारी प्रशिक्षण पा रहे हैं। अगस्त १९५९ में १०,००० कर्मचारियों के सम्मिलित होने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में आय-कर के अनिर्णीत मामले

†**१६०. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में आय-कर के कितने मामले एक वर्ष से अधिक अवधि से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) आय-कर अधिकारियों द्वारा निर्णीत मामलों के विरुद्ध कितनी अपीलें एक वर्ष से अधिक अवधि से अनिर्णीत पड़ी हैं?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) १५,३८० (१ जुलाई, १९५९ को)।

(ख) ८५४ (१ जुलाई, १९५९ को)

पंजाब में खुदाई

†**१६१. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में १९५८–५९ में कहीं पर खुदाई की गयी थी; और

(ख) यदि हाँ तो उसका क्या परिणाम रहा?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में भू-राजस्व की वसूली

†**१६२. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में भू-राजस्व की कुल कितनी वार्षिक राशि है; और

(ख) भूमि सुधारों के पश्चात् प्रति वर्ष कितना भू-राजस्व वसूल होने की आशा की जाती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) १९५८–५९ में १७,९८,१४१.८६ रुपये के भू-राजस्व की मांग थी।

(ख) भूमि सुधारों के उपरान्त भी इस राशि में कोई विशेष वृद्धि होने की आशा नहीं है।

राष्ट्रीय अनशासन योजना

†**१६३. श्री दी० च० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी—जून, १९५९ के दौरान में प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितने बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जून १९५९ में इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या :

दिल्ली	१८,२०८
पंजाब	८२,२०८
मध्य प्रदेश	१,६३०
उत्तर प्रदेश	७,३५२
बम्बई	१,०८,९३०
जम्मू और काश्मीर	१३, ०७६
पश्चिमी बंगाल	२४,३९६
कुल	२,५५,८००

(ख) ३,६२,०००

(ग)

दिल्ली	१९
पंजाब	१३६
मध्य प्रदेश	३
उत्तर प्रदेश	१६
बम्बई	२३९
जम्मू और काश्मीर	२०
पश्चिमी बंगाल	५५
कुल	४८८

टिप्पण : उपर्युक्त आंकड़े उन विद्यार्थियों के हैं जिनको केन्द्रीय सरकार के पी० टी० यों० द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बम्बई और पंजाब राज्यों में शिक्षा मंत्रालय के सामान्य अधीक्षण में इस योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का अपना प्रबन्ध भी है।

विदेशी खान मालिक

†१६४. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २ अप्रैल, १९५९ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या २६४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतवर्ष में कितने विदेशी खान-मालिक हैं उनको विभिन्न राज्यों में (राज्यवार) कौन कौन से खान-क्षेत्र पट्टे पर दिये हुए हैं ;

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) विदेशी खान-मालिक और उनके अधीन खान-क्षेत्र कुल खान-मालिकों और खान-क्षेत्र का कितने प्रतिशत हैं; और

(ग) विदेशी खान मालिकों के पट्टों की अवधि, कब समाप्त होगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) तथा (ग). अभी कई राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है। जैसे ही पूरी सूचना मिल जायेगी संकलन के पश्चात् उसको लोक-सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) इस काम के लिये जितना परिश्रम उठाना पड़ेगा वह इससे होने वाले जनहित के अनुरूप नहीं होगा।

बम्बई में प्राचीन स्मारक

†१६५. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में बम्बई राज्य में केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन प्रत्येक प्राचीन स्मारक के सुधार तथा संरक्षण पर कितना रुपया व्यय किया गया है और इस काम के लिये १९५९–६० के लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी है।

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : एक विवरण संलग्न किया जाता है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३४**].

चित्तौड़गढ़ का किला

†१६६. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ के दौरान में चितौड़गढ़ के किले की देखरेख पर कितना रुपया खर्च किया गया है; और

(ख) १९५९–६० में इस पर कितना रुपया व्यय करने का प्रस्ताव है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) ५२,२९१ रुपये।

(ख) ५३,२०० रुपये।

मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विसेज

१६७. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विसेज का पुनर्गठन करने का सरकार का विचार है; और

(ख) उपरोक्त प्रस्थापना की क्या रूपरेखा है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(१) प्रमुख अभियन्ता (इंजीनियर इन चीफ) और सैनिक अभियान्त्रिक सेवादल (मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज) के कर्मशाला संचालनालय (वर्क्स डाईरेक्टोरेट) महाभक्तयात्रिक (क्वार्टर-मास्टर जनरल) के अधीन होंगे ।

(२) अपनी-अपनी कर्मशालाओं की देखभाल के लिये, नौसेना और वायुसेना के लिये अलग-अलग कर्मशाला संचालक (वर्क्स डाईरेक्टर) होंगे । नौसेना में मुख्याभियन्ता (चीफ इंजीनियर) और कर्मशाला अध्यक्ष (डाईरेक्टर आफ वर्क्स) के काम का निष्पादन एक ही अधीकारी करेगा ।

(३) कर्मशाला महासंचालक (डाईरेक्टर जनरल आफ वर्क्स) के एक नये पद का निर्माण किया जायेगा । यह आफिसर पुनर्संघटित कर्मशालाओं का तक्नीकी अध्यक्ष होगा और सीधे महाभक्तयात्रिक (क्वार्टर मास्टर जनरल) के अधीन रह, तीनों सेवाओं के सम्बन्ध रखने वाले कार्यों के बारे में उसके तक्नीकी सलाहकार के तौर पर काम करेगा ।

(४) कमान मुख्य कार्यालयों, क्षेत्रों, उपक्षेत्रों और स्टेशनों के संघटन उसी तरह रहेंगे, जैसे हैं ।

(५) प्रमुख अभियन्ता (इंजीनियर इन चीफ) अभियान्त्रिक निकाय (कोर आफ इंजीनियर्स) का अध्यक्ष रहेगा, और तीनों बलाधिकरणिकों (चीफस् आफ स्टाफ) के लिये उच्चाभियान्त्रिक सलाहकार (सीनियर इंजीनियर एड्वाईजर) होगा ।

(६) इस पुनर्संघटन में किसी प्रकार का अतिरिक्त खर्च नहीं होगा ।

उड़ीसा में तम्बाकू की खेती

†१६८. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में १९५८–५९ में कुल कितने क्षेत्र में तम्बाकू की खेती की गयी ; और

(ख) इससे आबकारी शुल्क के रूप में कितनी आय हुई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :(क) ४,२२३ एकड़ ।

(ख)

(१)	६,००,००० रुपये	(प्रत्याशित बुनियादी केन्द्रीय आबकारी शुल्क)
(२)	३८,००० रुपये	(अतिरिक्त आबकारी शुल्क) (विशेष महत्व की वस्तुयें) अधिनियम, १९५७ के अधीन अतिरिक्त प्रत्याशित आबकारी शुल्क)
कुल	६,३८,००० रुपये	

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात इंजीनियरों का प्रशिक्षण

†१६९. श्री दामानी :
श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मोरारका :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कम्पनी अपने इंजीनियरों को आगे प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का विस्तृत विवरण;

(ग) इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिये पहले कितने इंजीनियरों को विदेशों में भेजा जा चुका है और उनमें से कितने लोग प्रशिक्षण में सफल होकर भारतवर्ष लौट चुके हैं;

(घ) इस्पात कारखानों में कितने विदेशी शिल्पिक काम कर रहे हैं; और

(ङ) इन में से कितने ठेके पर आये हैं और कितने स्थायी हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को इस्पात के तीनों कारखानों के लिये लगभग २,००० इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना है। इनमें से अधिकतर इंजीनियरों को रूस, बरतानिया, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा और आस्ट्रेलिया के इस्पात के कारखानों में प्रशिक्षण देना है। कुछ लोगों को हम अपने यहां के इस्पात कारखानों में प्रशिक्षण देंगे। बरतानिया, कनाडा और आस्ट्रेलिया में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण सुविधाओं का बन्दोबस्त किया जा रहा है। अमेरिका में फोर्ड फाउंडेशन और शिल्पिक सहकारिता मिशन (टी० सी० एम०) प्रशिक्षण का खर्च दे रहे हैं। रूस की सरकार को भारत की सरकार के साथ हुए एक करार के अनुसार प्रशिक्षण का व्यय १२ किस्तों में चुकाना होगा।

(ग) विदेशों में प्रशिक्षण के लिये ९२३ इंजीनियर भेजे गये हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :

रूस	३११
अमेरिका	२९९
ब्रिटेन	१५१
पश्चिमी जर्मनी	१०९
कनाडा	१
आस्ट्रेलिया	५२
कुल	९२३

इनमें से ६३६ इंजीनियर अपना प्रशिक्षण पूरा करके भारतवर्ष लौट आये हैं।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) २,३८२। इसमें निर्माण कामों पर लगे हुए लोग भी शामिल हैं।

(ङ) सभी विदेशी विशेषज्ञों को ठेके पर नियुक्त किया जाता है। उन में से कोई भी स्थायी नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

†१७१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में और १९५९ में (३० जून तक) केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचरण) नियमों के नियम ४क तथा ४ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के द्वितीय, तृतीय तथा चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारियों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है; और

(ख) उन पर किस किस्म की कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में भूमिहीन झूमिया

†१७२. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अब तक कितने भूमिहीन आदिमजाति झूमियों ने पुनर्वास सहायता मांगी है;

(ख) कितने झूमियों को पूरी पुनर्वास सहायता दी गयी है;

(ग) कितने झूमियों को आंशिक पुनर्वास सहायता दी गयी है; और

(घ) कितने ऐसे झुमिया हैं जिन्होंने सहायता के लिये आवेदनपत्र देने के बाद भूमि जोत ली थी किन्तु जिन को कोई पुनर्वास सहायता नहीं दी गयी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में झूमिया बस्तियों में क्वार्टर

†१७३. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की निम्नलिखित झूमिया बस्तियों से कितने लोग भाग गये हैं ;

(१) बंका राय झूमिया कालोनी, अमरपुर,

(२) कथालिया छेरा झूमिया कालोनी, बेलोरिया,

(३) विश्रामगंज झूमिया कालोनी, सदर; और

(४) कर्म छेरा जूमिया कालोनी, केलाशाह

(ख) उनके भागने के कारण; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस प्रकार की वारदातों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में जूनियर बेसिक स्कूल

†१७४. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री रामम् :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने जूनियर बेसिक स्कूल हैं;

(ख) इनमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं;

(ग) इन में कितने अध्यापक हैं;

(घ) इनमें कितने अध्यापक स्थायी हैं; और

(ङ) शेष अध्यापकों को जिन्होंने ३ वर्ष से अधिक सेवावधि पूरी कर ली है स्थायी बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) २५३ जनियर बेसिक स्कूल और ५३ सीनियर बेसिक स्कूल ।

(ख) ४१,४७१ ।

(ग) १,३२२ ।

(घ) ६३५ ।

(ङ) ये स्कूल दिल्ली नगर निगम के अधीन हैं । निगम तीन वर्ष से अधिक सेवावधि वाले अध्यापकों को स्थायी बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

दिल्ली में बेसिक स्कूल

†१७५. **श्री रामम् :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गैर-बेसिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में बदला जा रहा है;

(ख) यदि हां तो १९५९–६० में ऐसे कितने स्कूलों को बदला जायेगा;

(ग) क्या इन स्कूलों के अध्यापकों को बेसिक स्कूलों में पढ़ाने के लिये समुचित प्रशिक्षण दिया जायेगा;

(घ) अभी तक ऐसे स्कूलों से कितने अध्यापकों को बेसिक ट्रेनिंग के लिये भेजा गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) इन लोगों को किन स्थानों पर भेजा गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) ७० ।

(ग) जी हां ।

(घ) २३० ।

(ङ) टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट दरियागंज, दिल्ली ।

आरक्षी आवास योजना

†१७६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ के दौरान में राज्य सरकारों को (प्रत्येक राज्यवार) आरक्षी आवास योजनाओं के लिये कुल कितने ऋण दिये गये हैं; और

(ख) १९५९–६० के दौरान में कुल कितने ऋण दिये जायेंगे (प्रत्येक राज्यवार) ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) अपेक्षित सूचना सम्बन्धी एक विवरण संलग्न किया जाता । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३५]**

(ख) विषय अभी विचाराधीन है ।

विश्वविद्यालयों के छात्रों की रहन सहन की दशा

†१७७. **श्री रा० चं० माझी** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० च० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री २० फरवरी, १९५९ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ और केरल के विश्वविद्यालयों में छात्रों की रहन सहन की दशाओं की जांच करने के लिये जो परीक्षणात्मक सर्वेक्षण किया जा रहा था वह पूरा हो चुका है; और

(ख) क्या उस की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). जी हां ।

विदशों में अध्ययन के लिय छात्रवृत्तियां

†१७८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले आठ वर्षों में भारत सरकार ने विदेशों में अध्ययन के लिये कितने विद्यार्थियों को छात्रवृतियां दी हैं;

---

†भूल अंग्रेजी में

(ख) क्या छात्रवृत्तियां लेने वाले विद्यार्थियों से कोई बांड लिखवाया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या; और

(घ) कितने छात्र इस बांड की शर्तों को पूरा करने में असफल रहे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ४६ ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक विवरण संलग्न किया जाता है **(देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६)** ।

(घ) केवल एक । उस पर खर्च किया गया सारा धन वसूल कर लिया गया है ।

पंजाब में त्रिवार्षिक डिग्री कोर्स

†**१७९. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय में त्रिवार्षिक डिग्री कोर्स चालू किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब से लागू की जायेगी और इस के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितन अनुदान स्वीकृत किये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां ।

(ख) पंजाब विश्वविद्यालय ने इस योजना को १९६१–६२ के शिक्षाध्यन वर्ष से आरम्भ करने का निश्चय किया है । पंजाब विश्वविद्यालय के कालेजों की आवश्यकता का पता लगाने के बाद जब पंजाब सरकार उसमें से आधा व्यय पूरा करने के लिये सहमत हो जायेगी तभी केन्द्रीय सरकार अपने अनुदान स्वीकृत करेगी ।

पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले लोगों के दावे

†**१८०. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री ७ मई, १९५९ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २२७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार से प्रमाणित प्रति मिल चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों के दावों की जांच करने के लिये एक प्रशासकीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने का प्रश्न किस स्तर पर है जो कि पहले पाकिस्तान चले गये थे किन्तु बाद में वहां से प्रव्रजन कर के भारत लौट आये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) सरकार का यह विचार है कि ऐसे मामलों का निबटारा करने के लिये वर्तमान मशीनरी पर्याप्त है और इस के लिये एक पृथक न्यायाधिकरण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी

†१८१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो १९५६–५७ से १९५८–५९ के बीच शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी व्यय पर विदेशों में अध्ययन के लिये गये थे अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद भारत नहीं लौटे हैं।

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से अनेक लोगों ने वहीं पर विवाह कर लिया है और वहीं बस गये हैं।

(ग) यदि हां तो प्रत्येक देश में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ग). जी नहीं।

(ग) और (ड़). प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते।

भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय, लन्दन

†१८२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री शिवनंजप्पा :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय के काम का मितव्ययता तथा कार्य-कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से जो जांच की जानी थी वह पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गयी हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). यह रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जायेगी। अभी यह तथ्यों की अन्तिम सत्यापना के लिये उच्चायुक्त के पास भेजी गयी है।

सीमाशुल्क प्रक्रिया और संगठन सम्बन्धी समिति

†१८३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री २५ फरवरी, १९५९ के दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८७१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा शुल्क प्रक्रिया तथा संगठन संबंधी समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निश्चय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). रिपोर्ट पर विचार पूरा होने वाला है। उसको शीघ्र ही लोक सभा के पटल पर रखने की तैयारी की जा रही है। जिन निश्चयों को सरकार संशोधित अथवा वैसे ही रूप मे स्वीकार करना चाहती है उनको शीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

आय-कर प्राप्तियों का लेखा परीक्षण

†१८४. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या वित मंत्री २५ फरवरी, १९५९ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर प्राप्तियों के लेखा परीक्षण के कार्य को नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सौंपने की प्रक्रिया तथा विस्तृत बातों पर विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) उसके बाद इस काम को नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सौंपने के बारे में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षा वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस संबंध में प्रक्रिया नियम बना रहे हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

समाज कल्याण परियोजनाओं सम्बन्धी टीम की रिपोर्ट

†१८५ श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री संगण्णा :
श्री सूरकार :
श्री पहाड़िया :

क्या वित्त मंत्री ११ अप्रैल, १९५९ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १७८१ के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिये चालू समाज कल्याण परियोजनाओं को मूल्यांकन करने वाली टीम की रिपोर्ट मिल गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें, और

(ग) सरकार ने इस पर क्या निश्चय किया है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) यह रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है, इसकी प्रतियां उपलब्ध होने पर इसको लोक सभा के सदस्यों में परिचालित कर दिया जायेगा ।

(ग) इस टीम की सिफारिशों संबंधी अधिकारियों के पास भेज दी गई हैं। अब उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है। जैसे ही उनके सुझाव आ जायेंगे तभी जिन सिफारिशों पर सह-

†मूल अंग्रेजी में

मति होगी उनको क्रियान्वित करने के लिये और जहां पर मतभेद होगा उन पर उन मंत्रालयों और विभागों के साथ जो कि रिपोर्ट में वर्णित विषयों से डील कर रहे हैं मिलकर परामर्श करने के लिये प्रबन्ध किया जायेगा ।

इंडिया सिक्यूरिटी प्रैस, नासिक

†१८६. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडिया सिक्यूरिटी प्रैस नासिक के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों और वहां पर श्रमिक बस्ती बनाने का काम अभी तक नहीं प्रारम्भ हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कार्य को द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में ही समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). इन क्वार्टरों के निर्माण का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है चूंकि अभी इनके अनुमान नहीं तैयार हुए हैं। इसके लिये पहले जो अनुमान तैयार किये गये थे वह बड़े साधारण प्रकार के थे । अब कर्मचारी यूनियन ने उनमें कुछ ऐसी सुविधायें देने के लिये कहा है जो प्रायः ऐसे लोगों के क्वार्टरों में नहीं दी जातीं । यूनियन की इस सिफारिश के प्रकाश में पहले अनुमानों पर फिर से विचार किया जा रहा है। इस काम को द्वितीय योजना की अवधि में ही समाप्त करने के लिये हम प्रत्येक सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं ।

केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति

†१८७. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दो० चं० शर्मा :
श्री सरजू पांडे :

क्या गृह-कार्य मंत्री ७ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२८४ के उत्तर के सम्बन्ध में में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति स्थापित करने का प्रश्न इस समय किस स्थिति में है; और

(ख) इस समिति के मुख्य रूप से क्या क्या कार्य होंगे ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). राज्य सरकारों के परामर्श से उस समिति की रचना तथा कार्यों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में जल-संभरण

†१८८. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री १८ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी की जल संभरण तथा जल निस्सारण सम्बन्धी समस्याओं को शीघ्रता से हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार, पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों तथा दिल्ली के मेयर की एक विशेष समिति बनाने के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से क्या निर्णय किया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य- मंत्री (श्री दातार): एक समन्वय समिति स्थापित करने का निर्णय किया गया है जिसमें गृह-कार्य मंत्रालय के सचिव (आयोजक के रूप में), निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सचिव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तथा पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे और उन्हें आवश्यकतानुसार समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जाया करेगा।

भारतीय विमान बल के विमानों के साथ दुर्घटनायें

†१८९. { श्री वाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री गोरे :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री साधन गुप्त :
श्री खुशवक्त राय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमान बल के विमानों के साथ १३, २४, २७ और ३० मई, १९५९ को क्रमशः दिल्ली, जोरहाट, जोधपुर तथा मिदनापुर के निकट चार दुर्घटनायें हुई थीं ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनाओं के ब्योरे क्या हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या उनके कारणों को खोज करने के लिये कोई जांच प्रारम्भ की गयी थीं ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) उन दुर्घटनाओं में ग्रस्त होने वाले व्यक्तियों के परिवारों को प्रतिकर अदा करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां, सिवाय दिल्ली के निकट होने वाली दुर्घटना के, जो कि १३ तारीख को नहीं अपितु १४ तारीख को हुई थी ।

(ख) से (घ). (१) १४-५-५९ को दिल्ली के निकट होने वाली दुर्घटना : यह दुर्घटना एक प्रशिक्षक-विमान के साथ हुई थी । उसका कारण यह था कि उसका इंजन खराब हो गया था । इसमें दो विमान बल प्राधिकारी छतरियों के द्वारा नीचे उतर आये, परन्तु जहाज नष्ट भ्रष्ट हो गया । इस के बारे में एक जांच न्यायालय स्थापित किया गया है, परन्तु उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है ।

(२) २४-५-५९ को जोरहाट के निकट होने वाली दुर्घटना :

यह दुर्घटना एक परिवहन विमान के साथ उस समय हुई जबकि वह सामान पहुंचाने के बाद वापिस लौट रहा था । जहाज में आठ व्यक्ति थे । दुर्घटना की जांच करने के लिये एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया था । उसने यह निर्णय दिया है कि दुर्घटना का कारण यह था कि जहाज के पंख (विंग्ज़) खराब हो गये थे । न्यायालय का यह भी अनुमान है कि जहाज के आठों व्यक्ति मर गये होंगे ।

(३) २७-५-५९ को जोधपुर के निकट होने वाली दुर्घटना :

यह दुर्घटना एक बमवर्षक विमान के साथ हुई थी जब कि वह प्रशिक्षण के लिये उड़ रहा था । उसमें पाइलट और नेवीगेटर दोनों मारे गये । विमान पूर्ण रूपेण नष्ट भ्रष्ट हो गया । एक जांच न्यायालय स्थापित किया गया है जिसकी कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है ।

(४) ३०-५-५९ को मिदनापुर के निकट होने वाली दुर्घटना :

यह दुर्घटना तारयोधक विमान के साथ हुई थी जब कि वह प्रशिक्षण के लिये उड़ रहा था । उसमें केवल मात्र एक चालक था, और वह मारा गया । विमान पूर्ण रूपेण नष्ट भ्रष्ट हो गया उसकी जांच के लिये एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया था । उसने यह निर्णय दिया है कि चालक विमान को काबू में न रख सका ।

(ङ) एक विवरण संलग्न है । (देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७).

शिक्षकों के शिक्षा सम्बन्धी दौरे

†१९०. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री बै० च० मलिक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६० में विभिन्न राज्यों के शिक्षकों के शिक्षा संबंधी दौरों के सम्बन्ध में सुझाव मांगे गये थे और वे प्राप्त हो गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) किस प्रकार के और कितने दौरों के लिये स्वीकृति दी गयी और उनके लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। (देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८).

भारतीय विद्यार्थियों को इटली सरकार द्वारा छात्रवृत्तियाँ

†१९१. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इटली सरकार की ओर से १९५९–६० में किन किन विषयों में स्नातकोत्तर गवेषणा करने के लिये भारतीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव किया गया है ;

(ख) इस प्रस्ताव की क्या क्या शर्तें और निबन्धन हैं ;

(ग) क्या इन छात्रवृतियों के लिये आवेदन पत्र मांगे गये हैं और इन पर विचार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अभी तक कितने छात्रों को वहां भेजा जा चुका है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) . (क) पेंटिंग, कला कृत्तियां, संगीत, पुरातत्व विद्या, भाषा तथा साहित्य, चलचित्र निर्देशन, अर्थ-शास्त्र, तथा वाणिज्य, भवन संरचना परिक्षण, उष्ण प्रदेशों में कृषि, भूमि सुधार, चावल की खेती, नगर आयोजन, कृषि इंजीनियरिंग, एलेक्ट्रानिक्स, भूतत्व विज्ञान तथा खनन विज्ञान, औद्योगिक रसायनिक शास्त्र, वस्त्र उद्योग, भूमि छेदन प्रविधि, रेल परिवहन, मोटर परिवहन, औद्योगिक चिकित्सा तथा आरोग्य शास्त्र ।

(ख). प्रत्येक छात्रवृत्ति आठ महीनों के लिये होगी और वह ६०,००० लायर (लगभग ४५०·०० रुपये) प्रति मास होगी । इसके अतिरिक्त उन्हें शिक्षा शुल्क से भी मुक्त किया जायेगा और 'लॉयड ट्रीस्टाइन' जहाजों पर दोनों तरफ के किराये पर ७० प्रति शत डिस्काउंट दिया जायेगा । उसके लिये विद्यार्थियों के पास किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा उसी के बराबर अर्हता का होना एक आवश्यक शर्त है ।

(ग) जी हां, परन्तु अभी तक छात्रवृत्तियां दी नहीं गयी हैं ।

(घ) अभी तक किसी को नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत से बाहर काम कर रहे सैनिक कर्मचारी

†१९२. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी सेना के किस किस कोटि और कितने सैनिक कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रीय आभारों के अधीन भारत से बाहिर काम कर रहे हैं ;

(ख) भारत को इन पर कितना अतिरिक्त वार्षिक खर्च करना पड़ता है ; और

(ग) भारत द्वारा किये जा रहे इस खर्च का कितना अंश किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण अथवा किसी अन्य देश द्वारा वहन किया जायेगा ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। (देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९).

बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती स्मारक

†१९३. श्री दो० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १० मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के स्मारक के स्थान के आस पास एक उद्यान लगाने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): उसके बाद केवल इतनी ही प्रगति हुई है कि एक सम्प-कम-पम्प हाउस का निर्माण पूरा कर दिया गया है तथा बिना साफ किये हुए पानी के और अधिक नल लगा दिये गये हैं।

इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले

†१९४. श्री दो० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले के लिये परीक्षा लेने के लिये अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद स्थापित करने सम्बन्धी सुझाव के बारे में सभी राज्यों से उत्तर आ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों ने उसे स्वीकार कर लिया है ;

(ग) किन किन राज्यों ने उस सुझाव को स्वीकार नहीं किया है और उसके क्या क्या कारण हैं ; और

(घ) भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से क्या निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) १० राज्यों से उत्तर आ गये हैं ।

(ख) किसी भी राज्य ने इसे स्वीकार नहीं किया है ।

(ग) निम्नलिखित विवरण में बताया गया है कि किन किन राज्यों ने उसे अस्वीकार किया है और उस के क्या क्या कारण हैं :

(१) आन्ध्र प्रदेश —

प्रवेश प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यार्थियों की सफलता तो उन द्वारा पास की गयी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों से ही ज्ञात हो जायेगा । प्रवेश के लिये एक और परीक्षा लेने से व्यर्थ में समय नष्ट होगा और उससे कुछ भ्रान्ति भी उत्पन्न हो जाने का डर है ।

(२) बम्बई—

इस सरकार द्वारा सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिये जो तरीका अपनाया जा रहा है, वह पूर्ण तथा संतोषजनक है ।

(३) आसाम

प्रवेश परीक्षा के द्वारा विद्यार्थियों को चुनने का वर्तमान तरीका संतोषजनक ढंग से चल रहा है ।

(४) पश्चिमी बंगाल—

इंजीनियरिंग तथा औद्योगिकीय संस्थाओं में दाखिले के लिये चुनाव करने का काम सम्बन्धित संस्थाओं पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये ।

(५) मद्रास—

कोई अखिल भारतीय योजना प्रारम्भ करने से पहले यही अच्छा है कि मद्रास के समान प्रत्येक राज्य में अपने विद्यार्थियों के चुनाव के लिये कोई बेहतर उपाय अपनाया जाये ।

(६) मैसूर—

इंजीनियरिंग कालेजों तथा प्रविधिक संस्थाओं में विद्यार्थियों के दाखिले के लिये कोई परीक्षा नहीं ली जाती । उनका दाखिला इन्टर परीक्षा के परिणाम पर निर्भर करता है ।

(७) उड़ीसा—

राज्य में केवल एक ही इंजीनियरिंग कालेज है और वह उत्कल यूनिवर्सिटी के अधीन है जो यह नहीं चाहती कि उसके लिये कोई परीक्षा ली जाये । उसके अनुसार प्रवेश के लिये इन्टर सांइस परीक्षा पास करना ही एक मात्र आधार है ।

(८) पंजाब—

इस समय पंजाब विश्वविद्यालय के परिणाम के आधार पर दाखिला दिया जाता है और यह उपाय संतोषजनक है । इंजीनियरिंग कालिजों में दाखिले के लिये विश्वविद्यालय के परिणाम विश्वस्त आधार हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(९) राजस्थान--

कोई कारण नहीं बताया गया ।

(१०) उत्तर प्रदेश--

राज्य सरकार प्रवेश के वर्तमान तरीके से संतुष्ठ है ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

अखिल भारतीय आरम्भिक शिक्षा परिषद्

†१९५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आरम्भिक शिक्षा परिषद की हाल ही में नई दिल्ली में जो बैठक हुई थी, उसमें क्या क्या निर्णय किये गये थे, संकल्प पारित किये गये थे तथा सिफारिशें की गयी थीं; और

(ख) उन निर्णयों, संकल्पों तथा सिफारिशों को कार्यान्वित के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । (देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०).

कैम्बे तथा बड़ौदा में तेल

†१९६. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त : :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम राज :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री तंगामणि :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री सूपकार :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या इस्पात, खान और तैल मंत्री १२ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैम्बे तथा बड़ौदा के समीप अभी तक खोदे गये तेल के कुओं की मिट्टी की विभिन्न तहों का परीक्षण करने और अभी तक पाये गये तेल तथा गैस की मात्रा का अनुमान लगाने के काम में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या वह मात्रा वाणिज्यिक दृष्टि से तेल व गैस निकालने की दृष्टि से पर्याप्त है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) परियोजना पर अभी तक कितना धन खर्च किया जा चुका है और उसमें कौन कौन देश सहयोग दे रहा है ?

†खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क). २१९० मीटर की गहराई तक भू छेदन करने के बाद जमीन की उन तहों में छेद किये गये जिन से तेल प्राप्त होने की आशा थी और फिर व्यवस्थित उत्पादन परीक्षण किये गये। वे परीक्षण ८ मार्च, १९५९ को स्थगित कर दिये गये ।

कैम्बे कूप संख्या २

कैम्बे में दूसरा कुंआ २० अप्रैल, १९५९ को खोदना प्रारम्भ किया गया था और ९ जुलाई तक २१४६ मीटर की गहराई तक खोदा जा चुका था। शीघ्र ही उत्पादन परीक्षण प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ।

बड़ौदा :

बड़ौदा में छेद संख्या १०, ११, १३ और १५ में उत्पादन परीक्षण किये गये हैं ;

(ख) कैम्बे अथवा बड़ौदा क्षेत्रों को तेल अथवा गैस की मात्रा के सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी अनुमान नहीं लगाया गया है । वाणिज्यिक दृष्टि से अनुमान लगाने के लिये कई और कुंएं खोदने पड़ेंगे और वहां से आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे ।

(ग) यह परियोजना तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आरम्भ की गयी है और उसे चलाने के लिये कुछ एक रूसी विशेषज्ञ को काम पर लगाया हुआ है । उस पर अभी तक किये गये खर्च के बारे में आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं ।

भ्रष्टाचार के मामले

†१९७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में केन्द्रीय सरकारी दफ्तरों में होने वाले भ्रष्टाचार के कितने मामले पकड़े गये हैं ;

(ख) कितने मामलों के विरुद्ध न्यायालयों में अभियोग चलाये गये हैं और कितनों के बारे में विभागीय जांच की गयी है ;

(ग) कितने अधिकारियों के विरुद्ध वे मामले चल रहे हैं और वे अधिकारी किस किस कोटि के हैं ; और

(घ) कितने मामलों के बारे में फैसला हो गया है और कितने कर्मचारियों को दण्ड दिया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। जिसमें बताया गया है कि १ जनवरी से ३० जून, १९५९ तक की अवधि में विशेष पुलिस संस्थान द्वारा कितने मामले पकड़े गये थे। (देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१). विशेष पुलिस संस्थान के बिना पकड़े गये मामलों के सम्बन्ध में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में कारागार

†१९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के कारागारों में उपलब्ध शिल्प तथा कला सम्बन्धी सुविधाओं से १९५८-५९ में कितनी शुद्ध आय हुई ; और

(ख) उक्त कैदियों के रिहाई के उपरान्त पुनः संस्थापन के लिये सरकार ने जो योजना तैयार की है उसका व्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क). ३५५०.२० रुपये ।

(ख) कारागारों से रिहा होने के बाद बन्दियों के पुनः संस्थापन में सहायता करने के लिये मुक्त कैदी सहायता संस्थायें स्थापित करने का विचार है । इन संस्थाओं का प्रस्थापित प्रोवेशन सर्विसिज़ एण्ड प्रोवेशन होस्टलज़ के साथ निकट सम्बन्ध रहेगा ।

इंजीनियरिंग सेवा परीक्षायें

†१९९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा १९५६, १९५७ और १९५८ में जो इंजीनियरिंग सेवा परीक्षायें ली गयी थीं उसमें कितने विद्यार्थी बैठे थे और कितने विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिकल, सिविल और मेकेनिकल विभागों के लिये चुना गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त वर्षों में इलेक्ट्रिकल, सिविल और मेकेनिकल इंजीनियरों के लिये मांग बहुत कम हो गयी थी ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) सरकार ने उस दृष्टि से क्या कार्यवाही की है कि किसी एक वर्ष की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी आगामी वर्षों की परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के मुकाबिले फायदे में न रहें; और

(ङ) क्या सरकार रिक्त स्थानों की संख्या निर्धारित करने की दृष्टि से इस परीक्षा को भारतीय प्रशासकीय सेवा के समकक्ष बनाने का विचार रखती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क). एक विवरण संलग्न है । **(देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२).**

(ख) और (ग). मामले पर विचार किया जा रहा है और इस संबंध में एक विवरण यथा समय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निवृत्त (सरकारी) पदाधिकारियों द्वारा प्राइवेट फर्मों में नौकरी

†२००. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री म० तारिक :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बुद्ध हंसदा :

क्या गृह-कार्य मंत्री २४ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २०२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निवृत सरकारी पदाधिकारियों को प्राइवेट फर्मों में नौकरी करने की अनुमति देने की नीति पर पुनः विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी , हां ।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३].

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

हिन्दी में विधि सम्बन्धी शब्दावली

†२०१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री १६ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी में विधि सम्बन्धी शब्दावली तैयार करने के लिये नियुक्त की गयी विशेषज्ञ समिति ने उस सम्बन्ध में कितनी प्रगति की है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : १६ अप्रैल, १९५९ को अतारांकित प्रश्न संख्या ३१५४ का उत्तर दिये जाने के बाद विशेषज्ञ समिति ने ४०९ और शब्द तैयार कर लिये हैं ।

पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदान

†२०२. श्री दी० च० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो :—

(क) १९५८ तथा उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष कितना कितना अनुदान दिया गया है; और

(ख) क्या विश्वविद्यालय ने इन अनुदानों का नियमित रूप से उपयोग नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४].

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग) सरकार के ध्यान में इस प्रकार का किसी भी अनियमितता का मामला नहीं आया है ।

सेना इंजीनियरिंग सेवा (एम० ई० एस०) में ठेका प्रणाली की समाप्ति

†२०३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २९ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २१०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना इंजीनियरिंग सेवा (एम० ई० एस०) में प्रणाली की समाप्ति अथवा उसे कम करने की दृष्टि से और क्या क्या कार्यवाही की गयी हैं ; और

(ख) सेना इंजीनियरिंग सेवा में १९५८-५९ में ठेका प्रणाली तथा विभागीय श्रमिकों द्वारा पृथक कितने मूल्य का काम किया गया था ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

तेल उद्योग

†२०४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९५९ को तेल उद्योग में कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई थी;

(ख) इस समय तेल उद्योग में कितनी भारतीय पूंजी लगी हुई है; और

(ग) उस उद्योग में भारतीय पूंजी को बढ़ाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). १-७-५९ को तेल उद्योग में भारतीय तथा विदेशी पूंजी विनियोग के सम्बन्ध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। इस समय जानकारी १–१–५८ के सम्बन्ध में ही उपबन्ध है, उसके बाद की नहीं । उसका कारण यह है कि यह जानकारी सम्बन्धित कम्पनियों की वार्षिक सामान्य बैठकों में पास किये गये सन्तुलित पत्रों से ही संकलित की जाती है। समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा १६६ के अनुसार कम्पनियों की वार्षिक सामान्य बैठकें वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद नो महीनों के अन्दर अन्दर होनी चाहिये, अर्थात्, १९५८ के वर्ष के सम्बन्ध में इन कम्पनियों के खाते सितम्बर, १९५९ से पहले उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये कम्पनियां अपने खाते पत्री वर्ष के अनुसार रखती हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वितरण करने वाली देश की प्रमुख कम्पनियों और तेल शोधक कारखानों (जिनमें आसाम आयल कम्पनी जो कि तेल की खोज और उत्पादन भी करती है तथा स्टैण्डर्ड वैक्युम आयिल कम्पनी का पश्चमी बंगाल में तेल की खोज सम्बन्धी योजना के विनियोजन सम्मिलित है) में १–१–५८ को धन विनियोग सम्बन्धी आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

भारतीय धन विनियोग	भारतीय ऋण	विदेशी धन विनियोग	विदेशी ऋण
१६.३२	२१.७८	१३५.९६	९.६४

—कुल राशि—१८३.७० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

५-१२-५८ को श्री दी० चं० शर्मा द्वारा पूछे गये इसी एक ऐसे ही प्रश्न (तारांकित प्रश्न संख्या ६५३) के उत्तर में यह बताया गया था कि तेल कम्पनियों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार १-१-५८ को तेल उद्योग में कुल २४४ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी जिनमें से २१४ करोड़ रुपये विदेशी पूंजी थी और ३० करोड़ रुपये भारतीय पूंजी । इन आंकड़ों की फिर रिजर्व बैंक के परामर्श से पड़ताल की गयी और यह ज्ञात हुआ कि कुल राशि वास्तव में १८३.७० करोड़ रुपये थी।

(ग) सरकार ने स्वयं भी पैट्रोलियम उद्योग में धन लगाना प्रारम्भ कर दिया है। सरकार सरकारी क्षेत्र में दो नये तेल परिशोधन कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस उद्योग द्वारा सरकारी क्षेत्र में तेल खोजने के कार्यक्रम पर भी बहुत सी राशि लगायी है और उस कार्यक्रम को सघन बताया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल में तेल की खोज की योजना के सम्बन्ध में सरकार के स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी में २५ प्रतिशत अंश भी हैं। इसके अतिरिक्त सरकार आसाम के नहर काय्यिा तेल क्षेत्रों में अशोधित तेल के उत्पादन तथा परिवहन के लिये बर्मा आयल कम्पनी। आसाम आयल कम्पनी के पार्टनर के समान उस के ३३$\frac{1}{3}$ प्रतिशत अंश प्राप्त कर रही है। हाल ही में 'इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड' नामक एक कम्पनी पंजीबद्ध की गयी है जो कि शुद्ध रूपेण एक सरकारी कम्पनी है और जो कि पी० ओ० एल० उत्पादों को देश में वितरित करने का स्वयं काम करेगी और उसमें १२ करोड़ रूपयों का धन विनियोग किया जायेगा।

भारत में चांदी का उत्पादन

†२०५. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार वर्षों में भारत में चांदी के उत्पादन में कोई कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) चांदी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) (१) जवार में भारत धातु निगम द्वारा निकाले गये सीसा जस्ता चांदी अयस्कों में चांदी की कम मात्रा ।

(२) कोलार में निकाले गये घटिया किस्म के अयस्क के कारण सोने के उत्पादन में कमी जिसके फलस्वरूप चांदी के उत्पादन में कमी हुई है। सोने को शोधते समय चांदी निकाली जाती है।

(ग) भारत के धातु निगम ने अपनी खानों की खनन तथा पेषण क्षमता में वृद्धि करने के लिये एक योजना चालू की है। जब यह योजना पूरे तौर पर क्रियान्वित हो जावेगी, तब चांदी के उत्पादन में वृद्धि होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य शिक्षा का पुनर्गठन

†२०६. श्री दो० च० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पांगरकर :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १७ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड, अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संयुक्त समिति द्वारा वाणिज्य शिक्षा के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच करने में और क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : समिति की दूसरी बैठक १८ और १९ जून, १९५९ को हुई और उसने ३५० से अधिक संगठनों तथा संस्थाओं से प्राप्त प्रश्नों पर विचार किया। जो जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर तैयार किये गये सात पत्रों पर जिनमें वाणिज्य शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं के बारे में विचार किया गया था चर्चा की गई :—

(१) वाणिज्य शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य;

(२) वाणिज्य पाठ्यक्रम;

(३) वाणिज्य के स्नातकों को काम में लगाना;

(४) कर्मचारी;

(५) वित्त;

(६) शिक्षा प्रणाली; और

(७) प्रबन्ध शिक्षा।

समिति ने अब तक प्राप्त हुई जानकारी का विश्लेषन किया है तथा वह और उत्तरों के प्राप्त होने पर इस विषय का पूर्ण अध्ययन करेगी। माध्यमिकस्तर की वाणिज्य शिक्षा की बातों पर विस्तार पूर्वक विचार करने तथा वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिये व्यवहारिक प्रशिक्षण के प्रश्न पर विचार करने के लिये दो उपसमितियां नियुक्त की गई हैं।

व्यय कर अधिनियम

†२०७. श्री दो० च० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यय कर अधिनियम के अन्तर्गत १९५८–५९ में कुल कितने कर दाता पंजीकृत किये गये; और

(ख) इसी अवधि में कुल कितना कर लगाया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ७७७४.

(ख) ६९.०४ लाख रुपये ।

रानीखेत छावनी में अग्निकांड

†२०८. **श्री खुशवक्त राय** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में रानी खेत छावनी के बाजार में हाल ही में आग लग गई थी;

(ख) इस आग से कितना नुक्सान हुआ; और

(ग) आग लगने के क्या कारण थे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) हां, श्रीमान् २२ मई, १९५९ को आग लग गई थी ।

(ख) लगभग ११२ मकान, जिनमें ६९ निवास स्थानों के रूप में काम में लाये जा रहे थे और ४३ व्यापार के लिये, पूर्णतः जल कर राख हो गये । इस के अतिरिक्त ६ भवनों के कुछ भागों को आग को बढ़ने से रोकने के लिये गिराना पड़ा ।

(ग) पूर्वी कमान इस विषय पर जांच कर रहा है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

सफेद सीमेंट

†२०९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १८ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफेद सीमेंट तैयार करने की प्रक्रिया की उपयुक्तता पर क्या वाणिज्यिक दृष्टिकोण से विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) अभी तक नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशों में प्रशिक्षण

†२१०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६-५७ से १९५८-५९ तक उनके मंत्रालय द्वारा व्यवस्थित योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी खर्चे पर विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजे गये बहुत से व्यक्ति अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद भी उन देशों से नहीं लौटे हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से बहुत से व्यक्तियों ने विवाह कर लिये हैं और वहां स्थायी रूप से बस गये हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या (देशवार) क्या है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** :(क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पंजाब में संग्रहालय

†२११. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० च० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने संग्रहालयों के विकास के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता दी जायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) योजना में पटियासा के सरकारी संग्रहालय के बारे में विकास की निम्नलिखित मदों के लिये वित्तीय सहायता देने का विचार किया गया है :

(१) सामान खरीदना ।

(२) प्रयोगशाला और फोटोग्रेफिक विभाग की स्थापना करना ।

(३) निर्देश पुस्तकालय की स्थापना करना ।

(४) कला की वस्तुओं को प्राप्त करना ।

(ग) राज्य सरकार को भारत सरकार की ओर से वर्ष १९५९-६० में ५०,००० रुपये तक व्यय करने का अधिकार दिया जा रहा है ।

पंजाब में पोलीटेक्नीक

†२१२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने १९५९-६० तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में पंजाब में नये पोलीटेक्नीक खोलने के लिये कोई योजना भेजी है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो क्या वह योजना स्वीकार कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो १९५९–६० तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितने ऐसे पोलीटेक्नीक (स्थानों के नामों सहित) खोले जायेंगे; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) और (ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) सब मिलाकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ५ पोलीटेक्नीक खोले जायेंगे, दो राज्य योजना के रूप में और तीन केन्द्र द्वारा प्रारम्भ की गई योजना के रूप में ।

राज्य योजना के अन्तर्गत केवल एक पोलीटेक्नीक के लिये जो कि १९५९–६० में खोला जायेगा, पंजाब सरकार द्वारा चंडीगढ़ निश्चित किया गया है । दूसरा पालीटेक्नीक हरियाना प्रान्त में स्थापित करने का विचार है और बाद को उस स्थान पर चालू किया जायेगा, जिसका निश्चय राज्य सरकार करेगी ।

केन्द्र द्वारा प्रारम्भ की गई योजना के अन्तर्गत तीन पोलीटेक्नीक कहां-कहां स्थापित किये जायें, इसके बारे में राज्य सरकार के सुझावों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) सरकार नये पालीटेक्नीकों की स्थापना के लिये निम्नलिखित रूप में सहायता देती है :—

(एक) अनावर्तक—स्वीकृत व्यय का ५० प्रतिशत ।

(दो) आवर्तक—यदि पालीटेक्नीक राज्य योजना के अन्तर्गत स्थापित किये गये हों तो योजना काल के अन्त तक और यदि पोलीटेक्नीक केन्द्र द्वारा प्रारम्भ की गई योजना के अन्तर्गत स्थापित किये गये हों तो आरम्भ होने की तिथि से ५ साल तक कुल व्यय का ५० प्रतिशत ।

पंजाब में शिक्षा संस्थाओं को सहायता

†२१३. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में पंजाब की शिक्षा संस्थाओं को कुल कितनी वित्तीय सहायता नियत की गई है; और

(ख) यह धन किस काम के लिये नियत किया गया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख) पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षा संस्थाओं को शिक्षा सम्बन्धी पर्यटकों के संचालन, खालसा बेसिक ट्रेनिंग कालेज, मुक्तसर तथा स्नातकोत्तर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, धर्मशाला के भवनों के निर्माण, सीनियर बेसिक स्तर तक विज्ञान पढ़ाने के लिये काम चलाऊ तथा हाथ के बने विज्ञान के सामान के निर्माण के लिये एक गवेषणा परियोजना के लिये धन जुटाने और कस्तूरबा ग्रामीण संस्था, राजपुरा में ग्रामीण उच्च शिक्षा का विकास करने के लिये १,२८,९८३ रुपये स्वीकार किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. राजपुरा और फरीदाबाद में बेसिक पोस्ट बेसिक और हाई स्कूलों को चलाने के लिये बजट में ३,५५,००० रुपये की व्यवस्था की गई है ।

३. पंजाब विश्वविद्यालय को पुनर्वास अनुदान और/अथवा ऋण के रूप में ४०,००,००० रुपये से अनधिक धन देने का विचार है । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुस्तकों, अध्यापकों के क्वार्टरों, अध्याकों के वेतन-क्रमों को बढ़ाने, छात्रावासों तथा विज्ञान विभागों की स्थिति दृढ़ बनाने के हेतु १७,९१,२३३ रुपये विश्वविद्यालय को स्वीकार करने का विचार है । वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही सहायता उपलब्ध की जायेगी ।

कोत्तागुद और गुदुर में खनन संस्थायें

†२१४. { श्री नागी रेड्डी :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कोत्तागुदम और गुदुर की खनन संस्थाओं के लिये वर्ष १९५८–५९ में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया गया; और

(ख) वर्ष १९५९–६० के लिये कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) (क) वर्ष १९५८–५९ में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोत्तागुदम् संस्था के लिये २,३७,३०० रुपये और गुदुर संस्था के लिये ३,००,००० रुपये का अनुदान दिया गया। राज्य सरकार ने यह बताया है कि उस साल कोत्तागुदम् संस्था के लिये ५७,८७८ रुपये और गुदूर संस्था के लिये १,१६,४२२ रुपये और व्यय किये गये और यह धन राशि उनको चालू वित्तीय वर्ष में पुनः दे दी जायेगी ।

(ख) १९५९-६० के लिये अभी तक कोई अनुदान स्वीकार नहीं किया गया है। संशोधित प्रक्रिया के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अन्त में दी जाती है और इस बीच राज्य सरकारों को मई के महीने से प्रारम्भ होकर नौ मासिक किस्तों में उस धन राशि का, जो संबंधित राज्यों की सहामता के लिये स्वीकृत की जाती है, ३/४ भाग केन्द्र से मार्गोपायों रूपी अग्रिम धनों के रूप में अपने आप ही मिल जाता है ।

बम्बई में शिक्षितों म बेरोजगारी

†२१५. श्री पांगरकर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में शिक्षितों में बेरोजगारी कम करने की योजना को कार्यान्वित करने के लिये बम्बई सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

इस अवधि में बम्बई में शिक्षितों में बेरोजगारी कम करने की योजना कहां तक सफल हुई ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ५,००,००० रुपये ।

(ख) १३६३ व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सुलतानगंज में प्राप्त अवशेष

†२१६. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नरदेव स्नातक :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भागलपुर (बिहार) में सुलतानगंज में कुंआ खोदते समय गुप्त काल के कुछ अवशेष प्राप्त हुए और यह कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां विक्रमशील विश्वविद्यालय था और जिसका पता अभी तक नहीं लगा था ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : जो अवशेष मिले हैं, वे विक्रमशील विश्वविद्यालय के अवशेष नहीं मालूम पड़ते ।

योगाश्रमों को सहायता

२१७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योगाश्रमों को योगिक क्रियाओं के प्रशिक्षण के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई है या दी जाने वाली है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : विवरण साथ लगा है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५].

दिल्ली में एक महिला की रहस्यपूर्ण मृत्यु

२१८. श्री वाजपेयी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ अप्रैल, १९५९ को दिल्ली स्थित चूड़ीवालान में एक युवती की संदेहपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु हुई;

(ख) क्या यह सच है कि किसी गुमनाम व्यक्ति से जानकारी मिलने पर पुलिस ने लाल किले के पास उस की शव-यात्रा को रोक दिया और उसका शव परीक्षण के लिये भेज दिया ;

(ग) यदि हां, तो उस शव–परीक्षण का क्या परिणाम निकला; और

(घ) क्या इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) उसका शव जांच के लिये भेजा गया किन्तु जब निश्चित रूप से कुछ पता न चला तो पेट के पदार्थों को रासायनिक जांच के लिये भेज दिया, जिससे मालूम हुआ कि उनमें साइ-एनाइड जहर मौजूद था ।

(घ) जांच पड़ताल से पता चला कि युवती ने आत्म-हत्या की थी ।

---

†मूल अंग्रजी में

पुरातत्वीय संग्रहालय, लोथल

२१९. **श्री वाजपेयी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोथल में एक पुरातत्वीय संग्रहालय स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) क्या लोथल में खुदाई के फलस्वरूप और भी कोई महत्वपूर्ण वस्तुयें प्राप्त हुई हैं ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). संग्रहालय की इमारत का शिलान्यास इसी साल मई के महीने में हुआ है और सी० पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा तैयार किये गये नक्शे पर विचार हो रहा है ।

(ग) पिछले मौसम में एक और कब्र की खुदाई की गई और एक मिट्टी का पुता आ घड़ दो मुहरें और एक टेराकोटा सींलिग मिली है ।

अमरीकी नेशनल वार कालेज के पदाधिकारियों का आगमन

†२२०. **श्री महन्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी नैशनल वार कालेज के पदाधिकारियों और छात्रों का एक दल लेफ्टिनेन्ट जनलर टी० एस० हैरोल्ड के नेतृत्व में भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो उन के आगमन का क्या उद्देश्य था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) कालेज के पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में, कालेज के छात्रों को दूसरे देशों से परिचित कराने के लिये अमरीकी सरकार प्रति वर्ष उन्हें अपने देश से बाहर भेजने की व्यवस्था करती है । भारत में उनका आगमन इस सामान्य प्रथा के अनुसार ही था ।

उड़ीसा की शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

†२२१. **श्री पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में उड़ीसा की शिक्षा संस्थाओं को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गयी ; और

(ख) वह किस लिये दी गई थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९५७–५८—८,१५,४०१ रुपये
१९५८–५९—१३,९८,४२० रुपये

(ख) अनुदान अनेक प्रयोजनों के लिये दिये गये थे । १९५७–५८ में उत्कल विश्वविद्यालय को अनुसंधान कार्य पुस्तकालय के लिये पुस्तकों की खरीद, विज्ञान प्रयोगशाला, संस्कृत और दर्शन विभाग और इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के लिये अनुदान दिये गये थे । इसके अतिरिक्त

†मूल अंग्रेजी में

अन्य शिक्षा संस्थाओं को भी श्रम और समाज सेवा शिविर, शिक्षा सम्बन्धी दौरे और मनोरंजन के कमरे और तैरने के तालाब (स्विमिंग पूल) बनाने के लिये अनुदान दिये गये थे ।

१९५८–५९ में उत्कल विश्वविद्यालय को अध्यापकों के वेतन क्रम बढ़ाने, अध्यापकों द्वारा विस्तार कार्य, अनुसंधान कार्य, पुस्तकें तथा उपकरण की खरीद, अन्तर कालेज युवक उत्सव, त्रि-वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के प्रारम्भ और बरला में इंजीनियरिंग कालेज के विस्तार और एक नया भाग (ब्लाक) बनाने के लिये अनुदान प्राप्त हुये थे । अन्य शिक्षा संस्थाओं को शिक्षा सम्बन्धी दौरे और खेल कूद का सामान खरीदने के लिये अनुदान दिये गये थे ।

इस्पात पुनर्वेलन (रीरोलिंग) कारखाने

२२२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त, १९४८ और १ अगस्त, १९५८ को भारत में इस्पात रीरोलिंग कारखानों की संख्या क्रमशः कितनी थी ;

(ख) उन में से किन-किन कारखानों को अगस्त, १९४८ से अगस्त, १९५८ तक प्रतिवर्ष लोहे की छड़ें और रद्दी लोहा रीरोलिंग के लिये दिया गया, और कितनी मात्रा में ; और

(ग) यह मात्रा उनकी अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में कितनी थी ?

इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) क्रमशः ८७ और १४४ ।

(ख) और (ग). १९४८ से लेकर प्रति वर्ष किये गये कुल एलाटमेंट का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]। १९४८ से प्रत्येक मिल को एलाट किये गये लोहे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । १९४८ में ८७ रीरोलिंग मिलों की एक पाली के आधार पर स्वीकृत कार्यक्षमता लगभग १८६,००० टन प्रति वर्ष थी और १९५८ में १४४ रीरोलिंग मिलों की स्वीकृत कार्यक्षमता लगभग २३९,००० टन थी । तथापि यह ज्ञात हुआ है कि बहुत से रीरोलिंग मिल वालों ने अपने कारखानों में सुधार करके और कुछों ने पुरानी इकाइयों की जगह नई इकाइयां लगा कर अपनी कार्यक्षमता को बढ़ा लिया है । यह अनुमान लगाया जाता है कि इस प्रकार के सुधारों के पश्चात् कार्यक्षमता लगभग ६००,००० टन बढ़ गई है ।

हिन्दी और अंग्रेजी स्टेनोग्राफर

२२३. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले हिन्दी और अंग्रेजी शीघ्र-लिपिकों (स्टेनोग्राफर्स) की क्रमशः संख्या कितनी है ;

(ख) क्या आगामी पांच वर्षों में और हिन्दी शीघ्रलिपिकों (स्टेनोग्राफर्स) की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अंग्रेजी शीघ्रलिपिकों (स्टेनोग्राफर्स) को भी हिन्दी शार्टहैंड का प्रशिक्षण दिया जायेगा अथवा इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये कोई और प्रबन्ध किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) पूरी सूचना प्राप्त नहीं है। भारत सरकार के दिल्ली स्थित कार्यालयों में १-८-५८ को २५ हिन्दी स्टेनोग्राफर थे। मंत्रालयों और संलग्न कार्यालयों में अंग्रेजी के करीब १,७०० स्टेनोग्राफर हैं जिनमें से कुछ हिन्दी की स्टेनोग्राफी भी जानते हैं। इस संख्या में परराष्ट्र मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में काम करने वाले स्टेनोग्राफर शामिल नहीं हैं।

(ख) और (ग). इस विषय में आवश्यक निर्णय संसद् में राजभाषा की संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार हो जाने के बाद किये जायेंगे।

अवैध माल

†२२४. **श्री वाजपेयी** : क्या वित्त मिंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे मामलों की संख्या बहुत बढ़ गई है जिनमें भारत-अफ्रीका लाइन पर चलने वाले जहाजों से अवैध माल पकड़ा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि २२ मई, १९५९ को अवैध सोना, हाथ की घड़ियां और सिगरेट लाइटर्स का एक बड़ा गठर चुंगी वालों ने "स्टेट ऑफ बाम्बे" से पकड़ा था ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). भारत-अफ्रीका लाइन पर चलने वाले जहाजों से अवैध सोना पकड़ने के मामलों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) और (घ): जी हां। २२ मई, १९५९ को बम्बई चुंगी अधिकारियों ने "स्टेट ऑफ बम्बई" जहाज के विभिन्न भागों में छिपाया गया निम्नलिखित अवैध माल पकड़ा :—

बुलियन सोना, ४० तोले, मूल्य ५,००० रुपये

हाथ की घड़ियां, ७, मूल्य ४२० रुपये

सिगरेट लाइटर्स, ३६, मूल्य ५४ रुपये

इन चीजों के मालिक का पता नहीं लगाया जा सका।

त्रिपुरा में अकाल की स्थिति

†२२५. **श्री दशरथ देब** : क्या गृहकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिपुरा में अगरताला से प्रकाशित 'त्रिपुरा कथा' नामक साप्ताहिक में छपे इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि दक्षिण रामचन्द्रघाट, खोवाई के श्री लक्ष्मी राम देव बर्मा ने लगातार भुखमरी के कारण अपने लड़के को बेच देने की सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा राज्य में खोवाई के परिवारों को भुखमरी से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या अकाल-पीड़ित क्षेत्र को कोई दान-सहायता देने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां। प्रशासन द्वारा जांच किये जाने पर यह मालूम हुआ कि श्री लक्ष्मीराम देब बर्मा ने अपने तीसरे लड़के को सदर सब-डिवीज़न में दुर्गाबाड़ी के श्री सुरेन्द्र देब बर्मा को गोद दिया। श्री सुरेन्द्र देब बर्मा ने लड़के की कथित ख़रीद से बिल्कुल इन्कार कर दिया।

(ख) छः विभिन्न स्थानों में, लगभग १४०० व्यक्ति प्रति दिन नियुक्त कर, परीक्षात्मक सहायता कार्य आरम्भ किया गया है। जहां कहीं आवश्यक था वहां राशन की दूकानें खोली गई हैं। वास्तव में, खोवाई में चावल का भाव पिछले साल की अपेक्षा कम है। प्रशासन ने लोगों की हालत पर कड़ी निगरानी रखी है। जहां आवश्यक था वहां कृषि-ऋण भी दिये गये हैं। पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था भी की गई है।

(ग) नहीं, काम और खाना दोनों ही आसानी से उपलब्ध हैं। उस क्षेत्र में कोई दान-सहायता देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह गलत है कि वह क्षेत्र अकाल पीड़ित है।

अभ्रक

†२२६. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अभ्रक किस लिये काम में लाया जाता है ;

(ख) १९५८ में अभ्रक खान मालिकों को भारत में अभ्रक की बिक्री से कितना धन प्राप्त हुआ ;

(ग) कौन कौन से देश भारत से अभ्रक मंगाते हैं ;

(घ) १९५८ में निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ; और

(ङ) क्या भारत सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि माल भेजने की पद्धति पर आयात करना बन्द कर दिया जाये ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क)

(१) ड्राइ ग्राउन्ड माइका,

(२) मिकैनाइट इन्सुलेटिंग मैटीरियल,

(३) माइका इन्सुलेटिंग ब्रिक, और

(४) कन्डेन्सर फिल्म

बनाने में अभ्रक काम आता है।

(ख) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारतीय अभ्रक अधिकतर विदेश भेजा जाता है और अनुमान है कि मोटे तौर पर देश में खपत लगभग १०,००० पौंड प्रति वर्ष है जो व्यापार का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा है।

(ग) भारत से अभ्रक मंगाने वाले अधिक महत्वपूर्ण देश ये हैं :—

अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स, जापान, चीन, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इटली और पोलैंड

कुछ अन्य देश जो भारत से अभ्रक लेते हैं, वे ये हैं :—

आस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, स्वीडन, स्विटज़रलैंड और चेकोस्लोवाकिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) १०,२०,३८,०५५ रुपये ।

(ङ) माल भेजने के आधार पर भारत में अभ्रक का कोई आयात नहीं होता ।

उत्तरी खनिज क्षेत्रीय परिषद्

†२२७. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी खनिज क्षेत्रीय परिषद् की बैठक चंडीगढ़ में अप्रैल, १९५९ में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन श्रम-प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और वे किन किन श्रम-संगठनों के प्रतिनिधि थे ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) क्षेत्रीय परिषद् उत्तरी प्रदेश, की एक बैठक चंडीगढ़ में १५ मई, १९५९ को हुई थी ।

(ख) किसी भी श्रम-प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया था ।

अमीर खुसरो की कृतियां

२२८. **श्री बाजपेयी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमीर खुसरो की कृतियों को उनके मूल रूप में अथवा मूल ग्रंथों के फोटो चित्रों के रूप में, विदेशों से प्राप्त करके देश में उनका संग्रह करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति की गई है, और

(ग) यह कार्य कौन सी संस्था कर रही है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (ग). सरकार ऐसी किसी योजना का विचार नहीं कर रही है ।

मनीपुर प्रशासन के अधीन सरकारी कर्मचारी

†२२९. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जुलाई, १९५९ को मनीपुर प्रशासन के अधीन कितने सरकारी कर्मचारी थे ;

(ख) वर्ग १, २, ३, के क्रमश: कितने पदाधिकारी थे ; और

(ग) वर्ग ३ और ४ के क्रमश: कितने पदाधिकारी थे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) ४,८७५ ।

(ख)

वर्ग १ (राजपत्रित)	३१
वर्ग २	४६
वर्ग ३	१३४

(ग)

श्रेणी ३ (वर्ग ३ अ-राजपत्रित)	२,१८२
श्रेणी ४ (वर्ग ४)	२,४८२

†मूल अंग्रेजी में

विदेश जाने वाले सरकारी कर्मचारी

†२३०. **श्री मोरारका :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री पहाड़िया :
श्री हेम राज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६, १९५७ और १९५८ में कुल कितने सरकारी कर्मचारी भारत से बाहर गये ;

(ख) वे किस लिये गये थे ;

(ग) उन पर कुल कितना खर्च हुआ ; और

(घ) कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से एकत्र की जा रही है और वह पूरी हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी।

अल्प बचत

†२३१. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में अल्प बचत के कुल संग्रह और शुद्ध संग्रह में कोई असमानता रही ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ;

(ग) क्या १९५८-५९ के लिये अल्प बचत का लक्ष्य पूरा हो गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो कितनी कमी रही ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). कुल और शुद्ध संग्रह में असमानता अनिवार्य है क्योंकि बचत प्रमाण पत्र जो एक साल के बाद किसी भी समय भनाये जा सकते हैं, दे दिये जाते हैं और डाक खाना बचत बैंक से रुपया निकाला जाता है जो मांगने पर देय होता है।

(ग) और (घ) १९५८-५९ के लिये संग्रह का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। ७५ करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान पर वास्तविक शुद्ध संग्रह लगभग ७६·९५ करोड़ रूपये था।

जिला अफीम अधिकारी, मध्य प्रदेश

२३२. **श्री अमरसिंह डामर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में जिला अफीम अधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं; और

(ख) किन-किन जिलों में जिला अफीम अधिकारी चोरी छिपे अफीम ले जाने के मामले पकड़ने में लगे हुये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जिला अफीम अधिकारियों को अफीम डिवीज़नों का कार्यभार सौंपा जाता है और यह जरूरी नहीं है कि अफीम डिवीज़न का क्षेत्र और जिले का क्षेत्र एक ही हो। मध्य प्रदेश में ५ अफीम डिवीज़न हैं जिनमें से हर एक एक-एक जिला अफीम अधिकारी के अधीन है। इन डिवीज़नों में मंदसौर, रतलाम और शाजापुर जिलों का सारा क्षेत्र आ जाता है।

(ख) जिला अफीम अधिकारियों के जिम्मे जो-जो काम हैं उन में से एक यह भी है कि वे अपने क्षेत्र में चोरी-छिपे अफीम लाने या ले जाने के मामले पकड़े। इस काम के लिये कोई खास अधिकारी नहीं रखा जाता।

दिल्ली के लिये स्वयंसेवी बल

†२३३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मंत्रणा परिषद् द्वारा अपनी २३ फरवरी, १९५९ की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार सरकार को अग्निकांड, बाढ़ और महामारी जैसी विपत्तियों में सहायता देने के लिये एक 'स्वयंसेवी बल' का संगठन कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त 'स्वयंसेवी बल' में कितने व्यक्ति हैं और इस पर कितना धन खर्च होगा ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष १९५९-६० में ८०० होम गार्ड भर्ती करने का प्रस्ताव है। इस कार्य के लिये १·५० लाख रुपये (अनावर्त्तक ८६,००० रुपये और आवर्त्तक ६४,००० रुपये) के खर्च की मंजूरी दी गई है।

हिमाचल प्रदेश का खनिज सर्वेक्षण

२३४. **श्री पद्म देव** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अप्रैल और मई के महीनों में हिमाचल प्रदेश में जो खनिज सर्वेक्षण किया गया था उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ख) क्या इस काम के लिये हिमाचल प्रदेश में कोई विशेष विभाग है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) इस वर्ष अप्रैल और मई के महीनों में हिमाचल प्रदेश में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो खनिज सर्वेक्षण किया गया था, उसका परिणाम निम्न प्रकार है :—

(१) चिचोट तहसील जिला मण्डी में कच्चे लोहे के अनुसंधान का काम पूरा हो गया था। इस क्षेत्र में मुंड लोह स्फट (मैग्नेटाइट क्रिस्टल्स) की मात्रा कम मिली। जो भी खनिज वहां है उसका आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) जिला महासू की सियोनी तहसील के जियोरा नामक स्थान के समीप तत्ता पानी के गर्म सोतों में गन्धक (सलफ़र) पाये जाने की सूचना के आधार पर उसका निरीक्षण किया गया। इस स्थान से गन्धक निकालने का काम आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान नहीं समझा गया।

(३) सिरमूर जिला में अमबोआ के पास मिट्टी की छान-बीन की गई। इस मिट्टी में सिवालिक रेत पत्थर तथा शेल्ज़ मिला हुआ है। तलागत लगभग ८५ फुट लम्बा तथा ५० फुट चौड़ा है। भूतल संकेतों से यह निश्चित किया गया है कि निक्षेप की गहराई १० फुट से लेकर १५ फुट तक होगी। आगामी परीक्षण के लिये नमूने इकट्ठे किये गये हैं।

(ख) जी नहीं।

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक ऋण

२३५. श्री पद्म देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस कारण कि हिमाचल प्रदेश में दिये गये औद्योगिक ऋणों के बन्ध-पत्र हिमाचल प्रदेश अग्नि कांड में जल गये थे, कुछ लोगों ने यह मानने से इंकार कर दिया है कि उन्हें ऋण मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो उन बन्ध-पत्रों के नवीनीकरण के लिये और उन ऋणों की किश्तें वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). प्रार्थियों को कर्ज़ देने से पहले सारे बांड (रहन नामे) डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथारिटी के पास रजिस्टर करा लिये गये थे। मूल बांड्स के आग से नष्ट हो जाने पर भी लेन-देन कानूनी तौर पर वैध है और यह कोई भी नहीं कह सकता कि उसने कर्ज नहीं लिया है। हिमाचल प्रदेश प्रशासन ऐसे कर्जों का रेकार्ड दुबारा तैयार कर रहा है और वसूली करने के लिये उचित कार्यवाही भी की जा रही है।

बीकानेर में लिग्नाइट का खनन

†**२३६. श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री २१ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर (राजस्थान राज्य) में पलाना स्थान पर लिग्नाइट की खुली खुदाई[1] की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गयी विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Open Cast Mining.

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । परन्तु इसके शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आन्ध्र प्रदेश में लौह अयस्क निक्षेप

†२३७. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में स्थित भारत के भूतत्वीय विभाग ने आन्ध्र में लौह-अयस्क निक्षेपों का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) निक्षेपों की अनुमानित मात्रा कितनी है ;

(ग) लौह-अयस्क निक्षेप किन स्थानों पर उपलब्ध हैं;

(घ) लौह-अयस्क को निकालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ङ) उन रेलवे स्टेशनों के क्या नाम हैं जिनसे लौह-अयस्क समुद्रीय पत्तनों को भेजा जाता है और उन समुद्रीय पत्तनों के क्या नाम हैं जहां से लौह-अयस्क का निर्यात किया जाता है; और

(च) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के पिछले तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश से कितने मूल्य के लौह-अयस्क का निर्यात किया गया ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). निक्षेपों की अनुमानित मात्रा ४३०० लाख टन है । जिलावार आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

जिला	लाख टनों में मात्रा
गुन्टूर	२९६०
नेल्लोर	९३०
हैदराबाद .	३७०
कुरनूल	३७
कुल	४२९७ अर्थात् ४३०० लाख टन

(घ) कुछ क्षेत्रों में गैर-सरकारी खान स्वामियों द्वारा कार्य किया जा रहा है । सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कौन से क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में विदोहन के लिये सुरक्षित रखे जायें। विदोहन के प्रश्न पर देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जावेगा ।

(ङ) प्रमुख लदाई केन्द्र (लोडिंग स्टेशन) विजयवाडा, गुन्टाकल, वेलदूरती और उलूकुन्डा हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

अयस्क का निम्नलिखित पत्तनों से निर्यात किया जाता है :

विशाखापटनम, कोकानडा, मसूलीपट्टम और मद्रास ।

(च) आन्ध्र प्रदेश से निर्यात किये गये लौह-अयस्क की मात्रा और मूल्य के बारे में कोई ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

पंजाब में तेल छिद्रण के लिये भूमि का अर्जन

†२३८. श्री दलजीत सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में गहरे छिद्रण और संरचनात्मक छिद्रण के लिये अर्जित भूमि का कितना क्षेत्र है और उसकी क्या स्थिति है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी में गहरे छिद्रण के लिये ६३.१५३ एकड़ क्षेत्र अर्जित किया गया है । स्थिति और क्षेत्र बताने वाला ब्यौरा निम्न प्रकार है :

स्थान	क्षेत्र
	एकड़
१. गांव गटारन, हदबस्त संख्या ७६	९.९६७
२. टीका भट्टी, मौजा बोहन, तहसील डेरा, गोपीपुर, जिला कांगड़ा	१.६७
३. टीका कालीधार, मौजा धारंग	३.७७
४. टीका गटारन, गांव बोहन	४.४
५. टीका उमेर, गांव गुंबर	६.२५
६. टीका राकार, मौजा धारंग	.२६६
७. टीका भट्टी, गांव बोहन	४.७
८. टीका कालीधार, मौजा धारंग	.९
९. टीका गटारन, गांव बोहन	१.९
१०. टीका उमेर, गांव गुम्मार	१.१८
११. टीका कालीधार, गांव बोहन	२६.१
१२. टीका कालीधार, मौजा धारंग	१.१८
१३. ज्वालामुखी रेलवे स्टेशन के समीप	.८७
	६३.१५३

इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी में गहरे छिद्रण के लिये १७.४२ एकड़ जमीन और संरचनात्मक छिद्रण के लिये ०.७३ एकड़ जमीन किराये पर ली गयी है ।

†मूल अंग्रेजी में

२. गहरे छिद्रण के लिये होशियारपुर जिले में बथूला और जनौरी में कोई भूमि अर्जित नहीं की गयी है। तथापि, इस कार्य के लिये बथूला में १.३ एकड़ निष्क्राम्य सम्पत्ति खरीद ली गयी है और बथूला और जनौरी, दोनों स्थानों पर ४ एकड़ भूमि किराये पर ली गयी है। जनौरी में गहरे छिद्रण का कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है।

३. होशियारपुर जिले में बथूला और जनौरी में से किसी भी स्थान पर संरचनात्मक छिद्रण के लिये कोई भूमि नहीं ली गयी है।

पंजाब उच्चन्यायालय के न्यायाधीश

†२३९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब उच्चन्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं ; और

(ख) उनमें से कितने सत्र न्यायाधीश हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) १७ (११ स्थायी और ६ अतिरिक्त न्यायाधीश)।

(ख) ३

इम्फाल में आदिम जातीय लड़कियों के लिये छात्रावास

†२४०. **श्री वारियर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल में पढ़ने वाली आदिम जातीय लड़कियों के लिये कोई छात्रावास नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर लड़कियों के लिये एक छात्रावास बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सम्पत्ति-कर

†२४१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में (१) व्यक्तियों और (२) समवायों से सम्पत्ति-कर के रूप में कितना धन इकट्ठा किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** १९५८–५९ में निम्न प्रकार सम्पत्ति-कर इकट्ठा किया गया :

(१) व्यक्ति	३,७१,३१,४०० रुपये
(२) समवाय	५,६१,९५,९०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

†२४२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने वर्ष १९५८–५९ के लिये अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रति सभा-पटल पर कब रखी जावेगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी

†२४३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में पंजाब में सीधी भर्ती द्वारा कितने भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा पदाधिकारी नियुक्त किये गये ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों के कितने हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख).

सेवा	१९५८–५९ में पंजाब में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गयों की संख्या	अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या
भारतीय प्रशासन सेवा	८	१
भारतीय पुलिस सेवा .	२	—

राजपत्रित छुट्टियां

२४४. **सेठ अचल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुद्ध भगवान का जन्म दिवस छुट्टी का दिन मान लिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत के जैन पिछले कई वर्षों से सरकार से इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि महावीर भगवान के जन्म दिवस को एक सरकारी छुट्टी घोषित किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उस दिन छुट्टी घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और देशों के मुकाबले में हमारे यहां छट्टियों की संख्या बहुत अधिक है और इस लिस्ट को बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। भगवान महाबीर के जन्म दिवस पर जैन कर्मचारियों को पूरे दिन की छट्टी दी जाती है ।

केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों की सेवावधि का बढ़ाया जाना और उन का पुनर्नियोजन

†२४५. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७–५८ और १९५८–५९ में (मंत्रालय/विभागवार) केन्द्रीय सरकार के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कितने पदाधिकारियों की सेवा अधिवार्षिकी के बाद बढ़ाई गई और कितनों को पुनर्नियोजित किया गया ; और

(ख) सेवा वधि के बढ़ाये जाने और पुनर्नियोजन के मुख्य कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार)** : (क) जिन मंत्रालयों/विभागों से यह जानकारी प्राप्त हुई है, वह संलग्न विवरण में दी गयी है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७**] अन्य मंत्रालयों/विभागों के बारे में उन से जानकारी प्राप्त होने पर वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) सिवाय उन मामलों में जहां ऐसा करना जन-हित में आवश्यक हो, सरकार की नीति यह है कि सामान्यतया सरकारी कर्मचारियों की न तो सेवावधि बढ़ाई जावे और न ही निवृत व्यक्तियों को पुनर्नियोजित किया जावे । हां, वैज्ञानिक और टेक्निकल व्यक्तियों की सेवावधि में वृद्धि के मामले में, जिनकी कि इस समय सारे देश में कमी है, उदारता बरती जाती है ।

भारत का रक्षित बैंक

†२४६. **श्री कालिका सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को विभिन्न माध्यमों द्वारा ऋण की सुविधायें देने के लिये भारत के रक्षित बैंक ने १९५८–५९ में (राज्य-वार) राज्य सहकारी बैंकों और अन्य बैंकों और निकायों को कितनी राशि का ऋण दिया ;

(ख) किसानों को इस प्रकार मंजूर की गयी कुल धन राशि में से कितना अल्प-कालीन है और कितना दीर्घ-कालीन है ;

(ग) उपरोक्त ऋण के दिये जाने के अतिरिक्त क्या भारत के रक्षित बैंक ने किसानों को और किसी प्रकार सहायता देना आरम्भ किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन का क्या ब्यौरा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं जिन में अपेक्षित जानकारी दी हुई है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८**]

(ग) और (घ). कृषि कार्यों और फसल के विपणन के लिये अल्प, मध्यम और दीर्घ-कालीन ऋणों के अतिरिक्त भारत का रक्षित बैंक भूमि बन्धन बैंकों को उन के द्वारा जारी किये गये सामान्य और विशेष ऋण पत्रों में धन लगा कर सहायता देता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक योजना के अधीन अपर डिवीजन क्लर्कों के खाली स्थान

†२४७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सचिवालय लिपिक योजना के अधीन अपर डिवीज़न क्लर्कों के कितने स्थान खाली हैं ; और

(ख) १९५९ में कितने रिक्त स्थानों के भरे जाने की सम्भावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) २७९.

(ख) १९५९ में भरे जाने वाले स्थानों की संख्या अगले कुछ महीनों में विभिन्न मंत्रालयों और सम्बद्ध कार्यालयों की कर्मचारियों की आवश्यकता पर निर्भर होगी ?

प्रतिरक्षा सेवा संगठन

†२४८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवा संगठन में काम कर रहे लोअर डिवीज़न क्लर्कों को चार अग्रिम वेतन वृद्धियां दी गयी हैं।

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय योजना में न आने वाले प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे लोअर डिवीज़न क्लर्कों को भी ये वेतन वृद्धियां दी जावेंगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सशस्त्र सेना मुख्यालय (आर्मड् फ़ोर्सिस हैड क्वार्टर्स) और आयुध कारखानों के महा-निदेशक के कार्यालय के लोअर डिवीजन क्लर्क अग्रिम वेतन वृद्धि के लिये निम्न प्रकार मात्र हैं :

(१) उन लोअर डिवीज़न क्लर्कों को दो अन्तिम वेतन वृद्धियां जो लोअर डिवीज़न क्लर्क की श्रेणी में स्थायी अथवा अस्थायी हों परन्तु जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो और स्थायीकरण के लिये उपयुक्त समझे गये हों।

(२) उन लोअर डिवीज़न क्लर्कों को दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां जिन्होंने (४० शब्द प्रति मिनट के हिसाब से) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 'टाइपराइटिंग' की परीक्षा पास कर ली हो।

(ख) और (ग). यह फैसला किया गया है कि उन अन्य कार्यालयों में, जो कि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में नहीं आते हैं, काम कर रहे लोअर डिवीज़न क्लर्कों को भी ऐसी ही अग्रिम वेतन वृद्धियां देने के प्रश्न पर वेतन आयोग का प्रतिवेदन आने के बाद विचार किया जाये ।

त्रिपुरा में पुराने कानूनों का निरसन

†२५०. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न विषयों से संबंधित और महाराजाओं के शासन काल में बनाये गये बहुत से कानून त्रिपुरा में अब भी लागू हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त कानूनों में से बहुत से कानूनों की छपी हुई प्रतियां समाप्त हो चुकी हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इन पुराने कानूनों का निरसन कर नये कानून कब बनेंगे या पुराने कानून फिर से कब छापे जायेंगे ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). यह सच है कि महाराजाओं द्वारा बनाये गये बहुत से कानूनों की छपी हुई प्रतियां खतम हो चुकी हैं। आशा है कि त्रिपुरा के लिये प्रस्तावित भूमि सुधार कानून बन जाने पर इन में से बहुत से कानूनों का निरसन हो जायगा। अन्य कानूनों को छपाने के लिये कार्यवाही की गयी है।

भूमियों का पुनर्वास

†२५१. श्री बांगशी ठाकुर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में सबरूम, धर्मनगर, कैलाशहर, कमालपुर, सरदार और अमरपुर में भूमियों के पुनर्वास के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कितने परिवारों को फिर से बसाया गया है ; और

(ग) कितनों का पुनर्वास अब भी बाकी है ?

†गृह-कार्य उप मंत्री (श्रीमती आल्वा) : जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायगी।

इंजीनियरिंग कालेज, गुलबर्गा

†२५२. श्री ई० मधुसूदन राव : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १६ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्राविधिक शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय परिषद् की दक्षिणी क्षेत्रीय समिति की इस सिफारिश के बारे में कोई निर्णय कर लिया है कि मैसूर राज्य में गुलबर्गा के इंजीनियरिंग कालेज को छात्रावासों के निर्माण के लिये छः लाख रुपयों का ऋण दिया जाय ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (डा० म० मो० दास) : छात्रावासों के निर्माण के लिये गुलबर्गा इंजीनियरिंग कालेज को ऋण देने की सिफारिश सरकार ने सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली है। और ब्यौरेवार योजनायें और प्राक्कलन प्राप्त होने पर इसकी निश्चित राशि तय की जायगी।

पूर्णपाणि में चूने के पत्थर की खानें

†२५३. श्री मुरारका : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्णपाणि की चूने के पत्थर की खानों में जनवरी से जून १९५९ में प्रत्येक मास में कितना-कितना उत्पादन हुआ था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की पूर्णपाणि खदानों का जनवरी से जून, १६५६ का मासिक उत्पादन इस प्रकार है :—

	परिमाण (टनों में)
जनवरी	४,७०८
फरवरी . . .	४,०४८
मार्च	३,१६४
अप्रैल	२,३५२
मई	२,६०२
जून	३,७३५

पेंशन

†२५४. **श्री ईश्वर अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ऐसे अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के, जिनकी मृत्यु सेवा-काल में ही हो जाती है, परिवार वालों को पेंशन संबंधी लाभ नहीं मिलते ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सरकारी कर्मचारियों के परिवार के लिये पेंशन संबंधी लाभ की मंजूरी को शासित करने वाले नियमों और आदेशों में ऐसे अस्थायी कर्मचारियों के जिनकी मृत्यु सेवा-काल में ही हो जाती है, परिवार का सामान्य पारिवारिक पेंशन/उपदान देने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन, जिन मामलों में कर्मचारी की मृत्यु कार्यालय के दायित्व अथवा विशेष दायित्व के कारण होती है उन में परिवार को असाधारण पेंशन नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन/उपदान मिल जाती है।

तलकाड (मैसूर) के मन्दिर

†२५५. **श्री सिदय्या** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नवम्बर, १६५६ में मैसूर राज्य के मैसूर जिले में तलकाड में 'पंचलिंग दर्शन' होंगे, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस स्थान के राष्ट्रीय महत्व वाले प्राचीन मंदिरों की विशेष मरम्मत के लिये अतिरिक्त राशी की व्यवस्था करने वाली है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** :(क) जी, हां।

(ख) जी नहीं। ये मन्दिर काफी अच्छी हालत में हैं और इनमें तत्काल मरम्मत कराने की जरूरत नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प बचत योजना

२५६. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक राज्य में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत कितनी धन-राशि इकट्ठी की गई है ; और

(ख) पिछले वर्ष कितनी धन-राशि इकट्ठी की गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). पूछी गई बातों का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है :

राज्य / संघीय क्षेत्र का नाम	वास्तविक संग्रह (लाख रुपयों में)	
	१९५८–५९	अप्रैल १९५९ से जून १९५९ तक
१. आन्ध्र प्रदेश	३,८४	३२
२. असम	२,७४	४०
३. बिहार	६,०४	७१
४. बम्बई	२१,६३	४,८३
५. दिल्ली	२,४०	७५
६. हिमाचल प्रदेश	१३	१
७. जम्मू और काश्मीर	३१	८
८. केरल	१,३३	२४
९. मद्रास	२,६६	(–)८
१०. मध्य प्रदेश	२,१३	२५
११. मणिपुर	४	२
१२. मैसूर	१,८१	३२
१३. उड़ीसा	१,३३	२७
१४. पंजाब	५,२४	(–)५०
१५. राजस्थान	१,६४	३०
१६. त्रिपुरा	४	३
१७. उत्तर प्रदेश	७,७७	(–)१,५९
१८. पश्चिम बंगाल	८,९३	१,४२
१९. बेस पोस्ट आफिस	२	१
जोड़	७०,०३	७,७९

टिप्पणियां : (क) पिछले वर्ष के संग्रह में डाकखाना बचत बैंक में जमा रकमों के ब्याज का लगभग ६,९२ लाख रुपया शामिल नहीं है जिसका राज्यवार ब्योरा अभी तक मिल नहीं सका है ।

(ख) आंकड़े अन्दाजिया हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लिये मकानों का निर्माण

२५७. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५४ और १६५८ के बीच दिल्ली के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिये कितने मकान बनाये गये ; और

(ख) इनमें अनुसूचित जातियों की कौन सी विभिन्न जातियां रहती हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती वायलेट आल्वा) : (क) अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजना के मातहत १६५४-५५ से १६५८-५६ के दौरान दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में ८०६ मकान बनाने के लिये आर्थिक सहायता दी गई। इनमें से ७४ मकान बन रहे हैं और बाकी बन चुके हैं ।

(ख) बाल्मीकी, चमार, धनक, जुलाहा, धोबी आदि ।

स्थगन-प्रस्ताव के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानना चाहता हूं । आपने उसकी अनुमति क्यों नहीं दी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे बता चुका हूं । यह तो मेरे ऊपर है कि मैं यदि चाहूं तो किसी स्थगन-प्रस्ताव को सभा के सामने रख दूं और तब उसकी अनुमति न देने के कारण बताऊं, या माननीय प्रस्तावक को अलग से उसके कारण बता दूं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : आपने मुझे कारण नहीं बताया है । आपने सिर्फ यही बताया है कि मैं ने अपना स्थगन प्रस्ताव गृह-कार्य मंत्री के पास नहीं भेजा था, इसलिये आपने उसकी अनुमति नहीं दी है । लेकिन यह तो कोई कारण नहीं बन सकता । उसे गृह-कार्य मंत्री के पास भेजने का कोई मतलब ही नहीं . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति देना या न देना, बिलकुल मेरे ऊपर है । मैं अनुमति नहीं देता ।

स्थगन-प्रस्ताव तीन तरह के होते हैं । जिन स्थगन-प्रस्तावों को अनुमति न देने के बारे में मैं पूरी तौर से संतुष्ट होता हूं, उनकी अनुमति नहीं देता । जिनके बारे में मुझे संतुष्टि नहीं होती, उसे मैं सभा के सामने रख देता हूं, यह पता लगाने के लिये कि उसकी अनुमति दी जाये या नहीं । तीसरी प्रकार के स्थगन-प्रस्ताव वे होते हैं, जिनकी मैं अनुमति दे देता हूं और माननीय सदस्यों से पूछता हूं कि ५० माननीय सदस्य उसके समर्थक हैं या नहीं । यह स्थगन-प्रस्ताव पहले प्रकार का है । मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है । माननीय सदस्य मुझसे यह पूछने के अधिकारी नहीं हैं कि अनुमति न देने के क्या कारण हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० क० गोपालन :** नियमानुसार आपको कारण बताने चाहियें ।

सभा में केरल विधान सभा का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, इसलिये और भी इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये ।

कल भी मैं ने सारी सामग्री आपके पास और गृह-कार्य मंत्री के पास भी भेज दी थी । फिर भी, पता नहीं आप उसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं । केरल में जब लूट खसोट हत्याओं और ऐसी दूसरी चीजों का बाजार गर्म है, तब वहां की जनता का प्रतिनधित्व यदि इस सभा में नहीं तो और कहां किया जायेगा ? **[अन्तर्बाधायें]**

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति । शान्ति । नियम ५६ में दिया हुआ है कि स्थगन-प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है । मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** तब आप बताइये कि केरल की जनता के सामने और क्या रास्ता है । यहां केरल विधान सभा तो मौजूद नहीं है । यह तो ठीक है कि आप चाहें तो अनुमति न दें लेकिन, क्यों ? क्या यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं? क्या वह नियम-बाह्य है ?

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : म एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । इस स्थगन-प्रस्ताव पर इस सभा के नहीं, बकि केरल विधान सभा के प्रक्रिया नियम लागू होते हैं ।

मेरी दलील यह है । राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद, केरल विधान सभा के सारे कृत्यों को इसी सभा ने संभाला है । उद्घोषणा में स्पष्ट कहा गया है कि विधान सभा भंग की जाती है और इसके बाद से केरल विधान सभा या विधान मंडल के उल्लेख का अर्थ होगा संसद् का उल्लेख । उसमें कहीं भी विधान सभा की शक्तियां कम करने की बात नहीं कही गई है । इसलिये यदि इस स्थगन-प्रस्ताव को केरल विधान सभा में अनुमति मिल सकती थी, तो अब इस सभा में भी मिलनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत की गई थी, और उस अनुच्छेद के खण्ड १ (ख) में कहा गया है :

"राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद् के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी ।"

इसका अर्थ यही है कि संसद् ने राज्य सूची में उल्लिखित विषयों को भी अपने क्षेत्राधिकार में ले लिया है ।

लेकिन जहां तक प्रक्रिया का संबंध है वह तो संसद् की ही रहेगी, विधान-मंडल की नहीं । इसलिये यह तर्क सही नहीं है । हम तो इस सभा के प्रक्रिया नियमों से ही शासित होंगे । और उन्हीं के अनुसार, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या आपका विनिर्णय यह है कि केरल विधान सभा के कृत्यों का भार संभालने के बाद भी, हम राज्य-सूची में उल्लिखित विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे? **[अन्तर्बाधायें]**

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने इसका बिलकुल उल्टा ही कहा है । हम उन सभी पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन उस चर्चा पर इस सभा के प्रक्रिया नियम ही लागू होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० क० गोपालन : आपने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी ; फिर आप कैसे सन्तुष्ट हो गये ? मैं जानना चाहता हूं कि आप इसकी अनुमति न देने के कारण भी क्यों नहीं बताना चाहते। आप हमारे साथ यह भेद-भाव क्यों बरत रहे हैं ? अभी तक तो आप ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते थे ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बर्सीरहाट) : स्त्रियों पर बलात्कार किया जा रहा है । फिर भी आप यहां इस प्रश्न को उठाने तक की अनुमति नहीं दे रहे हैं। सभी रायों के लोगों ने इस प्रकार के तार भेजे हैं। लेकिन आप डा० क० ब० मेनन जैसे लोगों को अनुमति दे रहे हैं, हमें नहीं ।

†अध्यक्ष महोदय : अभी कल ही श्री गोपालन ने एक ऐसा ही प्रस्ताव सभा में रखा था। मैंने उस समय भी कहा था, और तब वह इससे सहमत भी हो गये थे, कि ऐसे मामलों की सूचना गृह-र्य मंत्री को दी जानी चाहिये। गृह-कार्य मंत्री ने कहा भी था कि वह ऐसे मामलों की जांच करेंगे। और, दूसरी चीज यह कि संघ क्षेत्रों की विधि और व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाले सभी मामले तुरन्त ही संसद के सामने नहीं रखे जा सकते। नहीं तो, सभा के पास और कोई काम नहीं रह जायेगा । [अन्तर्बाधायें]

†श्री नागी रेड्डी (अनन्तपुर) : तब हमें इस स्थिति में और कौनसा रास्ता अपनाना चाहिये।

†श्री अ० क० गोपालन : मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा, लेकिन आपने मुझे उसे रखने के कारणों का स्पष्टीकरण करने तक का अवसर नहीं दिया। स्पष्टीकरण करना मेरा अधिकार है ।

†श्री वें० प० नायर : केरल विधान सभा भंग कर दी गई है। तब इस पर अब चर्चा और कहां की जायेगी ?

†श्री मोहम्मद इलियास (हावड़ा) : केरल विधान-सभा भंग होने से पहले, आपने एक अन्य दल को स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति दे दी थी। लेकिन हमें अब वह अधिकार नहीं दिया जा रहा है। स्त्रियों पर बलात्कार किया जा रहा है। हम ऐसी दलीलें नहीं सुन सकते। यह सभा इस समय स्थगित की जानी चाहिये। [अन्तर्बाधायें] । हम आपको इसकी अनुमति देने के लिये विवश करेंगे ।

†अध्यक्ष महोदय : यह नहीं हो सकता ।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : स्त्रियों पर बलात्कार किया गया है। [अन्तर्बाधायें]

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं आपके निर्णय के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। वह तो आपकी अपनी बात है। लेकिन मैं इस प्रस्ताव को रखने वाले कम्युनिस्ट दल के नेता या उपनेता से सिर्फ एक सवाल यह पूछता हूं : क्या इस ढंग के बर्ताव से इस सभा के काम में मदद मिलेगी ? [अन्तर्बाधायें]

†श्री साधन गुप्त (कलकत्ता–पूर्व) : क्या बलात्कार से लोक-तंत्र को मदद मिलती है ?

†एक माननीय सदस्य : आप हमसे बर्ताव की बातें करते हैं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं तो कम्युनिस्ट दल के उपनेता से बड़े शान्त और सीधे ढंग से यही पूछना चाहता हूं कि क्या वह इसी को संसदीय बर्ताव कहते हैं ? [अन्तर्बाधायें]

†श्री मोहम्मद इलियास : संसदीय लोकतंत्र की बात आप करते हैं। इस देश में लोकतंत्र का गला घोंटने वाले आप ही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० क० गोपालन : मुझ से प्रधान मंत्री ने एक सवाल पूछा है। आपने भी मुझसे स्थगन प्रस्ताव रखने का कारण पूछा है। मुझे यह बताने का मौका दिया जाना चाहिये।

†अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई कारण नहीं पूछा। मैंने तो स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है। बस।

†श्री अ० क० गोपालन : मैंने डा० रामकृष्ण राव को एक पत्र भेजा था। उसकी एक प्रति कल आपके पास भी भेजी थी, और गृह-कार्य मंत्री के पास भी। क्या यह संसदीय लोकतांत्रिकता के विरुद्ध है? और माननीय सदस्य अपने स्थगन-प्रस्ताव रखने से पहले इतना सब कुछ नहीं करते, जितना मैंने किया है। मैंने कल राज्यपाल और अध्यक्ष दोनों ही को कुछ घटनाओं के बारे में लिखा था। लेकिन फिर भी मुझे उसका स्पष्टीकरण करने के लिये दो मिनट भी नहीं दिये जा रहे हैं। सभा में हमेशा तो ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। कम से कम मुझे स्पष्टीकरण तो करने दिया जाता, और तब कहा जाता कि अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन खास तौर से इस मामले में ही क्यों सभा में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है?

मुझे उसका कारण भी नहीं बताया जाता। फिर भी प्रधान मंत्री मुझसे पूछते हैं कि क्या यही संसदीय लोकतंत्र है। मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने स्थगन-प्रस्ताव के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उसका निर्णय तो अध्यक्ष करेंगे। मैंने तो बड़ी विनम्रता से कम्युनिस्ट दल के उपनेता से सिर्फ इतना पूछा है कि उनकी ओर से जो शोर मचाया जा रहा है क्या वह सही संसदीय बर्ताव है?

†श्री अ० क० गोपालन : मैं पूछता हूं कि क्या प्रधान मंत्री ने उनके अपने दल की ओर से होने वाला शोर नहीं सुना, जब अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा था?

†श्री नागी रेड्डी : उस ओर से ज्यादा शोर मचाया गया था, तब प्रधान मंत्री यहां नहीं थे। [अन्तर्बाधायें]

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं इस मामले में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहता था। निस्संदेह ही, यह एक गम्भीर मामला है। कल मैंने श्री गोपालन से एक वक्तव्य पढ़ने के लिये कहा था। मैंने उन्हें बीच में नहीं रोका था। उन्होंने तारों का बंडल भी दिखाया था।

†श्री अ० क० गोपालन : मैंने उनका उल्लेख नहीं किया था। उसके बाद भी कई घटनायें हुई हैं। लेकिन आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी।

†अध्यक्ष महोदय : यदि मैं स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति दे देता, तो शायद वह सविस्तार उनका उल्लेख करते। लेकिन मैंने तुरन्त ही गृह-कार्य मंत्री से इस सम्बन्ध में कुछ कहने का अनुरोध किया था। गृह-कार्य मंत्री का कहना था कि इतनी दूर से उन घटनाओं की सचाई का पता लगाना मुश्किल था। इसलिये, गृह-कार्य मंत्री ने उस समय उन घटनाओं के सम्बन्ध में राज्यपाल को, जो राज्य के प्रशासन का भार सम्भाले हुये हैं, लिखा था। उन्होंने श्री गोपालन को उन घटनाओं के सम्बन्ध में राज्यपाल से सम्पर्क स्थापित करने के लिये भी कहा था। यह सब अभी एक दो दिन पहले ही हो चुका है। हो सकता है कि इस बीच में कुछ और घटनायें हुई हों। लेकिन इस मामले की चर्चा के लिये हमने एक तिथि निश्चित कर दी है कि उसे विनियमित कैसे किया जाये। दूसरी चीज यह है कि मैं कई बार विनिर्णय कर चुका हूं कि संघीय क्षेत्रों तक के विधि और व्यवस्था से सम्बन्ध रखने

---

†मूल अंग्रेजी में

वाले स्थानीय मामले संसद् में नहीं रखे जाते। तीसरी चीज यह कि यह स्थगन-प्रस्ताव का मामला पहले की घटनाओं का ही विस्तार है। उसी के सिलसिले में है। चौथे यह कि उद्घोषणा होने के बाद इतनी जल्दी, इस अवस्था पर, एक ही तरह की गड़बड़ी के सम्बन्ध में चर्चा करने से वहां राज्य में व्यवस्था कायम करने में कोई मदद नहीं मिलेगी, हां, कठिनाइयां ही खड़ी हो सकती हैं। मैं तो समझता हूं कि जल्दी ही इन सभी मामलों का निबटारा हो जायेगा और तब हमें बाद में उनके ब्यौरे के बारे में निर्णय करना पड़ेगा। इसलिये, मेरा अनुरोध है कि सभी माननीय सदस्यों को अभी एक दो दिन और रुक जाना चाहिये।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बीच में माननीय गृह-कार्य मंत्री भी एक बार फिर राज्यपाल को लिखेंगे कि इस प्रकार की घटनायें न होने दी जायें। श्री गोपालन वे सब तार मुझे दे दें। मैं उन्हें गृह-कार्य मंत्री के पास भेज दूंगा। मैं भी इस मामले पर निगाह रखूंगा।

मैं जानता हूं कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद केरल में जो भी कुछ होगा, उसका दायित्व इसी सभा पर है। इसलिये, मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले में इतनी जल्दबाजी न की जाये। कम्युनिस्ट दल के उपनेता थोड़ा धैर्य रखें। उनके दल के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जायेगा।

†श्री अ० क० गोपालन : मैं पिछले सात साल से धैर्य रखे हूं; बाद में भी रखूंगा। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि आपने यह सब कहने में जितना समय लिया है, यदि उसका चौथाई भी मुझे दिया होता, तो मैं स्पष्टीकरण कर देता। यह सब किसी एक छिटपुट हत्या का सवाल नहीं है। [अन्तर्बाधायें।] सवाल तो एक ऐसी नीति है जिसके जरिये कोशिश की जा रही है कि कम्युनिस्ट दल के सदस्यों और हमदर्दों को समूल नष्ट कर दिया जाये। जान बूझ कर ऐसी नीति अपनाई जा रही है। संसद् का कर्तव्य है कि केरल राज्य में शान्ति स्थापित करने के तरीकों पर विचार करे। आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी और कह दिया कि यह विधि और व्यवस्था से सम्बन्धित मामला है। वहां हिंसा खुल कर खेलने दी जा रही है। 'विमोचन समर समिति' साफ कह रही है कि कम्युनिस्ट दल को समूल उखाड़ फेंका जाये। [अन्तर्बाधायें।]

मैं पूछता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रकार कम्युनिस्ट दल को नष्ट भ्रष्ट कर देने की नीति की अनुमति दे रही है, या वह शान्ति की नीति चाहती है ? यदि भारत सरकार शान्ति कायम करना चाहे, तो हम उसकी मदद के लिये तैयार हैं। हमें यह समझना चाहिये कि यह सब क्यों हो रहा है। इसकी जड़ में क्या है। लेकिन आपने मुझे इसका स्पष्टीकरण करने के लिये दो मिनट भी नहीं दिये।

†अध्यक्ष महोदय : उद्घोषणा की चर्चा के लिये दो दिन नियत किये गये हैं, तब मैं आपको इसका पूरा अवसर दूंगा। उसी में यह चर्चा भी की जा सकती है कि वहां विधि और व्यवस्था कैसे कायम की जाये।

†श्री ल० ब० विट्ठल राव (खम्मम) : उस पर कल चर्चा रखी जाये।

†अध्यक्ष महोदय : उसके लिये १७ तारीख रखी गई है।

†श्री वासुदेवन् नायर (तिरुवेला) : उस क्षेत्र से लोगों ने भागना शुरू कर दिया है। वे १७ तक वहां जिन्दा नहीं रह सकेंगे। अम्बलपुज्ञा में दो महिलाओं पर बलात्कार किया गया है।

†अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर पत्र रखे जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारत के जीवन बीमा निगम के बारे में प्रबन्धक का प्रतिवेदन

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : मैं जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २९ के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५७ को भारत के जीवन बीमा निगम के व्यापार की वित्तीय स्थिति और निगम के दायित्वों के बारे में प्रबन्धक के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४७३/५९]**

बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : मैं बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम और देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४७४/५९]**

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) खनिज संरक्षण और विकास नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ४ अप्रैल, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ३८७।

(२) दिनांक ४ अप्रैल, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ३८८।

(३) दिनांक २७ जून, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ७२९।

(४) खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ जलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८६२ **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४७५/५९]**

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:—

(१) अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ६ जून, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६५२।

(२) भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि नियम, १९४२ में कुछ संशोधन करन वाला दिनांक ६ जून, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६५३।

(३) भारतीय असैनिक सेवा (गैर-यूरोपियन सदस्य) भविष्य निधि नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ६ जून, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६५४।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) भारत सचिव सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४५ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ६ जून, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६५५।

(५) भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतन नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८४५।

(६) भारतीय पुलिस सेवा वेतन नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८४६।

(७) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८५०।

(८) भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि नियम, १९४२ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८५१।

(९) भारत सचिव सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८५२। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १४७६/५९]**

दिल्ली नगरपालिका निगम (नगर वृद्धों का निर्वाचन) नियम में संशोधन

†**श्री दातार** : मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम (नगरवृद्धों का निर्वाचन) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिल्ली गजट में प्रकाशित दिनांक १६ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या २२/२/५९-दिल्ली की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १४७७/५९]**

मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा और अन्य विशेषाधिकार) नियम में संशोधन

†**श्री दातार** : मैं मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा और अन्य विशेषाधिकार) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १६ मई, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १४७८/५९]**

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम में संशोधन

†**वित्त उप मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क), अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:—

(१) दिनांक ३० मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६१७ ।

(२) दिनांक ४ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ७५४। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४७९/५९]**

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख़ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक २ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५१९।

(२) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (मार्का दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक २ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५२०।

(३) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ९ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५४०।

(४) दिनांक ९ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५४३।

(५) दिनांक १६ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५६६।

(६) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या दिनांक १६ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५६७।

(७) दिनांक १६ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५६८।

(८) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १६ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५६९।

(९) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें), नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १६ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५७०।

(१०) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (सोने के जेवर) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ३० मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६२१।

(११) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (मार्का दरें) नियम, १९५८ और सीमा शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ३० मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६२२।

(१२) दिनांक ३० मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६२६।

(१३) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ३० मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६२७। **[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी० १४८०/५९]**

---

†मूल अंग्रेजी में

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(१) सीम शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १६ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५७१ ।

(२) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १६ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५७२ ।

(३) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (मार्का दरें) नियम, १९५८ और सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ३० मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६२९ ।

(४) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ३० मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६३० । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४८१/५९]**

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियां तैयार करना) नियम में संशोधन

†**विधि उप मंत्री (श्री हजारनवीस)** : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियां तैयार करना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २४ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७५ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये सख्या एल० टी० १४८२/५९]**

पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन

†**वित्त उप मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १८ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत पुनर्वास वित्त प्रशासन की ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाली छमाही के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये सख्या एल० टी० १४८३/५९]**

त्रिपुरा राज्य बैंक का लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं :—

(१) ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में त्रिपुरा राज्य बैंक लिमिटेड के कार्य का प्रतिवेदन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये त्रिपुरा राज्य बैंक लिमिटेड के लेखे सहित संचालकों की रिपोर्ट और लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(३) वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक नई दिल्ली की ओर से त्रिपुरा राज्य बैंक लिमिटेड अगरतल्ला के जनरल मैनेजर को दिनांक ५ जनवरी, १९५८ का पत्र संख्या १-रिप, २-३५/५८। [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४८४/५९]

विधेयक पर राय

†सरदार अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : मैं भारत संघ संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गरुद्वारों के सुसंचालन तथा तत्सम्बन्धी मामलों की जांच का उपबन्ध करने वाले विधेयक के बारे में, जिसे १२ दिसम्बर, १९५८ को राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, पत्र संख्या २ सभा पटल पर रखता हूं ।

कलिंग एयरलाइन्स के डकोटा की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे बताया गया है कि यह एक गैर-अनुसूचित चालक (ऑपरेटर) है । गैर-अनुसूचित चालकों के सम्बन्ध में अनेक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं । हमें बताया गया कि सब ठीक है । मैं जानना चाहता हूं कि इन चालकों के विरुद्ध, जो लोगों की जान से खेलवाड़ करते हैं, क्या कार्यवाही की गयी है ?

†श्री तंगामणि (मदुरै) : मैं जानना चाहता हूं कि डकोटा विमानों का क्या किया जायेगा । क्या उनके स्थान पर दूसरे विमान लाये जायेंगे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल): मैं खेद के साथ सभा को सूचित करता हूं कि कलिंग एअरलाइन्स द्वारा चालित डकोटा विमान वी टी—डी जी पी ३ अगस्त, १९५९ को १० बज कर १७ मिनट पर मोहनबाड़ी से अलोंग के लिये (मोहनबाड़ी से ४७ मील उत्तर उत्तर-पश्चिम की ओर) उड़ा और वह अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाया । मोहनबाड़ी से विमान के साथ अन्तिम सम्पर्क १० बज कर २८ मिनट पर किया गया था ।

यह विमान एक गैर-अनुसूचित उड़ान पर था जिसमें ८२६० टन सामान तथा निम्नलिखित कर्मचारी थे :—

१ चालक

१ सह-चालक

१ रेडियो अफसर

१ अटैण्डेण्ट, और

आसाम ट्रेवेल्स के २ सदस्य ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

इस विमान को ढूंढने के लिये भारतीय वायु सेना के २ डकोटा भेजे गये। एक ३-८-५९ को जोरहाट से १४ बज कर १५ मिनट पर और दूसरा १४ बज कर २६ मिनट पर उड़ा। दोनों १७ बजे जोरहाट लौट आये और उस विमान का कुछ पता नहीं लगा।

४ अगस्त को जोरहाट से रिले किये गये उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के पोलिटिकल अफसर के एक बेतार के तार संदेश द्वारा पता लगा कि सैंगांव नामक ग्राम के निकट अलोंग से २५ मील दक्षिण की ओर एक बिल्कुल नष्ट विमान का पता लगा है। दुर्घटना स्थल के पास के गांव के लोगों के कथनानुसार तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी, दो को सामान्य तथा एक को गंभीर चोटें आईं। क्योंकि मार्ग कठिन है अतः जो सुरक्षा दल दुर्घटना स्थल के लिये भेजा गया है वह आज सायंकाल से पूर्व अलोंग नहीं पहुंच पायेगा।

दुर्घटना का पता लगाने के लिये दुर्घटना निरीक्षक, श्री ए० एम० एन० शास्त्री ४ अगस्त की सुबह वायुयान द्वारा दिल्ली से रवाना हो गये थे।

अग्रेतर जानकारी उपलब्ध होने पर मैं इस दुर्घटना के सम्बन्ध में विस्तृत वक्तव्य सभा पटल पर रखूंगा।

गैर-अनुसूचित लाइनों के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा गया है। जब तक यह मामला छानबीन-आधीन है, इस सम्बन्ध में कुछ कहना ठीक नहीं है। लगभग एक सप्ताह में हमें इस विषय में प्रतिवेदन मिल जायेगा। दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में—कि गैर-अनुसूचित उड़ानों तथा सम्बद्ध संस्थाओं व व्यक्तियों के प्रति हम क्या रुख अपनायेंगे— मैं सभा के सामने एक विस्तृत वक्तव्य रखूंगा, जब इस जांच का प्रतिवेदन हमें मिल जायेगा। इस समय कुछ कहना उपयुक्त न होगा। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य कुछ समय तक प्रतीक्षा करें।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : माननीय मंत्री को पता है कि यह बहुत खतरनाक क्षेत्र है और यहां बहुत सी दुर्घटनायें हो चुकी हैं। अतः निवेदन है कि कोई दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कार्यक्रम बना कर वहां अच्छी किस्म के विमान तथा अधिक इंजन का प्रबन्ध किया जाये ताकि विमान अधिक सुरक्षित रहे।

†**श्री स० का० पाटिल** : यह माल ढोने वाला विमान था। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि यात्रियों के लिये हम शीघ्र ही वहां ऐसे विमान रखने जा रहे हैं, जो ऐसे मौसम में उड़ सके और ये सब कठिनाइयां न हों।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति

छियालीसवां प्रातवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिण्डा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छियालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ के उत्तर की शुद्धि

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : १३ मार्च, १९५९ को तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मैंने अन्य बातों के साथ यह भी बताया था कि "जब लोक लेखा समिति ने यह बात बताई थी, तो विभागीय जांच की गयी थी"। मैं समझती हूं कि औपचारिक रूप से कोई विभागीय जांच नहीं की गयी थी पर लोक लेखा समिति द्वारा बताये जाने के बाद विभाग म इस मामले की छानबीन की गयी थी। हो सकता है कि मेरे मूल उत्तर से कुछ गलतफहमी पैदा हो जाये, अतः निवेदन है कि उसे शुद्ध कर लिया जाये।

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा हाफिज मोहम्मद इब्राहीम द्वारा ४ अगस्त को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात् :—

> "कि भारतीय बिजली अधिनियम, १९१० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए मैं यह कहे बग़ैर नहीं रह सकता कि अभी तक देश में जो बिजली का फैलाव हुआ है, उस में देहात का बहुत कम हिस्सा है। इस सम्बन्ध में जो कौंसिल बनने जा रही है, उस में हिन्दुस्तान की सरकार ने पांच नुमायन्दे नामीनेट करने हैं। इन हालात को देखते हुए मैं चाहूंगा कि जब तक हिन्दुस्तान का अस्सी फ़ी सदी हिस्सा बिजली के बारे में पीछे है, तब तक इस कौंसिल के पांचों के पांचों मेम्बर देहाती हों और खास तौर पर काश्तकार हों। आप जानते हैं कि आज अजीब हालत है। बिजली की लाइन का खंभा मेरे खेत में है, लेकिन अगर मैं चाहूं कि अपने खेत की पैदावार को बढ़ाने के लिये एक पम्पिंग सैट का कनेक्शन ले लूं—जाने दीजिये बिजली के पंखे को और दूसरे ऐशो-आराम के सामान को, लेकिन देश की अनाज की समस्या को हल करने के लिये और देश की पैदावार को बढ़ाने के लिये अगर मैं कनैक्शन लेना चाहूं, तो वह मुझे नहीं मिल सकता है। हालांकि सैकंड फ़ाइव यीअर प्लान में इस बात को माना गया है कि देहात में बिजली फैलाने के सिलसिले में फ़ाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ज़ोर नहीं दिया जा सकता और उस को ध्यान में नहीं रखना चाहिये, लेकिन हम देखते हैं कि अगर जहां से बिजली जानी है, वहां से मेरा खेत दो मील है, तो कई स्टेट्स में चालीस हजार रुपये पम्पिंग सैट के कनैक्शन के लिये मांगे जाते हैं और कई स्टेट्स में बीस हजार रुपये। इन हालात को देखते हुए और जिस तरह से देश को आगे जाना है, उसे सामने रखते हुए, मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि कौंसिल के मेम्बरों को नामिनट करते हुए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाये।

जहां सरकारी कारखाने और सरकारी इन्ट्रेस्ट हों, उस को प्रायर्टी देने के बारे में जो क्लाज़ को डिलीट किया गया है, उस की कई इन्टरप्रैटेशन्ज़ की जा सकती हैं। वह ज़रा वेग है। अगर उस का मतलब यह ले लिया जाय कि सरकार जिस को ज़रूरतमन्द समझती है, चाहे वह किसी एक आदमी की ज़रूरियात हों—मिसाल के तौर पर एक काश्तकार की ज़रूरियात हों और वह

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[चौ० रणवीर सिंह]

एक पर्म्पिंग सैट के लिये कनैक्शन चाहता हो—तो उस को भी प्रायर्टी दी जा सके। अगर इस लिये उस को डिलीट किया गया है कि सिर्फ सरकारी कारखाने ही उस में आते हैं, तो मैं उस का स्वागत करूंगा। लेकिन इस क्लाज़ को अगर इसलिये डिलीट किया गया है कि सरकारी कारखाने को साहूकारों के कारखाने के बराबर रख दिया जाये, तो वह ग़लत बात होगी।

जहां तक कम्पेन्सेशन का ताल्लुक है, मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जब एक छोटे से काश्तकार की ज़मीन ली जाती है, तो दस साल की कीमत की एवेरेज लगाई जाती है और वह दी जाती है, चाहे वह एक एकड़ का मालिक हो और चाहे पांच एकड़ का। जब हम कम्पेन्सेशन देते हैं, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों ? जब एक कारखानेदार को, बिजली के कारखाने के मालिक को, जिस ने काफ़ी लोगों को परेशान किया, काफ़ी रुपया कमाया और कोठी बनवाई, कम्पेन्सेशन देने का सवाल आता है, तो मार्केट वैल्यु से भी बीस परसेंट ज्यादा देना पड़ता है और दूसरी तरफ़ हालत यह है कि अगर कोई एक एकड़ ज़मीन का मालिक है, उस को भी जब कम्पेन्सेशन देते हैं, तो दस साल की एवेरेज देखते हैं। मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। यह ठीक है कि शायद कुछ दिन के लिये हम उन कारखानों को उन के ज़रिये चलाना चाहें, लेकिन असल में हमारा जो नुक्ता-ए-निगाह होना चाहिये, वह यह कि अगर बिजली को देश की तरक्की के लिये इस्तेमाल करना है, तो बिजली पैदा करने का काम सरकार के हाथ में होना चाहिये, चाहे वह हिन्दुस्तान की सरकार हो और चाहे सूबाई सरकार हो। कुछ दिन के लिये इस को बर्दाश्त किया जा सकता है और वह भी इस शर्त पर कि जब यह बिल एक एक्ट बन जायगा, तो मौजूदा हालत में सुधार हो सकता है। लेकिन फिर भी यह देखा गया है कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो कौंसिल बनती है, उस में आम तौर पर ऐसे आदमी ज्यादा आ जाते हैं, जिनका सीधा या टेढ़ा वास्ता इलैक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग से होता है। उस में वे अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि जब हाइड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीम की बिजली को डिस्ट्रिब्यूट करने का काम किसी कम्पनी को दिया जाता है, तो जिस रेट पर वह बिजली सरकार से लेती है और बाद में जिस रेट पर लोगों को देती है, उन में रात-दिन का अन्तर होता है। उस चीज़ को ठीक करने के लिये भी यह विधेयक लाया गया है, लेकिन वह तभी हो सकता है जबकि कौंसिल में इलैक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग का एक भी रिप्रेज़ेन्टेटिव न हो, क्योंकि एक भी रिप्रेज़ेन्टेटिव बहुत अच्छा बुरा कर सकता है। जो देश के मफ़ाद को सब से पहले रखते हैं, उन की ही जगह कौंसिल में होनी चाहिये। मैं चाहूंगा कि यह जो व्यवस्था की गई है कि कौंसिल में इलैक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग का भी—मालिकों का भी रिप्रेज़ेन्टेटिव होगा, वह भी हटा दिया जाये।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : कल माननीय मंत्री ने १९१० और १९५७ के बीच हुए बिजली के विकास का वर्णन किया था। पर सरकार की गति आवश्यकता के अनुसार नहीं रही है। बिजली संभरण अधिनियम १९४८ में पारित हुआ था और १९५३ में एक मंत्रणा बोर्ड बैठाया गया। बोर्ड ने १९५४ में अपना प्रतिवेदन दिया कि १९१० के अधिनियम तथा १९४८ के अधिनियम को मिला कर एक विस्तृत विधान बनाया जाये। पर अभी तक वैसा नहीं किया गया।

यद्यपि इस विधेयक के सम्बन्ध में दावा किया गया है कि यह बिजली विकास की विकासोन्मुख गति की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, पर मैं समझता हूं कि यह अधिक लाभदायक नहीं सिद्ध होगा। १९४८ के अधिनियम में कहा गया है कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली बोर्ड गठित किये जायें। पर अनेक राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली बोर्डों का गठित न किया जाना, इस अधिनियम की सफलता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय मंत्री ने बताया कि १९४८ के अधिनियम की धारा ५७ में तथा उस की अनुसूची में काफी विचार के बाद बिजली की दरें निर्धारित करने के लिये आधार बनाये गये हैं, अतः १९१० के अधिनियम में उल्लिखित अधिकतम दर को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः खंड १० और ११क को निकाल दिया जाये। पर जिन राज्यों में बिजली बोर्ड नहीं है या जहां उन्हें जनता की शिकायतों पर ध्यान देने का समय नहीं है, वहां की जनता के सामने कोई उपाय नहीं रह जाता।

१९४८ के अधिनियम की प्रवर समिति ने सुझाव दिया था कि राज्य के बिजली बोर्डों को केन्द्रीय आय-कर से मुक्त रखा जाय पर सभा ने उस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। इसी कारण अनेक राज्यों ने बिजली बोर्ड नहीं बनाये। चूंकि कुछ राज्यों में १९४८ के अधिनियम की धारा ५७ तथा अनुसूची ४ व्यवहारिक रूप से बिल्कुल निष्क्रिय है, अतः वहां और भी अधिक आवश्यकता है कि धारा १० और ११क तथा धारा ३ को अवश्य रहने दिया जाये।

१९५३ में बिजली अधिनियम पर प्रतिवेदन देने के लिये जो मंत्रणा बोर्ड नियुक्त किया गया था एक संशोधन का सुझाव देते हुए कहा था कि १९४८ के अधिनियम की प्रथम या तीसरी अनुसूची के अधीन किसी बिजली कम्पनी का अधिग्रहण करते समय "अवक्षयित लिखित लागत" दी जाये और १९१० के अधिनियम की धारा ५ और ७ के अधीन अधिग्रहण किया जाये, तो उस के लिये "समुचित बाजार मूल्य" दिया जाना चाहिये। नये खंड द्वारा अब १९१० के अधिनियम के उपबन्ध का संशोधन हो रहा है। अतः १९४८ के अधिनियम का उपबन्ध रह जायेगा। ऐसी स्थिति में श्री पाणिग्रही का संशोधन ठीक है।

धारा ५ के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जो सरकारी संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, उस से वह संशोधक विधेयक के खंड ७ की विभिन्न कोटियों को समाप्त करना चाहते हैं। पृष्ठ ६ पर पंक्ति १ से ६ तक निकालने से विधान बहुत ही अधिक लचर हो जायेगा। शायद उन्हों ने नई और पुरानी कम्पनियों—ग्रहण की जाने वाली—के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा है। इस सम्बन्ध में मंत्रणा बोर्ड ने अपने प्रतिवेदन, पृष्ठ १७ में जो कुछ कहा है, उस की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। अतः संशोधनों को प्रस्तुत करते समय, मुझे आशा है, माननीय मंत्री इन बातों का ध्यान रखेंगे।

श्री आसर (रत्नागिरि): इस बिल पर पिछले अधिवेशन में भी चर्चा हो चुकी है और कल से इस बार भी चर्चा हो रही है। इस में एक बात यह भी बतलाई गई है कि यह बिल जिस रूप में आया है उस से भी अधिक विस्तृत और एकत्रित रूप में लाया जा सकता था, जिस से उपभोक्ताओं को आसानी से और सस्ती बिजली मिल सके। इस में एक बात और कही गई है कि कुछ विशिष्ट स्थानों में ६ के बदले २ आदमियों की मांग पर भी बिजली दी जायेगी। यह बात ठीक है परन्तु जब हम खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं तो भी अगर किसी स्थान पर दो आदमी भी न मिलें तो एक आदमी की मांग पर इस नियम के अनुसार उस को बिजली नहीं मिलेगी। इस बारे में मेरा यह सुझाव है कि जब खेती के लिये बिजली देनी हो तो एक की मांग पर ही आप को उसे बिजली देनी चाहिये। लेकिन इस सुविधा के होने के बाद भी दूसरी दिक्कत यह है कि यदि कहीं पर स्पेशल लाइन बिछानी हो तो उस के लिये १५ परसेन्ट चार्ज कंज्यूमर को देना पड़ेगा। इस चीज को कम करना चाहिये। जब हम एक तरफ खुद ट्यूबवेल बना कर खेती को अग्र स्थान देना चाहते हैं तो काश्तकारों की आज की स्थिति को देखते हुए १५ परसेंट बहुत ज्यादा है और इस को कम करना चाहिये।

[श्री आसर]

स्टेट एलेक्ट्रिक बोर्ड बनाये गये लेकिन कभी कभी स्टेट एलेक्ट्रिक बोर्ड खुद भी काला बाजार करते हैं । इस काले बाजार को रोकने के लिये कोई इलाज नहीं किया गया है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । हमारे यहां कोयना प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उस के नजदीक चिपलून नाम का शहर है । पहले वहां एलेक्ट्रिक ग्रिड का पावर हाउस था, लेकिन ग्रिड पावर हाउस को बन्द कर के उस शहर को कोयना प्रोजेक्ट पावर हाउस से बिजली दी जाती है । लेकिन चिपलून शहर में बिजली के दाम अब तक कम नहीं किये गये । कोयना में बिजली ६ आ० यूनिट के हिसाब से दी जाती है और वहां से दस मील दूर शहर में ८।। आ० यूनिट के हिसाब से दी जाती है । मुझे पता लगा है कि बाम्बे एलेक्ट्रिक बोर्ड ने कोयना प्रोजेक्ट से २।। आ० यूनिट के हिसाब से बिजली ली है और इस का कंट्रेक्ट हुआ है । क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २।। आ० यूनिट से बिजली लेना और ८।। आ० यूनिट के हिसाब से बेचना काला बाजार नहीं है तो और क्या है ? अगर यह काला बाजार है तो आखिर इस के बारे में कहां शिकायत करनी चाहिये, इस के बारे में इस बिल में कोई स्पष्ट सुझाव नहीं है जो कि होना चाहिये ।

मंत्री जी ने बताया है कि बिजली पिछड़े हुए लोगों को, छोटे उद्योगों व खेती और फलों के बागानों को बढ़ाने के लिये दी जायेगी । लेकिन यह तो मंत्री जी का मौखिक आश्वासन है । इस बिल में इस के लिये कौन सी धारा है । इसे पूछने का कारण यह है कि हमारे यहां कोयना प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जो कि भारतवर्ष में सब से बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की बिजली दुर्भाग्य से हमारे जिले को मिलने वाली नहीं है । जैसे कल एक भाई ने कहा था कि बिजली है, वह हमारे स्थान पर से जाती है, हमारे ऊपर से लाइनें ले जाई गई हैं, लेकिन हमारे जिले के लिये बिजली नहीं है । जो भी कुछ इस तरह से हो रहा है वह ठीक नहीं है इसलिये इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये । रत्नागिरि डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने पता लगाया, तलाश करने के बाद मालूम हुआ कि हमारी बिजली केवल चिपलून शहर को मिलने वाली है, रत्नागिरि के अन्य भागों को मिलने वाली नहीं है । हमारा जिला पिछड़ा हुआ है । हम बिजली बैकवर्ड एरियाज को देना चाहते हैं तो रत्नागिरि डिस्ट्रिक्ट बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वह दुर्गम प्रदेश माना जाता है । आज वहां छोटे छोटे उद्योगों की आवश्यकता है, लेकिन छोटे छोटे उद्योगों को खोलने की आवश्यकता होते हुए भी हमारे पास बिजली नहीं है । थोड़े दिन पहले मैंने अपने उद्योग मंत्री के साथ बातचीत की थी और बताया था कि हमारे यहां उद्योगों को खोलने की आवश्यकता है । उन्हों ने कहा कि उद्योग तो खुल सकते हैं लेकिन वहां पर बिजली नहीं है । इस स्थिति को देखते हुए भी जो हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है उस के लिये बिजली की सुविधा नहीं है । मेरा यह सुझाव है कि अगर कोयना प्रोजेक्ट की बिजली बीजापुर तक जा सकती है जो कि ४०० या ५०० मील दूर है तो रत्नागिरि डिस्ट्रिक्ट को, जो कि कुल ६० या ७० मील की दूरी पर है बिजली मिलना ठीक नहीं है । इस पर मंत्री महोदय ध्यान दें और यह घोषणा करें कि रत्नागिरि डिस्ट्रिक्ट को बिजली मिलेगी । मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं कि जहां से लाइन जाती है वहां के शहरों में ही बिजली लगे बल्कि वहां के गांव गांव को बिजली देने की व्यवस्था होनी चाहिये । इस चीज पर बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है ।

सेक्शन ५ के सब सेक्शन २ के अनुसार जब कोई कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो मैं ने उस की कीमत के बारे में विरोध किया है क्योंकि बिल में लिखा है :

"क्रय के समय उपक्रम का बाजार मूल्य होगा ।"

मेरी दृष्टि से यह गलत बात है । इस का लाभ कंसर्न वाले उठायेंगे इतना ही नहीं, कंसर्न की जो ओरिजिनल कीमत होगी उस कीमत से भी बहुत ज्यादा, दुगुनी, तिगुनी कीमत ली जाती है । इस बारे

में मेरा विरोध है और मैं समझता हूं कि यह मार्केट वैल्यू नहीं होती है । उस की जो कास्ट प्राइस है उस पर डिप्रिसिएशन कम करने के बाद जो कुछ बुक वैल्यू आये, उस के अनुसार कीमत दी जानी चाहिये नहीं तो करप्शन ज्यादा होगा और ज्यादा कीमत दी जायेगी । इस का प्रभाव उद्योग धंधों पर पड़ेगा और उन को बिजली महंगी पड़ेगी । इस पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये । जितने सदस्य यहां पर बोले हैं लगभग सभी ने यह सुझाव रक्खा है कि मार्केट वैल्यू न दे कर डिप्रिसिएशन वगैरह कम कर के बुक वैल्यू देने की आवश्यकता है । मेरा भी यही विचार है कि यही ठीक रहेगा ।

हमारे सूपकार जी ने कहा कि स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उपभोक्ताओं पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं देता । कई भाई ऐसे हैं जो कि शिकायतें करते हैं, लेकिन उन शिकायतों का जवाब देने या उस शिकायत को दूर करने का प्रयत्न स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से नहीं किया जाता । इसका एक उदाहरण तो बेलगांव में ही पाया जाता है । बेलगांव में आज तीन चार वर्षों से झगड़ा चल रहा है, अनेक एप्लिकेशन्स भेजी गई बहुत लिखा पढ़ी की गई, तो पहले तो स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जवाब नहीं दिया, पांच छः पत्र लिखने के बाद उसने कहा कि आपका पत्र ही नहीं मिला । उसके बाद एक और पत्र लिखा गया तो उस पर यह उत्तर आया कि हम इस मामले में इंटरफियर नहीं करना चाहते । मैं समझता हूं कि जब एक बार, दो बार, तीन बार एलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ा दिये जाते हैं तो उस के बाद अगर उस के दाम बढ़ाने हों तो उसके लिये स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को न बढ़ाने देकर एक रेटिंग कमेटी नियुक्त की जाय और वह कोई फैसला करे । अभी यह चीज लाइसेंसी पर छोड़ दी जाती है, इसका परिणाम यह होता है कि लाइसेंसी हर मामले में जीत जाता है और उपभोक्ताओं को परेशानी होती है । इस बारे में खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

जो स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बने हुए हैं । हर एक बोर्ड में उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिये । इस बारे में इस बिल में कोई सुविधा नहीं है । इस दृष्टि से भी विचार करना बहुत आवश्यक है । एस के बाद मेरा यह सुझाव है कि स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर उपभोक्ताओं की ओर से एक या दो प्रतिनिधि ऐसे होने चाहिये जो कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को अपने सामने रक्खें । इन तीन चार बातों पर विचार कर के मंत्री जी जो आवश्यक समझें उसे करें ।

श्री ब्रंज राज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जब दूसरे कानून में संशोधन हो रहा था उस वक्त चाहिये था कि सरकार सारे देश में किस प्रकार बिजली फैलायेगी, खास तौर से पिछड़े हुए एरियाज में, इस पर भी विचार किया जाता । और ऐसे कदम उठाये जाते जिससे उन लोगों को बिजली मिल सकती जिन के लिये सारी पंचवर्षीय योजना चलाई जाती बताई जाती है । कहा जाता है कि पंचवर्षीय योजना चल रही है जनता के लिये, लेकिन बिजली की जो पैदावार हो रही है, उस का जो वितरण होता है वह कुछ थोड़े से आदमियों के लिये कर दिया जाता है और सदन में बार बार यह बात उठाई गई है कि जो लोग अन्न पैदा करते हैं उन लोगों के लिये या जो छोटे उद्योग धंधे चलाते हैं उन के लिये बिजली देने के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कोई विशेष सुविधा दी जानी चाहिये । बार बार यह बात कही जाती है सदन में, और बाहर भी, लेकिन जब भी सरकार द्वारा बिजली देने का प्रश्न आता है तो बड़े पैमाने पर बिजली देने वाले कुछ ऐसे लोगों को देते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उद्योग चलाने वाले हैं । उत्तर प्रदेश में रिहन्द बांध से बिजली पैदा की जाने वाली है, वहां एक बहुत बड़े उद्योगपति को बहुत सी बिजली देने का अभी से करार कर लिया गया है और जो चीज आम जनता को जानी चाहिये थी उसके पास उसके जाने का प्रश्न उठेगा ही नहीं । इसी तरह से देश के दूसरे भागों में इस तरह की बातें चल रही हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि जो हमारे यहां बिजली पैदा हो रही

[श्री ब्रजराज सिंह]

है उस बिजली को उन लोगों के लिये सुलभ करने के लिये कदम उठायें जो कि देश में नये उत्पादन कार्य आरम्भ करना चाहते हैं और जो कि देश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं। देश के खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। मंत्री महोदय की तरफ से यह आश्वासन कि वह राज्य सरकारों से खेती के लिये बिजली सुलभ करने के लिये कह देंगे, काफी नहीं होगा। उसके लिये तो निश्चित रूप से कोई कानून बनना चाहिये जिसमें व्यवस्था हो कि किसी एक खास रेट से ऊपर खेती के कामों के लिये बिजली पर चार्ज ही नहीं लिया जायगा। पहले के नियम के अनुसार जब ६ आदमी मिलकर बिजली के लिए प्रार्थनापत्र देते थे तो किसी एक नई जगह के लिये बिजली मिल सकती थी। अब ६ की जगह पर दो आदमियों द्वारा बिजली कनैक्शन के लिये एप्लाई करने की व्यवस्था कर दी गई है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा १५ परसेंट तक का खर्चा उनको ही उठाना होगा और दो साल की गारण्टी रहेगी। ऐसी हालत में उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। पहले ६ आदमी १५ परसेंट देते थे और अब जो २ ही आदमी कर दिये हैं तो अब उन दो ही आदमियों को यह १५ परसेंट का खर्चा उठाना पड़ेगा। दो साल तक उन्हें और अधिक रुपया देना पड़ेगा। वास्तव में अगर इसको देखा जाय तो पता लगेगा कि जो बिजली के खतीबाड़ी करने वाले उपभोक्ता हैं, छोटे छोटे उद्योगपति अथवा छोटे छोटे धंधे चलाने वाले लोग हैं उनको इससे कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा और दो साल तक १५ परसेंट तक की गारण्टी करनी पड़ेगी। जो पहले से बिजली संस्थान चले आ रहे हैं उन बिजली संस्थानों को उनका ठेके का वक्त खत्म होने पर यदि सरकार लेना चाहे तो ले सके और उसको बाजार की कीमत पर लेना पड़ेगा। व्यवस्था यहां तक की गई है कि बाजार की कीमत के ऊपर भी २० परसेंट तक का अतिरिक्त मूल्य दिया जा सकता है। अगर आप उन प्राइवेट बिजली संस्थानों को देखें तो आपको मालूम हो जायेगा कि जितनी पूंजी लेकर उन्होंने काम आरम्भ किया था उससे कहीं अधिक वे कमा चुके हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जिस वक्त उन्होंने पूंजी लगाई थी उस पूंजी की डैप्रीसिएशन लगाने के बाद अब वह कितनी रह जाती है। आज बाजार मूल्य की बात कही जाय और यह कहा जाय कि उस पर २० फीसदी अतिरिक्त मूल्य दिया जायगा तो इसके साफ माने यह हैं कि एक तरफ तो बिजली उपभोक्ता हैं छोटे किसान अथवा उद्योगपति हैं उनको बिजली देने के लिये १५ परसेंट की दो साल तक की गारण्टी दी जायगी और दूसरी तरफ उन प्राइवेट बिजली कम्पनियों को यदि सरकार अपने हाथ में लेना चाहे तो उसके लिये हमें आज की बाजार की कीमत देनी होगी और २० फीसदी और अतिरिक्त मूल्य देना पड़ेगा। इससे साफ प्रकट हो जाता है कि सरकार किसी भी सूरत में जो प्राइवेट बिजली संस्थानों के मालिक हैं उन को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उनको तो सरकार अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाना चाहती है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह तरीका मुल्क को बनाने और उसमें विद्युतकरण करने का नहीं है। बिजली आज पंखों, रोशनी, गरम पानी और ठंडे पानी के लिये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने में वह सहायक हो सकती है। आज बिजली की सहायता से देश में औद्योगीकरण किया जा सकता है और देश में अन्न की पैदावार बढ़ायी जा सकती है। इसलिये आपकी इस तरह की दलीलें देना कि हमारे पास उन प्राइवेट बिजली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये पर्याप्त साधन अथवा रुपया नहीं है, ठीक नहीं है। मैं बड़े विनम्र शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि यह सब थोथी दलीलें हैं क्योंकि सवाल बाजार कीमत का नहीं है आज हम जानते हैं कि इनफ्लेशन का जोर है, मुद्रा-स्फीति का जोर है और आज के जमाने में पहले जो कीमतें होती थीं उनकी ४ गुनी और ५ गुनी हो गई हैं। १० गुनी तक हो गयी हैं। बाजार मूल्य के ऊपर २० फीसदी का अतिरिक्त मूल्य देना तो किसी तरह न्यायसंगत नहीं है। इसके तो साफ माने यह हो जाते हैं कि हम उन प्राइवेट बिजली संस्थानों को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। अभी चूंकि

यह संशोधन विधेयक ही है और हो सकता है कि इस पर विचार न किया जा सके लेकिन मैं चाहूंगा कि सरकार आगे के लिये ध्यान रक्खे कि यदि मुल्क को नये सिरे से बनाना है और पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है तो आपको बिजली के सर्वाधिक महत्व को ध्यान में रखना होगा। बिजली का इस मामले में बहुत महत्व है और हमें इस बात के लिये प्रयत्नशील होना पड़ेगा कि बिजली गांवों में, किसानों के पास और छोटे छोटे उद्योग धंधों के चलाने वालों को सुलभ हो सके और सस्ती दर पर सुलभ हो सके। हमें यह देखना होगा कि बिजली खाली बड़ी-बड़ी कोठियों, दफ्तरों आदि में रोशनी, पंखों और बंगलों को ठंडा और गर्म करने के लिये ही इस्तैमाल में न आये बल्कि वह हमारे देहात के किसानों और सर्वसाधारण को जनोपयोगी कार्यों के लिए सस्ती दर पर मिल सके। बड़े बड़े शहरों में बिजली का इस्तैमाल हमेशा दिवाली मनाने के लिये करके देश का निर्माण नहीं हो सकता और देश प्रगति नहीं कर सकता। बिजली ऐश आराम की चीज बनकर न रह जाय। बिजली का सही उपयोग तभी हो सकता है जब हम इसमें कुछ मौलिक परिवर्तन करें। हमें देखना होगा कि गांवों के अंदर ट्यूबवैल आदि चलाने के लिये लोगों को सस्ती व मुनासिब दर पर बिजली मिले।

आज जब हम मिनिस्टर महोदय के मुंह से यह सुनते हैं कि प्राइवेट बिजली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने की उनमें सामर्थ्य नहीं है तो थोड़ा अफसोस होता है क्योंकि इस तरह की निराशापूर्ण बातें कह कर हम उन प्राइवेट बिजली कम्पनियों को और मनमानी और मुनाफा उठाते जाने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। एक जमाना था जब कुछ इस तरह की बातें हमारे लिये अंग्रेज शासक कहा करते थे। अंग्रेज कहा करते थे कि हिन्दुस्तानियों में आजाद होकर अपने देश का कामकाज चलाने की क्षमता नहीं है लेकिन समय ने सिद्ध कर दिया कि उनका ऐसा कहना कितना गलत था। ठीक वही अंगरेजों वाली बात हमारी भारतीय सरकार द्वारा कही जा रही है कि बिजली के प्राइवेट संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करने की हम में सामर्थ्य नहीं है। मेरा कहना यह है कि अब वक्त आ गया है जब हमें सारी समस्या पर पूरी तरह से सोचना पड़ेगा। आखिर कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? सरकार को बिजली सस्ती दर पर जनता को, किसानों को और सर्वसाधारण को सुलभ करने का सक्रिय प्रयत्न करना चाहिये। अगर इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता तो जल्दी से सन् १९४८ के कानून को लेते हुए और इस कानून को भी लेते हुए पुनर्विचार करके एक दूसरा कानून लाये जिसमें सारी व्यवस्था पर पूरे तरीके से विचार किया जाय। और यह सोचा जाय कि हम जो कुछ कर रहे हैं उससे क्या देश के उत्पादकों को फायदा होने वाला है या बिजली संस्थानों को फायदा होने वाला है। आज हकीकत यह है कि प्राइवेट बिजली कम्पनियां एक इंच भी पीछे दबने को तैयार नहीं हैं। आज वक्त की पुकार है कि हम उन प्राइवेट कम्पनियों की मुनाफाखोरी को रोकें। मुझे विश्वास है कि अगर उन कम्पनियों के बारे में जांच की जायगी तो पता चल जायगा कि जितनी पूंजी से उन्होंने अपना काम शुरू किया था उससे कहीं ज्यादा वे अब तक कमा चुकी हैं। मैं मानता हूं कि सारे देश भर के लिए हम एक यूनिफार्म बिजली की दर नहीं तय कर सकते क्योंकि जाहिर है कि जिस स्थान में बिजली पैदा होती है वहां पर बिजली सस्ती मिलेगी बनिस्बत उस जगह से जो २०० मील की दूरी पर है क्योंकि जाहिर है कि वहां तक लाइन डालनी पड़ेगी और खर्चा आयेगा और दूरी के स्थान पर बिजली की दर कुछ ऊंची होगी। लेकिन इसके लिये भी मेरा कहना है कि सरकार इसका ठीक से हिसाब लगा कर देखे कि जिस स्थान पर बिजली बंट रही है और वहां जो बिजली की दर है उसको देखते हुए वहां से २०० मील की दूरी पर जहां कि लाइन के जरिये बिजली पहुंचायी जा रही है वहां पर बिजली की दर क्या रक्खी जाय। आजकल देखने में आता है कि बहुत सा खर्चा डाइरेक्टरों की लम्बी लम्बी तनख्वाहों, भत्तों और उनके दफ्तरों को ठंडा गर्म करने में हो जाता है और उसका भार उपभोक्ता को उठाना पड़ता है। इसलिये हिसाब लगाकर यह निश्चित किया जा सकता है कि उस स्थान पर जहां कि लाइन ले जाई गई है उसमें होने वाले खर्च को देख कर एक निश्चित मात्रा से अधिक वहां पर बिजली की दर नहीं होगी। एक खास मुनाफा लिया जायगा और प्रशासन का ज्यादा होने वाला

[श्री ब्रजराज सिंह]

खर्चा उसमें शामिल नहीं किया जायेगा । कोशिश यह की जानी चाहिये कि वितरण की जो दरें हों वे कम हों । जो भी हिसाब लगा कर दर बिजली की निश्चित की जाय उससे बिजली की ज्यादा कीमत उपभोक्ताओं से लेने का कोई सवाल नहीं होना चाहिये ।

मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ निवेदन किया है सरकार उस पर गम्भीरता से विचार करेगी और अगर अभी उसके लिये कुछ करना सम्भव न हो तो वह शीघ्र ही सदन के सामने कोई एक दूसरा बिल लायेगी जिसमें कि वह इस कानून और सन् ४८ के कानून को सम्मिलित कर देगी और उस पर इस सदन में विचार किया जायगा कि कैसे मुल्क के जो असली उत्पादक हैं चाहे खेती के क्षेत्र में हों चाहे उद्योग के क्षेत्र में हों उन को हम कैसे फायदा पहुंचा सकें और सस्ती दर पर पर्याप्त बिजली सुलभ कर सकें ।

श्री जाधव (मालेगांव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय पहले यह बिल सदन के सामने आया था और इसको ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को सौंपा गया था, उस वक्त यह चाहा गया था कि उस बिल में बहुत परिवर्तन हों, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस बिल का जो प्रिएम्बिल है, उस प्रिएम्बिल में यह बिल बनाने का हमारा मकसद क्या है, इसको अच्छी तरह से नहीं बताया गया है । जैसे शिपिंग के बारे में मकसद बताया गया, एटामिक पावर के बारे में हमारा मकसद बताया गया, वैसे ही इस बारे में हमारा कानून बानाने का मकसद क्या है, यह बताया जाता तो बहुत अच्छा होता ।

लेनिन ने अपने देश को बनाते वक्त कहा था : डेमोक्रेसी और इलेक्ट्रिसिटी ही समाजवाद है । यह बात अलग है कि रूस में डिमाक्रेसी नहीं रही, इलेक्ट्रिसिटी है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक देश के बनाने में इलेक्ट्रिसिटी कितनी अहमियत रखती है । किसी देश में औद्योगिक तरक्की कितनी है यह जानने के लिये उस देश में बिजली का कितना इस्तेमाल किया जाता है यह देखा जाता है । जवाहरलाल जी ने कहा है कि और दुनिया अणु युग में है, लेकिन हम गोबर की कीमत भी नहीं जानते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट गोबर की कीमत भी नहीं जानती और बिजली की कीमत भी नहीं जानती । हमने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई और अब तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने जा रहे हैं पर हम यह तै नहीं कर सके कि जो बिजली पैदा होती है इसका हम राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण कब करने जा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में गवर्नमेंट को ठोस कदम उठाना चाहिये था और चाहिए था कि इसी बिल के प्रिएम्बिल में गवर्नमेंट हमारा यह मकसद जाहिर कर देती । यह बात माननीय मंत्री जी आपके सामने रखेंगे ऐसा मैं कहना चाहता हूं ।

आज गवर्नमेंट बड़े-बड़े डैम बना रही है । उनमें से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसका इस्तैमाल कहां होना चाहिये इसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ अपना धोरण नहीं बनाया है । अभी-अभी श्री आसर जी ने कहा कि कोयना से जो बिजली पैदा होने वाली है उसका इस्तैमाल उस डिस्ट्रिक्ट के किसानों के लिये और छोटे उद्योग चलाने वालों के लिए होता जहां से वह गुजरने वाली है तो उचित होता । मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को भी वह बिजली दी जाएगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उस बिजली का इस्तैमाल बम्बई के जो करोड़पति हैं उनके धंधों के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिये होने वाला है । इसके बारे में गवर्नमेंट को अपना खास धोरण तै करना चाहिए । इतना ही नहीं, हमारे हिन्दुस्तान में जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं उन नदियों में कितनी बिजली पैदा करने की ताकत है इसका सर्वे होना चाहिये और वह सर्वे करने के बाद इस बात को उठाना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा बिजली हम हाइडल पावर से पैदा करें ताकि उसका इस्तैमाल हम अपने किसानों के फायदे के लिये कर सकें । आप जानते हैं कि किसान को अनाज पैदा करने के लिये कितना परिश्रम करना पड़ता है, रात-दिन

मेहनत करनी पड़ती है । वह पूरा अनाज तभी पैदा कर सकते हैं जब हम उनकी सारी जरूरतों को पूरा करें ।

कई माननीय सदस्यों ने बहुत कहा है कि इर्रीगेशन के लिये हमें बिजली देनी चाहिये । उन्नीसवीं सदी को हम वाष्प की सदी कह सकते हैं, लेकिन बीसवीं सदी हमारे हिन्दुस्तान में बिजली की सदी बननी चाहिये । हम को ज्यादा से ज्यादा पावर किसानों को देनी चाहिये । जो छोटे-छोटे इंजिन डीजल से चलने वाले हैं उन का इस्तैमाल बहुत लोग नहीं जानते हैं और उन को उस का बहुत दाम भी देना पड़ता है । लेकिन अगर हम किसानों को बिजली दे सकें तो उन को उस से बहुत फायदा होगा । अगर गवर्नमेंट यह बात अपने सामने रखेगी तो बहुत अच्छा होगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स सब स्टेट्स में बनने चाहियें थे वे नहीं बने । जैसा मैं ने कहा, और जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा है सरकार को किसानों को और छोटे धंधों को बिजली देने की तरफ जल्द ध्यान देना चाहिये । आप देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों में एकत्र हो रहे हैं । वे लोग वहां क्यों जाते हैं ? इस का कारण यह है कि देहात में उन के पास पूरे साल भर खेती में काम करने को नहीं होता । वह तीन चार महीने खेती पर काम करते हैं, बाकी दिन उन के पास काम नहीं रहता । इसलिये वे काम की तलाश में देहात को छोड़-छोड़ कर बड़े शहरों में चले जाते हैं । उत्तर प्रदेश से लोग बम्बई अपनी रोजी रोटी कमाने के लिये जाते हैं । वह वहां क्यों जाते हैं ? इस का कारण यही है कि उन को अपनी खेती में ज्यादा फायदा नहीं होता, काफी पैसा नहीं मिलता । इसलिये वे चले जाते हैं । अगर उन के लिये देहात में खेती के काम के बाद छोटे-छोटे धंधे करने के लिये हों तो वे वहां ठहर सकते हैं और अपने गांव का नक्शा बदल सकते हैं । मैं मालेगांव से आता हूं । वह एक मशहूर गांव है । मैंने वहां के बुनकरों की हालत सन् १९२९-३० में देखी थी जब वे हाथ से लूम चलाने का काम करते थे और वहां बिजली नहीं थी । आज वहां के लोगों को बिजली मिलने लगी है और वह पावर का इस्तैमाल करते हैं । अब गांव का नक्शा ही बदल गया है । उन लोगों की जिन्दगी ही बदल गई है । हर घर का हर आदमी, छोटे बच्चे से ले कर बूढ़ा तक काम करता है और अपनी रोजी रोटी अच्छी तरह कमाता है । इस के मानी यह हैं कि अगर लोगों को मोटिव पावर मिल जाती है तो वह अपनी जिन्दगी को सुधार सकते हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को और देहात में छोटे धन्धे करने वालों को बिजली मिलनी चाहिये । इस की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को कंज्यूमर्स के हितों का भी संरक्षण करना चाहिये । इलेक्ट्रिक कम्पनियां जिस प्रकार बिजली का वितरण करती हैं उस को सरकार नहीं देखती है । मुझे मालूम है कि इगतपुरी में रेलवे की सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी म्युनिसपैलिटी के लिये दी गई थी । उस में से कम्पनी को बिजली ढाई आने प्रति यूनिट के हिसाब से दी गई लेकिन डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी जनता को बिजली आठ आने यूनिट पर दे रही है । आप देखें कि इस तरह से कितना काला बाजार होता है, कितनी मुनाफा खोरी होती है यह गवर्नमेंट को देखना चाहिये । अगर इस चीज को रोकना है तो हम को यह काम पब्लिक सेक्टर में लेना होगा । अगर यह पब्लिक सेक्टर में हो तो इस पर कुछ रोक लगाई जा सकती है । इसलिये मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कम्पनियों से पावर हाउस लेने के लिये जो गवर्नमेंट ने दाम देने का फारमूला बनाया है वह मेरी समझ में गलत है । उन की बुक वैल्यू देख कर और डिप्रिसिएशन को देख कर डिप्रिसियेशन बुक वैल्यू को देख कर कीमत तै करनी चाहिये । गवर्नमेंट ने इस पर विचार क्यों नहीं किया यह मेरी समझ में नहीं आया है ।

†**डा० मेलकोटे** (रायचुर) : मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। इस विषय पर जो चर्चा हुई है उस के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि लोकहित को देखते हुए यह अधिक उचित होगा कि इस का सारा साहित्य ऐसे ढंग से प्रकाशित किया जाये कि साधारण-से-साधारण व्यक्ति भी उसे समझ ले ।

हमारे देश में जल, कोयला तथा डीजल तेल से बिजली तैयार की जाती है। डीजल तेल से तैयार की गई बिजली बहुत महंगी पड़ती है। कोयले से तैयार की गई बिजली की लागत वैसे तो बहुत अधिक नहीं है, पर कई स्थानों पर उपभोक्ताओं को काफी महंगी मिलती है, हम इस बात का स्वागत करते हैं कि बिजली के उत्पादन तथा उस के वितरण का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। पर वर्तमान स्थिति में उन के उत्पादन की लागत भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होने के कारण कुछ स्थानों पर उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी और कुछ स्थानों पर महंगी। इस से व्यापारिक वर्ग तथा सरकार के बीच संघर्ष पैदा होगा। मंत्रालय को यह भी ध्यान रखना होगा कि बिजली कहीं सस्ती व कहीं महंगी होने के परिणामस्वरूप विभिन्न छोटे बड़े निर्माताओं में आपस में प्रतिस्पर्द्धा पैदा होगी तथा एक को कम व दूसरे को अधिक लाभ मिलेगा।

यदि हम उत्पादन, घरेलू तथा अन्य कामों के लिये अलग-अलग दर से तथा अलग-अलग तारों से बिजली देने की प्रथा को बन्द कर दें, तो तारों तथा मीटरों की खरीद का खर्च बच जाये और उपभोक्ताओं को काफी लाभ हो। इस बात का भी मंत्रालय को ध्यान रखना चाहिये।

मेरा एक और निवेदन है। जहां बांध बने हैं वहां की जनता पानी का उपयोग सिंचाई के लिये कर के उत्पादन बढ़ा रही है। पर जिन क्षेत्रों में बांध का पानी नहीं जा सकता, वहां हमें बिजली आदि द्वारा जल की व्यवस्था करनी चाहिये। इस प्रकार उत्पादन की वृद्धि कई गुना हो जायेगी। साथ ही गरीब किसान देहात छोड़ कर शहरों की ओर नहीं भागेंगे।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : यह सच है, जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया, कि भारत ने बिजली उत्पादन में बड़ी प्रगति की है और भविष्य के लिये इस सम्बन्ध में बड़ी गुंजाइश भी है। साथ ही यह भी सच है कि कृषि क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र दोनों के लिये बिजली सब से अधिक महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में है। अतः बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार की एक निश्चित नीति होनी चाहिये।

बिजली के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निश्चित नीति नहीं अपनाई है। माननीय मंत्री ने कहा कि बिजली कम्पनियों के अधिग्रहण में बहुत अधिक धन व्यय होगा, अतः हम राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार की नीति १९५६ में निर्धारित औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसरण में होनी चाहिये जिस में कहा गया है कि सभी मूल व बुनियादी उद्योग सरकारी क्षेत्र में होंगे। ध्यान रहे बिजली उद्योग एक मुख्य बुनियादी उद्योग है। अतः खेद की बात है कि सरकार ने बिजली के राष्ट्रीयकरण की नीति को स्वीकार नहीं किया है।

खंड ६ में उपबन्ध है कि राज्य बिजली बोर्ड, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय बिजली कम्पनियों का अधिग्रहण कर सकेंगे। पर यह उपबन्ध नहीं है कि एक बार लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर बिजली कम्पनियों को राज्य बिजली बोर्ड ले लेगा। साथ ही श्री भरूचा ने पिछले सत्र में एक सुझाव दिया था कि ऐसे अधिग्रहण के मामलों में क्षतिपूर्ति ऐसे बॉन्ड्स में दी जाये, जो २० वर्ष बाद भुनाये जा सकें। मैं समझता हूं कि इस में सरकार पर खर्च का भारी बोझ नहीं पड़ेगा और

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिग्रहण का काम धीरे-धीरे पूर्ण हो जायेगा । यह बहुत आवश्यक है कि बिजली के उत्पादन तथा वितरण का सारा काम सरकार के हाथों में आ जाये ।

पंजाब के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री को एक बात बताना चाहता हूं । पंजाब सरकार ने केन्द्र से मांग की है कि पंजाब में और पावर-हाउस खोले जायें क्योंकि पंजाब में बिजली की बड़ी कमी है और छोटे पैमाने के उद्योगों में बिजली की खपत बहुत है । ध्यान रहे कि भाखड़ा बांध से ४०,००० से ६०,००० किलोवाट बिजली दिल्ली को और एक लाख किलोवाट से अधिक नंगल उर्वरक कारखाने को मिलेगी और पंजाब के लिये कुछ भी नहीं बचेगा । अतः मेरा निवेदन है कि पंजाब की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये वहां नये पावर-हाउस बनाये जाने चाहियें । अतः मेरा कहना है कि इस सम्बन्ध में सरकार की एक निश्चित नीति होनी चाहिये । अच्छा होता यदि इस विधेयक में इस सम्बन्ध में सरकारी नीति को स्पष्टरूप प्रदान किया गया होता ।

बिजली की दरों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि दरें समान होनी चाहियें । पंजाब में नहर प्रणाली के कारण जल-निरोध की समस्या पैदा हो गई है और अच्छी वर्षा होने पर तुरन्त बाढ़ें आ जाती हैं । ऐसी स्थिति में कुओं तथा तालाबों से सिंचाई की प्रथा ही पंजाब के लिये उपयुक्त है । पर यह तभी संभव है जब इस काम के लिये कृषकों को सस्ती दर पर बिजली दी जाये । साथ ही बिजली की दरें भी एक समान होनी चाहियें । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरी इन बातों पर ध्यान अवश्य रखेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : इस संशोधन विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जो उपभोक्ताओं के लिये लाभदायक हैं और कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जो नियमन बनाने के लिये सरकार को कुछ अधिकार देते हैं । हम उन उपबन्धों का स्वागत करते हैं । किन्तु मुझे यह देख कर बड़ी निराशा और असंतोष हुआ कि देश की परिवर्तित आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रख कर यह विधेयक नहीं बनाया गया है ।

यह संशोधन विधेयक असंतोषजनक और निराशापूर्ण है क्योंकि इस का आधार भी कोई नहीं है । मुझे नहीं मालूम कि बिजली विभाग अथवा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने आज तक भी कोई राष्ट्रीय नीति बनाई हो । हम सभी यह अच्छी तरह जानते हैं कि उद्योगों के बारे में नीति है, वैज्ञानिक विकास सम्बन्धी नीति के बारे में भी प्रधान मंत्री ने उस दिन एक वक्तव्य दिया था किन्तु इन सब से अधिक महत्वपूर्ण नीति तो विद्युत् उत्पादन और उस के संभरण की होगी क्योंकि उद्योग और विज्ञान की प्रगति विद्युत् से ही होगी ।

बिजली संभरण अधिनियम १९४८ के खंड ३ के अनुसार केन्द्रीय बिजली प्राधिकार नाम का एक प्राधिकार बनाया गया था । आगे चल कर एक उपबन्ध के अनुसार इस केन्द्रीय बिजली प्राधिकार का कार्य एक ठोस, पर्याप्त और समान राष्ट्रीय विद्युत् नीति बनाने और विशेष रूप से योजना अभिकरणों के कार्य कलापों को समन्वित करने का निश्चय किया गया । कुछ दिन हुए जब मैं ने माननीय मंत्री से लिख कर पूछा कि क्या कोई ऐसी नीति बनाई गई है तो उन्हों ने बताया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है जो यथासमय मुझे भेज दी जायेगी । इस उत्तर से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । मैं देखता हूं कि हमारी कोई ठोस राष्ट्रीय नीति नहीं है और यही कठिनाई उत्पन्न होती है । यही कारण है जो मैं कहता हूं कि यह संशोधन कोरी हवाई बातें हैं । अगर कोई ठोस नीति होती तो इस विधेयक के उपबन्ध और संशोधन बिल्कुल दूसरे ही होते । उन का सम्बन्ध उस नीति से होता ।

मेरा तो विचार है कि यह प्राधिकार ठोस राष्ट्रीय नीति नहीं बना पायेगा । इस का (प्राधिकार) का ढांचा ही ऐसा है । मेरा विचार तो यह है कि विद्युत उत्पादन और उस के वितरण के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

सम्बन्ध में मंत्रिमंडल नीति बनाये और संसद् में प्रस्तुत करे । यहां पर विचार करने के बाद ही उसे राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिये । तब यह अधिनियम बिल्कुल दूसरे ढंग का होता और देश की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करता ।

सभी क्षेत्रों ने इस बात को ध्यान में रख कर इस की आलोचना की है । एक माननीय सदस्य ने सोवियत रूस की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा है कि वहां विद्युत् उत्पादन को बहुत महत्व दिया गया है । वे लोग विद्युत् उत्पादन के आधार पर ही अपनी प्रगति का मूल्यांकन करते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि जब तक, संसद् द्वारा अनुमोदित, हमारे यहां कोई राष्ट्रीय नीति इस के बारे में नहीं होगी तब तक इन अधिनियमों का कोई महत्व नहीं होगा । इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय बिजली प्राधिकार को कहें कि वह समय की आवश्यकता और मांग को ध्यान में रख कर कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करे, माननीय मंत्री उसे मंत्रिमंडल में लायें और फिर वह नीति सदन में लाई जाये । मैं आशा करता हूं कि ऐसा किया जायेगा ।

माननीय मंत्री ने वक्तव्य देते हुए बताया है कि छोटे पैमाने के उद्योगों में वे क्या कर रहे हैं किन्तु इन उद्योगों को दी जाने वाली सहायता के बारे में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । उद्योग मंत्री से प्रत्येक बैठक में मैं ने पूछा है कि गत पांच वर्षों में प्रत्येक उद्योग को प्रत्येक राज्य में कितनी सहायता दी गई । आप को जान कर आश्चर्य होगा कि यह राशि केवल कुछ हजार है । मैं तो कहूंगा कि यह तो कोरा मज़ाक है । क्या समस्या के समाधान का यही सन्तोषजनक ढंग है । क्या इसी ढंग से हम इन छोटे उद्योगों को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन दे रहे हैं । हमें निश्चय करना होगा कि विभिन्न स्थानों के बारे में हम लोग क्या करने जायेंगे ।

ग्यारह वर्ष बीत जाने के बाद भी आज हम यह नहीं जानते कि देश के विभिन्न भागों में बिजली की दरें क्या हैं ? वास्तव में देखा जाये तो सीमेंट और इस्पात देश के विभिन्न भागों में आज समान दर पर उपलब्ध है । अगर ऐसा न हो तो उद्योगों का विकास फिर किस भांति हो । लेकिन इस्पात की अपेक्षा विद्युत् अधिक महत्वपूर्ण है । इस्पात तो उद्योग के एक विशेष क्षेत्र में ही काम आता है जबकि विद्युत् प्रत्येक छोटे से छोटे उद्योग के लिये आवश्यक है । विद्युत् के बारे में यह महत्वपूर्ण कार्यवाही हम ने अभी तक नहीं की है ।

कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां छोटे उद्योगों को ८ आना प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली उपलब्ध है । तो क्या आप समझते हैं उस क्षेत्र में उद्योग का विकास हो सकता है जब कि अन्यत्र डेढ़ आना अथवा इससे भी सस्ती दर पर बिजली मिलती हो । ये सब बातें इसी कारण हैं कि हमारे यहां इस सम्बन्ध में कोई निर्धारित नीति नहीं है । नीति न होने के कारण बहुत सी भ्रान्तियां एवं कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं और देश के विभिन्न भागों में विकास में नाना प्रकार से रुकावटें आई हैं । नीति सम्बन्धी वक्तव्य में राष्ट्रीयकरण तथा अन्य बातों पर भी विचार करना चाहिये ।

इस अधिनियम में बिजली बोर्डों को कुछ महत्व दिया गया है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इन बोर्डों के काम के बारे में कुछ कहें । इस अधिनियम में उन्हें कुछ प्राथमिकता देने का विचार है । मैं पूछना चाहूंगा कि माननीय मंत्री का इन बोर्डों के बारे में क्या अनुभव है । उदाहरण के लिये दिल्ली के बिजली बोर्ड को ही लीजिये क्या उसे बन्द करके विभागीय तौर पर चलाने का नहीं है । शायद ही इन बोर्डों को कहीं सफलता मिली हो । मेरा निवेदन है कि इन बोर्डों के कार्य के बारे में अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिये और सभा में वह सामग्री उपलब्ध करनी चाहिये ताकि यह निर्णय किया जा सके कि क्या ये बोर्ड सफल रहे हैं और हमें यह नीति अपनानी चाहिये ।

इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारें पहली प्राथमिकता बिजली बोर्डों को देंगी और यदि ये बोर्ड उस संस्थान को नहीं लेंगे तो राज्य सरकारें स्वयं उस संस्थान को चलायेंगी। जिसका अभिप्राय यह होगा कि कुछ संस्थान तो बिजली बोर्ड द्वारा चलाये जायेंगे और कुछ संस्थान राज्य सरकारों द्वारा। इस प्रकार एक राज्य में दो प्रकार की नीति हो जायेंगी जिसका अभिप्राय यह होगा कि राज्य में बड़ी असंतोषजनक स्थिति हो जायेगी। हम देखते हैं कि इस प्रकार के असंतोष को इस अधिनियमन से प्रोत्साहन मिलता है। अगर बिजली बोर्डों को प्राथमिकता ही देनी है तो कम से कम इतना करना चाहिये कि राज्य सरकारें उन संस्थानों को नहीं लेंगी। बिजली बोर्ड और राज्य सरकार दोनों में से एक ही रहनी चाहिये। अन्यथा बहुत सारी कठिनाइयां और जटिलताएं उत्पन्न हो जायेंगी।

बिजली बोर्डों में संसद् सदस्यों को लेने का उल्लेख किया गया है यह बात मेरी समझ में नहीं आई। हां यदि केन्द्रीय बिजली प्राधिकार में संसद् सदस्य सम्मिलित किये जाते हैं वह तो ठीक है क्यों कि वहां नीति निर्धारित होती है। माननीय मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि इस प्राधिकार में न केवल संसद् सदस्य ही रखे जायें अपितु कुछ गैर-सरकारी सदस्य भी रखे जायें तो सही नीति बनाने में सरकार की सहायता करेंगे। अगर आप इस अधिनियम को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि संसद् सदस्य और विधान सभाई इन बोर्डों के सदस्य नहीं बन सकते। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जब संसद् सदस्य अन्य संस्थानों के सदस्य बन सकते हैं तो फिर राज्य बिजली बोर्डों के सदस्य क्यों नहीं बन सकते। आशा है कि माननीय मंत्री मंत्रिमंडल से परामर्श करके इसके बारे में कोई निश्चित नीति तैयार करेंगे। इन बोर्डों के बारे में इतना ही नहीं है कि कोई वर्तमान संसद् सदस्य अथवा विधान सभाई इसके सदस्य नहीं हो सकते बल्कि छः महीने पहले भी जो संसद् सदस्य अथवा विधान सभाई थे वे भी इसके सदस्य नहीं बन सकते। जब तक संसद् अथवा विधान सभा को छोड़े एक वर्ष न हो जाये वे इसके सदस्य नहीं बन सकते। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि यह विभेद इनके साथ क्यों इस अधिनियम में किया गया है।

माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कि बिजली बिल्कुल नहीं है और वहां के लिये न तो प्रथम और न द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई व्यवस्था की गई है। इस प्रकार वहां का विकास रुका है। अतः माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे क्षेत्रों के बारे में कोई विचार किया गया है और तीसरी योजना में वहां के किसी जिले में कोई १० हजार किलोवाट की परियोजना चालू की जायेगी ताकि उस जिले की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अतः सरकार उन क्षेत्रों के बारे में जहां कि कोई बड़ी परियोजनायें नहीं हैं कोई नीति बनायेगी ताकि वहां की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सके। और वहां कुछ परियोजनाएं चालू की जा सकें।

अन्त में मैं कहूंगा कि बिजली के उत्पादन तथा उसके वितरण के सम्बन्ध में कोई ठोस राष्ट्रीय नीति बना कर इस अधिनियमन पर विचार किया जाये। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री पहले नीति सम्बन्धी कोई वक्तव्य दें और तब हम देखेंगे कि क्या संशोधन किये जाने चाहियें।

श्री कृष्ण चन्द्र (जलेसर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। अब समय नहीं रहा है, इसलिये ज्यादा बातें जो मैं कहना चाहता था वह मैं अब नहीं कहूंगा। चन्द बातें सिर्फ मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा।

पहली बात तो यह है कि इस बिल में दो तरह की बातें की गई हैं। लाइसेंस देते वक्त लोकल आथारिटी और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का उतना ध्यान नहीं रखा गया जितना कि लाइसेंस रिवोक

[श्री कृष्ण चन्द्र]

करने के वक्त रखा गया है । यह सही भी है क्योंकि जब नये लाइसेंस दिये जायेंगे, जैसा कि माथुर साहब ने कहा है और दूसरे सदस्यों ने भी कहा है, गवर्नमेंट की एक पालिसी होनी चाहिए कि आगे से जो लाइसेंस दिये जायें वे जहां तक हो सके पब्लिक सैक्टर में दिये जायें क्योंकि बिजली का उद्योग एक बड़ा मौलिक उद्योग है । इसके ऊपर सारी दस्तकारियों का, सारे धन्धों का दारोमदार है । इस वास्ते इस उद्योग का पब्लिक सेक्टर में ही रहना ज्यादा अच्छा है ।

दूसरी बात यह है कि यह मानापली का धंधा है । किसी का इस में कम्पिटीशन नहीं है । जिस क्षेत्र में बिजली का लाइसेंसदार बिजली का वितरण करता है । उस क्षेत्र के तमाम कंज्यूमर चाहे वे छोटे हों या बड़े हों सब अपनी जिन्दगी की मुख्य-मुख्य जरूरतों के लिये उसके मोहताज होते हैं जैसे रोशनी है, पंखा है । अगर बिजली का फ्यूज चला जाता है, बिजली की लाइन चली जाती है, और लाइसेंसी अगर उस की सुनवाई न करे तो बेचारे कंज्यूमर को कोई रास्ता नहीं है सिवा इसके कि वह इन्तिजार करे कि बिजली कम्पनी का आदमी कब आता है और फ्यूज को लगाता है । तब उसको रोशनी मिल सकेगी । मौजूदा कानून में इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था थी कि अगर ४८ घंटे में लाइसेंसी इस काम को नहीं करता नोटिस पहुंचने के बाद, तो कंज्यूमर को यह अख्तियार होगा कि वह अगर चाहे तो मीटर को खुद तोड़ सकता है और फ्यूज को लगा सकता है । लेकिन अब जो यह मौजूदा बिल लाया गया है, मेरी समझ में नहीं आता, उस में से कंज्यूमर के मामूली अधिकार को भी क्यों निकालने की कोशिश की गई है । अब केवल यह रास्ता रखा गया है कि लाइसेंसी का यह फर्ज होगा कि वह ४८ घंटे के अन्दर उस फ्यूज को दुरुस्त कर दे । अगर वह न करे तो कंज्यूमर के लिये यही रास्ता है कि वह इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को दरखास्त दे या गवर्नमेंट को शिकायत करे । और कोई रास्ता उसके पास खुला नहीं है । तो मेरा आप से यह कहने का मतलब यह है कि जो सहूलियतें पहले कंज्यूमर को थीं वे भी कहीं कहीं इस बिल के द्वारा घटाई जा रही हैं ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा—मैं वही बातें कहूंगा जो कि अभी तक नहीं कही गई हैं—कि अगर मामूली कंज्यूमर का मीटर गलत हो जाये तो उसको बहुत पैसा देना पड़ता है और बराबर देना पड़ता है । नई दिल्ली में हम लोगों को कई दफा यह परेशानी होती है कि मीटर गलत हो जाता है । हम ने देखा है कि हमारी कोठी में कोई आदमी नहीं रहा या बहुत कम आदमी रहे फिर भी बिजली का बिल उस महीने में बहुत ज्यादा आ गया । दूसरे महीने में जब ज्यादा आदमी रहे तो बिल कम आया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मीटर आदमियों की गिनती पर तो अन्दाजा नहीं लगाता । वह तो जितनी बिजली आती है वही बतलाता है ।

श्री कृष्ण चन्द्र : जब आदमी कम रहते हैं तब तो बिजली भी कम ही खर्च होती है । जहां वेट्स एंड मैजर्स का सवाल आता है तो गवर्नमेंट उसे रेग्युलेट करती है । अगर किसी का वेट कम होता है तो उसे सजा देती है । किसी को गलत बाट से तोलने की इजाजत नहीं देती । इसी तरह से गवर्नमेंट का यह फर्ज होना चाहिए कि इन मीटर्स की बराबर देखभाल करे और जो मीटर गलत हों उनको दुरुस्त करावे । अब अगर किसी का मीटर गलत होता है और वह शिकायत करता है तो वह चैक करते हैं । एक स्टेन्डर्ड मीटर लगाया जाता है । अगर इससे भी किसी कंज्यूमर को संतोष न हो तो उसे अख्तियार है कि वह इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को अपील करे और जो भी फैसला इंस्पैक्टर कर देगा वह कंज्यूमर को देना होगा । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी दिक्कतें

हैं कि उन का हल नहीं हो सकता है। उन का एक ही हल है कि उन को पब्लिक सैक्टर में ले लिया जाये और पब्लिक सैक्टर में भी लोकल अथारिटी को ज्यादा अधिकार दें—अगर वह लेना चाहे, तो उस को मौका देना चाहिए, क्योंकि लोकल अथारिटी पर वहां के रहने वाले लोगों का ज़ितना कंट्रोल रह सकता है, वहां उन की जितनी वायस होती है, उतनी कहीं नहीं होती है। अगर हम ये शिकायतें दूर करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कि शुरू में लाइसेंस देने में और फिर लाइसेंस रिवोक करने पर उस को खरीदने का आप्शन देने में लोकल अथारिटी को प्रेफरेंस दिया जाय।

श्री सरजू पांडे (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को लाने में जो मंशा थी, मैं समझता हूं कि वह मंशा तो पूरी हुई नहीं, बल्कि एक उल्टी बात हुई। माननीय मंत्री ने यह बिल सदन के सामने रखते हुए यह फ़रमाया था कि हम इस बिल के द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तमाम उपभोक्ताओं को, चाहे वे प्राइवेट कम्पनियों से बिजली लेते हों और चाहे सरकार से, समान अवसर दिलाना चाहते हैं और साथ ही साथ जो लाइसेन्सी हैं उन के ऊपर केन्द्रीय सरकार की मदाखलत के लिये यह बिल लाया गया है। मगर हुआ इसका उलटा। हमारी सरकार बार बार समाजवाद का नाम लेती है और कहती है कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। मगर जैसा कि हर बार देखा जाता है, वह समाजवाद का नाम तो लेती है, लेकिन काम ऐसा करती है कि हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो, जो कि अब तक करोड़ों रुपये कमा चुके हैं। इस कानून में यह व्यवस्था होनी चाहिए थी कि हम कदम-ब-कदम राष्ट्रीय-करण की ओर बढ़ते, लेकिन इस के बजाय यह कहा गया कि राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता और जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है, वह इसलिये नहीं कि सरकार की नीति नहीं है, बल्कि इसलिये कि उस के लिये बहुत अधिक मुआवज़े का रुपया देना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि यह पालिसी कहां तक उचित कही जा सकती है कि जिन कम्पनियों ने मुल्क का बहुत सारा रुपया कमाया है, हम लोग उन को फिर और रुपया कमाने का मौका दें और यह भी कहें कि जब कभी सरकार सोचेगी, तो उन को कब्जे में लिया जायगा, मगर साथ ही साथ उन को जो मुआवज़ा दिया जायगा बाज़ार-भाव से भी अधिक। मैं नहीं समझता कि यह कौन सी समाजवादी पालिसी है। कानून में यह व्यवस्था होनी चाहिये थी कि अगर सरकार महसूस करती है—अव्वल तो सरकार का महसूस करना ही मुश्किल है— वह कब महसूस करेगी, यह कहना ही मुश्किल है —कि किसी कम्पनी को लेना देश के हित में है, तो फिर उस को कब्जे में ले लेना चाहिये। हम खुद प्राइवेट कम्पनियों से बिजली लेते हैं। वे बहुत ज्यादा मुनाफ़ा कमाती हैं। हम ने बार बार प्रान्तीय सरकार से प्रार्थना की, लेकिन उस ने इस में कोई मदाखलत नहीं की और वे कनज्यूमर्ज़ को मजबूर कर के ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाती हैं। इस बिल में यह व्यवस्था होनी चाहिये थी कि अगर सरकार को इत्मीनान हो जाये, तो वह कम्पनी को ले ले और मुआवजे की जो व्यवस्था की गई है, वह नहीं होनी चाहिये थी। मुआवज़ा कम होना चाहिये था।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि बिजली के देने के बारे में इस बिल में कुछ परसेंटेज फ़िक्स होनी चाहिये थी कि कितनी बिजली खेती-बाड़ी के लिये दी जायगी, कितनी उद्योग-धंधों के लिये दी जायगी और कितनी दूसरे कामों के लिये दी जायगी। दिल्ली में हम देखते हैं कि सारे आफ़िसेज़ एयर-कंडीशन्ड बने हैं। दूसरी तरफ़ गांवों में जा कर देखिये। एक तो बिजली मिलती नहीं है और जो मिलती है, वह इतनी मंहगी है कि साधारण आदमी उस को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। थोड़े दिन पहले मैं बिहार के एक गांव में गया था। वहां बिजली लगाई गई थी।

[श्री सरजू पांडे]

जिस आदमी के यहां मैं ठहरा था, उस ने बल्ब निकाल लिया था। मैंने उस से पूछा कि यहां बिजली लगी है, आप उस को इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। उसने कहा कि साल भर की जितनी हमारी आमदनी है, वह बिजली के टैक्स के बराबर होती है, वह हम कैसे दे सकते हैं, इस लिये मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता।

कोशिश तो यह होनी चाहिये थी कि सस्ती से सस्ती बिजली खेती-बाड़ी और छोटे छोटे उद्योग-धंधों के लिये दी जाती। लेकिन उस के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। रिहंद डैम की बिजली के बारे में सरकार की तरफ़ से पहले यह कहा गया था कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को छः नये पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली दी जायगी। अभी मालूम हुआ है कि आधी बिजली बिड़ला की किसी कम्पनी को दी जा रही है और पहली व्यवस्था को बदल दिया गया है। इस बिल में यह व्यवस्था होनी चाहिये थी कि कितनी बिजली एयर-कंडीशनिंग के लिये या दूसरी चीजों के लिये दी जायगी और कितनी खेती-बाड़ी में दी जायगी। इस बिल में इस की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

अगर सचमुच हमारा उद्देश्य समाजवाद है और हम चाहते हैं कि मुल्क में मुनाफ़ाखोरी न बढ़े और साधारण आदमी बिजली का उपयोग कर सके, तो फिर उस का नैशनलाइजेशन होना जरूरी है। यह कहा गया है कि अगर कहीं गड़बड़ी हो, तो इंस्पैक्टर जा कर जांच करे। हम जानते हैं कि हमारे देश में सरकारी अधिकारियों की क्या अवस्था है। गांव के लोग—पैसे वाले लोग दबाव डाल कर अपना काम करवा लेते हैं और वह लोग उनके हक में फ़ैसला दे देते हैं।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि एम० पीज़० का बोर्ड बना दिया जाये। मैं समझता हूं कि यह ग़लत है। यह ज़रूरी है कि बाहर के जो लोग इस काम को जानते हैं, उन का बोर्ड बनाया जाय, तो अच्छा है। एम० पीज़० और एम० एल० एज़० को भी प्रैशर में आना पड़ता है और ग़लत काम करने पड़ते हैं।

हमारी पार्टी के सदस्यों ने अपने मिनट आफ़ डिसेंट में कुछ सुझाव दिये थे, जिन को दोहरा कर में समाप्त करता हूं। पहली बात तो यह है कि बिजली को सस्ता बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। कोशिश यह होती कि हम कदम-ब-कदम नैशनलाइज़ेशन की ओर जाते और इस तरह का कानून बनाते। हम चाहते थे कि इस बारे में एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाया जाता और उस में परसेंटेज फ़िक्स की जाती कि कितनी बिजली खेती-बाड़ी और उद्योग-धंधों को दी जायगी और कितनी एयर-कंडीशनिंग और दूसरे इस किस्म के कामों के लिये दी जायगी। अगर यह व्यवस्था होती, तो ज्यादा अच्छा होता। मैं उस धारा का विरोध करता हूं, जिस के मुताबिक यह कहा गया है कि अगर सरकार को इत्मीनान हो जाय और वह किसी कम्पनी को लेना चाहे, जिस का ठेका समाप्त हो गया है, तो बाज़ार भाव से पंद्रह परसट ज्यादा दिया जायगा। यह कतई तौर पर ग़लत है और मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह कम से कम इस धारा को वापस ले लें। इस से देश में मुनाफ़ाखोरी बढ़ेगी और देश की सम्पत्ति उन लोगों के हाथों में जायगी, जो कि देश को लूट लूट कर बरबाद कर रहे हैं।

†सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : उपाध्यक्ष महोदय, हम कल से इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय विद्युत अधिनियम १९१० में संशोधन

---

†मूल अंग्रेजी में

करना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस पर कई वक्ताओं ने बहुत लाभदायक और रचनात्मक सुझाव दिये हैं। मैं उन सब के लिये उनका आभारी हूं। समयाभाव के कारण सारी बातों का उत्तर देना तो मेरे लिये सम्भव नहीं होगा परन्तु चर्चा में आई महत्वपूर्ण बातों को मैं अवश्य लूंगा ताकि सरकार की नीति और कार्यक्रम को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर सकूं। श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यह ठीक ही है कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति निर्धारित की जानी चाहिए। इसके बारे में १९४८ के विद्युत् अधिनियम में स्पष्ट उपबन्ध हैं। परन्तु फिर भी जैसा कि मैंने उन्हें उनके पत्र के उत्तर में बताया था हम इस बारे में कुछ कदम उठा रहे हैं और आशा है कि निकट भविष्य में ही इस संबंध में कुछ न कुछ हो जायगा।

कल मैंने अपने भाषण में यह इशारा किया था कि हमारा विचार १९४८ के अधिनियम में भी संशोधन करने का है। इसका परीक्षण किया जायगा और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार उस में संशोधन और सुधार कर लिये जायेंगे। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनका पूरा पूरा ध्यान रखा जायेगा।

चर्चा में राष्ट्रीयकरण की बात आई थी और मैं ने अपने प्रारंभिक भाषण में इसके बारे में कुछ कहा भी था। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो भी अपने विचार व्यक्त किये हैं, वे प्रायः मेरे विचारों से मिलते हैं। मैं ने कहा था कि विद्युत् का राष्ट्रीयकरण करना ठीक बात ही है, क्योंकि यह अनिवार्य सेवाओं में आती है परन्तु इस दिशा में जितने धन की आवश्यकता है, उतना जुटा पाना अभी हाल सम्भव नहीं। अतः इस दिशा की ओर धीरे धीरे बढ़ने की नीति ही उचित कही जा सकती है। जब, जहां भी राष्ट्रीयकरण सम्भव होगा, उसे तुरन्त कर दिया जायेगा। यदि किसी स्थान पर अनुज्ञप्तिधारी ठीक प्रकार से सम्भरण व्यवस्था नहीं कर सकेंगे तो उसका उपचार तो राष्ट्रीयकरण ही होगा। मैं तो स्वयं यही चाहता हूं कि ऐसा दिन शीघ्र आये जब कि जन हित की दृष्टि से सरकार इसको पूर्णतः अपने हाथ में ले सके।

इसके बाद लघु उद्योगों और कृषि के लिए सस्ती बिजली देने का प्रश्न आता है। इस सम्बन्ध में केन्द्र और राज्य सरकारों में काफी पत्र व्यवहार चलता रहा है। इस सम्बन्ध में यदि १९४८ के अधिनियम में जो फारमूला है वह रास्ते में आता होगा, तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा। इस विषय में जो कुछ भी संभव होगा किया जायेगा। राज्य को सहायता देने के लिए भी हम तैयार हैं। जैसा मैंने कल कहा था, केन्द्र इस उद्देश्य से वित्तीय सहायता देगा ताकि बिजली के दरों को कम किया जा सके। अभी हाल जून में ही हमने यह पेशकश की है, अतः इतना शीघ्र तो इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। परन्तु यह निश्चित है कि यह केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप बिना अवश्य ही कार्यान्वित होगा।

बिजली की दरों की विभिन्न राज्यों की अनुसूचियों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक राज्य में कृषि अथवा लघुउद्योगों के लिए दी जा रही बिजली के दर कम है। इस ओर जो ध्यान देने की बात कही जाती है, वह तो केन्द्र और राज्यों द्वारा दिया ही जा रहा है। परन्तु फिर भी यदि कोई कमी रह गयी हो तो उसे पूरा किया जा सकता है। यह बात हमें स्वीकार है कि कृषि और छोटे उद्योगों के लिए बिजली की दर कम होनी चाहिए। मेरा विचार है कि सभा को इस से सन्तुष्टि हो जायेगी। मैं इस बात का परीक्षण भी करूंगा कि बड़े बड़े उद्योगों को जो बिजली दी जाती है, क्या उसके दर घरेलू बिजली के दरों से कम हैं अथवा अधिक। इसके बाद अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त यह शिकायत है कि देहाती क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। प्रथम योजना से पूर्व देहाती क्षेत्रों के विद्युतिकरण के बारे में कोई जिक्र नहीं था। परन्तु प्रारम्भिक योजना में इस

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

सम्बन्ध में आगे कार्य करने के बारे में कुछ निर्णय किये गये। सभी प्रकार के प्रश्नों पर विचार किया गया कि कैसे और कहां तक कार्य किया जाय। द्वितीय योजना के अन्तर्गत अभी तक ७,९८५ गांवों को बिजली प्राप्त हो सकी है। म न तो इसे अधिक ही समझता हूं और न ही संतोषजनक। परन्तु यह नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं, इस दिशा में काम आरम्भ हो गया है और समस्त सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं कि इस कार्य में अधिक से अधिक प्रगति हो।

एक भाषण से कुछ ऐसा भी प्रतीत होता था कि संशोधन विधेयक के उपबन्ध अनुज्ञप्तिधारियों के लिए ही अच्छे रहेंगे। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि किसी व्यक्ति या पक्ष विशेष को लाभ या हानि पहुंचाई जाये। यह नहीं समझा जाना चाहिये कि सरकार किसी के पक्ष में अथवा विपक्ष में है। सरकार का कर्तव्य तो देश के प्रत्येक नागरिक की सेवा करना है अतः उसे हमेशा निष्पक्ष ही रहना चाहिए। अनुज्ञप्ति की अवधि अब कम कर दी गयी है। क्या यह उपबन्ध अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में जाता है? पहले उसकी स्वीकृति के बिना अनुज्ञप्ति में संशोधन नहीं हो सकता था, अब हो सकता है। और भी कुछ ऐसे नियंत्रणों की व्यवस्था है जो कि उसके विरुद्ध जा सकते हैं। कुछ हालतों में उसकी जमानत भी जब्त हो सकती है। एक नया उपबन्ध यह भी है कि जो कुछ उपभोक्ता देंगे उसे अनुज्ञप्तिधारी के मुआवजे से काट लिया जायेगा। अपेक्षित उपभोक्ताओं की संख्या भी ६ से २ कर दी गयी है। इस के सम्बन्ध में कल और आज बहुत कुछ कहा गया है। यह कहा गया कि एक व्यक्ति को ही आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिये। कल मैंने कहा था कि गैर अनिवार्य क्षेत्र के यदि दो व्यक्ति भी आवेदन करेंगे तो अनुज्ञप्तिधारी को उन्हें बिजली देनी पड़ेगी। यदि क्षेत्र में कुछ भी क्षमता है तो दो व्यक्ति तो मिल ही जायेंगे। मामला आगे से काफी सरल हो जायेगा। इसके लिये किसी संशोधन की भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

इसके अतिरिक्त १५ प्रतिशत वाली बात भी नाम मात्र को ही है। यदि पूरा हिसाब लगाया जाये तो पूरा दो प्रतिशत रह जाता है। अतः कोई आपत्ति करने की गुंजाइश दिखाई नहीं देती।

उत्तर प्रदेश के बारे में दो बातें कही गईं। मेरे ख्याल में उन बातों को अब यहां लेने की जरूरत नहीं क्योंकि जिन सदस्यों ने उन्हें उठाया था, वे इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं।

यह भी कहा गया कि इस विधेयक में जो सहूलियत दी गई है, हो सकता है किरायेदार उसका फ़ायदा न उठा सके। मकान खाली करते समय बिजली की सारी फ़िटिंग वहां हो सकती है। मालिक बिना कुछ दिये उसे ले सकता है और किरायेदार को भी उसे ले जाने से रोक सकता है। ऐसा यहां कहा गया; मेरी राय में इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिये। बिजली लेने से पहले हर शख्श उसके नतीजे पर विचार करेगा। वह सोचेगा कि मकान उसका नहीं है और जब वह उसे खाली करेगा तो मालिक को उसे उसी हालत में वापस देना होगा जिस में उसने लिया था। या तो वह सब चीज़ें ले जायेगा या दोनों में समझौता हो सकता है। इस आधार पर यह नहीं कहा जाना चाहिये कि किरायेदार को बिजली नहीं दी जानी चाहिये।

हजारों ऐसे लोग हैं जोकि उद्योगों में लगे हुये काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं परन्तु किराये के मकानों में रहते हैं। उन्हें बिजली देने से इन्कार करने का अर्थ तो विकास में बाधा डालना होगा। अतः इस संबंध में उपबन्ध करना नितान्त आवश्यक है।

१९४८ के अधिनियम में जिन विद्युत बोर्डों की व्यवस्था है उस में संसद् के सदस्यों को रखने के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने कुछ कहा है। मेरा निवेदन है कि बोर्ड का कार्य केवल नियम बनाना

है । जो नियम बनाये जाते हैं उन्हें संसद् के समक्ष रखा ही जाता है और संसद् सदस्य उस पर विचार कर ही सकते हैं । संसद के अधिकार तो सब से उच्च हैं। अतः यह कहना कि बोर्ड में संसद सदस्यों को लिया जाय अथवा इस उद्देश्य के लिए संशोधन प्रस्तुत किया जाए मुझे तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के संशोधन को मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम) : मंत्री महोदय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की बात करने वाले माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं मेरे विचार में श्री पाणिग्रही उपस्थित हैं। उन्होंने मार्टन बर्नज़ लिमिटेड को दिये गये कर्जे के संबंध में पूछा था। यदि समय हो तो मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : वह बहुत थोड़ा बोले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मार्टिन कम्पनी को इसलिये नहीं खरीदा कि उनको बहुत रुपया देना पड़ता मैंने जो कहा वह दूसरे साहिबान के जवाब में था जिन्होंने कि रिहन्द डेम और दूसरी चीजों के बारे में कहा था। मैं स्थिति से परिचित हूं, परन्तु मैंने कुछ कहना उचित नहीं समझा। उनकी जानकारी ठीक नहीं थी कि काफी रुपया देने के कारण वे इसे खरीद नहीं पाये। ऐसा न करने के और भी कारण हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मामले पर मुझे यहां कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

†एक माननीय सदस्य ने रिहन्द बांध की बात कही।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : रिहन्द बांध का मामला मैंने प्रस्तुत किया था और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर कुछ प्रकाश डालें।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : मेरे माननीय मित्र की जानकारी का सूत्र अधिकृत नहीं है। मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि रिहन्द बांध के सारे क्षेत्र में बिजली पहुंच चुकी है। तीन चार बिजली घरों का निर्माण हो गया है और प्रत्येक जिले को बिजली उपलब्ध हो जायेगी। उस क्षेत्र में इस सम्बन्ध में कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया जा रहा। रिहन्द बांध का विचार १२ वर्ष पुराना है । उस समय इस परियोजना के लिये एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया था। वहां के लोगों को यहां की बिजली दी जानी थी। परन्तु अब स्थिति बदल गयी है। अब तक उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं है। अब यदि उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े उद्योगों के विकास की योजना हो तो उसके लिये बिजली देने पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। परन्तु यदि इस क्षेत्र में बिजली सम्बन्धी कोई शिकायत है तो उन्हें मुझे बताना चाहिये कि कौन से भाग को बिजली नहीं दी गयी ।

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : मैं जानकारी के तौर पर यह जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने गांवों की काटेज इंडस्ट्रीज के लिये बिजली मिल रही है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मुझको तो यह बात मालूम नहीं है कि कितने गांवों को दी गई है। मैं तो साल डेढ़ साल से वहां नहीं हूं। लेकिन अर्ज करता हूं यकीन से कि वहां कोई दो सौ या डेढ़ सौ गांवों को बिजली दी गई है ।

श्री सरजू पांडे : उत्तर प्रदेश सरकार ने बिड़ला से समझौता किया है कि इसमें से आधी बिजली बिड़ला कम्पनी को दी जायेगी और आधी में से और लोगों को दी जायेगी, क्या यह सही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : यह मुद्दा मेरे यहां आने के बाद का है। मुझको उसके बारे में खबर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय बिजली अधिनियम १९१० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब विधेयक पर खण्डवार चर्चा होगी। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या खण्ड ३ पर कोई संशोधन है ?

†**श्री प्र० र० पटेल** (मेहसाना) : मैं अपना संशोधन संख्या ५४ प्रस्तुत करता हूं। इस संशोधन के द्वारा मैं चाहता हूं कि छोटे उद्योगों को सस्ती दर पर बिजली दी जाये।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व-खानदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति ८ के अन्त में यह जोड़ दिया जाये,

"and includes any Board which functions in that State under sections 6 and 7 of the said Act"

["और इस में कथित अधिनियम की धारा ६ तथा ७ के अधीन उस राज्य में काम करने वाला कोई भी बोर्ड शामिल है"]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार इसको स्वीकार करती है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री** (श्री हाथी) : जी हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति ८ में यह जोड़ दिया जाये :

"and includes any Board which functions in that State under sections 6 and 7 of the said Act"

["और इसमें कथित अधिनियम की धारा ६ तथा ७ के अधीन उस राज्य में काम करने वाला कोई भी बोर्ड शामिल है"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५४ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड ४ पर कौन कौन से संशोधन हैं ?

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री सूपकार** : मेरा संशोधन संख्या ५१ संशोधन संख्या १ के अनुरूप है ।

†**श्री प्र० र० पटेल** : मैं अपना संशोधन संख्या ५५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री पाणिग्रही** : मैं यह बताना चाहता था कि दर विनियमन के सम्बन्ध में भारतीय बिजली अधिनियम १९१० के खण्ड ११ तथा अनुसूची में उपबन्ध है; परन्तु १९४८ के अधिनियम के पारित हो जाने के पश्चात् समवायों को ६ प्रतिशत लाभ लेने की व्यवस्था कर दी गई और इससे सभी समवाय अपने लेखों को इस प्रकार बनाने लगे चाहे लाभ कितने ही प्रतिशत क्यों न हुआ हो वह ६ प्रतिशत से अधिक कभी भी न दिखाई दे जिससे बिजली की दरें सस्ती कभी भी न हों । इसलिये मेरा अनुरोध है कि पुराने उपबन्ध को लागू रहने दिया जाये ।

†**श्री सूपकार** : १९४८ का अधिनियम बन जाने के पश्चात १९५३ में एक मंत्रणा बोर्ड बनाया गया था जिसने इस धारा ३ तथा १९१० के अधिनियम के खण्ड ११ तथा ११क और १९४८ के अधिनियम की छटी तथा सातवीं अनुसूची पर विचार किया था । उन्होंने भी १९१० के अधिनियम के संशोधन का कोई सुझाव नहीं दिया । इसलिये मैं भी यही ठीक समझता हूं कि बिजली के समुचित विकास के लिये अनुज्ञप्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले खण्ड को ज्यूं का त्यूं रखा जाये ।

†**श्री प्र० र० पटेल** : मुझे माननीय मंत्री से यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि किसानों और छोटे उद्योगों में लगे व्यक्तियों को बिजली सस्ती दरों पर दी जायेगी । परन्तु इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि मौनसून की मौसम में भी किसानों को उसी दर पर बिजली के मूल्य देने पड़ते हैं जबकि इस ऋतु में उनको इसकी जरूरत नहीं होती है और इस प्रकार यह सस्ती दरें भी उनके लिये अन्य उपभोक्ताओं से अधिक हो जाती हैं । यदि माननीय मंत्री सभा में आश्वासन दे दें कि वह किसानों के लिये बिजली की दरें १० नये पैसे प्रति यूनिट कर देंगे तो मैं अपना संशोधन वापस लेने को तैयार हूं ।

†**श्री कृष्ण चन्द्र** : मैं अपने संशोधन संख्या ४० तथा ४१ प्रस्तुत करता हूं । अमेंडमेंट नम्बर ४० में मैंने यह प्रोपोज किया है कि जब बिजली के लाइसेंस के लिये दरख्वास्तें आयें, उनमें अगर लोकल अथारिटी की दरख्वास्त है, तो उस को और किसी आदमी के मुकाबले में प्रेफरेंस दिया जाये ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : यही कानून है ।

श्री कृष्ण चन्द्र : नहीं है । जब लाइसेंस रिवोक किया जाता है, या उस की मियाद खत्म हो जाती है, तब तो कानून में लोकल अथारिटी को यह आप्शन और किसी शख्स के मुकाबले में दिया गया है, लेकिन जब लाइसेंस ग्रान्ट किया जाता है, तो लोकल अथारिटी की एप्लीकेशन को किसी दूसरे मामूली शख्स के मुकाबले में भी प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है । मेरा अमेंडमेंटस यह है कि अगर कोई लोकल अथारिटी लाइसेंस के लिये दरख्वास्त दे, तो उस को किसी मामूली आदमी पर प्रेफरेंस दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण चन्द्र]

कानून में लाइसेंस देने के बारे में एक यह धारा है कि लाइसेंस में लिमिट फिक्स कर दी जायगी कि उसी लिमिट में—उसी सीमा में लाइसेंसी बिजली का चार्ज लगा सकेगा, उस से आगे नहीं बढ़ सकेगा। अब यह धारा निकाल दी गई है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट का यह जो अधिकार है, उस अधिकार को बदस्तूर रखा जाये, बल्कि उस में और इजाफ़ा किया जाये और यह शर्त रख दी जाये कि यह सीमा खेती और छोटे छोटे उद्योग-धन्धों के लिये अपेक्षतया कम रखी जायगी।

†**श्री हाथी** : सभी जानते है कि १९१० के अधिनियम में अधिकतम दर निर्धारित करने का उपबन्ध रखा गया था। परन्तु १९४८ का अधिनियम पारित हो जाने के बाद अनुज्ञप्तिधारी के लाभ पर नियंत्रण लगा दिया गया कि यह बाजार भाव से २ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार वह इससे अधिक किसी प्रकार भी नहीं ले सकता है। १९१० के अधिनियम में यह उपबन्ध नहीं था। परन्तु अब जब हम लाभ पर रोक लगा रहे हैं तब अधिकतम सीमा निर्धारित करना आवश्यक नहीं है।

श्री पटेल ने जो कृषि के लिए दरों का प्रश्न उठाया उसके बारे में माननीय मंत्री खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के विचार बता चुके हैं। अब तक छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए केन्द्र कोई सहायता नहीं देता था परन्तु अब उन्होंने बता दिया है कि यदि १½ आ० प्रति यूनिट से दर अधिक होगी तो केन्द्र ५० प्रतिशत अर्थ-सहायता स्वयं वहन करेगा।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने भी दरों के बारे में बताया है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कृषि का सबसे अधिक महत्व है और राज्य सरकारों को कृषि के लिए सस्ते दरों पर बिजली देनी चाहिए। माननीय मंत्री बता चुके हैं कि कृषि के लिये बिजली की दरें आन्ध्र में १½ आना प्रति यूनिट, बिहार में २.४ आने, मद्रास में ९/१० आना मैसूर में ३/४ आना, और उड़ीसा में १½ आना हैं। बम्बई में घरेलू खपत के लिये ५½ आ०, उद्योगों के लिए २.२३ आ० तथा खेती के लिए १५ नये पैसे है।

१९१० के अधिनियम में उपबन्ध है कि अनुज्ञप्ति देने के समय स्थानीय प्राधिकारियों की सलाह ली जायेगी तथा उनकी कोई आपत्ति होने पर उस आपत्ति को दूर किया जायेगा और तब अनुज्ञप्ति दी जानी है। इन कारणों से मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करता हूं।

† **श्री पाणिग्रही** : यदि हम बम्बई इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का १९५६–५७ का प्रतिवदन देखें तो पता लगता है कि उनके मत के अनुसार कि लाभ की दर बाजार दर से २ प्रतिशत अधिक रखने पर भी बिजली की दरें अधिक हैं। परन्तु अनुज्ञप्तिधारी इन दरों को कम करने को तैयार नहीं है। इस पर दर निर्धारित करने वाली समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने भी दरों का पुनरीक्षण करना चाहा जिस पर अनुज्ञप्तिधारी ने न्यायालय में दावा दायर किया। इन परिस्थितियों में उपभोक्ताओं को बहुत कष्ट हो रहा है।

†**श्री हाथी** : मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि दर निर्धारित करने वाली समिति इस प्रश्न पर विचार करती रही है। लाभ के प्रश्न पर यदि न्यायालय और कोई निर्णय करता है तो क्या किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ६—[नई धारा ४क का जोड़ा जाना]

†**श्री पाणिग्रही** : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं । मेरा विचार है कि संभव है अनुज्ञप्तिधारी उपक्रम पर सरकारी कब्जा करने के लिए अपनी सम्मति न दे ।

†**श्री हाथी** : यदि अनुज्ञप्तिधारी कोई अड़चन लगाता है तो राज्य सरकार उपक्रम का प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है ।

पाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

'कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ७—[खरीदार का उपक्रम पर अधिकार]

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपने संशोधन संख्या १९, २०, २१ तथा २२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री पाणिग्रही** : मैं अपना संशोधन संख्या ४ तथा ७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री हाथी** : मैं अपने संशोधन संख्या ३६, ३७, ३८ और ३९ प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ६—

पंक्ति १ स ८ के स्थान पर यह रखा जाये :

"5. (1) Where the State Government revokes, under section 4, sub-section (1), the licence of a licensee"

["५.(१) जहां धारा ४ की उप-धारा (१) के अधीन राज्य सरकार ने अनुज्ञप्ति-धारी की अनुज्ञप्ति विखंडित की हो "]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाथी]

पृष्ठ ७–

पंक्ति १४ के पश्चात् यह जोड़ा जाये

"Provided that in any such case, the purchaser shall pay to the licensee interest at the Reserve Bank rate ruling at the time of the undertaking plus one per centum, on the purchase price of the undertaking for the period from the date of delivery of the undertaking to the date of payment of the purchase price."

["परन्तु ऐसे किसी मामले में खरीददार, अनुज्ञप्तिधारी को उपक्रम के खरीद मूल्य पर, उपक्रम को सौंपने की तिथि से खरीद मूल्य के भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए उपक्रम को सौंपने के समय के रिजर्व बैंक की सूद की दर तथा एक प्रतिशत और देगा"]

पृष्ठ ९, पंक्ति १८ से २१ में से निम्नलिखित निकाल दिया जाय :

"reduced in either case by the value of contributions made by consumers towards the cost of construction of service lines or other capital works."

["और इन दोनों मामलों में सर्विस लाइनों के निर्माण अथवा अन्य बड़े निर्माण कार्यों के व्यय के लिए उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए अंशदान घटा दिए जायेंगे "]

पृष्ठ ९–

पंक्ति २८ तथा २९ के स्थान पर यह रखा जाये :

"other than (i) a generating station declared by the licence not to form part of the undertaking for the purpose of purchase and, (ii) service lines or other capital works or any part thereof which have been constructed at the expense of consumers, due regard."

["(एक) ऐसे बिजली घर के अतिरिक्त जो अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत क्रय के प्रयोजन के लिए उपक्रम का भाग नहीं बनता और (२) ऐसी सर्विस लाइनों अथवा अन्य पूंजीगत निर्माण कार्यों अथवा उनके किसी भाग के अतिरिक्त जो उपभोक्ता के व्यय से निर्मित किए गए हों लकिन ....., उचित महत्व दिया जायगा "]

†**श्री कृष्ण चन्द्र :** मैं अपने संशोधन संख्या ४२, ४३, ४४ तथा ४५ प्रस्तुत करता हूँ।

†**श्री सूपकार :** सरकारी संशोधन संख्या ३६ के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि भविष्य में इससे गड़बड़ी होने की आशंका है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार इस पर पुनः विचार करे।

†**श्री कृष्ण चन्द्र :** माननीय मिनिस्टर ने बताया है कि लोकल एथारिटी की दरख्वास्त पर कंसिडर किया जायेगा कि उसे कोई एतराज तो नहीं है। मेरी तजवीज यह थी कि, उसको लाइसेंस देना चाहिए। खैर अब यह मेरा अमेंडमेंट है कि लाइसेंस जब रद्द किया जाता है, रिवोक किया जाता है या उसकी मियाद खत्म हो जाती है तब इस बिल में और

---

†मूल अंग्रेजी में

इस कानून के अन्दर यह प्राविजन है कि उस लोकल एथारिटी को ऑप्शन होगा जिसके क्षेत्र में सप्लाई का पूरा क्षेत्र आता है और अगर एरिया आफ सप्लाई का कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी उस लोकल एथारिटी के क्षेत्र के बाहर निकल जावे तब फिर लोकल एथारिटी को यह ऑप्शन नहीं रहेगा। मेरा अमेंडमेंट यह है कि अगर एरिया आफ सप्लाई का अधिकांश भाग लोकल एथारिटी के एरिया के अन्दर पड़ता है तो उस लोकल एथारिटी को खरीददारी का ऑप्शन होना चाहिए। मेरे अमेंडमेंट की यही मंशा है।

†**श्री पाणिग्रही** : मैं अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ६, पंक्ति ८ तथा ६ में से निम्नलिखित निकाल दिया जाये :

"or intending purchaser" ["अथवा इच्छुक खरीददार"]

†**श्री हाथी** : संशोधन संख्या ७ स्वीकार किया जा सकता है। संशोधन संख्या ४ स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि हमने साफ बता दिया है कि सबसे पहले राज्य एलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को, उसके पश्चात् राज्य सरकार को तथा फिर स्थानीय प्राधिकारी को लिखा जाता है। इसलिए हम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। सरकारी संशोधन संख्या ३६ के बारे में श्री सूपकार ने कहा कि इससे गड़बड़ी हो सकती है। मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे धारा ४(१) (ग) के अधीन कुछ भिन्न प्रकार की प्रक्रिया है तथा शेष धारा के लिए कुछ भिन्न प्रकार की, उसी प्रकार सभी मामलों में हम वही व्यवस्था करना चाहते हैं। कोई कमी रह जाने पर भी प्रक्रिया वही रहेगी।

संशोधन संख्या ३८ तथा ३६ द्वारा कुछ शब्दों को एक स्थान से हटा कर अन्य स्थान पर रखा जा रहा है। श्री भरूचा अपने संशोधन के द्वारा ३ प्रतिशत लाभ दिलाना चाहते हैं। हम यह ठीक नहीं समझते।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६, पंक्ति १ से ८ के स्थान पर यह रखा जाये :

"5. (1) Where the State Government revokes, under section 4, sub-section (1), the licence of a licensee"

["५. (१) जहां धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार ने अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति विखंडित की हो"]

पृष्ठ ७—

पंक्ति १४ के पश्चात् यह जोड़ा जाये :

"Provided that in any such case, the purchaser shall pay to the licensee, interest at the Reserve Bank rate ruling at the time of delivery of the undertaking plus one per centum, on the purchase price of the undertaking for the period from the date of delivery of the undertaking to the date of payment of the purchase price."

["परन्तु ऐसे किसी मामले में खरीददार अनुज्ञप्तिधारी को उपक्रम के खरीद मूल्य पर उपक्रम को सौंपने की तिथि से खरीद मूल्य के भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए उपक्रम को सौंपने के समय की रिजर्व बैंक की सूद की दर तथा एक प्रतिशत और देगा।"]

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

पृष्ठ ९, पंक्ति १८ से २१ में से निम्नलिखित निकाल दिया जाये :

"reduced in either case by the value of contributions made by consumers towards the cost of construction of service lines or other capital works."

["और इन दोनों मामलों में सर्विस लाइनों के निर्माण अथवा अन्य बड़े निर्माण कार्यों के व्यय के लिए उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए अंशदान घटा दिए जायेंगे।"]

पृष्ठ ९, पंक्ति २८ तथा २९ के स्थान पर यह रखा जाये :

"other than (i) a generating station declared by the licence not to form part of the undertaking for the purpose of purchase, and (ii) service lines or other capital works or any part thereof which have been constructed at the expense of consumers, due regard"

["(एक) ऐसे बिजली घर के अतिरिक्त जो अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत क्रय के प्रयोजन के लिए उपक्रम का भाग नहीं बनता और (दो) ऐसी सर्विस लाइनों अथवा अन्य पूंजीगत निर्माण कार्यों अथवा उनके किसी भाग के अतिरिक्त जो उपभोक्ता के व्यय से निर्मित किए गए हों लेकिन.....उचित महत्व दिया जायेगा"]

पृष्ठ ९, पंक्ति ८ तथा ९ में से निम्नलिखित निकाल दिया जाये :

"or intending purchaser" ["अथवा इच्छुक खरीददार"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ३८ स्वीकार कर लिया गया है इसलिए संशोधन संख्या २१ नियम बाह्य है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष सभी संशोधन, मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड ८ तथा ९ विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ८ तथा ९ विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड १० तथा **११ विधेयक में जोड़ दिये गये**

खण्ड १५—[नई धारा २२क तथा २२ख का रखा जाना]

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपने संशोधन संख्या २३ और २४ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण चन्द्र** : मैं अपना संशोधन संख्या ४७ प्रस्तुत करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १५ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १६ से २६ तक विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड २७—[धारा ३६ क का संशोधन]

†**श्री पाणिग्रही** : मैं अपना संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २७ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २८ से ३० तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ३१—[धारा ४२ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना]

श्री कृष्ण चन्द्र : मैं अपने संशोधन संख्या २७, २८, २९ तथा ३० प्रस्तुत करता हूं । इसमें एक व्यवस्था है कि कानून या रूल के अन्दर लाइसेंसी पर जो अबलीगेशन्स डाले गये हैं अगर वह उनको पूरा नहीं करता तो कंज्यूमर को उसके खिलाफ प्रासीक्यूशन का अख्तियार नहीं है । लेकिन अगर कंज्यूमर अपनी जिम्मेवारी को जरा भी पूरा नहीं करता तो लाइसेंसी को उसे प्रासीक्यूट करने का अधिकार है । अगर लाइसेंसी अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करता तो कंज्यूमर को उसके खिलाफ अदालत में जाने का अधिकार नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सीधा गवर्नमेंट के पास जा सकता है और उसका लाइसेंस कैंसिल करवा सकता है ।

श्री कृष्ण चन्द्र : कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर के पास जा सकता है लेकिन उसके ऊपर लाइसेंसी का ज्यादा असर होता है बनिस्बत कंज्यूमर के । तो मेरा संशोधन यह है कि जिस तरह से लाइसेंसी को कंज्यूमर को प्रासीक्यूट करने का अधिकार दिया गया है उसी तरह से कंज्यूमर को भी लाइसेंसी को प्रासीक्यूट करने का अधिकार दिया जाना चाहिये, अगर वह अपने आबलिगेशन्स को पूरा नहीं करता है जो कि कानून ने और रूल्स ने उसके ऊपर डाले हैं । अभी दोनों में फर्क रखा गया है । लाइसेंसी का प्रासीक्यूशन तभी हो सकता है जब वह गवर्नमेंट की बात नहीं मानता और उस सूरत में भी लाइसेंसी को सिर्फ एक हजार रुपया जुरमाना देना होगा और अगर वह लगातार सर-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण चन्द्र]

कार की बात की अवहेलना करता रहे तो उसे सौ रुपया रोज देना होगा लेकिन अगर कंज्यूमर कोई जुर्म करे तो उसको ३,००० जुरमाना देना होगा और अगर वह आगे भी वैसा करता रहे तो उसको तीन सौ रुपया रोज देना होगा। लाइसेंसी एक बड़ा आदमी होता है उसके खिलाफ कंज्यूमर के लिये चारा जोई करना निहायत मुश्किल होता है। लेकिन लाइसेंसी जब गवर्नमेंट की भी हिदायत नहीं मानता तो उसको सिर्फ एक हजार रुपया जुर्माना देना पड़ता है और अगर वह उस हिदायत को फिर भी न माने तो उसे रोजाना सौ रुपया देना होगा लेकिन अगर बेचारा कंज्यूमर जरा सी भी कसूर कर जाये तो उसको ३,००० जुर्माना देना होगा और अगर वह उस काम को फिर भी करता रहे तो उसको ३०० रुपया रोजाना देना होगा। दोनों में यह तफरीक न हो यही मेरा अमेंडमेंट है।

†**श्री हाथी** : माननीय सदस्य अपने संशोधन संख्या २७ के द्वारा जो कुछ चाहते हैं वह धारा ४२ में पहले ही रखा जा चुका है।

उपाध्यक्ष अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३१ विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३१ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ३२ से ३९ विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड ४०—(अनुसूची का संशोधन)

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपने संशोधन संख्या २५ तथा २६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री पाणिग्रही** : मैं अपने संशोधन संख्या १३ तथा १४ प्रस्तुत करता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री मेरे संशोधन संख्या १३ में निहित तात्पर्य को समझें। यदि किसी गांव में एक ही किसान बिजली की लाइन लेना चाहे तो उसे मिल जानी चाहिये। प्राइवेट कम्पनियों की यही नीति रहती है कि जहां भी नुकसान की संभावना है होती है वे राज्यों के बिजली बोर्डों पर ज़िम्मेवारी छोड़ देते हैं। जब हमने संख्या छः कर दी है तो उसे एक भी किया जा सकता है। किसानों को बिजली दे कर हम अपने अनाज के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि कर सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र : मैं अपना संशोधन संख्या ३२ प्रस्तुत करता हूं। जब कोई कंज्यूमर किसी मेन लाइन को एक्सटेंड कराना चाहता है, तो पहले छः या छः से ज्यादा की रियायत दी गई थी और अब उस रियायत को दो या दो से ज्यादा कर दिया गया है, लेकिन उनको उस पर आने वाले खर्च पर पन्द्रह फी सदी रिटर्न देने की गारण्टी करनी होगी, उसका अंडरटेकिंग देना होगा और सिक्योरिटी जमा करनी होगी। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है, यह पन्द्रह फी सदी इस वजह से लगाया गया है कि अब तक रीज़नेबल रिटर्न लफ्ज़ था, और अब तक रीज़नेबल रिटर्न के जितने सवाल आये, सब में पन्द्रह फी सदी था, इसलिये पन्द्रह फी सदी रख दिया गया है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : ऐवेरेज।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कृष्ण चन्द्र : हां, ऐवेरेज है। इसलिये उसको पन्द्रह फी सदी रख दिया गया है। मेरी अर्ज यह है कि पन्द्रह फी सदी बहुत ज्यादा है। जब इलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट में यह निश्चित कर दिया गया है कि लाइसेंसी का इतना प्राफ़िट हो सकता है और अगर उतना प्राफ़िट उसको हो रहा है, तब फिर पन्द्रह परसेंट हर बात में वह ले ले--जहां लाइन एक्सटेंड की, वहां पन्द्रह परसेंट ले ले, यह बिलकुल ग़लत है। जैसा कि माननीय मिनिस्टर साहब ने बताया था, यह सिर्फ़ वहां पर है कि जो उसका कम्पलसरी एरिया नहीं है। वहां अगर लाइन एक्सटेंड करायेगा, तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर कम्पलसरी एरिया में है, तो उसको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इस एक्ट में नहीं है। अगर कनज्यूमर लाइन एक्सटेंड कराना चाहे, तो उसको गारण्टी का अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, चाहे उसकी लाइन पड़ी हो या न पड़ी हो और चाहे वह कम्पलसरी एरिया में हो या न हो।

फिर यह भी प्राविजन है कि चाहे लाइन पहले पड़ चुकी हो, चाहे कनज्यूमर की प्रार्थना पर चाहे लाइसेंसी ने स्वमं चाहे गवर्नमेंट की हिदायत पर लाइन डलवाई है, या दो कनज्यूमरर्ज़ की दरख्वास्त पर लाइन डाली जा चुकी है और उन्होंने अंडरटेकिंग भी दे दिया कि जितना तुम्हारा खर्चा लगेगा, हम दो साल बराबर उस पर पन्द्रह परसेंट मुनाफा देंगे--यह सब गारण्टी दे दी, लेकिन अगर कोई और कनज्यूमर चाहता है कि मेरे यहां भी बिजली आ जाये, तो उसके लिये भी फिर यही प्राविज़न है कि उसको भी पन्द्रह परसेंट का अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब लाइन पहले ही पड़ चुकी है, मेन लाइन पड़ चुकी है और मेन लाइन से बिजली देना उस एरिया में शुरू हो गया है तो फिर पन्द्रह परसेंट की शर्त क्यों रखी गई है। यह शर्त हटा देनी चाहिये।

†**श्री सूपकार** : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि "दो अथवा अधिक" शब्दों के स्थान पर "एक अथवा अधिक" शब्द रख दिये जायें। मेरे विचार से सरकार को एक व्यक्ति की प्रार्थना पर भी उन स्थानों को बिजली देना चाहिये। एक उद्यमी व्यक्ति भी किसी क्षेत्र में बिजली लगवाने के लिये पर्याप्त समझा जाना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह संशोधन बहुत उचित है और उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

†**हकिम मुहम्मद इब्राहीम** : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिजली दिये जाने के लिये दो प्रकार के क्षेत्र माने गये हैं--अनिवार्य क्षेत्र तथा गैर-अनिवार्य क्षेत्र। लाइसेंस के अनुसार अनिवार्य क्षेत्र में लाइसेंसदार बिजली की व्यवस्था करने तथा उन लोगों को बिजली देने के लिये बाध्य है जो उसके लिये प्रार्थना करें। जहां तक गैर-अनिवार्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है यह आवश्यक नहीं है। श्री कृष्ण चन्द्र की यह धारणा गलत है कि यह दोनों मामलों में लागू होता है। यह नियम अनिवार्य क्षेत्र में लागू नहीं होता वरन् केवल गैर-अनिवार्य क्षेत्र में ही लागू होता है। वहां यह सुविधा रखी गई है कि छः व्यक्तियों के बजाय दो व्यक्तियों के प्रार्थनापत्र देने पर भी बिजली दे दी जायेगी। यह बहुत बड़ी सुविधा है और यदि इसे एक व्यक्ति तक कर दिया जायेगा तो वह अन्तर ही समाप्त हो जायेगा जो करार के अन्तर्गत रखा गया है।

क्षेत्र दो प्रकार के हैं--अनिवार्य क्षेत्र और गैर-अनिवार्य क्षेत्र--और उन दोनों में यह अन्तर है कि गैर-अनिवार्य क्षेत्र में उपभोक्ता बिजली की मांग उतनी स्वतंत्रता से नहीं कर सकते हैं जितनी स्वतंत्रता से अनिवार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। इसलिये मेरा विचार है कि लाइसेंस में सन्निहित करार के अनुसार इस स्थिति को ऐसा ही रहना चाहिये। यह संख्या ६ से घटा कर दो कर दी गई है और यह कोई कठिन बात नहीं है .....

†**श्री सूपकार** : खण्ड ६ और खण्ड ७ में तो बहुत अन्तर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हार्थी : इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूं । खण्ड ६ वास्तव में माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर देता है । वह यह जानना चाहते थे कि क्या ऐसा कोई उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत, जहां मुख्य लाइन पड़ी हुई हो, केवल एक व्यक्ति भी प्रार्थनापत्र दे सकता है और लाइसेंसदार उसे करने को बाध्य है ?

अनुसूची के खण्ड ६ में कहा गया है कि "यदि खण्ड ४ अथवा खण्ड ५ के उपबन्धों के अन्तर्गत मुख्य लाइनें डाली जा चुकी हों और उन में से किसी भी एक लाइन से बिजली का संभरण प्रारम्भ हो चुका हो तो यदि संभरण के क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित किसी स्थान का मालिक अथवा कब्ज़ेदार लाइसेंसदार से ऐसे स्थान में बिजली का संभरण करने की मांग करे तो लाइसेंसदार ऐसी मांग किये जाने के समय से महीने भर के अन्दर बिजली का संभरण करेगा ।" अर्थात् जहां मुख्य लाइनें डाली जा चुकी हों कोई भी एक व्यक्ति वैसा कर सकता है क्योंकि वह अनिवार्य क्षेत्र है जहां लाइसेंसदार दो वर्ष में अपना कार्य समाप्त करने और मुख्य लाइनें डालने के लिये बाध्य है । दूसरा क्षेत्र गैर-अनिवार्य है जहां वह मुख्य लाइनें डालने के लिये बाध्य नहीं है । हो सकता है कि वह आबाद क्षेत्र से दस मील दूर हो जहां उसके लिये वह करना आवश्यक नहीं है । यदि कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में बिजली चाहता हो जो लाइसेंस में सम्मिलित नहीं है तभी यह प्रश्न उपस्थित होता है ।

खण्ड ७ और खण्ड ६ का अन्तर इस प्रकार है । खण्ड ७ में यह उपबन्ध है कि जहां कोई नई मुख्य लाइन डाली जाने वाली हो वहां लाइसेंसदार नोटिस देगा और कहेगा कि यदि कोई व्यक्ति लाइन चाहता हो तो वह प्रार्थनापत्र दे हम उसे लाइन देंगे । मुख्य लाइन डाले जाने के पश्चात् यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । दोनों में यह अन्तर है ।

श्री कृष्ण चन्द्र : माननीय मिनिस्टर साहब ने अभी बतलाया कि क्लाज ६ के अन्दर जब लाइन पड़ गई हो और सप्लाई शुरू हो गई हो तो वह कम्पलसरी एरिया हो गया । लेकिन इस क्लाज के अन्दर क्या है कि उस कम्पलसरी एरिया में भी, जिसे माननीय मिनिस्टर साहब ने अभी बतलाया कि वह कम्पलसरी एरिया होगा, उसमें भी लाइसेंसी को यह १५ प्रतिशत मुनाफा मांगने का अधिकार होगा । यह क्यों ?

†हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : कोई अधिकार नहीं होगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र : यहां तो यह कहा गया है कि उपभोक्ता को एक शर्तनामा देना होगा ।

इसके अन्दर जिसे आपने कम्पलसरी एरिया कहा है वह अगर क्लाज ५ और ६ में कम्पलसरी एरिया है तो उस एरिया में भी यह १५ परसेंट की शर्त लागू है । क्यों ? क्लाज ५ में भी जैसा मैंने बताया है कहीं कम्पलसरी एरिया का जिक्र नहीं है ।

†श्री हार्थी : अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में उसका उल्लेख है, नियम १३ (घ) में ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ४० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४१ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री हाथी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दहेज निषेध विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दहेज लेने या देने को निषिद्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें ३० सदस्य अर्थात् श्री मोहम्मद इमाम, डा० अचमम्बा, श्री नि० चं० लाश्कर, श्री ओंकार लाल, श्रीमती जयाबेनशाह, श्री बालकृष्ण वासनिक, श्री रामकृष्ण गुप्त, श्री म० ना० सिंह, श्रीमती सत्यभामा देवी, श्री सिंहासन सिंह, श्रीमती उमा नेहरू, श्री जं० ब० सिंह बिष्ट, श्री मु० हि० रहमान, श्रीमती रेणुका राय, श्री टे० सुब्रह्मण्यम्, डा० गंगाधर शिव, श्री वे० ईयाचरण, श्रीमती सहोदरा बाई राय, पंडित बाबलाल तिवारी, श्री स० रा० अरुमुगम्, श्री राधाचरण शर्मा, श्री हजरनवीस, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री पुन्नूस, श्री सुबिमन घोष, श्री उ० ला० पाटिल, श्री ब्रजराज सिंह, श्री इगनेस बेक, श्री खुशवक्त राय और श्री अ० कु० सेन इस सभा के हों और १५ सदस्य राज्य-सभा के हों ;

कि समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्त तक अपना प्रतिवेदन देगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रुपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किए जायें ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम लोक-सभा को बताये ।"

यह विधेयक पिछले सत्र में पुरःस्थापित किया गया था । जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत इस विधेयक को पुरःस्थापित किया गया है तथा उसे पारित किया जा रहा है उनसे माननीय सदस्य भली प्रकार परिचित हैं । सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए आश्वासनों के अतिरिक्त बहुत वर्षों से लोकमत इस बात पर जोर दे रहा है कि इस प्रकार का एक विधेयक पारित किया जाये । यह दहेज प्रथा न केवल पुरानी हो चुकी है वरन् उससे समाज का बहुत अहित हुआ है और उसके कारण अभी भी निर्धन व्यक्तियों को अपनी लड़कियों की शादियां करने में बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है ।

इस सामाजिक कुरीति के इतिहास अथवा उसके कारणों का विश्लेषण करना यहां आवश्यक नहीं है । यही पर्याप्त है कि हम उस ओर ध्यान दें क्योंकि इस बुराई का समूल नष्ट किया जाना आवश्यक है । मैं यह दावा नहीं करता कि इस संसद् द्वारा पारित कानून से यह बुराई सर्वथा नष्ट हो जाएगी । वास्तव में कानून कभी भी बुराइयों को समल नष्ट नहीं करता । अन्ततः जनता की सामाजिक चेतना ही अपराधों और बुराइयों को रोकती है । कानून केवल उस सामाजिक चेतना को व्यक्त करता है । हम केवल पहला कदम उठा रहे हैं अर्थात् जनता की भावना को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं जो इस प्रथा को बुरा मानती है । इस विधेयक के पुरःस्थापन के समय से ही मेरे पास पता नहीं कितने बधाई के पत्र उन लोगों के आ चुके हैं जो इस प्रथा से पीड़ित हैं । मैं जानता हूं कि भूतकाल में निर्धन एवं मध्य वर्गों को इस प्रथा के कारण कितना कष्ट उठाना पड़ा है और आज भी उठाना पड़ रहा है । जब उनकी लड़कियां विवाह की उम्र की हो जाती हैं तो उन्हें उन उपयुक्त वरों की तलाश करने में बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती है ।

यह ठीक है कि इस प्रथा का कारण हमारी सामाजिक स्थिति है जिसमें मां बाप अपनी लड़कियों के लिए वर तलाश करते हैं । मैं नहीं समझता कि यह स्थिति निकट भविष्य में बदल सकती है । मैं स्वयं यह इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि लड़कियों को विवाह के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाय । अपनी सामाजिक परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि अभी बहुत समय तक मां बाप पर वर की तलाश का भार बना रहेगा । जब तक यह स्थिति रहेगी तब तक उन्हें उसका मूल्य भी चुकाना पड़ेगा । उन्हीं की सहायता के लिए यह विधेयक लाया गया है जो एक ऐसी प्रथा से पीड़ित हैं जिसका समर्थन करने के लिए कोई भी व्यक्ति, यहां अथवा बाहर, तैयार नहीं होगा ।

मैं यह दावा नहीं करता और मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि केवल इस कानून से दहेज प्रथा का अन्त हो जाएगा । वास्तव में जब श्रीमती रेणु चक्रवर्ती अनेक महिलाओं के साथ मुझसे मिलने आई थीं तो मैं ने उनसे कहा था कि सरकार को जो कठिनाई महसूस हो रही है वह ऐसे कानून के प्रवर्तन के सम्बन्ध में ही है ।

हम सब जानते हैं कि बाल विवाह के विरुद्ध बहुत पहले ही कानून बना दिया गया था परन्तु दुर्भाग्यवश अभी भी बाल विवाह होते रहते हैं । केवल गांवों में ही नहीं शहरों में भी ऐसी घटनायें होती रहती हैं । जैसा मैं ने कहा कानून बना देने मात्र से उसका प्रवर्तन निश्चित नहीं हो जाता । अन्ततः जनता की सामाजिक चेतनाँ प्रत्येक कानून को मान्यता प्रदान करती है । दंड संहिता से चोरियों और डकैतियों का अन्त नहीं हुआ है । वह दंड देता है और जनता इस बात का प्रयत्न करती है कि चोरों और डाकुओं को प्रोत्साहन न मिले और यही वास्तविक प्रवर्तन है । लोगों को यह संकल्प कर लेना चाहिए कि कानून जिस बुराई का निषेध करता है वह नहीं की जानी चाहिए और जो लोग उसे करने का प्रयत्न करें उन्हें कानून में विनिहित उपबन्धों के अनुसार दंड मिलना चाहिए ।

इसलिए यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम देश की सामाजिक चेतना को व्यक्त करें जो इस बुराई के विरुद्ध है और वास्तव में इस विधेयक को प्रस्तुत करके हम यही कर भी रहे हैं । जहां तक उसके प्रवर्तन का सम्बन्ध है हमें इस प्रथा के विरुद्ध ठोस लोक-मत तैयार करना चाहिए—ऐसा लोकमत जो इस कानून का पालन कराए और उसका उल्लंघन करने वालों को दंडित कराए । मैं जानता हूं कि इस बुराई के समाप्त होने में काफी समय लगेगा परन्तु इस कानून द्वारा इतना अवश्य होगा कि दहेज प्रथा के विरुद्ध बढ़ती हुई लोक भावना सामने आएगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि सदन को यह विधेयक इस भावना से पारित करना चाहिए कि हमें समाज सुधार के मामले में अपने कर्त्तव्य का पालन करना है । हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनमें से एक का सामना हम आज करने जा रहे हैं, अन्य को भविष्य में देखेंगे ।

मैं अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि विधेयक स्वयं अपनी सिफारिश करता है । वे सिफारिशें विधेयक में नहीं लिखी हुई हैं वरन् हमारे समाज के पिछले कुछ दशकों के इतिहास में निहित हैं । ब्रिटिश शिक्षा के प्रारंभ से दहेज प्रथा और बढ़ी क्योंकि जो लोग पढ़ लिख कर निकलते थे उन्हें योग्य वर समझा जाने लगा और उनके मां बाप रुपए की मांग करने लगे । अब यद्यपि शिक्षा किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रह गई है परन्तु वर पक्ष वाले दहेज को अपना विशेषाधिकार समझने लगे हैं । जब तक इसे अवैध नहीं करार दिया जाएगा तब तक इसका अन्त नहीं हो सकेगा । इसलिए इस विधेयक का पारित किया जाना बहुत आवश्यक है ।

†**श्री बाजपेयी** : (बलरामपुर) : मेरा एक संशोधन है । मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर राय जानने के लिए इसे परिचालित किया जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव तथा संशोधन प्रस्तुत हुए । दोनों पर एक साथ ही चर्चा होगी ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं । १९५३ में श्रीमती उमा नेहरू ने इस विषय का एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया था । तब सरकार ने इसके लिए कुछ समय मांगा था । आज इतने समय बाद यह विधेयक उपस्थित किया गया था जिसका उद्देश्य सामाजिक चेतना जागृत करना है । परन्तु खेद है कि माननीय मंत्री ने जो भाषण दिया उससे निराशा व्यक्त होती है । उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह हम सभी जानते हैं कि इस विधेयक का बहुत विरोध किया जाएगा । केरल में जब ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया गया था तब कांग्रेस दल के सदस्यों ने उसका विरोध किया था । जब किसी व्यक्ति को उसके दोषों का संकेत किया जाता है तो वह उसका विरोध करता ही है । यह स्वाभाविक है । इसलिए इस विधेयक का विरोध भी किया जाने लगा है । हम यह देखेंगे कि विरोध की मुख्य बातें क्या हैं ?

एक बात तो यह कही जाती है कि हमें अपनी लड़कियों को इसलिए सामान देना चाहिए कि जब वे अपनी ससुराल जायें तो उनका आदर हो । परन्तु वास्तव में होता यह है कि लड़की के ससुराल पहुंचने पर उसका सारा सामान छीन लिया जाता है और उसका कोई अधिकार उस पर नहीं रह जाता । यही नहीं यदि वे विधवा हो जाती हैं तो उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है ।

माननीय मंत्री ने कहा कि यह विधेयक निर्धन व्यक्तियों का कष्ट दूर करने के लिए उपस्थित किया जा रहा है । परन्तु वास्तव में दहेज प्रथा से निर्धन व्यक्ति पीड़ित नहीं हैं वरन् वे लोग पीड़ित हैं जो दहेज दे सकते हैं । मैं समझती हूं कि दहेज प्रथा हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग में व्याप्त है ।

दहेज प्रथा के समर्थन में धर्म का सहारा भी लिया जाता है । धार्मिक वृत्ति के लोग कहते हैं कि दहेज की पवित्रता को नष्ट नहीं करना चाहिए । ऐसे लोग विवाह की पवित्रता पर ध्यान न देकर दहेज की पवित्रता का राग अलापते रहते हैं ।

जहां तक प्रस्तुत विधेयक का सम्बन्ध है मैं सबसे पहले 'दहेज' शब्द की व्याख्या की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । इसमें कहा गया है कि दहेज का तात्पर्य उस सम्पत्ति अथवा मूल्यवान प्रतिभूति से है जो विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाय अथवा जिसके देने का वायदा किया जाय । मेरे विचार से यह व्याख्या ठीक नहीं है । उसे अधिक निर्दिष्ट और विस्तृत होना चाहिए था । इसके अतिरिक्त जो सीमा रखी है वह भी बहुत अधिक है । २००० रुपए की राशि बहुत अधिक है । आजकल इसी प्रथा के कारण लोगों को ऋण लेना पड़ता है । लड़की के जन्म लेते ही मां बाप दहेज के सम्बन्ध में चिन्ता करने लगते हैं । मेरे विचार से ५०० रुपए की राशि ठीक होगी । यदि मां बाप अपनी लड़की लड़कियों को गहने देना ही चाहें तो वे बाद में दिए जा सकते हैं परन्तु विवाह के समय ५०० रुपए से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए ।

जहां तक खण्ड ३ का सम्बन्ध है, ५००० रुपए का दण्ड बहुत अधिक है । मैं दहेज का विरोध अवश्य करती हूं परन्तु मेरे विचार से इस प्रकार के आर्थिक दण्डों से उसका अन्त नहीं हो सकेगा । मेरे विचार से तो आर्थिक दण्ड के बजाय करावास के दण्ड का अधिक असर होगा । इसलिये मैं चाहती हूं कि कारावास के दण्ड पर ही जोर दिया जाय ।

फिर विधेयक के खण्ड ५ में यह कहा गया है कि दहेज लेने अथवा देने के लिये किया गया समझौता अवैध समझा गया है । परन्तु खण्ड ६ में उसके उल्लंघन के लिये छट मिल जाती है । उसमें कहा गया है कि २००० रुपए से अधिक का दहेज नहीं लिया जा सकेगा । यदि कोई व्यक्ति २००० रुपए से अधिक का दहेज लेगा तो उसे जुर्माना देना होगा । इस प्रकार का उपबन्ध ठीक नहीं है क्योंकि उससे कानून के उल्लंघन का मौका मिलता है ।

अन्त में मैं खण्ड ८ पर आती हूं जिसमें दहेज सम्बन्धी अपराध को अहस्तक्षेप्य बना दिया गया है । इसका मतलब यह है कि सरकार यह चाहती है कि अपराधी को दंडित कराने के लिये या तो असन्तुष्ट व्यक्ति कार्यवाही करे या समाज सुधारक । सरकार स्वयं यह कार्य अपने हाथ में क्यों

नहीं लेती ? इसलिये मैं चाहती हूं कि इन अपराधों को हस्तक्षेप्य बना दिया जाय, अहस्तक्षेप्य न रहने दिया जाय ।

इन बातों की ओर मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं । मेरे विचार से यह विधेयक तो अच्छा है परन्तु जब तक स्त्रियों को हर मामले में पुरुष के समान अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक इस बुराई का अन्त नहीं होगा । हमें स्त्रियों की आर्थिक दासता को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में शासक दल की विशेष जिम्मेदारी है क्योंकि इस प्रकार के विधेयकों का विरोध कांग्रेस पक्ष की ओर से ही अधिक किया जाता है । साम्प्रदायिक दल तो इसका विरोध करेंगे ही । इसलिये हमें चाहिये कि हम सब मिल कर इस बुराई का अंत करने का प्रयत्न करें । स्वयं मंत्री जी ने यह कहा है कि इस अधिनियम से ही यह बुराई दूर नहीं होगी। उसे दूर करने के लिये हमें ठोस लोकमत तैयार करना चाहिये । मैं आशा करती हूं कि प्रवर समिति इस विधेयक में आवश्यक सुधार करेगी और यह विधेयक दहेज प्रथा को समाप्त करने में सहायक होगा ।

श्री बाजपेयी : सभापति जी, जिस भावना से अनुप्राणित हो कर यह विधेयक लोक सभा के समक्ष उपस्थित किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं । कोई भी विवेकशील व्यक्ति दहेज़ प्रथा का समर्थन नहीं कर सकता । दहेज़ प्रथा हमारे लिये एक अभिशाप बन गई है । भारतीय समाज में नारी की जितनी दीन दशा है, इसका यह सूचक है । पुरुष कितनी स्वार्थवृत्ति से प्रेरित हो कर काम करता है, इसका यह द्योतक है । वह हमारे सामाजिक पिछड़ेपन का परिचायक है और सब इस बात से सहमत होंगे कि वर-वधू के क्रय-विक्रय की जो यह प्रथा है, उसका मूलोच्छेदन होना चाहिये । किन्तु प्रश्न यह है कि इस दूषित प्रथा को, काल क्रम से हमारी संस्कृति में जो यह विकृति उत्पन्न हो गई है, उस के निवारण का सही रास्ता क्या है ? विधि मंत्री ने अपने भाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि सामाजिक बुराइयां केवल कानून से दूर नहीं हो सकतीं, और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये अभी तक जो कानून हैं बने हैं यदि हम उनके अनुभव के प्रकाश में देखें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यदि जनता आगृत नहीं है, जनमत के जागरण का प्रकटीकरण नहीं हुआ और सामाजिक चेतना उत्पन्न नहीं की गई तो सामाजिक सुधार के लिये बनाये गये कानून आलमारियों की शोभा बढ़ाते हैं, समाज के ढांचे में जिस आमूल परिवर्तन को करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं, उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाते ।

इस सम्बन्ध में विधि मंत्री ने बाल विवाह अधिनियम का उल्लेख किया है । मेरा निवेदन है कि एक बार बाल विवाह के अपराधी को पकड़ा जा सकता है विवाह करते हुये, लेकिन दहेज़ को लेते देते समय पकड़ना, जब तक देने या लेने वालों में से कोई शिकायत न करे, कैसे व्यावहारिक होगा, यह मैं जानना चाहता हूं । और अगर वह खुद देना चाहता या लेना चाहता है तो शिकायत नहीं करेगा । यदि कोई तीसरा व्यक्ति शिकायत करेगा तो उसके लिये गवाह जुटाना एक बड़ी समस्या हो जायेगी । तो इस बात को मानना पड़ेगा कि इस कानून का पालन कराने में व्यावहारिक कठिनाइयां खड़ी होंगी, उनका निराकरण कैसे किया जाय ? एक दूसरी आपत्ति भी है । मैं जानता हूं कि ब्राह्मणों का एक ऐसा वर्ग है जिसमें लड़कियां कम हैं, लड़के अधिक हैं । वहां विवाह करने के लिये लड़की वाले को दहेज नहीं देना पड़ता, जो लड़का है या लड़के का पिता है वह उसका विवाह हो जाय या उसके लड़के का विवाह हो जाय इसलिये उल्टा लड़की वाले को कुछ दक्षिणा देता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : यह बिल तो उसे भी कवर करेगा ।

श्री बाजपेयी : मेरी आपत्ति यह है कि यह बिल इस पर लागू होगा लेकिन परिणाम यह होगा कि बहुत से लड़के बिना ब्याहे रह जायेंगे ।

श्रीमती सहोदराबाई राय (सागर रक्षित अनुसूचित जातियां) : जिनके अन्दर कलंक है वे ही ऐसा लेन देन करते हैं, दूसरे नहीं करते ।

श्री बाजपेयी : अगर हम समझें कि यह कानून सर्वव्यापक होगा तो फिर इस कानून की धाराओं के अन्तर्गत केवल विवाह के समय आदान प्रदान भले ही रुक जाय, मगर चोर दरवाजे से भेंट देने की प्रथा चालू होगी । अगर आप मुंह से न कहें तो फिर जब शादी की जायेगी तो यह देखा जायेगा कि लड़की वाले की हैसियत क्या है, और दहेज न मांगा जाय स्पष्ट रूप में . . . .

श्री त्यागी (देहरादून) : सोचा जायेगा कि बाप कितनी देर में मरेगा ।

श्री बाजपेयी : कई बातें देखी जायेंगी और प्रयत्न किया जायेगा कि इस विधेयक की धारायें कानून का रूप ले कर भी निष्प्रभावी हो जायें और धन और सम्पत्ति का आदान प्रदान चलता रहे। किन्तु मेरे कहने का अर्थ यह न लगाया जाय कि मैं दहेज प्रथा का समर्थक हूं । मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि इस प्रथा का निर्मूलन होना चाहिये, किन्तु इसके लिये पहले कानून का निर्माण नहीं, सामाजिक चेतना की, जागृति की आवश्यकता है । मेरा यह आरोप है कि जो भी दहेज प्रथा की निन्दा करते हैं वे अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में जब कभी जनमत को बदलने का समय आता है उस समय इस सम्बन्ध में मौन रहते हैं । उनकी सारी गतिविधियां राजनीति तक केन्द्रित रहती हैं, सत्ता की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील और जिन्हें सत्ता मिल गई है वे उसे बनाये रखने के लिये उत्सुक । लेकिन जब कभी लोक सभा में सामाजिक सुधारों का प्रश्न खड़ा होता है, हम सामाजिक सुधारों के प्रहरी के जागरूक समर्थक के रूप में खड़े हो जाते हैं । मेरा निवेदन है कि सामाजिक सुधार के लिये देश में जैसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिये, और उसका दायित्व आज सभी राजनीतिक दलों पर, जनता के प्रतिनिधियों पर है और सरकार पर भी है, उस दायित्व का अभी तक पालन नहीं किया गया ।

हमारा सूचना मंत्रालय दहेज प्रथा के विरुद्ध एक फिल्म तैयार कर सकता था, जो और गैर-सरकारी संगठन हैं, सरकार से सहायता पाते हैं, भारत सेवक समाज है, युवक समाज या विद्यार्थियों की अनेक संस्थायें हैं, उनको भी इकट्ठा कर के इस बात के लिये प्रेरित किया जा सकता है कि वे दहेज प्रथा के विरुद्ध एक आन्दोलन आरम्भ करें। लेकिन यह काम हमने नहीं किया और हम कानून ले आये । मेरा निवेदन है कि यह घोड़े के आगे गाड़ी जोतने के समान है । कानून बनाने से एक और भावना उत्पन्न होती है । हम समझते हैं कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, उसकी इतिश्री हो गई, अब हमें इस मामले में कुछ नहीं करना है ।

छुआछूत के भेद को मिटाने के लिये जो कानून बने हैं उनके सम्बन्ध में मैं देखता हूं कि कानून बन जाने से पहले इस सम्बन्ध में समाज में जागृति पैदा करने का प्रयत्न होता था वह अब नहीं होता और सामाजिक कार्यकर्ता समझते हैं कि अब तो कानून बन गया और वह कागनिजेबल अफेन्स है, पुलिस करेगी हमें क्या पड़ी है । अगर बिना सामाजिक चेतना के सामाजिक सुधार के कानून बनते हैं तो वे सामाजिक सुधार करने के प्रयत्नों में शिथिलता लाते हैं । जो समाज सुधार की संस्थायें हैं वे इस सम्बन्ध में समझती हैं कि हमारा काम पूरा हो गया, कानन बन गया अब हम क्या कर सकते

हैं। मैं समझता हूं कि यह स्थिति कोई हमारे देश के लिये अच्छी नहीं है। यदि कानून बन भी गया तो भी उसके पालन के लिये जब तक समाज और हर एक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तब तक उसका पालन सम्भव नहीं। मैं तो चाहता था कि विधि मंत्री इस बात पर प्रकाश डालते कि जिन दो प्रान्तों में दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून बने थे वहां उनका पालन किस तरह से हुआ, उन का अनुभव कैसा है। बिहार में और आन्ध्र में कानून बने थे, अब इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद वे कानून निरस्त्र कर दिये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इन दो प्रान्तों का अनुभव क्या है, क्या सचमुच कानून से दहेज प्रथा में रुकावट आई है। अगर कानून बना रहा और सुधारों की साथ चलती रही और दहेज प्रथा भी चलती रही तो मैं समझता हूं कि यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। समाज सुधार की कसौटी कानूनों की बढ़ती हुई संख्या नहीं हो सकती कि हम कानून बना कर समझें कि हमारा समाज प्रगति कर रहा है। इसके लिये सरकार को और सरकार की प्रेरणा से गैर सरकारी संस्थाओं को प्रयत्नशील होना चाहिये।

इस दृष्टि से मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक के जनमत के जागरण के लिये प्रचारित किया जाय। इस विधेयक को हम जनता तक ले जायें, इसलिये नहीं कि हम यह पता लगाना चाहते हैं कि जनता इसके पक्ष में है या नहीं, अपितु इसलिये कि एक बार यह विधेयक कानून बन जाये तो जनता इसके पालन में सहयोग दे अगर हमने यह स्वीकार किया है कि यह कानून तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि लोग स्वयं आकर इस कानून के परिपालन के लिये प्रयत्नशील नहीं होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि सामाजिक जागृति और चेतना को उत्पन्न करने के लिये हम या सरकार कौन से कदम उठा रहे हैं।

श्री च० का० भट्टाचार्य (पश्चिम दीनाजपुर) : चेतना उत्पन्न हो गई।

श्री बाजपेयी : अभी एक महिला सदस्या ने कहा कि २,००० रु० की रकम जो रक्खी गई है यह बहुत अधिक है। यह कम कर देना चाहिये मगर मैं समझता हूं कि २ हजार की रकम अगर किसी के लिये अधिक है तो किसी के लिये कम भी हो सकती है। मुझे आपत्ति इस बात पर नहीं है कि कन्या को क्या दिया जाता है। अगर पिता और माता कन्यादान के रूप में अपनी कन्या के भविष्य के सुख के लिये कुछ देना चाहते हैं तो एक बार समझ में आ सकता है लेकिन आजकल विवाह के साथ ऊपर जो खर्चे होते हैं अगर उनकी कटौती के लिये कोई प्रयत्न नहीं होता तो मैं समझता हूं कि वह दूसरे रूप में दहेज की प्रथा चालू हो जायेगी। बारात में कितने व्यक्ति आये? अगर आप २ हजार रुपये से अधिक न लेने पर तो रोक लगा दें मगर इस बात की छूट हो कि बारात में ५०० से अधिक व्यक्ति आ जायें और उनके रेल आदि का खर्चा दिया जाय, उन्हें १०, १० रुपये बतौर दक्षिणा के दिये जायें और चलते हुये साथ में एक एक दुशाला भी दिया जाय तो मैं समझता हूं कि लड़की वाले का कचूमर ही निकल जायेगा और आपका कानून दखल नहीं दे सकेगा। इसलिये यह बात इतनी सरल नहीं है जितना कि इसको बना कर रक्खा जा रहा है। आखिर यह समाज के सुधार का प्रश्न है। समाज के ढांचे में जटिलतायें हैं और उन जटिलताओं का जहां तक मैं समझता हूं यह कानून सामना नहीं करता उनको मीट नहीं करता। यह तो ऊपर की लीपा पोती करता है। शायद सरकार यह कानून बना कर साधुवाद ग्रहण करना चाहती है कि हम समाज के सुधार के लिये आगे कदम बढ़ा रहे हैं और हमने दहेज प्रथा का कानून पास कर दिया। मेरा निवेदन है कि ऐसा करना इस गम्भीर समस्या को दृष्टि से ओझल करना है और उसकी गम्भीरता को पूरी तरह आंका नहीं गया है। अगर हम इस कानून में केवल शादी के अवसर

(श्री बाजपेयी)

पर दिये गये और लिये जाने वाले दहेज पर रोक लगाते हैं और शादी के बाद आदान प्रदान चलता है तो मैं समझता हूं कि इस कानून का कोई बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है ?

अभी कहा गया कि पुलिस इसमें दखल दे। इसे कागनेजेबुल औफेंस कर दिया जाय। बात सुनने में अच्छी मालूम होती है मगर मैं इस सम्बन्ध में सरकार की कठिनाइयों को अच्छी तरह समझता हूं। सरकार अगर दखल दे और उसे कोई गवाह नहीं मिले और मुकदमा खारिज हो जाय तब क्या बनेगा। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इन दो राज्यों के अनुभव इस सम्बन्ध में क्या हैं ? लेकिन हमारे विधि मंत्री ने एक भावुकताप्रधान भाषण दिया है। उनकी भावनाओं से हम सहमत हैं कि यह दहेज की कुप्रथा हमारे राष्ट्र के माथे पर एक कलंक है मगर सवाल तो यह होता है कि यह कलंक मिटेगा कैसे ? इस विधेयक की धारायें इस कलंक का पूरी तरह से निर्मूलन नहीं कर सकती हैं।

एक माननीय सदस्य : थोड़ा कर सकती हैं।

श्री बाजपेयी : थोड़ा कर सकती हैं इसमें मैं सहमत हूं मगर मेरा निवेदन है कि अगर आप थोड़े का कानून बना दें तो अधिक करने में शिथिलता आयेगी और हम समझेंगे कि अब हमें कुछ करने को बाकी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रचारित किया जाय। इस बीच में सरकार और गैर-सरकारी संस्थाएं और इस सदन में विधेयक का समर्थन करने वाले जो राजनैतिक दल बैठे हैं उनके सदस्य जनता में जाकर इस विधेयक की विभिन्न धाराओं को समझायें। विशेष कर संसद के सदस्य गण अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर इस विधेयक की धराओं को जनता को समझायें और लोगों से अपील करें कि न तो तुम दहेज दो और न दहेज लो; मगर मुझे डर है कि जो यहां समर्थन करते हैं वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे और इतना ही नहीं बल्कि अगर अपने पुत्र के विवाह का समय आये तो कह देंगे कि मैं तो दहेज नहीं लेता मगर क्या करूं लड़के का मामा नहीं मानता या लड़के का नाना नहीं मानता, मैं क्या कर सकता हूं तो इस तरह बीच में मामा नाना आ जायेंगे और दहेज ले लिया जायेगा। अगर हम कानून की हंसी नहीं बनाना चाहते तो गम्भीरता के साथ हमें इस प्रश्न को उठाना चाहिए। सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा कि यह कोई मतभेद की बात नहीं है। सारा देश इस सम्बन्ध में एक मत है और धर्म का आश्रय लेकर देश में कोई भी दहेज प्रथा का समर्थन नहीं कर सकता। मेरी कम्युनिस्ट बहिन ने जो कहा वह शायद इसलिए कहा कि उन्हें हमारे धर्म और परम्परा का ज्ञान नहीं है। दहेज प्रथा का समर्थन कोई नहीं करता और जो भी दहेज देता है वह विवश होकर देता है। जब घर में जवान लड़की बैठी हो और उसके बाप के दिल पर पत्थर रक्खा होता है और जब उसको बिना दहेज दिये कोई लड़का अपनी लड़की के लिए नहीं मिलता है तो झख मार कर उसे दहेज देनी पड़ती है क्योंकि जैसे भी हो उसको तो अपनी लड़की के हाथ पीले करने होते हैं। खुशी से कोई भी दहेज देना नहीं चाहता। इस आज की परिस्थिति को हम इस तरह का एक कानून पास करके बदल नहीं सकते। समाज में एक क्रांति की भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि कानून आना चाहिए मगर सामाजिक चेतना और जागृति के बाद आना चाहिये उसके पहले नहीं। पहले हम समाज में जागृति करें और फिर हम कानून से उस पर मुहर लगायें।

मेरा निवेदन है कि सदन् मेरे इस संशोधन पर गम्भीरता से विचार करे और उस को जनमत जानने के हेतु प्रसारित किया जाय और जनता को एक बार जाग्रत कर लें तो अगले अधिवेशन में हम इस पर कानून की मुहर लगा सकते हैं। इस बीच में हम जनता को शिक्षित करने का काम करें।

श्री त्यागी : मैं इस बिल का विरोध इस लिये करता हूं कि यह छोटी छोटी चीजें जो कि गवर्नमेंट अपना वक्त गुजारने के लिये कर रही है यह कोई बहुत गहरी जगह पर नहीं जा रही है और न कोई बड़े अहम काम को ले रही है। आज कल के जमाने में मैं गवर्नमेंट से यह उम्मीद करता था कि मुल्क के उद्धार के लिए वह कोई खास काम अपने हाथ में उठायेगी और उस में वह नेशन को लगाती। इन छोटी छोटी चीजों में कि दहेज मत दो और दहेज मत लो, इस तरह की छोटी छोटी बातों में अपना वक्त लगाने के मायने यह हैं कि शायद दिमाग इस हालत में पहुंच गये हैं कि मुल्क को उठाने के लिये कोई बड़े काम नहीं रहे हैं।

मेरा खयाल है कि हर सोसाइटी का एक कल्चर होता है जो कि जरा गवर्नमेंट से आजाद रहना चाहिए। ला मिनिस्टर साहब यह एक ऐसा बिल लाये हैं जो कि नामुकम्मिल है और इस शक्ल में भी इस में बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं और जिनका कि जिक्र हमारी बहिन श्रीमती पार्वती कृष्णन् ने किया। काफी कमजोरियां इस में हैं। जो हम चाहते हैं वह भी इस में पूरा नहीं होता है। फिर जैसे ला मिनिस्टर साहब ने खुद भी इसको स्वीकार किया कि लीडरशिप के अन्दर एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वह देश को और सोसाइटी को अपने साथ ले जा सके और इंसपायर कर सके।

मेरे भाई श्री बाजपेयी ने बड़े अच्छे ढंग से कहा कि इस वक्त गवर्नमेंट का यह फर्ज था कि जो भी देश के अन्दर लीडरशीप है, अपोजिशन के लीडर्स हैं, काफी अच्छा असर उनका अवाम पर है और महज इस लिये कि वे कम्युनिस्ट खयाल रखते हैं या कोई और खयाल रखते हैं, मेरे दिल में उनके लिए कम इज्जत नहीं है। हालांकि वह मेरे से अलग एक अपनी आइडियालिजी रखते हैं और मेरा उन से एख्तलाफ भी है तो भी मैं समझता हूं कि मुअज्जिज्ज लीडरशिप उनके पास है और उनका कुछ लोगों पर असर है। क्यों नहीं वह अपने असर का इस्तेमाल करते इन छोटी छोटी कुरीतियों को दूर करने में? महात्मा गांधी ने हरिजनों और शेडयूल्ड कास्ट वालों के लिए बहुत कुछ कर दिया और वे ब्राह्मण जो हरिजनों के साथ पानी तक पीना पसन्द नहीं करते थे, गांधी जी के प्रयत्नों से ब्राह्मण हरिजनों के साथ बैठ कर खाना खाने लगे। हरिजनों के साथ बैठ कर पानी पीने लगे। उन्होंने मुसलमानों के साथ भी खाना पीना शुरू कर दिया। ब्राह्मण और हरिजन एक साथ बैठ कर सहभोज करने लगे। मेरा इसको बतलाने से मंशा यह है कि एक मूवमेंट चलाने के लिए कानून से उसका श्री गणेश करना अच्छा नहीं है उसका सोसाइटी पर खराब असर पड़ता है। अब यह कहना कि दहेज मत दो, अगर दहेज दी तो ६ महीने की सजा होगी, मुझे लगता है कि एक एम्पोटेंसी सी आ गई है और इस से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि गोया कोई ताकत न रही हो, शक्ति न रही हो और कोई असर न रहा हो। ऐसा खयाल करना कि जेलखाने की केडर की वजह से हमारा ऐसा तर्जेअमल बनेगा। हमारी सोसाइटी का कल्चर सारा का सारा जेलखाने के डर से बनेगा और अगर हम ने ऐसा लेजिस्लेशन नहीं किया तो हमारा सामाजिक ढांचा चकनाचूर हो जायगा, इस तरह से खयाल करना तो ऐसा मालूम दता है कि गोया किसी नये आदमी को तलवार मिल गई हो और वह उस तलवार को जगह जगह घुमाये फिरें। मुझ को तो ला मिनिस्टर साहब का यह बिल लाना कुछ इसी तरह का मालूम देता है। ख्वाह मख्वाह के लिए हर जगह कानून लगाया जाना ठीक नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सोसाइटी की डोमैस्टिक लाइफ में मत घुसो। अभी नई शादी हो कर आयी है, बच्चों के बैड रूम में मत झांको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सोसाइटी में, फैमिली में कुछ प्राइवेसी रहने दो। आप हर बात को जानना चाहते हैं कि क्या दिया क्या नहीं दिया। मैं कहता हूं कि और तरह से भी इस पर गौर कीजिए।

हमारी बहिनें जो कि दहेज ले चुकी हैं---मुझे माफ करें---वह ही आज उसके खिलाफ हैं। हमारी उमा भाभी दहेज की मुखालिफत करती हैं, लेकिन वे खुद दहेज ले चुकी हैं, अब दूसरों को रोकती हैं।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती : आप ले चुके हैं और दूसरों के लिए कहते हैं।

श्री त्यागी : आप भी ले चुकी हैं। अब बेचारी मेरी लड़की को रोक देना चाहती हैं।

अब सवाल यह है कि दो हजार से ज्यादा का जेवर न हो। अगर कोई लड़की बड़े शोक से पली हुई हो तो हो सकता है कि उसके हीरे के बुन्दे या हीरे की अंगूठी ही दो हजार से ज्यादा की हो। अब शादी के वक्त उस लड़की के ये जेवर उतारने होंगे कि अगर दो हजार से ज्यादा हो गए तो कहीं बाप को गिरफ्तार हो कर जेल न जाना पड़े। फर्ज कीजिए कि प्रेजेंट आते हैं और आते आते दो हजार के हो जाते हैं। अब अगर उस के बाद प्रेसीडेंट साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब एक छल्ला भी देना चाहें तो नहीं दे सकेंगे क्योंकि उस हालत में वह दो हजार से ज्यादा हो जाएगा तो उनकी गिरफ्तार होना पड़ेगा और सजा भुगतनी पड़ेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : यह उसको टच नहीं करता।

श्री त्यागी : अगर यह उसको टच नहीं करता तो शादी में दस हजार के प्रेजेंट दिए जा सकते हैं।

अब एक बात पर और गौर कीजिए। कहा जा रहा है कि लड़के बाजार में आ गए हैं। उनकी शादी का बड़ा सौदा हो रहा है। अच्छे लड़के नहीं मिलते। मेरा खयाल है कि खूबसूरत लड़कियों को तो अच्छे लड़के आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई बेचारा गरीब आदमी है। उसकी लड़की भी खूबसूरत नहीं है। लड़की को ज्यादा तालीम भी नहीं मिली है। ऐसा ही नहीं है कि लोग सिर्फ रुपए को ही देखते हों। और भी बहुत सी बातें देखते हैं। यह देखते हैं कि लड़की तन्दुरस्त है या नहीं, उसका खानदान कैसा है। सिर्फ रुपए के खयाल से ही सारी शादियां नहीं हो रही हैं। तो मैं यह कह रहा था कि अगर किसी गरीब की लड़की है जो ज्यादा खूबसूरत नहीं है उसको कुछ रुपया दे कर अच्छी जगह मिल सकती है।

हमने हिन्दू कोड बना दिया है जिसके मुताबिक लड़की को बाप के मरने पर उसकी जायदाद में हिस्सा मिल सकता है। मैं कहता हूं कि आप दहेज को छोड़ दीजिए। फिर भी यह हो सकता है कि शादी करते वक्त आदमी इस बात पर निगाह रखेगा कि इस आदमी के पास काफी जायदाद है, जब यह मरेगा तो इसकी लड़की को उसमें से हिस्सा मिलेगा। दहेज न सही, लाखों रुपये की जायदाद मिल जाएगी। अगर आप यह कानून बना दें कि लड़की को न दहेज मिलेगा और न अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा मिलेगा तब तो मैं समझ सकता हूं कि यह बात ठीक है। लेकिन जब लड़की को बाप की जायदाद में हिस्सा मिल सकता है तब फिर इस बिल का सारा मंशा ही खत्म हो जाता है। लड़के का बाप यह रास्ता देखता रहेगा कि कब इस लड़की का बाप मरे और कब उसे हिस्सा मिले। इस वजह से एक रईस की लड़की की शादी ज्यादा अच्छी जगह हो जाएगी। तो इस तरह यह चीज नहीं रुक सकती। तो फिर इसका इलाज क्या है। मैं कहता हूं कि सोसाइटी को इतना ऊंचा उठाया जाए कि इस तरह का काम करना टेबू समझा जाए। जो ऐसा करे समाज में उसको नीची निगाह से देखा जाए। इस तरह के कानून बना कर सोसाइटी का सुधार नहीं किया जा सकता। आप किस किस बात के लिए कानून बनायेंगे।

बहुत सी बिरादरियों में लोग एक दूसरे का जूठा हुक्का पीते हैं। मुसलमान लोग एक दूसरे का जूठा पानी पीते हैं, हुक्का पीते हैं। जाहिर है कि ये चीजें अनहाइजीनिक हैं। हाइजीन के हिसाब से यह काम नहीं करना चाहिए। मुसलमान लोग जो एक दस्तरखान पर बैठ कर एक तश्तरी में से खाना लेते हैं यह अनहाइजीनिक है। अब अगर हमारे करमरकर साहब चाहें तो इस के लिए कानून

बना सकते हैं कि अगर कोई किसी का जूठा खाना खाएगा या पानी पिएगा या हुक्का पिएगा तो उसको ६ महीने की सजा की जाएगी। आप इस तरह से सोसाइटी का रिफार्म कैसे कर सकेंगे। इस के लिए तो यह जरूरी है कि सोसाइटी को एजूकेट किया जाए और अगर लोग समझें कि यह काम करना ठीक नहीं है। जब सोसाइटी एक चीज को बुरा समझेगी तो उसको नहीं करेगी ।

क्या आप समझते हैं कि जेल खाने के डर से चोरियां और दूसरे जुर्म रूके हुए हैं ? ये चीजें इसलिये रुकी हुई हैं कि सोसाइटी इन कामों को बुरा समझती है और इन कामों को करने वालों को कंडेम करती है । इस डर से लोग रुके हुए हैं। सजा के डर से लोग नहीं रुके हुए हैं। इसलिए अगर सोसाइटी दहेज को तेजी से कंडेम करे तो लोग रुक सकते हैं क्योंकि वह समझेंगे कि सोसाइटी उनको बुरा समझेगी अगर आप इस तरह का कानून बनायेंगे तो नतीजा यह होगा कि सोसाइटी में शादियां भी ब्लैक मारकेट में आ जाएंगी ।

इसके अलावा आप इसके लफ्जों पर गौर कीजिए । अभी बहिन पार्वती जी ने बताया कि जो चीज एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है वह इस कानून में दहेज माना जाएगा । इसके मानी यह हुए कि अगर मैं अपनी लड़की की शादी कर रहा हूं तो जो अपने मैं दामाद को दूंगा वह तो दहेज माना जाएगा लेकिन जो मैं अपनी लड़की को दूंगा वह दहेज नहीं माना जाएगा क्योंकि वह तो मेरी पार्टी की है । अगर मैं अपनी लड़की को दस हजार रुपये दे दूंगा तो वह दहेज नहीं माना जाएगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस में है ---पार्टीज टू मैरिज, (जिसका मतलब है खांविद व बीबी)।

श्री त्यागी : मैं पंडित जी की राय की बहुत कद्र करता हूं। कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में मैं बराबर आप से ही सलाह लिया करता था। लेकिन आप देखें तो इस में क्या लिखा । मुझे ताज्जुब होता ह कि आप क्या फरमा रहे हैं :—

†शादी में दो पक्ष होते हैं। यदि एक पक्ष का कोई भी व्यक्ति उस पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के किसी भी व्यक्ति को कोई धन देता है तो वह दहेज की श्रेणी में आता है । लेकिन यदि पिता अपनी लड़की को कुछ भी देता है तो वह दहेज ही नहीं होता। दहेज तो तभी कहलाता है जब कि दोनों पक्षों में आदान प्रदान होता है। उपबन्धों के अनुसार आप पांच हज़ार रुपये तक दे सकते हैं लेकिन यह राशि जामाता को न दे कर अपनी लड़की को देनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि हमें इस प्रकार की चीज़ नहीं पारित करनी चाहिये। इस पर लोग हंसेंगे। तथा इस प्रकार के शब्दों से विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होती।

भेंट के विषय में कहा गया है कि यदि भेंट २ हजार की शादी राशि से अधिक है तो सम्बन्धित पिता अथवा माता पिता को छ महीने को जेलखाना जाना पड़ेगा। हमारे भारत में विवाह ही एक खुशी का अवसर है और आप उस समय इस विधान को वहां थोपना चाहते हैं। आप संसार के किसी भी व्यक्ति को भेंट दे सकते हैं लेकिन अपने रिश्तेदार को नहीं। फिर दूसरों को दी जाने वाली इस भेंट को आप क्यों नहीं रोकते। हम देखते हैं कि किसी को भी कितना ही धन दिया जा सकता है लेकिन इस विधान के अनुसार अपने सम्बन्धियों को कुछ नहीं दिया जा सकता। मैं मानता हूं धन के आदान-प्रदान के लिये ही विवाह नहीं होने चाहिये। यह बात आपत्तिजनक है। लेकिन यदि कोई स्वेच्छा से धन देना चाहता है तो इसमें आपत्ति की क्या बात है ? विधियां पारित करने की भी कोई सीमा होनी चाहिये। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की बातें हमारे यहां प्रचलित है अतः सरकार को इन छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिये। विधि मंत्री

---

†यहां से मूल अंग्रेजी में

(श्री त्यागी)

की यह बात कि दांडिक उपबन्ध शैक्षिक उपबन्ध होगा—मेरी समझ में नहीं आई। यह तो विरोधात्मक विचार है।

अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मेरा सुझाव है कि हमें इन छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिये। इस मामले को तो समाज पर ही छोड़ देना चाहिये।

(श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं)

†श्रीमती मंजुला देवी (ग्वालपाड़ा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं और मुझे प्रसन्नता है कि इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिये इस विधेयक के द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है। बहुत से महिला संघ इसे दूर करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन उन्हें बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं। हमारे समाज में नाना घटनायें होती रहती हैं। जब लड़की के माता पिता वर पक्ष की मांगें पूरी नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में या तो लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं अथवा बेबसी का जीवन बिताने के लिये रह जाती हैं। अगर यह सामाजिक बुराई दूर हो जाये तो जीवन का यह दुख संकट दूर हो जाये।

लेकिन जो उपबन्ध हम यहां बनायें वह प्रभावी होना चाहिये। लोगों को हमारे साथ सहयोग करने के लिये तैयार करना चाहिये। आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बहुत थोड़े व्यक्ति ही लड़कियों के विवाह में दूसरे पक्ष की मांग पूरी कर सकते हैं।

बहुत से लोगों के लिये दो हजार की यह राशि भी कठिन होगी और बहुत से लोगों के लिये यह बहुत मामूली। अतः इसे स्पष्ट कर देना चाहिये। हम देखते हैं कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्री भी अपने पिता की सम्पत्ति में से भाग पाने की अधिकारी है किन्तु यह केवल दिखावामात्र है। क्योंकि पिता वसीयत के द्वारा अपनी सम्पति अपने पुत्रों को दे सकता है। वास्तव में देखा जाये तो पुत्रियों को अपने पिता की सम्पत्ति में से कुछ भी नहीं मिल पाता। अतः 'दहेज' के साथ 'स्त्रीदान' सम्मिलित नहीं करना चाहिये।

†सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

बोलानी ओर्स प्राइवेट लिमीटेड के बारे में चर्चा*

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा में बोलानी ओर्स प्राइवेट लिमीटेड के बारे में आधा घंटे की चर्चा होगी।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : (बलोदा बाजार) : संसद् सदस्यों को सामान्य रूप से यह मालूम नहीं है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट को कच्चे लोहे के संभरण का कार्य एक ऐसे समवाय को दिया गया है जो विदेशी खदान हित का प्रमुख समवाय है और हमारी राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय हित से विरक्त है। इस समवाय का नाम बोलानी ओर्स प्राइवेट लिमीटेड है। इस समवाय के ४९½ प्रतिशत अंश है, उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी के पास हैं जो बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता का ही दूसरा नाम है। भारत सरकार के पास ५०½ प्रतिशत ही अंश हैं। किन्तु बोलानी ओर्स प्राइवेट लिमीटेड की सम्पूर्ण वित्तीय एवं प्रबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था बर्ड एण्ड कम्पनी के हाथ में है।

---

†मूल अंग्रेजी में *आधे घंटे की चर्चा

मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जिस प्रकार भिलाई और रूरकेला में खदान का काम होता है उसी प्रकार यहां भी क्यों नहीं किया गया। मंत्रालय से पूछने पर इसके दो कारण बताये गये। पहला तो यह है कि गुआ क्षेत्र में जहां से कि यहां माल आता है अधिकांशत: खदान गैरसरकारी लोगों के हाथ में हैं। यह भी बताया गया है कि इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में तथा अच्छी किस्म का माल मिलता है। दूसरा कारण यह बताया है कि सरकार के सीमित संसाधन होने के कारण यह वांछनीय समझा गया कि वर्तमान सार्थ के सहयोग से बोलानी की खदानों का विकास किया जाये। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि गुआ क्षेत्र की खदानों को विकसित करने का कार्य सरकार ने अपने हाथ में ही क्यों नहीं लिया।

राष्ट्रीय हित की दृष्टि से इस्पात उद्योग बहुत ही महत्व के हैं अत: यह तय हुआ कि कच्चे सामान के संभरण का मामला किसी भी गैर सरकारी संस्थान को नहीं दिया जा सकता। हमारी औद्योगिक नीति संकल्प में यह भी कहा गया था कि अनुसूची (क) के अन्तर्गत के सभी खदान का कार्य सरकारी तौर पर किया जायेगा और गैर-सरकारी व्यक्तियों को नहीं दिया जायेगा। किन्तु हम देखते हैं कि यहां यह कार्य एक प्राइवेट लिमीटेड को दिया गया है और सरकार का मामूली सा नियंत्रण रखा गया है। वस्तुत: तो सारा कार्य एक ब्रिटिश समवाय द्वारा किया जाता है।

सरकार के सीमित साधनों की बात समझ में नहीं आई। जिस प्रकार कि भिलाई में कार्य हो रहा है उसी प्रकार का कार्य यहां भी हो सकता है। किन्तु समझ में नहीं आया कि वह प्रथा क्यों छोड़ दी गई और नये समवाय को यह कार्य दिया गया।

एक बात माननीय मंत्री से और पूछना चाहता हूं कि जब बर्ड एण्ड कम्पनी तथा उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी से अंतिम रूप से बात तै हुई थी तो क्या उससे पूर्व गुआ क्षेत्र के किसी और भी खदान समवाय से बातचीत की गई थी यदि हां, तो वे समवाय कौन कौन थे ?

उड़ीसा में 'उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन' नाम का एक समवाय भी है। इसमें भारत सरकार तथा उड़ीसा सरकार बराबर के भागीदार है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने को माल संभरण करने का कार्य यह समवाय बड़ी आसानी से ले सकता था। मैं नहीं जानता कि भारत सरकार ने बर्ड एण्ड कम्पनी से अंतिम रूप से संविदा करने से पूर्व इस समवाय से अथवा उड़ीसा सरकार से बातचीत भी की थी।

अन्त में संविदा की अवधि और मूल्य का प्रश्न लेता हूं। बोलानी ओर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ किस आधार पर मूल्य निर्धारित किया गया है यह मैं जानना चाहता हूं। आशा है कि माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे इस समवाय के साथ समझौता करके हमने कोई लाभ कमाया है अथवा अपने आप आहरन और खदान का कार्य करना अपने लिये अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

संविदा की अवधि भी मैं जानना चाहूंगा। कितने समय तक संभरण के लिये हम इस समवाय पर निर्भर रहेंगे। आशा है कि माननीय मंत्री इन के बारे में बताने की कृपा करेंगे।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहिला प्रश्न यह है क्या यह बात सच नहीं है कि उड़ीसा मिनरल डवलपमेंट कम्पनी से समझौता करने के पहिले उड़ीसा माईनिंग कारपोरेशन की स्थापना की गई थी ? मैं यह भी जानना चाहता

†मूल अंग्रेजी में

(श्री पणिग्रही)

हूं कि क्या उड़ीसा के किरूबुरू क्षेत्र से निकलने वाले लौह अयस्क से दुर्गापुर की मांग पूरी नहीं हो सकती थी ? बर्ड एन्ड कम्पनी को संचालक और कोषाध्यक्ष बनाने की आवश्यकता क्यों हुई तथा उनकी इस कार्य के लिये क्या पारिश्रमिक दिया जाता है ? जो समझौता इस सम्बन्ध में किया गया है वह बहुत व्यापक है और वस्तुत: वह भारत की औद्योगिक नीति के प्रतिकूल है। सरकार ने उड़ीसा मिनरल डवलेपमेंट कम्पनी को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की समस्त लौह अयस्क भेजने का ठेका क्यों किया तथा सरकार ने बर्ड एण्ड कम्पनी जो कि एक प्रसिद्ध अंग्रजी फर्म है उसके साथ भागीदारी क्यों की ? मेरी यह आशंका है कि सरकार न ब्रिटेन के हितों के दबाव में आकर ऐसा किया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : वस्तुत: यह प्रश्न दो बार सभा के सम्मुख पहले भी आ चुके हैं। पहली बार अप्रैल में, जब कि श्री पाणिग्रही ने एक तारांकित प्रश्न पूछा था, दूसरी बार आज प्रात: काल, जब कि एक तारांकित प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के दौरान मैंने बोलानी ओर्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी थी। यह कहना गलत है कि बोलानी ओर्स एक अंग्रेजी फर्म है, इसके गठन से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है इसमें सरकार के ५०.५ प्रति शत अंश हैं। ४९.५ प्रतिशत अंश उड़ीसा खनिज विकास कम्पनी के हैं। यह कम्पनी भारत में ही निगमित हुई है और जहां तक मैं जानता हूं इस कम्पनी में अधिकांश अंश भारतीयों के हैं। अत: जिस आधार पर यह विवाद खड़ा हुआ है वह आधार ही गलत है। इसलिये यह सारी बात यहां पर आती है कि ऐसे संयुक्त उपक्रम में जिसमें अधिकांश अंश भारत सरकार के हैं और अल्पांश में भी अधिक अंश भारतीयों के हैं तब ऐसी कम्पनी का प्रबन्ध अधिकर्ता बर्ड एन्ड कम्पनी को क्यों बनाया गया ? बर्ड एन्ड कम्पनी में अधिकांश अंश विदेशियों के हैं तब बोलानी एन्ड कम्पनी का प्रबंध अधिकर्ता, इसी कम्पनी को क्यों बनाया गया ? इस प्रकार इस उपक्रम में अधिकांश अंश सरकार के हैं केवल अल्पांश ही दूसरे पक्ष के हैं। पांच निदेशकों में दो सरकार के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, दो उड़ीसा मिनरल डवलपमेंट कम्पनी द्वारा तथा सभापति का चुनाव भी सरकार दूसरे पक्ष का परामर्श लेकर करती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समिति के गठन में कहीं कोई खराबी नहीं है और सरकार के हितों पर पूरी सुरक्षा बरती गई है। इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाने का कोई कारण नहीं है। इस सम्बन्ध में दूसरी कम्पनियों का जिक्र किया गया है विशेषत: उड़ीसा माईनिंग कारपोरेशन का जिसमें ५० प्रतिशत अंश भारत सरकार के और ५० प्रतिशत अंश उड़ीसा सरकार के हैं, यह कहा गया है कि यदि वह भी यह काम करना चाहती थी तो यह काम उस कम्पनी को क्यों नहीं दिया गया ? उड़ीसा माईनिंग कारपोरेशन अभी विकास की अवस्था में है और संभव है वह निकट भविष्य में अपना उत्पादन बढ़ा सके। तथापि हमें इस योजना तथा अगली योजना केलिये बहुत बड़ी मात्रा में लौह अयस्क की आवश्यकता होगी इसके लिये उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन को बहुत अधिक कार्य करना पड़ेगा। पिछले वर्ष उक्त कारपोरेशन केवल ४७,४५० टन उत्पादन कर सका। यह सारी मात्रा राज्य व्यापार निगम के हाथों निर्यात की गई। तथापि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये बहुत अधिक मात्रा में लौह अयस्क की आवश्यकता होगी और इस कार्य के लिये यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि यह काम उनके सुपुर्द कर दिया जाता तो वर्तमान कर्मचारियों और उपकरणों की सहायता से उनके लिये यह काम करना सरल नहीं होता।

सरकारी क्षेत्र में लोह अयस्क का विकास करने के लिये सरकार ने एक व्यापक निर्णय किया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये हम राजहरा खानों में यांत्रिक उत्पादन में विकास कर रहे हैं। रूरकेला के लिये बरसुआ खानों का विकास किया जा रहा है। हमारा अभिप्राय यह है कि न

†मूल अंग्रेजी में

केवल दुर्गापुर की वर्तमान क्षमता को पूरा करने के लिये अपितु योजना का विकास होने पर, उसकी आवश्यकतायें पूरी करने के लिये बोलानी खान का यंत्रों की सहायता से विकास किया जाय। सरकारी क्षेत्र में किरीबुरु खान का भी यंत्रों की सहायता से विकास किया जा रहा है जिससे इस खान से २० लाख टन कोयला प्रति वर्ष निर्यात किया जा सके। इस आशय का एक ठेका भी जापान से कर लिया गया है। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि लोह अयस्क की खुदाई में भी सरकारी क्षेत्र में भरसक प्रयत्न किया गया है तथा १९५६ में जो भी संसाधन उपलब्ध थे उनका उपयोग किया गया है।

सिद्धान्त रूप से भी ऐसे उपक्रम में, जिसमें अधिकांश अंश सरकार के पास हैं तथा दूसरे पक्ष के पास अपेक्षाकृत कम अंश हैं भागीदारी करना बुरा नहीं है। प्राक्कलन समिति ने भी यह कहा है कि ऐसे उपक्रमों में भी जिनमें इस समय राज्य के ही शत प्रतिशत अंश हैं उनमें भी सरकार को सामान्य पंजी के लिये दूसरों को भागीदार बनाने के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। इसलिये केवल यह प्रश्न बाकी रह जाता है कि बर्ड एन्ड कम्पनी को प्रबन्धक अभिकर्ता क्यों बनाया गया। वस्तुतः यह कम्पनी भी एक भारतीय कम्पनी है। सम्भव है इसमें विदेशियों के भी अंश हों। सिद्धान्त रूप से हम भारत में विनिगमित कम्पनियों के बीच इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया करते हैं। हम सदैव से ही विदेशी पूंजी का स्वागत करते रहे हैं और विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देने की बात कहते रहे हैं। इसलिये जहां केवल समन्याय पूंजी में भागीदारिता हो वहां किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जहां तक इस कम्पनी को प्रबन्धक अभिकर्ता बनाने का प्रश्न है, इन्हें इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है। उन्होंने इस क्षेत्र में निक्षेप खोजने, प्रारम्भिक कार्य करने और रेलवे लाइनें बिछाने इत्यादि के सम्बन्ध में पर्याप्त काम किया है। १९५६ में यह विचार किया गया कि यदि यह कार्य किसी अन्य एजेन्सी को दिया जायेगा तो अधिक अच्छा होगा। १९५६ में तीन इस्पात संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा था, तथा लोह अयस्क के उत्पादन के लिये सरकारी क्षेत्र में ही दो परियोजनायें चल रही थीं। इसलिये एक तीसरी योजना के सम्बन्ध में एक ऐसी कम्पनी से भागीदारी की गई जिसे इस क्षेत्र में प्रबन्ध तथा टेक्नीकल ज्ञान के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव है तथा जिसने उस क्षेत्र में कार्य किया है। इसलिये सिद्धान्त रूप से इसमें कोई गल्ती नहीं है। हम पहले भी ऐसा करते रहे हैं। शर्तों के उपयुक्त होने पर हम सरकारी क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों में भी इस प्रकार की भागीदारिता करते रहे हैं। श्री विद्याचरण शुक्ल ने कहा है कि इस्पात संयंत्रों को कच्चा माल देने के सम्बन्ध में हमें किसी विदेशी कम्पनी इत्यादि पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। इस सम्बन्ध में यह कहना गलत है कि केवल प्रबन्धक या कोषाध्यक्ष होने के कारण हमारे हित किसी विदेशी कम्पनी से बंध गये हैं। निदेशकों के बोर्ड में सरकार का प्रभुत्व है इसलिये इस ओर से किसी प्रकार की आशंका तो होनी ही नहीं चाहिये। सिद्धान्त रूप से भी मैं यह बात नहीं स्वीकार कर सकता हूं कि इस्पात संत संयंत्रों को प्रत्येक छोटी वस्तु के लिये भी हमें विदेशी कम्पनियों का मुंह नहीं देखना चाहिये इस्पात संयंत्रों को जो भी कोयला दिया जाता है वह सब सरकारी क्षेत्रों की कोयला खानों से उपलब्ध नहीं होता है। कोयले के लिये सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में हमें राष्ट्रीय कोयला निगम के अतिरिक्त संसाधनों पर निर्भर रहना होगा। इस्पात संयंत्रों के संधारण के लिये अन्य कर वस्तुयें भी चाहियें यथा तेल अन्य प्रकार के खनिज पदार्थ रसायन बिजली की वस्तुयें इत्यादि। यह बहुत अच्छी बात होगी यदि हम किसी बात के लिये भी विदेशी हितों पर निर्भर न रहें। तथापि हम इस विषय में पृथकता की नीति नहीं बरतना चाहते हैं। साथ ही हमें इस प्रकार का अविश्वास भी नहीं करना चाहिये कि केवल इस कारण कि किन्हीं वस्तुओं के लिये अमुक परियोजन विदेशी हितों पर निर्भर है इसलिये परियोजना से वांछनीय परिणाम नहीं निकलेंगे। जहां तक इन सभी वस्तुओं के संभरण इत्यादि का प्रश्न है सरकार को इस सम्बन्ध में समुचित अधिकार प्राप्त हैं इसलिये किसी

[सरदार स्वर्ण सिंह]

प्रकार की आशंका को हृदय में स्थान देना गलत है। अब मैं एक दो प्रश्नों के सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। उड़ीसा माईनिंग कारपोरेशन १९५६ में प्रारम्भ किया गया था और उसमें भारत सरकार और उड़ीसा की सरकार की भागीदारी थी। तथापि यह समझा गया कि केवल यंत्रों की सहायता से चलने वाले इस खान सम्बन्धी काम को करने की उनमें कोई क्षमता नहीं है। इसलिये खान का काम प्रारम्भ करने के लिये एक नई कम्पनी की स्थापना की गई।

यह प्रश्न पूछा गया कि बर्ड एन्ड कम्पनी को प्रबन्ध का तथा कोषाध्यक्ष बनाने की क्या आवश्यकता थी। क्योंकि हमारे पास पहिले से ही अधिक बहुत काम था इसलिये हमने यह सोचा कि इस समवाय की प्रबन्ध कुशलता तथा व्यवसायिक ज्ञान का लाभ उठाया जाय। परिश्रमिक के संबंध में बातचीत की गई और सरकार इस बात पर से संतुष्ट थी कि उनकी शर्तें नाजायज नहीं थी। यह स्मरण रखना चाहिए कि बोलानी ओर्स को जो भी लाभ होगा उसका आधे से अधिक भाग सरकार को मिलेगा। परिश्रमिक कम्पनी के लाभ पर निम्नलिखित दरों पर मिलेगा। संचालन तथा कोषाध्यक्ष का कार्य करने के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में १५ लाख रुपये के लाभ तक ७ प्रतिशत अगले १० लाख तक ६ प्रतिशत और उस से भी अधिक २५ लाख तक ५ प्रतिशत मिलेगा। जहां तक कार्य करने की अवधि का संबंध है पहिली अवधि १५ वर्ष की है, इसके पश्चात् फिर बातचीत की जा सकती है। सरकार इस कार्य के लिए जो परिश्रमिक दे रही है वह अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार के कार्यों के लिये दिये जाने वाले कार्य के परिश्रमिक के समान ही है।

श्री पाणिग्रही ने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस ज्ञापन के अन्य अनुच्छेद बहुत व्यापक हैं। इस संबंध में मैं उनकी आशंका से सहमत हूं तथापि कम्पनियों के लिये अपने ज्ञापन में इतनी बातें सम्मिलित कर लेना असाधारण बात नहीं है। इसके लिये हमें भयभीत नहीं होना चाहिये। अनुच्छेद में अन्य कई बातों का जिक्र होते हुऐ भी इसका प्रयोजन इतना ही है। यदि माननीय सदस्य अन्य राज्य उपक्रमों के ज्ञापन या भागीदारिता संबंधी अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि वे भी एक व्यापक क्षेत्र शामिल करना चाहते हैं। संभव है कभी कोई वस्तु उनके क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाय। तब उन्हें इस के लिये किसी अन्य संसाधन पर निर्भर न रहना पड़े। इसलिए सतर्कता की दृष्टि से वे इन बातों को भागीदारी के अनुच्छेदों में स्थान ले देते हैं। अभिप्राय यह नहीं है कि वे इस के बाहर की भी कोई बात करेंगे। इस बात का कोई खतरा भी नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र के बाहर के किसी भी औद्योगिक कार्य को रोकने के लिये हम उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम का प्रयोग कर सकते हैं। सरकार इसके अधिकांश अंशों की भागीदार है इसलिये इस संबंध में कोई आशंका नहीं होनी चाहिये कि वे औद्योगिक नीति के प्रतिकूल कोई काम कर सकेंगे।

मैं सभा को यह बात बता देना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल गलत है कि ब्रिटेन के हितों के दबाव के कारण सरकार को मैसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी के साथ यह समझौता करना पड़ा। समझौते पर केवल उसके शर्तों के गुणावगुणों के आधार पर विचार किया गया। और सरकार इस निश्चय पर पहुंची कि यह सब से अच्छा समझौता है। पट्टे वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ११ वर्ग मील है। मेरे पास इस संबंध में सही आंकड़े नहीं हैं मैं यह बात याददास्त के आधार पर कह रहा हूं। पट्टेदारी की जो अवधि मंजूर की गई वह खनिज रियायत नियमों के अधीन सामान्य है। इसलिये इस संबंध में सभा को किसी प्रकार की आशंका करना ठीक नहीं है। सरकार इस कम्पनी के कार्य पर पूरी निगरानी और नियंत्रण रखेगी।

जहां तक दुर्गापुर और भिलाई व रूरकेला को दिये जाने वाले कोयले की कीमतों का संबंध है यह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है क्योंकि सरकार इस उपक्रम के आधे से अधिक अंशों की भागीदार है।

इसलिये जितना भी लाभ मिलेगा उसका अधिकांश भाग सरकार को ही मिलेगा। मेरे विचार से दर १५ रुपये से अधिक नहीं होगी। मेरे विचार से अधिकतम मूल्य निश्चित किया जा चुका है । मेरे सहयोगी मुझे यह बता रहे हैं कि यह दर १० रुपये प्रति टन से भी कम है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या समझौते में कीमत का उल्लेख नहीं है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सरकार के अधिकांश अंशों की भागीदार होने के कारण इसको आवश्यक नहीं समझा गया। वस्तुतः यह बात सरकार के हक में नहीं थी। क्योंकि हम सदैव लाभ पर नियंत्रण रख सकते हैं। हमें मूल्य निश्चय करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और यह दर इस्पात संयन्त्रों के हितों को ध्यान में रख कर निश्चित की जायगी ।

इस के पश्चात् लोक सभा गुरुवार, ६ अगस्त, १९५९ / १५ श्रावण, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	.	२७५—३०३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०४	अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक उन्नति सम्बन्धी समिति . .	२७५—७८
१०५	अनिवार्य समाज सेवा . . .	२७९—८१
१०६	दिल्ली के गुरुद्वारों का झगड़ा . . .	२८१—८२
१०७	काश्मीर में जिप्सम के निक्षेप . . .	२८३—८४
१०८	गांजा निषेध	२८४—८५
१०९	सरकारी तेल वितरण कम्पनी	२८६—८८
१११	इंजीनियरिंग और टैक्नालोजी का डिग्री कोर्स .	२८८—८९
११२	वैज्ञानिकों का 'पूल' . .	२९०—९१
११३	रूस को भारतीय शिष्टमंडल . . .	२९१—९४
११४	केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसन्धान संस्था, नागपुर .	२९४—९५
११५	गोहाटी और बैरौनी में तेल शोधक कारखानों के लिये पाइप लाइन	२९६—९७
११६	कोठगुदम और टन्डूर में कोयला . .	२९७—९९
११७	बम्बई की इमारत की मांग . . .	२९९
११८	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	३००
११९	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन बन्ध पत्रों का खरीदा जाना . .	३००—०२
१२०	बोलानी की लोह अयस्क की खानें . . .	३०२—०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	.	३०३
तारांकित प्रश्न सख्या		
१२१	सरकारी उच्चाधिकारियों के खिलाफ जांच . .	३०३—०४
१२२	हज यात्रियों के लिये विदेशी मुद्रा . . .	३०४

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	
१२३	आसनसोल की कोयला खानें	३०५
१२४	रिजर्व बैंक के गवर्नर का अध्ययन सम्बन्धी दौरा	३०५
१२५	तेल उद्योग की समस्यायें	३०६
१२६	दक्षिणी क्षेत्र के लिये मिला जुला पुलिस रक्षित बल	३०६–०७
१२७	निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट	३०७
१२८	तीर्थमलै क्षेत्र में उपलब्ध लौह-अयस्क का परिमाण	३०८
१२९	काजू छिलके पानी से राल	३०८
१३०	हिमालय प्रदेश के लिये सचिवालय भवन	३०८–०९
१३१	जीवन बीमा निगम	३०९
१३२	कलकत्ता में स्टेडियम	३०९–१०
१३३	उच्च न्यायालयों में छुट्टियां तथा काम के घंटे	३१०
१३४	दिल्ली के कालेजों में प्रवेश	३१०
१३५	भारतीय खान तथा व्यावहारिक भूविज्ञान स्कूल, धनबाद	३१०–११
१३६	सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के नियम ४क और ४ख का संशोधन	३११
१३७	दिल्ली नगरपालिका निगम का नया मुख्यालय	३११–१२
१३८	निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	३१२–१३
१३९	योगाभ्यास का अध्ययन	३१३
१४०	केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड	३१३–१४
१४१	हिमाचल प्रदेश में प्रशासकीय व्यवस्था का पुनर्गठन	३१४
१४२	दिल्ली पुलिस का पुनर्गठन	३१४
१४३	जर्मनी में भारतीय कला प्रदर्शनी	३१५
१४४	औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल'	३१५–१६
१४५	शिक्षण संस्थाओं को अनुदान	३१६
१४६	बुनियादी शिक्षा साहित्य समिति	३१६–१७
१४७	चीनी में हवाई अड्डा	३१७
१४८	"इलैक्ट्रो-लॉगिंग"	३१७–१८
१४९	दिल्ली के अध्यापक	३१८
१५०	जीवन बीमा निगम	३१८–१९
१५१	शिक्षा के स्तर में गिरावट	३१९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५२	दिल्ली में केन्द्रीय बुनियादी स्कूल . .	३१९
१५३	हिन्दी विश्व कोष . . .	३२०
१५४	विश्वविद्यालयों में 'हॉबी वर्कशाप . .	३२०–२१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५९	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना .	३२१
१६०	पंजाब में आय-कर के अनिर्णीत मामले . .	३२२
१६१	पंजाब में खुदाई	३२२
१६२	हिमाचल प्रदेश में भू-राजस्व की वसूली . .	३२२
१६३	राष्ट्रीय अनुशासन योजना . . .	३२२–२३
१६४	विदेशी खान मालिक	३२३–२४
१६५	बम्बई में प्राचीन स्मारक . . .	३२४
१६६	चितौड़गढ़ का किला	३२४
१६७	मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विसेज़	३२४–२५
१६८	उड़ीसा में तम्बाकू की खेती	३२५
१६९	इस्पात इंजीनियरों का प्रशिक्षण	३२६–२७
१७१	सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही .	३२७
१७२	त्रिपुरा में भूमिहीन झूमिया	३२७
१७३	त्रिपुरा में झूमिया बस्तियों में क्वार्टर . . .	३२७–२८
१७४	दिल्ली में जूनियर बेसिक स्कूल . . .	३२८
१७५	दिल्ली में बेसिक स्कूल . . .	३२८–२९
१७६	आरक्षी आवास योजना	३२९
१७७	विश्वविद्यालयों के छात्रों की रहन सहन की दशा . .	३२९
१७८	विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां . . .	३२९–३०
१७९	पंजाब में त्रिवार्षिक डिग्री कोर्स	३३०
१८०	पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले लोगों के दावे . .	३३०
१८१	विदेशों में भारतीय विद्यार्थी	३३१
१८२	भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय, लन्दन . . .	३३१
१८३	सीमा-शुल्क प्रक्रिया और संगठन सम्बन्धी समिति . .	३३१–३२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८४	आय-कर प्राप्तियों का लेखा परीक्षण . . .	३३
१८५	समाज कल्याण परियोजनाओं सम्बन्धी टीम की रिपोर्ट- .	३३२–३३
१८६	इंडिया सिक्यूरिटी प्रैस, नासिक	३३३
१८७	केन्द्रीय मद्य निषेध समिति	३३३
१८८	दिल्ली में जल-संभरण	३३४
१८९	भारतीय विमान बल के विमानों के साथ दुर्घटना .	३३४–३५
१९०	शिक्षकों के शिक्षा सम्बन्धी दौरे	३३५–३६
१९१	भारतीय विद्यार्थियों को इटली सरकार द्वारा छात्रवृतियां .	३३६
१९२	भारत से बाहर काम कर रहे सैनिक कर्मचारी . .	३३७
१९३	बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती स्मारक . . .	३३७
१९४	इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले .	३३७—३३९
१९५	अखिल भारतीय आरम्भिक शिक्षा परिषद् . . .	३३९
१९६	कैम्बे तथा बड़ौदा में तेल . .	३३९–४०
१९७	भ्रष्टाचार के मामले	३४०
१९८	हिमाचल प्रदेश में कारागार	३४१
१९९	इंजीनियरिंग सेवा परीक्षायें	३४१
२००	निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों द्वारा प्राइवेट फर्मों में नौकरी	३४२
२०१	हिन्दी में विधि सम्बन्धी शब्दावली . . .	३४२
२०२	पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदान . . .	३४२–४३
२०३	सेना इंजीनियरिंग सेवा (एम० ई० एस०) में ठेका प्रणाली की समाप्ति	३४३
२०४	तेल उद्योग	३४३–४४
२०५	भारत में चांदी का उत्पादन	३४४
२०६	वाणिज्य शिक्षा का पुनर्गठन	३४५
२०७	व्यय कर अधिनियम	३४५–४६
२०८	रानीखेत छावनी में अग्निकांड	३४६
२०९	सफेद सीमेंट	३४६
२१०	विदेशों में प्रशिक्षण . . .	३४६–४७
२११	पंजाब में संग्रहालय . . .	३४७
२१२	पंजाब में पोलीटेक्नीक . .	३४७–४८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
२१३	पंजाब में शिक्षा संस्थाओं को सहायता	३४८–४९
२१४	कोतागुदम् और गुदुर में खनन संस्थायें	३४९
२१५	बम्बई में शिक्षितों में बेरोजगारी	३४९
२१६	सुलतानगंज में प्राप्त अवशेष	३५०
२१७	योगाश्रमों को सहायता	३५०
२१८	दिल्ली में एक महिला की रहस्यपूर्ण मृत्यु	३५०
२१९	पुरातत्वीय संग्रहालय, लोथल	३५१
२२०	अमरीकी नेशनल वार कालेज के पदाधिकारियों का आगमन	३५१
२२१	उड़ीसा की शिक्षा संस्थाओं को अनुदान	३५१–५२
२२२	इस्पात, पुनर्बेलन (री रोलिंग) कारखाने	३५२
२२३	हिन्दी और अंग्रेजी स्टेनोग्राफर	३५२–३५३
२२४	अवैध माल	३५३
२२५	त्रिपुरा में अकाल की स्थिति	३५३–५४
२२६	अभ्रक	३५४–५५
२२७	उत्तरी खनिज क्षेत्रीय परिषद्	३५५
२२८	अमीर खुसरो की कृतियां	३५५
२२९	मनीपुर प्रशासन के अधीन सरकारी कर्मचारी	३५५
२३०	विदेश जाने वाले सरकारी कर्मचारी	३५६
२३१	अल्प बचत	३५६
२३२	जिला अफीम अधिकारी, मध्य प्रदेश	३५६–५७
२३३	दिल्ली के लिये स्वयंसेवी बल	३५७
२३४	हिमाचल प्रदेश का खनिज सर्वेक्षण	३५७–५८
२३५	हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक ऋण	३५८
२३६	बीकानेर में लिग्नाइट का खनन	३५८–५९
२३७	आन्ध्र प्रदेश में लौह-अयस्क निक्षेप	३५९-६०
२३८	पंजाब में तेल छिद्रण के लिये भूमि का अर्जन	३६०–६१
२३९	पंजाब उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश	३६१
२४०	इम्फाल में आदिम जातीय लड़कियों के लिये छात्रावास	३६१
२४१	सम्पत्ति-कर	३६१–६२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२४२ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन . . . ३६२

२४३ पंजाब में भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी . ३६२

२४४ राजपत्रित छुट्टियां ३६२–६३

२४५ केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों की सेवावधि का बढ़ाया जाना और उसका पुनर्नियोजन . . ३६३

२४६ भारत का रक्षित बैंक ३६३

२४७ केन्द्रीय सचिवालय लिपिक योजना के अधीन अपर डिवीज़न क्लर्कों के खाली स्थान . ३६४

२४८ प्रतिरक्षा सेवा संगठन . ३६४

२५० त्रिपुरा में पुराने कानूनों का निरसन . ३६४–६५

२५१ झूमियो का पुनर्वास . . ३६५

२५२ इंजीनियरिंग कालेज, गुलबर्गा . . ३६५

२५३ पूर्णपाणि में चूने के पत्थर की खानें . ३६५–६६

२५४ पेंशन ३६६

२५५ तलकाड (मैसूर) के मंदिर . . . ३६६

२५६ अल्प बचत योजना ३६७

२५७ दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लिये मकानों का निर्माण ३६८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३६८—३७७

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २९ के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५७ को भारत के जीवन बीमा निगम के व्यापार की वित्तीय स्थिति और निगम के दायित्वों के बारे में प्रबन्धक के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम और देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य की एक प्रति ।

विषय

सभा पटल पर रखे गये पत्र---(क्रमशः) पृष्ठ

(३) खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) खनिज संरक्षण और विकास नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ४ अप्रैल, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ३८७ ।

(२) दिनांक ४ अप्रैल, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ३८८ ।

(३) दिनांक २७ जून, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ७२९ ।

(४) खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८६२ ।

(४) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ६ जून, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६५२ ।

(२) भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि नियम, १९४२ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ६ जून, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६५३ ।

(३) भारतीय असैनिक सेवा (गैर-यूरोपियन सदस्य) भविष्य निधि नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ६ जून, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६५४ ।

(४) भारत सचिव सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४५ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ६ जून, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६५५ ।

(५) भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतन नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८४५ ।

(६) भारतीय पुलिस सेवा वेतन नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८४६ ।

(७) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८५० ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(८) भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि नियम, १९४२ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८५१ ।

(९) भारत सचिव सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २५ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८५२ ।

(५) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम (नगरवृद्धों का निर्वाचन) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिल्ली गजट में प्रकाशित दिनाक १६ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या २२/२/५९ —दिल्ली की एक प्रति :—

(६) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, मंत्रियों के (भत्तों, चिकित्सा और अन्य विशेषाधिकार) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १६ मई, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९२ की एक प्रति ।

(७) औषधि तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(१) दिनांक ३० मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६१७।

(२) दिनांक ४ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ७५४।

(८) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसुचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) दिनांक २ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५१९ ।

(२) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (मार्का दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक २ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५२० ।

(३) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ९ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५४० ।

(४) दिनांक ९ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५४३ ।

(५) दिनांक २६ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५६६ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(६) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या दिनांक १६ मई, १९५९ का जी ० एस० आर० संख्या ५६७ ।

(७) दिनांक १६ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५६८ ।

(८) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला १६ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५६९ ।

(९) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १६ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५७० ।

(१०) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (सोने के जेवर) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ३० मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६२१ ।

(११) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (मार्का दरें) नियम, १९५८ और सीमा शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ३० मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६२२ ।

(१२) दिनांक ३० मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६२६ ।

(१३) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ३० मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६२७ ।

(९) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधि-नियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १६ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५७१ ।

(२) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १६ मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ५७२ ।

(३) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (मार्का दरें) नियम, १९५८ और सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (नियत दरें), नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनाक ३० मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६२९ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र —(क्रमशः)

(४) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापसी (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ३० मई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६३० ।

(१०) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियां तैयार करना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २४ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७५ की एक प्रति ।

(११) पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १८ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत पुनर्वास वित्त प्रशासन की ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाली छमाही की रिपोर्ट की एक प्रति ।

(१२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(१) ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में त्रिपुरा राज्य बैंक लिमिटेड के का कार्य प्रतिवेदन ;

(२) ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये त्रिपुरा राज्य बैंक लिमिटेड के लेखे सहित संचालकों का प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(३) वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक नई दिल्ली की ओर से त्रिपुरा राज्य बैंक लिमिटेड, अगरतल्ला के जनरल मैनेजर को दिनांक ५ जनवरी, १९५८ का पत्र संख्या १-रिप, २—३५/५८ ।

विधेयक पर राय—सभा पटल पर रखी गई ३७७

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक पर, जिसे ३० जुलाई, १९५९ तक राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, रायों के पत्र संख्या २ की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी ।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ३७७—७८

(१) परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने 'नेफा' क्षेत्र में अलोंग के निकट ३ अगस्त, १९५९ की कलिंग एयरलाइन्स के डकोटा विमान की दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

(२) वित्त मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) ने औद्योगिक वित्त निगम के बारे में १३ मार्च, १९५९ को तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ पर पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—(क्रमशः)

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापन . . . ३७८

छियालीसवां प्रतिवेदन उपस्थित किया गया ।

विधेयक-पारित . . ३७८—४०८

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक १९५८, पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार, विचार के पश्चात विधेयक पारित किया गया ।

विधेयक को संयुक्त सामति को सौंपने का प्रस्ताव—विचाराधीन ४०९—४२०

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि दहेज निषेध विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घंटे की चर्चा . . . ४२०—२५

श्री विद्या चरण शुक्ल ने बोलानी ओर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में १६ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १८६५ के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठाई ।

इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

बुधवार, ६ अगस्त, १९५९/१५ श्रावण, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि

दहेज निषेध विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा तथा उसका स्वीकार किया जाना तथा जीवन बीमा निगम के प्रतिवेदन पर भी चर्चा ।